इस्लाम का संदेश

लेख

अब्दुर्रहमान अब्दुलकरीम अश्शीहा

अनुवाद

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह

संशोधन

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिये है और दरुद व सलाम हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के परिवार और आप के साथियों पर।

प्रस्तावना :

अल्लाह तआला ने फरमाया है कि: ''आप कह दीजिये कि ऐ किताब वाले (यहूदी और ईसाई) ऐसी इन्साफ वाली बात की ओर आओ जो हम में तुम में बराबर है कि हम अल्लाह तआला के सिवा किसी की पूजा न करें न उसके साथ किसी को साझी बनायें, न अल्लाह तआला को छोड़ कर आपस में एक दूसरे को ही रब बनायें, फिर अगर वह मुंह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं।'' (सूरत आल-इमरान :६४)

इस्लाम धर्म ही सत्य धर्म है इस लिये कि यह शुद्ध प्रकृतिक और स्पष्ट धर्म है जिस में कोई पेचीदगी और उलझाव नहीं। हर व्यक्ति को अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले शक और खटकने वाली चीजों के बारे में प्रशन करने का अधिकार प्राप्त है, प्रन्तु इन धार्मिक बातों के बारे में उत्तर देने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है कि : ''आप कह दो कि अलबत्ता मेरे रब ने सिर्फ हराम किया है उन तमाम बुरी बातों को जो स्पष्ट हैं और जो छुपी हैं और हर पाप की बात को और नाहक किसी पर अत्याचार करने को और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराओ जिस की अल्लाह ने कोई सनद नही नाज़िल की और इस बात को कि

तुम लोग अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगाओ जिस को तुम नहीं जानते।'' (सूरतुल आराफ :३३)

बल्कि धार्मिक मामलों में बोलने और उत्तर देने का अधिकार सिर्फ विद्वानों और शरई बातों के विशेषज्ञों को है, अल्लाह तआला ने फरमाया है : ''यदि तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछ लो।'' (सूरतुन्नह्ल :४३)

धार्मिक बातों मे विद्वानो को छोड़ कर दूसरों से प्रश्न करने का जो भयानक नतीजा जाहिर होता है उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट करदिया है, आप ने कहा है कि : ''अल्लाह तआला इल्म को इस प्रकार नहीं छीनेगा कि उसे लोगों के दिलों से छीन ले लेकिन विद्वानो को मृत्यु देकर इल्म को छीनेगा यहाँ तक कि जब कोई भी विद्वान नहीं बचेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उन से प्रश्न करेंगे तो वह बिना इल्म के फत्वा देंगे, वह स्वयं गुमराह होंगे और उन्हें भी गुमराह करेंगे।'' (सहीह बुखारी १/५० हदीस नं.:१००)

इस्लाम के अन्दर ऐसे मसायल नहीं है कि जिन के ऊपर हमारा ईमान है लेकिन हम उनके विषय में प्रश्न नहीं कर सकते, गैब की उन बातों को छोड कर जिन के विषय मे हमारे रब ने हमें नहीं बतलाया है इस लिये कि उन की जानकारी में हमारा कोई हित नहीं है और वह ऐसी वस्तुयें हैं जो इन्सान की समझ से बाहर हैं, हाँ गैब की चीजों में से जिन चीजों की जानकारी में इन्सान की कोई मसलहत है तो अल्लाह तआला ने उसे अपने रसूल के वास्ते से बतला दिया है और हमारे इन्सान होने के कारण हम में से हर एक की बुद्धि में कुछ ऐसे प्रश्न धूमते रहते हैं जिन के उत्तर की उसे आवश्यक्ता होती है तो इस्लाम इन का सरल और तस्ल्ली बख्श (संतोषजनक) अन्दाज़ में जवाब देता है, उदाहरण के तौर पर :

- इन्सान यदि अपनी असल के बारे में प्रश्न करे तो इसका उत्तर अल्लाह के इस कथन मे मौजूद पायेगा कि : ''यकीनन हम ने

इन्सान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया फिर उसे नुतफा बनाकर सुरक्षित स्थान में ठहरा दिया फिर नुतफा को हम ने जमा हुवा खून बना दिया फिर उस खून के लोथड़े को हड्डियाँ बना दी फिर हड्डियों को हम ने गोश्त पहना दिया फिर दूसरी बनावट में उस को पैदा कर दिया, बरकतों वाला है वह अल्लाह जो सब से बेहतरीन पैदा करने वाला है।" (सूरतुल-मोमिनून :१२-१४)

- अगर मनुष्य इस संसार में दूसरे जीवधारियों के बीच अपने महत्व के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो अल्लाह के इस कथन में इसका उत्तर मोजूद पायेगा : "यकीनन हम ने मनुष्यों को बहुत सम्मान दिया है और उन्हें जल और थल की सवारियाँ दी हैं और उन्हें पाकीज़ा नेमतों से रिज़्क दी है और अपनी बहुत सी सृष्टि पर हमने उन को वरीयता दी है।" (सूरतुल-इस्रा :७०)

- यदि मनुष्य इस संसार में मौजूद सृष्टि के बारे में अपने मौक़िफ के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो इसका उत्तर अल्लाह के इस कथन में पायेगा कि "अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिये समुद्र को अधीन बना दिया ताकि उस के हुक्म से उस में कश्तियाँ चलें और तुम उस का फ़ज़्ल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र बजा लाओ और आकाश व धरती की हर-हर वस्तु को भी उस ने अपनी ओर से तुम्हारे अधीन कर दिया है जो गौर करें यकीनन वह इस में बहुत सी निशानियाँ पायें गे।" (सूरतुल-जासिया :१२-१३)

- और यदि अपनी पैदाइश के कारण के बारे में प्रशन करे तो उसका उत्तर अल्लाह के इस कथन में मौजूद पायेगा कि : ((मैं ने जिन्नात और इन्सानों को मात्र इसी लिये पैदा किया है कि वह सिर्फ मेरी वन्दना करें न मैं उन से रोज़ी (जीविका) चाहता हूँ न मेरी यह चाहत है कि यह मुझे खिलायें)) (सूरतुज़्ज़ारियात:५६-५८)

- यदि उस सृष्टा के विषय में प्रशन करे जिस ने इस दुनिया को वुजूद बखशा है और सिर्फ उसी की पूजा अनिवार्य है तो इस का उत्तर

अल्लाह तआला के इस कथन में मौजूद पायेगा कि : “आप कहदीजिये कि वह अल्लाह तआला एक ही है ना उस से कोई पैदा हुवा ना वह किसी से पैदा हुवा और ना उसका कोई हमसर है।” और अल्लाह तआला के इस कथन में कि : “वही पहले है ओर वही पीछे वही जाहिर है और वही मखफी है और वह सभी चीजों को भली भाँति जाता है।” (सूरतुल-जासिया :३)

- और यदि दिली इतमीनान व सुकून और नफसानी राहत पहुँचाने वाली चीज़ के बारे में प्रशन करे तो अल्लाह तआला के इस कथन में इस का उत्तर मौजूद पायेगा कि: “जो लोग ईमान लाये उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इतमीनान हासिल करते हैं, याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है।” (सूरतुर्रा'द :२८)
- और यदि सफलता और अच्छी जीवन प्राप्त करने वाली चीज़ के बारे में प्रशन करे तो इस का उत्तर अल्लाह के इस कथन मे मौजूद पायेगा कि: “जो व्यक्ति अच्छा काम करे पुरुष हो या महिला लेकिन मोमिन हो तो हम उसे वास्तव में निहायत अच्छा जीवन देंगे और उनके अच्छे कामों का बदला भी उन्हें अवश्य अवश्य देंगे।” (सूरतुन्नह्ल: ९७)
- और यदि अल्लाह और उसकी उतारी हुयी चीज़ पर ईमान ना लाने वाले की स्थिति के बारे में प्रशन करे तो उस का उत्तर अल्लाह के इस कथन में मौजूद पायेगा कि: “और हाँ जो मेरी याद से मुँह फेरेगा उसके जीवन में तन्गी रहेगी और हम उसे क़ियामत के दिन अँधा करके उठायेंगे वह कहेगा कि इलाही मुझे तूने अँधा बना करके क्यों उठाया? हालांकि मैं देखता था तो उत्तर मिलेगा कि इसी प्रकार होना चाहिये था तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया तो आज तू भी भुला दिया जाता है।” (सूरत ताहा :१२४)

- और यदि समाज के लिये सम्पूर्ण और उच्छे धर्म और मनुष्य के लिये दुनिया और आखिरत में सफलता के ज़िम्मेदार धर्म के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो इसका उत्तर अल्लाह के इस कथन में पायेगा: "आज मैं ने तुम्हारे लिये धर्म को पूर्ण कर दिया और तुम पर अपना इनआम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिये इस्लाम के धर्म होने पर प्रसन्न होगया।" (सूरतुल-माईदा :३)

- और यदि उस सत्य धर्म के विषय में प्रश्न करे जो अपनाने के क़ाबिल है और अल्लाह और उसके स्वर्ग की ओर पहुँचाने वाले मार्ग के बारे में प्रश्न करे तो इसका उत्तर अल्लाह के इस कथन में पायेगा : "जो व्यक्ति इस्लाम के अलावा और धर्म खोजे उसका धर्म क़बूल ना किया जायेगा और वह आखिरत में हानि उठाने वालों में होगा।" (सूरत आल इम्रान :८५)

- यदि वह दुसरों के साथ अपने तअल्लुक़ात के सम्बन्ध में प्रशन करेगा तो इसका उत्तर अल्लाहके इस कथन में पायेगा: "ऐ लोगो! हम ने तुम सब को एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और इस लिये कि एक दूसरे को पहचानो कुंबे और कबीले बना दिये हैं, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे सम्मानित वह है जो सब से अधिक डरने वाला है।" (सूरतुल-हुजुरात :१३)

- और यदि इल्म के बारे में उसके मौकिफ़ के बारे में प्रश्न करे तो इस का उत्तर अल्लाह के इस कथन में पायेगा: "अल्लाह तआला तुम में से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं और जो ज्ञान दिये गये हैं उनके पद को ऊँचा करता है।" (सूरतुल मुजादला :११)

- और यदि इस दुनिया के जीवन में अपने अन्त के बारे मे प्रश्न करे तो इसका उत्तर अल्लाह के इस कथन में पायेगा : हर जान मृत्यु का मजा चखने वाली है और क़ियामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिये जाओगे, पस जो व्यक्ति आग से हटा दिया गया और स्वर्ग में

डाल दिया जाये, तो वास्तव में वह सफल होगया और दुनिया का जीवन तो सिर्फ धोके की चीज़ है।" (आल इमरान :८५)

- और यदि मरने के बाद दोबारा जीवित होने के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो इस का उत्तर अल्लाह के इस कथन में पायेगा : "और उसने हमारे लिये उदाहरण बयान की और अपनी असल पैदायिश को भूल गया कहने लगा इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिन्दा कर सकता है? आप जवाब दीजिये कि उहें वह जीवित करेगा जिस ने उहें पहली बार पैदा किया है, जो हर प्रकार की पैदायिश को भली भांति जानने वाला है, वही जिसने तुम्हारे लिये हरे वृक्ष से आग पैदा कर दी जिस से तुम यकायक आग सुलगाते हो जिसने आसमानो और ज़मीनो को पैदा किया है क्या वह उन जैसों के पैदा करने पर कादिर नही है? वास्तव में क़ादिर है और वही तो पैदा करने वाला जानने वाला है वह जब कभी किसी चीज़ की इच्छा करता है उसे इतना कह देना काफि है कि 'हो जा', और वह उसी समय हो जाती है।" (सूरत यासीन :७८-८३)

- यदि पुनः जिन्दा किये जाने के बाद अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाले अमल के बारे में प्रश्न करे तो उस का उत्तर अल्लाह के इस कथन में मोजूद पायेगा कि : "जो लोग ईमान लाये और उहों ने काम भी अच्छे किये, यकीनन उन के लिये अलफिरदोस के बागात की मेहमानी है।" (सूरतुल कहफ :१०७)

- और यदि पुनः जीवित किये जाने के बाद होने वाले अन्जाम के बारे में प्रश्न करे तो उसका यह उत्तर पायेगा कि स्वर्ग और नर्क में हमेशा के लिये उस का कोई ऐक अन्जाम होगा, अल्लाह तआला ने फरमाया है कि "बेशक जो लोग किताब वालों में से काफिर हुये और मुशरिकीन सब नर्क की आग में जायेंगे जहाँ वह हमेशा हमेश रहेगा यह लोग बदतरीन मख्लूक़ हैं, बेशक जो लोग ईमान लाये और अच्छे कर्म किये यह लोग अच्छे मख्लूक़ हैं, उनका बदला उनके रब

के पास हमेशगी वाली जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें बह रही हैं जिन में वह हमेशा हमेशा रहेंगे अल्लाह तआला उन से प्रसन्न हुवा और यह उस से प्रसन्न हुये यह है उस के लिये जो अपने पालनहार से डरे।'' (सूरतुल बैयिना : ६-८)

प्रिय पाठक !

मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस समय दुनिया जिन समस्याओं से गुज़र रही है उन सब का समाधान इस्लाम में मौजूद है। इस्लाम धर्म को स्वीकार करके उसे लागू करने से इन सारी समस्याओं का अन्त हो सकता है। दुनिया जमाने के सभी नियमों को जाँच और परख चुकी है लेकिन उस से कोई लाभ नही निकला है, हाँ कुछ समस्याओं का समाधान जरूर हुवा है तो फिर ऐसी स्थिति में दुनिया इस्लाम को क्यों नही स्वीकार करती और उसके नियमों को क्यों नही लागु करती।

फिलवियास (**F. Filweas**) का कहना है कि : पत्रिकाओं में पिछले दिनों ऐसी बयान प्रकाशित हुए हैं जिनका आशय यह है कि पश्चिम के फलसफियों (दार्शिनकों) और लेखको का मानना है कि वर्तमान धर्म बहुत पुराने हो चुके हैं ... और उनसे छुटकारा लेना अनिवार्य है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी लेखक ईसाई धर्म की पेचीदगियों और अस्पष्टताओं के कारण किस प्रकार निराशावाद से दो चार हैं, लेकिन यह लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम जो उस का मात्र सम्पूर्ण उत्तर दे सकता है वह निरंतर क़ायम है और उसका विकल्प बनने की पूरी क्षमता रखता है और उसके लिए तैयार है।''

प्रिय पाठक !

यह बात कहते हुए मैं बिल्कुल ग़लती पर नहीं हूँ कि बहुत सारे मुसलमान इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों और नियमों और उसकी शुद्ध शिक्षाओं का पालन करने से पूरी तरह दूर हैं, इस लिये कि बहुत सारे

मुसलमान इस्लामी शिक्षा और सिद्धान्त से हट कर जीवन यापना कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम मात्र कुछ धार्मिक रस्मों (अनुष्ठानों) का नाम नहीं है जो कुछ विशिष्ट अवसरों पर अदा किये जाते हैं जैसा कि बहुत सारे लोगों का गुमान है, बल्कि यह एक आस्था, शरीअत (शास्त्र), इबादत (उपासना) और मामलात (व्यवहार) का नाम है, इस प्रकार इस्लाम धर्म दीन और दुनिया दोनों का नाम है। और कहा गया कि 'इस्लाम क्या ही महान धर्म है यदि उस के पास ऐसे लोग होते जो उसके नियमों, सिद्धान्तों और शिक्षाओं को लागू करते, उसके आदेशों का पालन करते और उसकी वर्जित चीजों से रुकते और अल्लाह की शिक्षा के अनुसार दूसरे लोगों को भी इसकी बातें पहुँचाते : "लोगों को तुम अपने रब के मार्ग की ओर बुलाओ हिक्मत और अच्छी नसीहत के साथ और अच्छे ढंग से उनसे बहस करो।" (सूरतुन्नह्ल :१२५)

जाक स. रेसलर (**J. S. Restler**) अपनी किताब (अरबी तहजीब) के मुकद्दिमा में कहते हैं कि : ... इस्लाम के तीन अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, पहला अर्थः धर्म, दूसरा :राष्ट्र और तीसरा : सभ्यता, और संछिप्त रूप से इस्लाम एक अद्वितीय तहजीब (सभ्यता) का नाम है।"

इस्लामी अक़ीदा (आस्था) इबादात, मामलात और उसकी शिक्षायें जिस समय से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हैं आज तक उनमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं आया है, लेकिन बदलाव और परिवार्तन मुसलमानों में हुवा है, यदि अपने आपको मुसलामान कहने वाले गलतियाँ करें तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इस्लामी शिक्षा उस के करने का आदेश देती है और उसे उचित समझती है, इस बात को हम एक साधारण उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, यदि हम किसी मनुष्य को ऐसी मशीन दे दें जिस के पुरजे अलग अलग हों और उसके साथ कम्पनी की ओर से एक सूक्ष्म गाइड-पुस्तिका भी हो जो इस मशीन के जोड़ने का उचित तरीक़ा बतला रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी वह गाइड में बताये हुये तरीक़ा के मुताबिक उस मशीन को ना जोड़ पाये तो क्या यह

कहा जायेगा कि किताब में मौजूद ता'लीमात ठीक नहीं हैं या इस के अलावा और कुछ कहा जायेगा ?! यहाँ तीन चीजों का एहतेमाल है :

१.आदमी ने गाइड-पुस्तिका में बताये हुये तरीक़ा का पूरा पालन नहीं किया।

२. आदमी ने गाइड-पुस्तिका में बताये हुये तरीक़े को पूरी तरह लागू नहीं किया।

३.आदमी ने गाइड-बुक में मौजूद निर्देशों को समझा ही नहीं और ऐसी स्थिति में उसके लिये अनिवार्य है कि उस मशीन को बनाने वाली कम्पनी से संपर्क करे ताकि वह उसे मशीन के पुरजों के जोड़ने और चलाने की मालूमात दे। और यही उदाहरण इस्लाम के लिए भी लागू होता है। अतः जो इस्लाम के बारे में जानकारी चाहता हो तो उसे उसके विशुद्ध और मो'तबर स्रोतों से हासिल करे, इस्लिये कि धार्मिक जानकारी धर्म के विद्धानों से हासिल करना अनिवार्य है, चुनांचि मिसाल के तौर पर बीमार आदमी डाकटर के पास जाता है और घर बनाने वाला इन्जीनियर के पास जाता है और इसी प्रकार हर मैदान में उसके विशिष्ट लोग होते हैं।

इस किताब के हर पाठक से मेरा यही अनुरोध है कि वह अपने धार्मिक भावनाओं और काल्पनिक रूजहानों से अलग होकर हक़ की तलाश और उसकी जानकारी के उद्देश्य से इस किताब को पढ़े, गलतियों ढूंढ़ने और ऐबों को कुरेदने के लिए न पढ़े, तथा उस आदमी के समान पढ़े जो अपनी बुद्धि को निर्णयकर्ता बनाता है अपनी भावना के अनुसार निर्णय नहीं करता है, ताकि वह उन लोगों की तरह न हो जाये जाये जिन का अल्लाह तआला ने अपने इस कथन में खण्डन किया है : "और उन से जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब की पैरवी करो तो उत्तर देते हैं कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हम ने अपने बाप दादों को पाया, अगरचि उनके बापदादे बुद्धिहीन और भटके हुहे हों।" (सूरतुल बक़रा :१७०)

क्योंकि बौद्धिक और तर्क सिद्ध सोच रखने वाला सभ्य (मुहज्जब) आदमी वह जो अपनी बुद्धि दूसरे को उधार नहीं दे देता है और किसी जीज से उस समय तक सन्तुष्ट नहीं होता जब तक कि हर तरह से उसका अध्ययन, जानकारी और छान बीन न कर ले। जब उस को समझ लेता और उस से सन्तुष्ट हो जाता है तो उस को अपनाने में जल्दी करता है और जिस जानकारी और हक़ीक़तों से वह सन्तुष्ट हो गया उसे अपने आप ही तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि उस जानकारी को लोगों तक पहुँचाना अपने लिये अनिवार्य समझता है, चुनाँचि वह जाहिलों को जानकारी देता और गलतियाँ करने वालों का सुधार करता है।

मुझे इस बात का ऐतराफ है कि मैं इस किताब में विषय का पूरा हक़ अदा नही कर सका हूँ, क्योंकि इस्लाम, जैसा कि हम कह चुके हैं, एक सम्पूर्ण और व्यापक व्यवस्था (निजाम) है जो दीन व दुनिया की तमाम जीजों को संगठित और व्यवस्थित करता है, और इस पर लिखने के लिये एक किताब काफी नहीं बल्कि कई पोथियों की ज़रुरत है, इसलिये मैं ने इस्लाम के कुछ मूल सिद्धान्तों और अखलाक़ियात (शिष्टाचार) की ओर संकेत करने पर ही बस किया है जो इस्लाम धर्म की हक़ीक़त की अधिक और विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करने के इच्छुक के लिए एक कुंजी के समान है

कोई कहने वाला कह सकता है कि वर्तमान समाजों के क़ानूनों और नियमों में ऐसी चीज़े मौजूद हैं जो इस्लामी नियमों से मिलती जुलती हैं! इस का उत्तर यह है कि पहले कौन है? इस्लाम या वर्तमान नियम? इस्लामी शरीअत इन समकालीन नियमों और क़ानूनों से पहले है। वह चौदह शताब्दियों से अधिक समय से कार्यरत है। अतः जो बातें इस्लामी नियम और शास्त्रों के समान पाई जा रही हैं, तो सम्भव है कि ये इस्लाम से ली गई हों, विशेषकर जब हम यह जानते चलें कि इस्लाम के उदय के पहले छड़ों से ही गैर-मुस्लिम मुस्तशरिकीन की ओर से इस्लाम के अध्ययन का काम जारी है, जिनके विभिन्न उद्देश्य थे, कुछ लोग सत्य

के खोजी थे तो कुछ लोग प्रतिक्रिया करने, बदनाम करने और लोगों को दीन से रोकने के लिए अध्ययन करते थे।

अब्दुर्रहमान अब्दुलकरीम अश्शीहा

सउदी अरब,

अल रियाद 11535

पोस्ट बाक्स नं. 59565

इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत

अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल-वदाअ् के अवसर पर मिना के स्थान पर फरमाया : ''क्या तुम जानते हो कि यह कौन सा दिन है? लोगों ने उत्तर दिया : अल्लाह और उसके रसूल अधिक जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उत्तर दिया : यह एक हराम (मोहतरम और हुर्मत वाला) दिन है। (फिर आप ने कहा :) क्या तुम्हें मालूम है कि यह कौन से नगर है? लोगों ने कहा : अल्लाह और उसके पैग़म्बर को अधिक जानकारी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया : यह एक मोहतरम नगर है। फिर आप ने पूछा : यह कौन सा महीना हैं? लेगों ने कहा : अल्लाह और उसके रसूल को अधिक जानकारी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : हराम (हुर्मत वाला) महीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया :(सुनो !) अल्लाह तआला ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खून, तुम्हारे धन और तुम्हारी इ़ज़्ज़त व आबरू को इसी प्रकार हराम ठहराया है जिस प्रकार कि तुम्हारे इस नगर में तुम्हारे इस महीने में तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है।'' (सहीह बुखारी ५/२२४७ हदीस नं. :५६९६)

चुनाँचि इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से जान, इ़ज़्ज़त व आबरू, धन, बुद्धि, नस्ल (वंश), कमज़ोर और बेबस की रक्षा करना है :-

- मानव प्राण पर ज़ियादती करने की निषिधता के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : ''जिस प्राणी को अल्लाह तआला ने हराम घोषित किया है, उसे बिना अधिकार के क़त्ल न करो।'' (सूरतुल इस्रा :३३)

  तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : ''तुम अपनी जानों को न मारो, निःसन्देह अल्लाह तुम पर दयालु है।'' (सूरतुन्निसा :२९)

- इज़्ज़त व आबरू पर ज़ियादती करने की हुर्मत के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : ''और ज़िना (बदकारी) के निकट भी न जाओ, निःसन्देह यह बहुत ही घृणित काम और बुरा रास्ता है।'' (सूरतुल इस्रा :३२)
- तथा धन पर हमला करने की अवैधता के बारे में फरमाया : ''तुम आपस में एक दूसरे के माल (धन) को अवैध तरीक़े से न खाओ।'' (सूरतुल बक़रः १८८)
- बुद्धि पर ज़ियादती करने की हुरमत के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : ''ऐ ईमान वालो! निःसन्देह शराब, जुवा, थान और पाँसे के तीर गन्दे और शैतानी काम हैं, अतः तुम इनसे बचो ताकि तुम्हे सफलता मिले।'' (सूरतुल माईदा :९०-९१)
- तथा अल्लाह तआला ने नस्ल पर ज़ियादती करने की हुरमत के बारे में फरमाया : ''जब वह पीठ फेर कर जाता है तो इस बात की कोशिश करता है कि धरती पर उपद्रव करे और खेतियाँ और नस्ल को तबाह करे, और अल्लाह तआला उपद्रव को पसन्द नहीं करता।'' (सूरतुल बक़रा :२०५)
- मनुष्यों में से कमज़ोर लोगों के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है:-

  १. **माता-पिता** के बारे में अल्लाह तआला का फरमान है : ''और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम मात्र उसी की इबादत करना, और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना, अगर तुम्हारे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उन से उफ (अरे) तक न कह, और न उन्हें झिड़क, और उन से नरम ढंग से बात कर, और उन दोनों के लिए इंकिसारी का बाज़ू मेहरबानी से झुकाये रख, और कह कि ऐ रब दया कर उन दोनों पर जिस तरह उन दोनों ने मेरे बचपन में मुझे पाला है।'' (सूरतुल इस्रा :२३)

२. यतीम (अनाथ) के बारे में फरमाया : " और यतीम को न झिड़क।" (सूरतुज़्ज़ुहा :६)

तथा उसके माल की सुरक्षा की ज़मानत के बारे में फरमाया : "और यतीम के माल के क़रीब भी न जाओं मगर उस ढंग से जो बहुत अच्छा (उचित) हो।" (सूरतुल इस्रा :३४)

३. बाल बच्चों के बारे में फरमाया : "और तुम अपने बच्चों को फाक़ा (भुखमरी) के डर से न मारो, हम तुम्हें और उन्हें भी रोज़ी देते हैं।"

४. बीमारों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "क़ैदी (बन्दी) को छुड़ाओ, भूखे को खिलाओ और बीमार की तीमारदारी करो।" (सहीह बुख़ारी ३/११०६ हदीस नं २८८१)

५. कमज़ोर लोगों के बारे में फरमाया : "जो बड़ों का सम्मान और छोटों पर दया न करे, भलाई का आदेश और बुराई से न रोके तो वह हम में से नहीं है।" (सहीह इब्ने हिब्बान २/२०३ हदीस नं.४५८)

६. ज़रूरतमंदों के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : "और मांगने वाले को न डांट डपट कर।" (सूरतुज़्ज़ुहा :१०)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जो आदमी अपने भाई की आवश्यकता में लगा रहता है, अल्लाह तआला उसकी आवश्यकता में होता है।" (सहीह मुस्लिम ४/१९९६ हदीस नं.:२५८०)

इस्लाम में आत्मिक पहलू :

इस्लाम धर्म अपने से पूर्व अन्य धर्मों के समान ऐसे सिद्धांत और अक़ाईद को ले कर आया है जिन पर ईमान रखना और उन पर आस्था रखना, उनके प्रसार और प्रकाशन के लिए कार्य करना, तथा

बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के उसकी तरफ लोगों को बुलाना उसके मानने वालों पर अनिवार्य कर दिया है, अल्लाह तआला के इस फरमान पर अमल करते हुए: ''धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हिदायत, गुमराही से स्पष्ट हो चुकी है, अतः जो तागूत का इन्कार करे और अल्लाह पर ईमान लाये, तो उसने ऐसा मज़बूत कड़ा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं है, और अल्लाह तआला सुनने वाला और जानने वाला है। (सूरतुल बक़रा :२५६)

तथा इस्लाम ने अपने मानने वालों को इस बात का आदेश दिया है कि इस दीन की ओर दावत ऐसे ढंग से दिया जाए जो सब से श्रेष्ठ हो, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : ''अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के द्वारा बुलाओ और उन से सर्वश्रेष्ठ ढंग से बहस करो।'' (सूरतुन-नह्ल :१२५)

अतः सन्तुष्टि इस्लाम धर्म में एक मूल बात है क्योंकि जो चीज़ ज़ोर-ज़बरदस्ती पर आधारित होती है वह आदमी को अपनी ज़ुबान से ऐसी चीज़ के कहने पर बाध्य कर देती है जो उसके दिल की बात के विपरीत होती है, और यह वह निफाक़ (पाखण्डता) है जिस से इस्लाम ने सावधान किया है और उसे कुफ्र से भी बड़ा पाप ठहराया है, अल्लाह ताअला का फरमान है:

''मुनाफिक़ लोग जहन्नम के सब से निचले तबक़े (पाताल) में हों गे।'' (सूरतुन्निसा : १४५)

चुनाँचि इबादात (उपासना) के मैदान में :-

इस्लाम ने कथन, कृत्य और आस्था से संबंधित इबादतों के एक समूह को प्रस्तुत किया है, आस्था (ऐतिक़ाद) से संबंधित इबादतों को इस्लाम में ईमान के अर्कान (स्तंभ) के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित हैं :

अल्लाह पर विश्वास रखना:

और यह तीन चीज़ों में अल्लाह तआला को एकत्व समझने (एकेश्वरवाद) का तक़ाज़ा करता है :

- अल्लाह तआला को उसकी रूबूबियत में अकेला मानना, यानी उसके वजूद (अस्तित्व) का इक़रार करना, और यह कि वही अकेला इस संसार और इसमें मौजूद चीज़ों का उत्पत्ति कर्ता और रचयिता, उनका मालिक (स्वामी) और उसमें तसर्रुफ करने वाला है, अतः इस ब्रह्मांड में वही स्वाधीन कर्ता-धर्ता है, चुनाँचि वही चीज़ होती है जो वह चाहता है और वही चीज़ घटती है जिसकी वह इच्छा करता है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''सुनो, उसी के लिए विशिष्टि है पैदा करना और आदेश करना, सर्वसंसार का पालनहार अल्लाह बहुत बरकत वाला है।'' (सूरतुल आराफ़ :५४)

  अल्लाह तआला ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वही एक मात्र खालिक़ (उत्पत्ति कर्ता) है और उसके साथ किसी अन्य साझी का होना असम्भव है, अल्लाह ताअला ने इरशाद फरमाया :

  ''अल्लाह तआला ने किसी को संतान नहीं बनाया (यानी अल्लाह की कोई सन्तान नहीं) और न ही उसके साथ कोई दूसरा पूज्य है, नहीं तो हर पूज्य अपनी पैदा की हुई चीज़ को लिए फिरता, और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता, अल्लाह तआला पवित्र है उन चीज़ों से जिसे लोग उसके बारे में बयान करते हैं।'' (सूरतुल मूमिनून :९१)

- अल्लाह तआला को उसकी उलूहीयत में अकेला मानना, यानी इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना कि अल्लाह तआला ही सच्चा माबूद है, उसके सिवाय कोई भी पूज्य नहीं और न उसके अलावा कोई माबूद ही है जो इबादत का अधिकार रखता हो, चुनाँचि केवल उसी पर भरोसा रखा जाए, केचल उसी से प्रश्न किया जाए, संकट मोचन के लिए या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसी को पुकारा जाए, उसी के लिए मन्नत मानी जाए और किसी भी तरह की कुछ भी इबादत

उसी के लिए की जाए, किसी दूसरे की नहीं। अल्लाह तआला का फरमान है :“हम ने आप से पहले जो भी पैग़म्बर भेजे हैं उनकी तरफ यही वह्य भेजी है कि मेरे (अल्लाह के) अलावा कोई (सच्चा) पूज्य नहीं, तो तुम मेरी ही इबादत करो।” (सूरतुल अम्बिया :२५)

अल्ला तआला को उसके अस्मा व सिफात (नामों और गुणों) में एकत्व मानना, यानी इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना कि अल्लाह तआला के सर्वश्रेष्ठ नाम हैं और सर्वोच्च गुण हैं, तथा वह प्रत्येक बुराई और कमी से पाक व पवित्र है, अल्लाह तआला का फरमान है : “अल्लाह ही के लिए अच्छे-अच्छे नाम हैं, अतः तुम उसे उन्हीं के द्वारा पुकारो, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद से काम लेते हैं, उन्हें उनके कर्तूत का बदला मिलकर ही रहे गा।” (सरतुल आराफ :१८०)

चुनाँचि हम उसके लिए उस चीज़ को साबित करते हैं जो उसने अपनी किताब में अपने लिए साबित किया है या उसके पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके लिए साबित किया है, जिस में उसकी मख़्लूक़ में से कोई भी उसके समान नहीं है, इन्हें इस तौर पर साबित माना जाए कि उनकी कोई कैफियत (दशा) न निर्धारित की जाए, या उन्हे अर्थहीन न किया जाए, या उन्हें किसी मख्लूक़ के समान (मुशाबिह) न ठहराया जाए और उनकी कोई उपमा या उदाहरण न बयान की जाए, अल्लाह तआला का फरमान है : “अल्लाह के समान कोई चीज़ नहीं और वह सुनने वाला और देखने वाला है।” (सूरतुश्शूरा :११)

फरिश्तों पर ईमान लाना :

यानी इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह तआला के बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनकी संख्या को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह तआला के फैसला (क़ज़ा) के अनुसार इस संसार और

इसमें जो भी सृष्टियाँ हैं उनकी रक्षा, निरीक्षण और व्यवस्था करने में अल्लाह की इच्छा को लागू करते हैं, चुनाँचि वह आसमानों और धरती पर नियुक्त हैं, और संसार में कोई भी हरकत उनके विशेष छेत्र में दाखिल है जिस प्रकार कि उनके पैदा करने वाले अल्लाह तआला ने चाहा है, जैसाकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है : "फिर कामों की व्यवस्था करने वालों की क़सम।" (सूरतुन्नाज़ेआत :५)

तथा फरमाया : "फिर काम का बटवारा करने वाले फरिश्तों की क़सम।" (सूरतुज़्ज़ारियात : ४)

यह लोग नूर से पैदा किये गये हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : " फरिश्ते नूर से पैदा किये गये हैं, जिन्नात दकहती हुई आग (शोले) से पैदा किये गए हैं और आदम उस चीज़ से पैदा किये गये हैं जिसका उल्लेख तुम से किया गया है।" (सहीह मुस्लिम ४/२२९४ हदीस नं.:२९९६)

फरिश्ते अनदेखी (अदृश्य, अंतर्धान) मख्लूक़ (प्राणी वर्ग) हैं, चूँकि वे नूर (प्रकाश) से पैदा किये गये हैं, इसलिए आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, किन्तु अल्लाह तआला ने उन्हें विभिन्न रूपों को धारण करने की शक्ति प्रदान की है ताकि वह देखे जा सकें, जैसाकि हमारे पालनहार अल्लाह तआला ने हमें जिब्रील के बारे में सूचना दी है कि वह मर्यम के पास एक मानव के रूप में आये थे, अल्लाह तआला का फरमान है : "फिर उसने उन लोगों से परदा कर लिया तो हमने अपनी रूह (जिबरील) को उन के पास भेजा तो वह अच्छे ख़ासे आदमी की सूरत बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। (वह उसको देखकर घबराई और) कहने लगी अगर तू परहेज़गार है तो मैं तुझ से रहमान की पनाह माँगती हूँ (मेरे पास से हट जा) जिबरील ने कहा मैं तो केवल तुम्हारे परवरदिगार का

पैग़म्बर (फ़रिश्ता) हूँ ताकि तुमको पाक व पाकीज़ा लड़का अता करूँ ।'' (सूरत मर्यम :१७-१६)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिबरील को उन की उस आकृति (शक्ल) पर देखा है जिस पर उनकी पैदाईश हुई है, उस समय उनके छः सो पर थे जो अपनी महानता से छितिज (उफुक़) पर छाए हुए थे। (सहीह बुखारी ४/१८४० हदीस नं. :४५७५)

इन फरिश्तों के पर भी होते हैं, किसी के दो पर होते हैं और किसी के तीन और किसी के इस से भी अधिक होते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला फरिश्तों को (अपना) क़ासिद बनाने वाला है जिनके दो-दो और तीन-तीन और चार-चार पर होते हैं (मख़्लूक़ात की) पैदाइश में जो (मुनासिब) चाहता है बढ़ा देता है।'' (सूरत फातिर :१)

उनके शेष हालतों के ज्ञान को अल्लाह तआला ने अपने तक ही सीमित रखा है।

उनके समय अल्लाह तआला के ज़िक्र, उसकी तस्बीह और तारीफ में गुज़रते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : '' **वह रात-दिन उसकी पवित्रता बयान करते हैं और तनिक सा भी आलस्य नहीं करते।** (सूरतुल अम्बिया :२०)

अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जैसाकि उसने इसकी सूचना देते हुए फरमाया : ''मसीह हरगिज अल्लाह का बन्दा होने से इन्कार नहीं कर सकते हैं और न ही मुक़र्रब फ़रिश्ते।'' (सूरतुन्निसा :१७२)

वे अल्लाह के बीच और मनुष्यों में से उसके पैग़म्बरों के बीच एलची होते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''इसे रुहुल अमीन (जिबरील) साफ़ अरबी जुबान में लेकर तुम्हारे दिल पर नाज़िल हुए

हैं ताकि आप भी और पैग़म्बरों की तरह लोगों को (अज़ाबे इलाही से) डरायें।'' (सूरतुश्शु-अरा :१९५)

तथा उन कामों को करते हैं जिनके करने का अल्लाह ताआला ने उन्हें आदेश दिया है, अल्लाह तआला ने फरमाया : ''वे अपने परवरदिगार से जो उनसे बरतर व आला है डरते हैं और जो हुक्म दिया जाता है फौरन बजा लाते हैं।'' (सूरतुन्नहल :५०)

ये फरिश्ते अल्लाह तआला की संतान नहीं हैं, इनका सम्मान करना और इन से महब्बत करना वाजिब है, अल्लाह तआला ने फरमायाः ''और (अहले मक्का) कहते हैं कि अल्लाह ने (फरिश्तों को) अपनी औलाद (यानी बेटियाँ) बना रखा है, (हालाँकि) वह उससे पाक व पकीज़ा हैं बल्कि (वे फ़रिश्ते) (अल्लाह के) सम्मानित बन्दे हैं, ये लोग उसके सामने बढ़कर बोल नहीं सकते और ये लोग उसी के हुक्म पर चलते हैं।'' (सूरतुल अंबिया :२६-२७)

और न ही यह अल्लाह के साझी और शरीक हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और वह तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं देता है कि तुम फरिश्तों और पैग़म्बरों को अपना रब बना लो, क्या वह तुम्हारे मुसलमान होने के बाद, तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा।'' (सूरत आले इम्रान :८०)

इन फरिश्तों में से कुछ के नामों और कामों के बारे में अल्लाह तआला ने हमें सूचना दी है, उदाहरण के तौर पर :

- जिबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह की वह्य (ईश्वाणी) को पहुँचाने पर नियुक्त हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''इसे रुहुल अमीन (जिबरील) लेकर आप के दिल पर नाज़िल हुए हैं ताकि आप लोगों को (अज़ाबे इलाही से) डराने वालों में से हो जायें।'' (सूरतुश्शु-अरा :१९५)
- **मीकाईल** अलैहिस्सलाम वर्षा बरसाने और खेती उगाने पर नियुक्त (आदिष्ट) हैं, अल्लाह तआला का फरमान हैः ''जो

आदमी अल्लाह तआला, उसके फरिश्तों, उसके पैग़म्बरों, जिबरील और मीकाल का दुश्मन है, तो अल्लाह तआला काफिरों का दुश्मन है।'' (सूरतुल बक़रा :९८)

- **मलकुल मौत** (मृत्यु के समय लोगों के प्राणों के निष्कासन पर नियुक्त हैं) अल्लाह तआला ने फरमाया : ''आप कह दीजिए मलकुल मौत तुम्हें मृत्यु दे देंगे जो तुम्हारे ऊपर नियुक्त हैं, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाये जाओ गे।'' (सूरतुस्सज्दा :११)
- **इस्राफील** अलैहिस्सलाम क़ियामत के समय और मख़्लूक़ के हिसाब व किताब के लिए पुनर्जीवन के समय सूर फूंकने पर नियुक्त हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''फिर जिस वक़्त सूर फूँका जाएगा तो उस दिन न लोगों में क़राबत-दारियाँ रहेंगी और न वे एक दूसरे की बात पूछेंगे।'' (सूरतुल-मूमिनून :१०१)
- **मालिक** अलैहिस्सलाम नरक के निरीक्षण पर नियुक्त हैं और वही नरक के रक्षक (कोतवाल) हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और वे पुकार-पुकार कर कहें गें कि हे मालिक! तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे, वह कहे गा कि तुम्हें तो हमेशा ही रहना है।'' (सूरतुज़ ज़ुखरूफ :७७)
- **ज़बानिया**, इससे मुराद वह फरिश्ते हैं जो जहन्नम वालों को यातना देने पर नियुक्त हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''वह अपने सभा वालों को बुला ले। हम भी नरक के रक्षकों (निगराँ) को बुला लेंगे।'' (सूरतुल अलक़ :१७-१८)
- इसी तरह हर मनुष्य के साथ दो फरिश्ते लगे हुए हैं, उन में से एक नेकियाँ लिखने पर और दूसरा बुराईयाँ लिखने पर नियुक्त है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''जिस समय दो लेने वाले जो लेते हैं, एक दायीं तरफ और दूसरा बायीं तरफ बैठा हुआ

है। (इंसान) मुँह से कोई शब्द निकाल नहीं पाता लेकिन उसके क़रीब रक्षक (पहरेदार) तैयार हैं।'' (सूरत क़ाफ :१७-१८)

- जन्नत के दारोगा रिज़वान, तथा वह फरिश्ते जो मनुष्य का संरक्षण करने पर नियुक्त हैं, जिनका क़ुरआन व हदीस में उल्लेख हुआ है। तथा कुछ फरिश्तों के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन उन सब पर ईमान लाना अनिवार्य है।

फरिश्तों पर ईमान लाने के फायदे:

फरिश्तों पर ईमान लाने के बहुत व्यापक लाभ हैं, जिन में से कुछ यह हैं :

१. अल्लाह तआला की महानता (अज़्मत), शक्ति और सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि सृष्टि की महानता से सृष्टा की महानता प्रतीक होती है।

२. जब मुसलमान के दिल में फरिश्तों के वजूद का एहसास पैदा हो जाता है जो उसके कर्मों और कथनों पर दृष्टि रखते हैं, और यह कि उसका हर काम उसके हक़ में या उसके विरूद्ध शुमार किया जा रहा है तो उसके अन्दर नेकियाँ करने और खुले और छुपे हर हाल में बुराईयों से बचने की लालसा पैदा होती है।

३. उन खुराफात और भ्रमों में पड़ने से दूर रहना जिस में ग़ैब पर विश्वास न रखने वाले लोग पड़ चुके हैं।

४. मनुष्यों पर अल्लाह तआला की कृपा और नेमत कि उस ने मनुष्य की सुरक्षा करने और उनके कर्मों का लेख तैयार करने तथा उनके अन्य हितों और भलाईयों के लिए फरिश्ते नियुक्त किए हैं।

किताबों (धर्म-ग्रन्थों) पर ईमान लाना:

यानी इस बात पर विश्वास रखना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी तरफ से अपने पैग़म्बरों पर कुछ आसमानी किताबें उतारी हैं ताकि वे उसे लोगों तक पहुँचायें, ये किताबें हक़ और अल्लाह तआला की तौहीद यानी उसे उसकी रूबूबियत, उलूहियत औ नामों और गुणों में एकत्व मानने पर आधारित हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''बेशक हम ने अपने सन्देष्टाओं को खुली निशानियाँ देकर भेजा और उनके साथ किताब और न्याय (तराज़ू) उतारा ताकि लोग इंसाफ पर बाक़ी रहें।'' (सूरतुल हदीद :२५)

मुसलमान के लिए आवश्यक है कि वह क़ुरआन से पहले उतरी हुई सभी आसमानी किताबों पर ईमान लाए और यह कि वह सब अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन क़ुरआन उतरने के बाद उन पर अमल करने का उस से मुतालबा नहीं किया गया है, क्योंकि वो किताबें एक सीमित समय के लिए और विशिष्ट लोगों के लिए उतरी थीं, उन किताबों में से जिनके नामों का अल्लाह तआला ने अपनी किताब (कुरआन) में उल्लेख किया है, निम्नलिखित हैं :

- **इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे** : इन सहीफों में उल्लिखित कुछ धार्मिक सिद्धांतों को क़ुरआन में बयान किया गया है, अल्लाह तआला ने फरमाया : ''क्या उसे उस बात की खबर नहीं दी गई जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के सहीफे (ग्रन्थ) में थी। और वफादार इब्राहीम के ग्रन्थ में थी? कि कोई मनुष्य किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाये गा। और यह कि हर मनुष्य के लिए केवल वही है जिसकी कोशिश स्वयं उसने की। और यह कि बेशक उसकी कोशिश जल्द देखी जायेगी। फिर उसे पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा। (सूरतुन नज्म : ३६-४२)
- **तौरात** : यही वह पवित्र ग्रन्थ है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर अवतरित हुआ, अल्लाह ताअला का फरमान है : ''हम ने तौरात

नाज़िल किया है जिस में मार्गदर्शन और प्रकाश है, यहूदियों में इसी तौरात के द्वारा अल्लाह के मानने वाले अंबिया, अल्लाह वाले और ज्ञानी निर्णय करते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की इस किताब की सुरक्षा का हुक्म दिया गया था, और वे इस पर कुबूल करने वाले गवाह थे, अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से न डरो, बल्कि मुझ से डरो, मेरी आयतों को थोड़े-थोड़े दाम पर न बेचो, और जो अल्लाह की उतारी हुई वह्य की बिना पर फैसला न करें वे पूरा और मुकम्मल काफिर हैं।'' (सूरतुल माईदाः ४४)

क़ुरआन करीम में तौरात में आई हुई कुछ चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं में से रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषतायें जिन्हें वे लोग छुपाने का प्रयास करते हैं जो उन में से हक़ को नही चाहते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं काफिरों पर कठोर हैं, आपस में रहम दिल हैं, तू उन्हें देखे गा कि रूकूअ और सज्दे कर रहे हैं, अल्लाह तआला की कृपा (फज़्ल) और खुशी की कामना में हैं, उनका निशान उनके मुँह पर सज्दों के असर से है, उनका यही गुण (उदाहरण) तौरात में है।'' (सूरतुल फ़त्ह :२६)

इसी तरह क़ुरआन करीम ने तौरात में वर्णित कुछ धार्मिक अहकाम का भी उल्लेख किया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

''और हम ने तौरात में यहूदियों पर यह हुक्म फर्ज़ कर दिया था कि जान के बदले जान और ऑख के बदले ऑख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दॉत के बदले दॉत और जख़्म के बदले (वैसा ही) बराबर का बदला (जख़्म) है फिर जो (मज़लूम ज़ालिम की) ख़ता माफ़ कर दे तो ये उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाएगा और जो शख़्स ख़ुदा की नाज़िल की हुयी

(किताब) के मुवाफ़िक़ हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग ज़ालिम हैं।'' (सूरतुल माईदा :४५)

ज़बूर :वह किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और हम ने दाऊद को ज़बूर अता किया।'' (सूरतुन्निसा :१६३)

इन्जील : वह पवित्र ग्रन्थ है जिसे अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर अवतरित किया, अल्लाह तआला का फरमान है: ''और हम ने उन्हीं पैग़म्बरों के पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा जो इस किताब तौरात की भी तस्दीक़ करते थे जो उनके सामने (पहले से) मौजूद थी और हमने उनको इन्जील (भी) अता की जिसमें (लोगों के लिए हर तरह की) हिदायत थी और नूर (ईमान) और वह इस किताब तौरात की जो वक़्ते नुज़ूले इन्जील (पहले से) मौजूद थी तसदीक़ करने वाली और परहेज़गारों की हिदायत व नसीहत थी।'' (सूरतुल माईदा :४६)

कुरआन करीम ने तौरात व इंजील में वर्णित कुछ बातों का उल्लेख किया है, उन्हीं में से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगमन की शुभ सूचना है, चुनाँचि अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया :

''मेरी रहमत -दया- प्रत्येक चीज़ को सम्मिलित है। तो वह रहमत उन लोगों के लिए अवश्य लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात -अनिवार्य धार्मिक दान- देते हैं और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। जो लोग ऐसे उम्मी (जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते थे) नबी (पैग़म्बर) की पैरवी (अनुसरण) करते हैं जिन को वह लोग अपने पास तौरात व इन्जील में लिखा हुआ पाते हैं। वह उनको अच्छी (नेक) बातों का आदेश देते हैं और बुरी बातों से मनाही करते हैं और पवित्र चीज़ों को हलाल (वैद्य) बताते हैं और अपवित्र चीज़ों को उन पर हराम

(अवैद्य, वर्जित) बताते हैं, और उन लोगों पर जो बोझ और तौक़ थे उनको दूर करते हैं।" (सूरतुल आराफः १५६-१५७)

इसी तरह अल्लाह के धर्म को सर्वोच्च करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने पर उभारा गया है, चुनाँचि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना केवल इस्लाम में ही नहीं है बल्कि इस से पूर्व की आसमानी शरीअतों में भी आया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है, वह अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें क़त्ल करते हैं और क़त्ल होते हैं, उस पर सच्चा वादा है तौरात, इंजील और कुरआन में। और अल्लाह से अधिक अपने वादे का पालन कौन कर सकता है? इसलिए तुम अपने इस बेचने पर जो कर लिए हो खुश हो जाओ, और यह बड़ी कामयाबी है।" (सूरतुत्तौबा : १११)

कुरआन करीम : इस बात पर विश्वास रखना अनिवार्य है कि वह अललाह का कलाम है जिसे के साथ जिबरील अलैहिस्सलाम स्पष्ट (शुद्ध) अरबी भाषा में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरे हैं, अल्लाह ताल का फरमान है : "इसे अमानतदार फरिश्ता (यानी जिबरील अलैहिस्सलाम) लेकर आया है। आप के दिल पर (नाज़िल हुआ है) कि आप सावधान (आगाह) कर देने वालों में से हो जायें। साफ अरबी भाषा में।" (सूरतुश्शुअरा :१९३-१९५)

कुरआन करीम अपने से पूर्व आसमानी किताबों से निम्नलिखित बातों में विभिन्न है :

1. कुरआन अन्तिम आसमानी किताब है जो अपने पूर्व की आसमानी किताबों में जो बातें आयी हुई हैं जिनमें परिवर्तन और हेर-फेर नहीं हुआ है, जैसे अल्लाह की तौहीद और उस का आज्ञा पालन और उपासना, उन बातों की पुष्टि करने वाली है, अल्लाह ताआला का

फरमान है : " **और हम ने आप की ओर हक़ (सत्य) के साथ यह पुस्तक उतारी है जो अपने से पूर्व पुस्तकों की पुष्टि करने वाली है और उन पर निरीक्षक और संरक्षक है।** (सूरतुल माईदाः४८)

2. अल्लाह ताआला इसके द्वारा इस से पहले की सभी किताबों को निरस्त कर दिया, क्योंकि यह सभी अन्तिम ईश्वरीया शिक्षाओं को सम्मिलित है जो सदैव रहने वाले और हर स्थान और समय के लिए उपयुक्त हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : **"आज मैं ने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें सम्पूर्ण कर दीं और तुम्हारे लिए इस्लाम के धर्म होने पर सहमत होगया।** (सूरतुल-माईदाः३)

3. इसे अल्लाह तआला ने सर्व मानव के लिए उतारा है, पिछली आसमानी पुस्तकों के समान किसी एक समुदाय के लिए विशिष्ट नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : "अलिफ, लाम, रा, यह किताब हम ने आप की तरफ उतारी है कि आप लोगों को अँधेरे से उजाले की तरफ लायें उनके रब के हुक्म से। (सूरत इब्राहीम :१)

   अलबत्ता इसके अतिरिक्त जो किताबें थीं तो वो अगरचे मूल धर्म में इसके समान थीं किन्तु वो कुछ विशिष्ट समुदायों के लिए थीं, इसीलिए उन किताबों में जो अहकाम और धर्म शास्त्र थे वह उन्हीं लोगों के साथ उनके समय के लिए विशिष्ट थे, उनके अलावा किसी और के लिए नहीं थे, चुनाँचि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं : "मैं केवल बनी इस्राईल की भटकी हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ।" (इंजील मत्ता १५:२४)

4. इसकी तिलावत करना और याद करना इबादत है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : **"जिस ने अल्लाह की किताब का एक ह़र्फ़ (अक्षर) पढ़ा उस के लिए एक**

नेकी है, और एक नेकी दस गुन्ना नेकियों के बराबर है, मैं नहीं कहता कि अलिफ-लाम्म-मीम एक अक्षर है बल्कि अलिफ एक अक्षर है और लाम दूसरा अक्षर और मीम तीसरा अक्षर है।" (तिर्मिज़ी ५/१७५ हदीस नं. २६१०)

5. यह उन सभी नियमों और संविधानों को सम्मिलित है जो एक अच्छे समाज की स्थापना करते हैं, रेस्लर (**J. S. Restler**) अपनी किताब अरब सभ्यता में कहता है : कुरआन सभी समस्याओं का समाधान पेश करता है, धार्मिक नियम और व्यवहारिक नियम के बीच संबंध स्थापित करता है, व्यवस्था और सामाजिक इकाई बनाने का प्रयास करता है, तथा दुर्दशा, कठोरता और खुराफात को कम करने का भी प्रयत्न करता है, कमज़ोरों का हाथ थामता और उनका सहयोग करता है, नेकी करने का सुझाव देता और दया करने का हुक्म देता है.. क़ानून साज़ी (संविधान रचना) के विषय में दैनिक सहयोग, वरासत और अह्द व पैमान के उपायों के सूक्ष्मतम व्यौरा के लिए नियम निर्धारित किये हैं, और परिवार (कुटुम्ब) के छेत्र में बच्चों, गुलामों, जानवारों, स्वास्थ, पोशाक ...इत्यादि से संबंधित हर व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित किये हैं ...।" (क़ालू अनिल इस्लाम, इमादुद्दीन खलील पृ. ६६)

6. यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ समझा जाता है जो आदम अलैस्सिलाम से लेकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पैग़म्बरों और ईश्दूतों पर धर्म के उतरने के तसलसुल और उन्हें अपनी क़ौमो के साथ किन घटनाओं का सामना हुआ, इन सभी चीज़ों को स्पष्ट करता है।

7. अल्लाह ताआला ने उसके अन्दर कमी व बेशी और परिवर्तन व बदलाव होने से सुरक्षा की है ताकि वह मानवता के लिए सदा बाक़ी रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला इस धरती और इस पर

रहने वालों का वारिस हो जाए (यानी क़ियामत के दिन तक), अल्लाह तआला का फरमान है : ''**हम ने ही ज़िक्र -कुरआन- को उतारा है और हम ही उस की सुरक्षा करने वाले हैं।''** (सूरतुल हिज्र :९)

अलबत्ता इसके अलावा जो किताबें हैं अल्लाह तआला ने उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी नहीं उठाई थी क्योंकि वे एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित समुदाय के लिए उतरीं थीं, इसीलिए उनमें परिवर्तन और बदलाव का समावेश हो गया, यहूद ने तौरात में जो परिवर्तन और हेर-फेर किया था उसके संबंध में अल्लाह तआला का फरमान है : ''(मुसलमानो!) क्या तुम यह लालच रखते हो कि वो (यहूद) तुम्हारा (सा) ईमान लाएँगें हालाँकि उनमें का एक गिरोह ऐसा था कि अल्लाह का कलाम सुनता था और अच्छी तरह समझने के बाद उलट फेर कर देता था हालाँकि वह खूब जानते थे।'' (सूरतुल बक़रा :७५)

तथा इंजील में ईसाईयों के परिवर्तन और हेर फेर के बारे में फरमाया : ''और जो लोग कहते हैं कि हम नसरानी हैं उनसे (भी) हमने ईमान का अह्द व पैमान लिया था मगर जब जिन जिन बातों की उन्हें नसीहत की गयी थी उनमें से एक बड़ा हिस्सा भुला बैठे तो हमने भी (उसकी सज़ा में) क़ियामत तक उनमें बाहम अदावत व दुशमनी की बुनियाद डाल दी और अल्लाह उन्हें निकट ही (क़ियामत के दिन) बता देगा कि वह क्या क्या करते थे। ऐ अहले किताब तुम्हारे पास हमारा पैग़म्बर (मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आ चुका जो किताबे खुदा की उन बातों में से जिन्हें तुम छुपाया करते थे बहुतेरी तो साफ़ साफ़ बयान कर देगा और बहुतेरी से दरगुज़र करेगा तुम्हारे पास तो अल्लाह की तरफ़ से एक (चमकता हुआ) नूर और साफ़ साफ़ बयान करने वाली किताब (कुरआन) आ चुकी है।'' (सूरतुल माईदा :१४-१५)

यहूदियों और ईसाईयों ने अपने धर्म में जो परिवर्तन किए है उन्हीं में से यहूद का यह गुमान है कि उज़ैर अल्लाह के पुत्र हैं और ईसाईयों का यह गुमान है कि ईसा मसीह अल्लाह के पुत्र हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''यहूद तो कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसारा कहते हैं कि मसीह (ईसा) अल्लाह के बेटे हैं, ये तो उनके अपने मुँह की बातें हैं जिनके द्वारा ये लोग भी उन्हीं काफ़िरों की बातों की मुशाबहत कर रहे हैं जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं, अल्लाह इन्हें क़त्ल (तहस नहस) करे ये कहाँ से कहाँ भटके जा रहे हैं।'' (सूरतुत्तौबा :३०)

इस पर कुरआन ने इनके भ्रष्ट आस्था का खण्डन और उचित आस्था प्रस्तुत करते हुए फरमाया : ''(ऐ रसूल!) आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज़ है। न उसने किसी को जना न उसको किसी ने जना, और उसका कोई हमसर (समकक्ष) नहीं। (सूरतुल इख़्लास)

इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि आजकल लोगों के हाथों में मौजूद इंजीलें न तो अल्लाह तआला का कलाम हैं और न ही ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम हैं, बल्कि उनके शिष्यों और मानने वालों का कलाम हैं जिन्हों ने उसके अन्दर ईसा अलैहिस्सलाम की जीवनी, उपदेश और वसीयतों का समावेश कर दिया है, और कुछ निश्चित मामलों की सेवा के लिए उस में ढेर सारे परिवर्तन, संशोधन और हेर फेर किए गये हैं।

पुस्तकों पर ईमान लाने के फायदे:

- बन्दों पर अल्लाह तआला की कृपा और अनुकम्पा का ज्ञान होता है कि उस ने प्रत्येक उम्मत के लिए पुस्तक अवतरित की ताकि उसके द्वारा उन्हें मार्ग दर्शन प्रदान करे।

- - धर्म शास्त्र की रचना में अल्लाह तआला की हिक्मत का ज्ञान प्राप्त होता है कि उस ने प्रत्येक उम्मत के लिए उनकी स्थिति के अनुसार धर्म शास्त्र निर्धारित किया।
- सच्चे मोमिनों की दूसरे लोगों से पड़ताल और पहचान हो जती हैं, क्योंकि जो अपनी किताब पर ईमान ले आया उसके लिए अनिवार्य है कि वह उसके अलावा उन आसमानी किताबों पर भी ईमान रखे जिसके बारे में और उसके रसूल के बारे में उनकी किताबों में शुभ सूचना दी गई है।
- अल्लाह तआला की तरफ से उसके बन्दों के लिए नेकियों के अन्दर कई गुना बढ़ोतरी कर दी जाती है, क्योंकि जो अपनी किताब पर ईमान लाया और साथ ही साथ उसके बाद आने वाली किताबों पर ईमान लाया, उसे दोहरा अज्र दिया जाता है।

रसूलों (ईश्दूतों) पर ईमान लाना:

इस बात पर ईमान (विश्वास) रखना कि अल्लाह सुब्हानहु वतआला ने मनुष्यों में से कुछ पैग़म्बर और ईश्दूत चयन किए है जिन्हें अपने बन्दों की तरफ धर्म-शास्त्रों के साथ भेजा है ताकि वो अल्लाह तआला की इबादत की पूर्ति, उसके दीन की स्थापना, और उसकी तौहीद यानी उसकी रूबूबियत, उलूहियत और नामों व गुणों में उसकी एकता को क़ाईम करें, अल्लाह ताआला काफरमान है : “ और (ऐ रसूल!) हमने आप से पहले जब कभी कोई रसूल भेजा तो उसके पास ‘वह्य’ भेजते रहे कि बस हमारे सिवा कोई माबूद (क़ाबिले परसतिश) नहीं तो मेरी ही इबादत करो।” (सूरतुल अंबिया :२५)

तथा उन्हें अपनी शरीअत का लोगों में प्रसार करने का हुक्म दिया ताकि रसूलों के आ जाने के बाद लोगों के लिए अल्लाह पर कोई हुज्जत (बहाना) न बाक़ी रह जाए, चुनाँचि वो उन पर और उनकी लाई हुई शरी’अत पर ईमान लाने वालों को अल्लाह की रज़ामंदी और

उसकी जन्नत की शुभसूचना देने वाले हैं, और जिन लोगों ने उनका और उनकी लाई शरीअत के साथ कुफ्र किया उन्हें अल्लाह के क्रोध और उसकी यातना से डराने वाले हैं, अल्लाह तआला का फरामन है :''और हम तो रसूलों को सिर्फ इस ग़रज़ से भेजते हैं कि (नेको को जन्नत की) खुशख़बरी दें और (बुरों को अज़ाबे जहन्नम से) डराएँ, फिर जिसने ईमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों पर (क़ियामत में) न कोई ख़ौफ होगा और न वह ग़मग़ीन होगें। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया तो उनके बदकारी करने के कारण (हमारा) अज़ाब उनको लिपट जाएगा।'' (सूरतुल अंआम :४८-४६)

अल्लाह के रूसूलों और नबियों की संख्या बहुत अधिक जिसे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह तआला का फरमान है : **''निःसन्देह हम आप से पूर्व भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिन में से कुछ की घटनाओं का वर्णन हम आप से कर चुके हैं तथा उन में से कुछ की कथाओं का वर्णन तो हम ने आप से किया ही नहीं।** (सूरत ग़ाफिरः ७८)

सभी रसूलों पर ईमान लाना वाजिब है, और यह कि वो मनुष्यों में से हैं और उन्हें मानव स्वभाव के अलावा किसी अन्य स्वभाव से विशिष्ट नहीं किया गया है, अल्लाह ताअला का फरमान है : ''और हम ने आप से पहले भी आदमियों ही को (रसूल बनाकर) भेजा था कि उनके पास वह्य भेजा करते थे तो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते हो तो आलिमों से पूछकर देखो। और हमने उन (पैग़म्बरों) के बदन ऐसे नहीं बनाए थे कि वह खाना न खाएँ और न वह (दुनिया में) हमेशा रहने सहने वाले थे।'' (सूरतुल अम्बिया :७-८)

तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : ''(ऐ रसूल) आप कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारे ही समान एक आदमी हूँ (फर्क़ इतना है) कि मेरे पास ये वह्य आई

है कि तुम्हारा माबूद यकता माबूद है तो जिस शख़्स को आरज़ू हो कि वह अपने परवरदिगार के सामने हाज़िर होगा तो उसे अच्छे काम करने चाहिए और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न करे।'' (सरतुल कहफ :११०)

तथा अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बोर में फरमाया : ''मरियम के बेटे मसीह तो बस एक रसूल हैं और उनके पहले (और भी) बहुतेरे रसूल गुज़र चुके हैं और उनकी माँ भी (अल्लाह की) एक सच्ची बन्दी थी (और आदमियों की तरह) ये दोनों (के दोनों भी) खाना खाते थे, ग़ौर तो करो हम अपनी आयात इनसे कैसा साफ़ साफ़ बयान करते हैं, फिर देखो तो कि ये लोग कहाँ भटके जा रहे हैं।'' (सूरतुल माईदा :७५)

ये लोग (यानी रसूल) उलूहियत की विशेषताओं में से किसी भी चीज़ के मालिक नहीं होते, चुनाँचि वे किसी को लाभ और हानि नहीं पहुँचा सकते, तथा संसार में उनका कोई सत्ता नहीं होता है, अल्लाह तआला ने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विषय में, जो कि समस्त रसूलों के नायक और अल्लाह के निकट सबसे महान पद वाले हैं, फरमाया :

''आप कह दीजिए कि मैं स्वयं अपने नफ्स (आप) के लिए किसी लाभ का अधिकार नहीं रखता और न किसी हानि का, किन्तु उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा हो, और यदि मैं प्रोक्ष की बातें जानता होता तो बहुत से लाभ प्राप्त कर लेता और मुझ को कोई हानि न पहुंचती, मैं तो केवल डराने वाला और शुभ सूचना देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं। (सूरतुल-आराफ़: १८८)

तथा रसूलों ने अमानत को पहुँचा दिया, अल्लाह के संदेश का प्रसार व प्रचार कर दिया, और वो लोगों में सब से सम्पूर्ण इल्म (ज्ञान) व अमल वाले हैं, और अल्लाह तआला ने अपने सनदेश के प्रसार में

झूठ, खियानत और कोताही से उन्हें पाक और पवित्र रखा है, अल्लाह तआला का फरमान है : ‘‘और किसी पैग़म्बर से नहीं हो सकता की कोई निशानी (मौजिज़ा) अल्लाह की इजाज़त के बगैर ला दिखाए।’’ (सरतुर-रअद :३८)

तथा यह भी अनिवार्य है कि हम सभी रसूलों पर ईमान लायें, जो आदमी कुछ पर ईमान लाए और कुछ पर ईमान न लाए वह काफिर है और इस्लाम धर्म से खारिज है, अल्लाह तआला का फरमान है : ‘‘ बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से इन्कार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों में तफ़रक़ा डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हम कुछ (पैग़म्बरों) पर ईमान लाए हैं और कुछ का इन्कार करते हैं और चाहते हैं कि इस (कुफ़्र व ईमान) के दरमियान एक दूसरी राह निकलें। यही लोग हक़ीक़तन काफ़िर हैं और हमने काफ़िरों के वास्ते ज़िल्लत देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। (सूरतुन्निसा : १५०-१५१)

क़ुरआन करीम ने २५ नबियों व रसूलों का हम से उल्लेख किया है, अल्लाह ताअला का फरमान है : ‘‘और ये हमारी (समझाई बुझाई) दलीलें हैं जो हमने इबराहीम को अपनी क़ौम पर (ग़ालिब आने के लिए) अता की थी, हम जिसके मरतबे चाहते हैं बुलन्द करते हैं बेशक तुम्हारा परवरदिगार हिक्मत वाला बाख़बर है। और हमने इबराहीम को इसहाक़ वा याक़ूब (सा बेटा पोता) अता किया हमने सबकी हिदायत की और उनसे पहले नूह को (भी) हम ही ने हिदायत की और उन्हीं (इबराहीम) की औलाद से दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारुन (सब की हमने हिदायत की) और नेकों कारों को हम ऐसा ही इल्म अता फरमाते हैं। और ज़करिया व यह्या व ईसा व इलियास (सब की हिदायत की (और ये) सब (ख़ुदा के) नेक बन्दों से हैं। और इसमाईल व इलियास व युनूस व लूत (की भी हिदायत की) और सब को सारे जहाँन पर फज़ीलत अता की।’’ (सूरतुन्निसा : ८३-८६)

तथा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया : ''बेशक अल्लाह ने आदम और नूह और इबराहीम की संतान और इमरान की संतान को सारे संसार पर चुन लिया।'' (सूरत आल इमरान : ३३)

तथा अल्लाह तआला ने हूद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया : ''और (हमने) क़ौमे आद के पास उनके भाई हूद को (पैग़म्बर बनाकर भेजा और) उन्होनें अपनी क़ौम से कहा ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं।'' (सूरत हूद :५०)

तथा सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया : ''और (हमने) क़ौमे समूद के पास उनके भाई सालेह को (पैग़म्बर बनाकर भेजा) तो उन्होंने (अपनी क़ौम से) कहा ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह ही की उपासना करो उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं।'' (सूरत हूद :६१)

तथा अल्लाह तआला ने शुऐब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया : ''और हमने मद्‌यन वालों के पास उनके भाई शुऐब को पैग़म्बर बना कर भेजा उन्होंने (अपनी क़ौम से) कहा ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह ही की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं।'' (सूरत हूद :८४)

तथा इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया : ''और इसमाईल और इदरीस और ज़ुलकिफ़्ल ये सब साबिर (धैर्यवान) बन्दे थे।'' (सूरतुल अम्बिया :८५)

तथा अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह सूचना देते हुए कि आप सभी पैग़म्बरों की अन्तिम कड़ी और मुद्रिका हैं, अतः आप के बाद क़ियामत के दिन तक कोई नबी व रसूल नहीं, इरशाद फरमाया : '' (लोगो!) मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, किन्तु आप अल्लाह के पैग़म्बर और तमाम नबियों के खातम (मुद्रिका) हैं।'' (सूरतुल अहज़ाब:४०)

चुनाँचि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म पूर्व धर्मों की पूर्ति करने वाला और उनको समाप्त करने वाला है, अतः वही सम्पूर्ण सच्चा

धर्म है जिसका पालन करना अनिवार्य है और वही क़ियामत के दिन तक बाक़ी रहने वाला है।

उन्हीं रसूलों में से पाँच ऊलुल अज़्म (सुदृढ़ निश्चय और संकल्प वाले) पैग़म्बर हैं, और वे दीन की दावत का बार उठाने, लोगों तक अल्लाह का संदेश पहुँचाने और उस पर सब्र करने में सबसे शक्तिवान हैं, और वे नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और मुहम्मद अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ‘‘और जब हम ने समस्त नबियों से वचन लिया और विशेष रूप से आप से तथा नूह से तथा इब्राहीम से तथा मूसा से तथा मरियम के पुत्र ईसा से। (सूरतुल-अह्ज़ाबः ७)

रसूलों पर ईमान लाने के फायदे :

- बन्दों पर अल्लाह तआला की कृपा और उनसे उसकी महब्बत का बोध होता है कि उस ने उन्हीं में से उन पर रसूल भेजे ताकि वो उन तक अल्लाह के संदेश (धर्मशास्त्र) को पहुँचा दें, और लोग उस में और सकी ओर दावत देने में उनका अनुसरण करें ।
- सच्चे मोमिनों की दूसरे लोगों से पड़ताल और पहचान हो जती हैं, क्योंकि जो अपने रसूल पर ईमान ले आया उसके लिए अनिवार्य है कि वह उसके अलावा अन्य रसूलों पर भी ईमान लाए जिनके बारे में उनकी किताबों में शुभ सूचना दी गई है।
- अल्लाह तआला की तरफ से उसके बन्दों के लिए नेकियों के अन्दर कई गुना बढ़ोतरी कर दी जाती है, क्योंकि जो अपने रसूल पर ईमान लाया और साथ ही साथ उसके बाद आने वाले रसूलों पर भी ईमान लाया, उसे दोहरा अज्र दिया जाये गा।

आख़िरत के दिन पर ईमान लाना:

इस बात का दृढ़ विश्वास रखना कि इस दुनिया के जीवन के लिए एक ऐसा दिन निर्धारित है जिस में यह समाप्त और नष्ट हो जाये गा, अल्लाह तआला का फरमान है : "जो (मख़लूक) ज़मीन पर है सब फ़ना होने वाली है और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार का चेहरा (अस्तित्व) जो महान और अज़मत वाला है, बाक़ी रहेगा।" (सूरतुर्रहमान :२६-२७)

जब अल्लाह तआला दुनिया को नष्ट करने का इरादा करेगा तो इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूँकने (नरसिंघा में फूँक मारने) का आदेश देगा, तो सभी मख्लूक़ मर जायें गे, फिर दुबारा सूर फूँकने का हुक्म देगा तो लोग आपनी क़बरों से जीवित होकर उठ खड़े हों गे, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सभी धरती से लोगों के शरीर एकत्र हो जायें गे, अल्लाह तआला का फरमान है : "और जब (पहली बार) सूर फूँका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो लोग ज़मीन में हैं (मौत से) बेहोश होकर गिर पड़ेंगें) मगर (हाँ) जिस को अल्लाह चाहे (वह अलबत्ता बच जाएगा) फिर जब दोबारा सूर फूँका जाएगा तो फौरन सब के सब खड़े हो कर देखने लगेंगें।" (सूरतुज़्ज़ुमर :६८)

आख़िरत के दिन पर ईमान लाने में मृत्यु के पश्चात घटने वाली उन समस्त चीज़ों पर ईमान लाना भी सम्मिलित है जिनके बारे में अल्लाह तआला ने अपनी किताब में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूचना दी है :

१.बर्ज़ख़ के जीवन पर विश्वास रखना, इस से अभिप्राय वह अवधि है जो आदमी के मरने के बाद से शुरू हो कर क़ियामत आने तक की है, जिस में अल्लाह पर विश्वास रखने वाले मोमिन लोग नेमतों में होंगे और उसका इन्कार करने वाले नास्तिक लोग यातना में होंगे, फिरऔनियों के विषय में अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘और फ़िरऔनियों को बुरी तरह के अज़ाब ने घेर लिया, आग है जिस पर यह प्रातः काल और सायंकाल पेश किये जाते हैं, और जिस दिन महाप्रलय होगा (आदेश होगा कि) फ़िर्औनियों को अत्यन्त कठिन यातना में झोंक दो।’’ (सूरतुल-मोमिनः ४६)

२. बा’स (मरने के बाद दुबारा उठाए जाने) पर ईमान लानाः बा’स से मुराद वह दिन है जिस में अल्लाह तआला हे हुक्म से सभी मृतक जीवित होकर नंगे पैर, नंगे शरीर और बिना ख़त्ना के उठ खड़े होंगे, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः **‘‘इन काफिरों का भ्रम (गुमान) है कि वह पुनः जीवित नहीं किए जायेंगे, आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, अल्लाह की सौगन्ध ! तुम अवश्य पुनः जीवित किए जाओगे, फिर जो तुम ने किया है उस से अवगत कराए जाओगे, और अल्लाह पर यह अत्यन्त सरल है।** (सूरतुत-तग़ाबुनः ७)

चूँकि बहुत से लोग मरने के बाद पुनः जीवित किए जाने और हिसाब किताब के लिए उठाए जाने को अस्वीकार करते हैं, इसलिए क़ुर्आन ने कई उदाहरणों का उल्लेख किया है जिनमें उसने यह स्पष्ट किया हे कि मरने के बाद पुनः जीवित किया जाना और उठाया जाना सम्भव है, और इनकार करने वालों के सन्देहों का खण्डन किया है और उसको व्यर्थ ठहराया है, उन्हीं उदाहरणों में से निम्नलिखित हैं :

- **मृत (बंजर) और सूखी हुई धरती में हरे-भरे पेड़-पौदे उगाकर उसे जीवित किये जाने में विचार और गौर करना,** अल्लाह तआला का फरमान है : ‘‘अल्लाह की निशानियों में से यह भी है कि तू धरती को सूखी हुई और मृत देखता है, फिर जब हम उस पर वर्षा बरसाते हैं तो वह हरित हो कर उभरने लगती है, जिस ने उसे जीवित किया है वही निःसन्देह (निश्चित तौर पर) मृतकों को भी जीवित करने वाला है, निः सन्देह वह प्रत्येक चीज़ पर सामर्थी है। (सूरत-फुस्सिलतः ३९)

- **आसमानों और ज़मीन की रचना में गौर करना जो कि मनुष्य को पैदा करने से कहीं बढ़कर हैं,** अल्लाह तआला का फरमान है : ‘‘क्या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आकाशों और धरती को पैदा किया और उनके पैदा करने से वह नहीं थका, वह बेशक मुर्दों को जीवित करने की शक्ति रखता है, क्यों न हो? वह निःसन्देह हर चीज़ पर शक्तिवान है।’’ (सूरतुल अह्क़ाफ :३३)
- **मनुष्य के सोने और नींद से बेदार होने में गौर करना, जो कि मरने के बाद जीवित होने ही के समान है, और नींद को छोटी मृत्यु भी कहा जाता है,** अल्लाह ताअला का फरमान है : ‘‘ अल्लाह ही प्राणों (आत्माओं) को उनकी मृत्यु के समय और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी निद्रा के समय वफात देता (निष्कासित कर लेता) है, फिर जिन पर मृत्यु का आदेश सिद्ध हो चुका है उन्हें तो रोक लेता है और दूसरी आत्माओं को एक निर्धारित समय तक के लिए छोड़ देता है, ग़ौर व फिक्र करने वालों के लिए यक़ीनन इसमें बड़ी निशानियाँ हैं।’’ (सूरतुज़-ज़ुमरः ४२)
- **मनुष्य के पहली बार पैदा किये जाने में गौर व फिक्र करना,** अल्लाह तआला का फरमान है : ‘‘और हमारी निसबत बातें बनाने लगा और अपनी ख़िलक़त (की हालत) भूल गया और कहने लगा कि भला जब ये हड्डियाँ (सड़ गल कर) ख़ाक हो जाएँगी तो (फिर) कौन (दोबारा) ज़िन्दा कर सकता है? (ऐ रसूल!) आप कह दीजिए कि उसको वही ज़िन्दा करेगा जिसने उनको (जब ये कुछ न थे) पहली बार पैदा किया।’’ (सूरत यासीन :७८-७९)

३.हश्र और पेश किए जाने पर विश्वास रखना, यानी जब अल्लाह तआला सभी लोगों को हिसाब-किताब के लिए एकत्र करेगा और उनके आमाल (करतूत) पेश किए जायेंगे, अल्लाह

अताला का फरमान है : "और (उस दिन को याद करो) जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएँगें और तुम ज़मीन को खुला मैदान (आबादी से खाली) देखोगे और हम इन सभी को इकट्ठा करेंगे तो उनमें से एक को न छोड़ेगें, सबके सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने कतार पे क़तार पेश किए जाएँगें और (उस वक़्त हम याद दिलाएँगे कि) जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था (उसी तरह) तुम लोगों को (आख़िर) हमारे पास आना पड़ा।" (सूरतुल कहफ :४७-४८)

४. इस बात पर विश्वास रखना कि मनुष्य के एक-एक अंग गवाही देंगे, अल्लाह तआला का फरमान है : "यहाँ तक की जब सब के सब जहन्नम के पास जाएँगे तो उनके कान और उनकी आँखें और उनके (गोश्त पोस्त) उनके ख़िलाफ उनकी कर्तूतों की गवाही देगें, और ये लोग अपने अंगों से कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ क्यों गवाही दी तो वह जवाब देंगे कि जिस अल्लाह ने हर चीज़ को बोलने की शक्ति दी उसने हमको भी बोलने की क्षमता दी और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और (आख़िर) उसी की तरफ लौट कर जाओगे, और (तुम्हारी तो ये हालत थी कि) तुम लोग इस ख़्याल से (अपने गुनाहों की) पर्दा दारी भी तो नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखे और तुम्हारे आज़ा तुम्हारे ख़िलाफ गवाही देंगे बल्कि तुम इस ख़्याल मे (भूले हुए) थे कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से कामों की ख़बर ही नहीं।" (सूरत फुस्सिलत :२०-२२)

५.प्रश्न किये जाने पर ईमान रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : "और (हाँ ज़रा) उन्हें ठहराओ तो उनसे कुछ पूछना है, अब तुम्हें क्या होगया कि एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि वे तो आज गर्दन झुकाए हुए हैं।" (सूरतुस्साफ़्फ़ात :२४)

६.पुल सिरात से गुज़रने पर ईमान रखना, अल्लाह तआला का फरमान हैः ''और तुम मे से कोई ऐसा नहीं जो उस पर (यानी जहन्नुम पर बने पुल सिरात) से होकर न गुज़रे, यह तुम्हारे परवरदिगार का क़तई फैसला (वादा) है, फिर हम परहेज़गारों को बचा लेंगे और ज़ालिमों (नाफ़रमानों) को घुटने के बल उसमें छोड़ देंगे।'' (सूरत मर्यम :७१-७२)

७. आमाल के वज़न किए जाने पर ईमान रखना, चुनाँचि नेक लोगों को उनके ईमान, सत्यकर्म, और रूसलों की पैरवी के फलस्वरूप अच्छा बदला दिया जायेगा, और बुरे लोगों को उनकी बुराई, कुफ्र या पैग़म्बरों की अवज्ञा के कारण सज़ा दिया जाये गा, अल्लाह तआला का फरमान है : ''क़ियामत के दिन हम शुद्ध और उचित तौलने वाली तराजू को लाकर रखेंगे, फिर किसी प्राणी पर तनिक सा भी अत्याचार नही किया जाएगा, और यदि एक राई के दाना के बराबर भी कुछ कर्म होगा हम उसे सामने करदेंगे, और हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले।'' (सूरतुल-अंबियाः ४७)

८. कर्म-पत्रों (नामा-ए-आमाल) के खोल दिये जाने पर ईमान रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : ''जिस व्यक्ति के दाहिने हाथ में नाम-ए-आमाल (कर्मपत्र) दिया जाएगा। उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा। और वह अपने परिवार वालों की ओर हँसी खुशी लौट आएगा। मगर जिस व्यक्ति का नाम-ए-आमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा। तो वह मृत्यु को बुलाने लगेगा। और भड़कती हूई जहन्नम में प्रवेश करेगा।'' (सूरतुल इंशिक़ाक़ :७-१२)

९. सदैव के जीवन मे जन्नत या जहन्नम के द्वारा बदला दिए जाने पर ईमान रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : '' बे-शक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए और मूर्तिपूजक, वे

जहन्नम की आग (में जाएंगे) जहाँ वे हमेशा रहेंगे, ये लोग बद्-तरीन (तुच्छ श्रेणी की) मख़्लूक़ हैं। बे-शक जो लोग ईमान लाये और नेक कार्य किये, ये लोग बेहतरीन (सर्वोच्च श्रेणी की) मख़्लूक़ हैं। उनका बदला उनके रब के पास हमेशगी वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें वे हमेशा-हमेश रहेंगे। अल्लाह (तआ़ला) उनसे खुश हुआ और ये उससे। यह है उसके लिये जो अपने रब से डरे।'' (सरतुल बैयिना :६-८)

१०. हौज़ (कौसर), शफाअत ... इत्यादि पर ईमान लाना जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूचना दी है।

आख़िरत के दिन पर ईमान लाने के फायदे:

- आख़िरत के दिन के पुण्य और अज्र व सवाब की आशा में निरंतर सत्कर्म करके और भलाई के कामों में पहल करके, तथा आख़िरत के दिन की यातना के भय से अवज्ञा और पाप से दूर रह कर उस दिन के लिए तैयारी करना।
- सांसारिक भलाईयों और हितों के प्राप्त न होने पर मोमिन को ढारस प्राप्त होता है, क्योंकि वह आख़िरत की नेमतों और प्रतिफल की आशा रखता है।
- सच्चे मोमिनों की अन्य लोगों से परख और पड़ताल होती है।

तक़दीर-भाग्य-पर ईमान लाना:

इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह तआला को प्रत्येक चीज़ों का उनके वजूद में आने से पूर्व अनादि-काल -अज़ल- ही में ज्ञान है, तथा वह किस तरह वजूद में आये गी। फिर उसे अल्लाह तआला ने अपने ज्ञान और तक़्दीर के अनुसार वजूद बख़्शा है, अल्लाह

तआला का फरमान है : ‘‘निःसन्देह हम ने प्रत्येक चीज़ को एक निर्धारित अनुमान पर पैदा किया है।’’ (सूरतुल-क़मर :४६)

चुनाँचि इस संसार में जो कुछ घटित हो चुका है, और जो कुछ घट रहा है, और जो कुछ घटेगा, सभी चीज़ों को अल्लाह तआला उनके घटने और वजूद में आने से पूर्व ही जानता है, फिर अल्लाह तआला ने उसे अपनी मशीयत (चाहत) और तक़्दीर (अनदाज़े) से वजूद बख़्शा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ‘‘कोई बन्दा मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वह अच्छी और बुरी तक़्दीर -भाग्य- पर ईमान रखे, यहाँ तक कि उसे विश्वास हो जाए कि उसे जो चीज़ पहुँची है वह उस से चूकने वाली नहीं थी, और जो चीज़ उस से चूक गई है वह उसे पहुँचने वाली नहीं थी।’’ (सुनन तिर्मिज़ी ४/४५१ हदीस नं. :२१४४)

यह इस बात का विरोधक नहीं है कि कारणों को अपनाया और उस पर अमल न किया जाए, उदाहरण के तौर पर : जो आदमी संतान चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि उस कारण को अपनाए और उसके अनुसार कार्य करे जिस से उसका उद्देश्य पूरा होता हो और वह है शादी करना, किन्तु यह कारण कभी अल्लाह की मशीयत के अनुसार लक्षित परिणाम -यानी संतान- देता है और कभी नहीं देता है, क्योंकि स्वयं कारण ही कारक नहीं होते हैं बल्कि सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर निर्भर करता है, और यह कारण (असबाब) भी जिन्हें हम अपनाते हैं, अल्लाह की तक़्दीर में से हैं, इसीलिए अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने सहाबा से इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए उस समय फरमाया जब उन्हों ने कहा : आप का क्या विचार है कि दवायें जिन से हम उपचार करते हैं और झाड़-फूँक जिनके द्वारा हम झाड़-फूँक करते हैं, क्या ये अल्लाह की तक़्दीर को पलट देते हैं? आप ने उत्तर दिया : ये अल्लाह की तक़्दीर ही से हैं।’’ (मुस्तदरक हाकिम ४/२२१ हदीस नं.: ७४३१)

इसी तरह भूख, प्यास और ठण्ड तक़्दीर में से हैं, और लोग खाना खा कर भूख, पी कर प्यास और गरमी प्राप्त करके ठण्ड को दूर करते हैं, चुनाँचे उनके ऊपर जो भूख, प्यास और ठण्ड मुक़द्दर किया गया है उन्हें अपने ऊपर मुक़द्दर किये गए खाने, पीने और गरमी प्राप्त करने के द्वारा दूर करते हैं, इस तरह वह अल्लाह की एक तक़्दीर को उसकी दूसरी तक़्दीर से दूर करते हैं।

कज़ा व क़द्र (भाग्य) पर ईमान लाने के फायदे:

- जो कुछ मुक़द्दर था और घट चुका है उस पर राज़ी और प्रसन्न होने से हार्दिक आनंद और सन्तोष प्राप्त होता है, चुनाँचि जो चीज़ घटित हुई है या प्राप्त होने से रह गई है उसके प्रति शोक और चिन्ता का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है, और यह बात किसी पर रहस्य नहीं कि हार्दिक आनंद और सन्तोष का न होना बहुत सारी मानसिक बीमारियों जैसेकि शोक, चिन्ता का कारण बनता है जिनका शरीर पर नकारात्मक (उलटा) प्रभाव पड़ता है, जबकि क़ज़ा व क़द्र पर ईमान, जैसाकि अल्लाह तआला ने सूचना दी है, इन सब चीज़ों को समाप्त कर देता है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''न कोई आपत्ति (संकट) संसार में आती है न विशिष्ट रूप से तुम्हारी प्राणों में परंतु इस से पूर्व कि हम उसको उत्पन्न करें वह एक विशेष पुस्तक में लिखी हुई है, यह काम अल्लाह पर अत्यन्त सरल है। ताकि तुम अपने से छिन जाने वाली चीज़ पर दुखी न हो जाया करो और न प्राप्त होने वाली चीज़ पर प्रफुल्ल हो जाया करो, अल्लाह तआला गर्व करने वाले अभिमानी लोगों से प्रेम नहीं करता।'' (सूरतुल-हदीदः २२,२३)
- अल्लाह तआला ने इस संसार में जो चीज़ें रखी हैं उनको जानने और उनकी खोज करने का निमन्त्रण है, इस प्रकार कि

मनुष्य पर जो चीज़ें मुक़द्दर हैं जैसे कि बीमारी तो वह अल्लाह तआला की तक़्दीर है जो उसे उस उपचार के खोजने पर उभारती है जो पहले तक़्दीर को दूर कर सके, और वह इस प्रकार कि अल्लाह ताआला ने इस संसार में जो चीज़ें पैदा की हैं उन में दवाओं के स्रोत की खोज करे।

- इंसान के साथ जो दुर्घटनायें घटती हैं वह हल्की और साधारण हो जाती हैं, अगर किसी आदमी का उसकी तिजारत में घाटा हो जाए, तो यह घाटा उसके लिए एक दुर्घटना है, अब अगर वह इस पर शोक और चिन्ता प्रकट करे तो उसकी दो मुसीबतें (दुर्घटनायें) हो गईं, एक घाटा उठाने की मुसीबत और दूसरी शोक और चिन्ता की मुसीबत। लेकिन जो आदमी क़ज़ा व क़द्र (भाग्य) पर विश्वास रखता है वह पहले घाटे पर सन्तुष्ट हो जायेगा, क्योंकि वह जानता है कि वह उसके ऊपर मुक़द्दर था और आवश्यक रूप से घटने वाला था, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : ‘‘शक्तिशाली मोमिन अल्लाह तआला के निकट निर्बल मोमिन से उत्तम और प्रियतम है, वैसे तो दोनों के अन्दर भलाई है, जो चीज़ तुम्हें लाभ पहुँचाये उसके इच्छुक और अभिलाषी बनो तथा अल्लाह तआला से सहायता मांगो और निराश न हो, यदि तुम्हें कोई संकट पहुँचे तो यह न कहो कि यदि मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ऐसा होता, बल्कि यों कहो कि अल्लाह ने भाग्य में यही निर्धारित किया था और जो अल्लाह ने चाहा वह हुआ, क्योंकि शब्द (लौ لو) अर्थात यदि शैतानी कार्य का द्वार खोलता है। (सहीह मुस्लिम ४/२०५२ हदीस नं.:२६६४)

तक़्दीर पर ईमान रखना अनावश्यक भरोसे, कार्य न करने और कारणों (असबाब) को ना अपनाने का नाम नहीं जैसाकि कुछ लोगों का गुमान है, यह अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम को देखिए कि आप उस आदमी से जिस ने आप से पूछा था कि क्या मैं अपनी ऊँटनी को छोड़ दूँ और तवक्कुल करूँ? फरमाते हैं : " उसे बाँध दो और तवक्कुल करो।" (सहीह इब्ने हिब्बान २/५१० हदीस नं.:७३१)

क़ौली और फे'ली (कथन और कर्म से संबंधित) इबादतें जिन्हें इस्लाम के स्तम्भ (अर्कान) कहा जाता है :

यही वह आधारशिला है जिस पर इस्लाम स्थापित है और इसी के द्वारा आदमी के मुसलमान होने या न होने का हुक्म लगाया जाता है, इन स्तम्भों में से कुछ क़ौली (कथनी) हैं, और वह 'शहादतैन' (ला-इलाहा-इल्लल्लाह और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की शहादत यानी गवाही) है, और इन में से कुछ शारीरिक हैं, जैसे 'नमाज़ और रोज़ा' हैं, और इन में से कुछ का संबंध धन से है, और वह है 'ज़कात' और कुछ का संबंध धन और शरीर दोनों से है और वह 'हज्ज' है। इस्लाम अपने मानने वालों को इन स्तम्भों का मुकल्लफ (ज़िम्मेदार और प्रतिबद्ध) बनाकर मात्र औपचारिकतायें पूरी करना नहीं चाहता है बल्कि उसका उद्देश्य इन उपासनाओं की अदायगी के द्वारा उनकी आत्माओं को पवित्र करना, उनकी शुद्धता और उन्हें सुशोभित करना है, इस्लाम यह चाहता है कि इन स्तम्भों का पालन करना व्यकित और समाज के सुधार और उनके शुद्धीकरण का साधन बन जाए, अल्लाह तआला ने नमाज़ के बारे में फरमाया : "निःसन्देह नमाज़ बेहयाई (अश्लीलता) और बुरी बातों से रोकती है।" (सूरतुल अंकबूत :४५)

तथा अल्लाह तआला ने ज़कात के बारे में फरमायाः "आप उनके मालों में से सद्क़ा ले लीजिए जिस के द्वारा आप उन्हे पाक व साफ कर दीजिए।" (सूरतुत्तौबा :१०३)

तथा अल्लाह तआला ने रोज़े के बारे में फरमाया : ‘‘ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो। (सूरतुल बक़राः १८३)

चुनाँचि रोज़ा नफ्स की इच्छाओं और खाहिशों से रूकने पर प्रशिक्षण और अभ्यास है, इस की व्याख्या रोज़े के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन से होती है : ‘‘जो व्यक्ति झूठ बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।’’ (सहीह बुखारी ५/२२५१ हदीस नं.:५७१०)

तथा अल्लाह तआला ने हज्ज के बारे में फरमाया : ‘‘हज्ज के कुछ जाने पहचाने महीने हैं, अतः जिस ने इन महीनों में हज्ज को फर्ज़ कर लिया, तो हज्ज में कामुकता की बातें, फिस्क़ व फुजूर (अवहेलना) और लड़ाई-झगड़ा नहीं है।’’ (सूरतुल बक़रा :१६७)

इस्लाम में उपासनाओं का शिष्टाचार और उत्तम व्यवहार की स्थापना करने और उसे बढ़ावा देने में एक महान रोल और योगदान है, इस्लाम के स्तम्भ (अरकान) निम्नलिखित हैं :

पहला स्तम्भ : शहादतैन

यानी ला-इलाहा-इल्लल्लाह की शहादत और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की शहादत।

इस स्तम्भ का संबंध कथन से है, और यह इस्लाम में प्रवेश करने की कुंजी है जिस पर अवशेष स्तम्भों का आधार है।

ला-इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ :

यही तौहीद का कलिमा है जिसके लिए अल्लाह तआला ने मख्लूक़ को पैदा किया और जन्नत और जहन्नम बनाये गये, अल्लाह तआला का फरमान है : ''मैं ने जिन्नात और मनुष्य को मात्र इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी उपासना करें।'' (सूरतुज़्ज़ारियत :५६)

यही नूह अलैहिस्सलाम से लेकर अन्तिम पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक सभी नबियों और रसूलों की दावत रही है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''आप से पहले जो भी संदेशवाहक हमने भेजा उसकी ओर यही वह्य (ईश्वाणी) की कि मेरे अतिरिक्त कोई वास्तविक पूजा पात्र नहीं, सो तुम मेरी ही उपासना करो।'' (सूरतुल-अम्बियाः २५)

उसका अर्थ :

१. **इस संसार का अल्लाह के अतिरिक्त कोई उत्पत्ति कर्ता नहीं।**

२. **इस संसार में अल्लाह के अतिरिक्त कोई स्वामी और तसर्रुफ (हेर फेर) करने वाला नहीं।**

३. **अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य उपासना का पात्र नहीं।**

४. **वह हर पूर्णता (कमाल) की विशेषताओं से विशिष्ट और हर ऐब और कमी से पवित्र है।**

'ला-इलाहा-इल्लल्लाह' के तक़ाज़े :

१. इस बात का ज्ञान होना कि अल्लाह के अलावा जो भी पूज्य हैं वो बातिल (व्यर्थ और असत्य) हैं, अतः अल्लाह के अलावा कोई सच्चा मा'बूद नहीं जो कि इस बात का अधिकार रखता हो कि उसके लिए किसी प्रकार की उपासना की जाए जैसे : नमाज़, दुआ, उम्मीद, क़ुर्बानी, मन्नत... इत्यादि। चाहे वह कोई भेजा हुआ नबी, या निकटवर्ती फरिश्ता ही क्यों न हो। जिसने

किसी प्रकार की कोई इबादत अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए उपासना और सम्मान के तौर पर की, तो वह काफिर है, अगरचे वह शहादतैन का इक़रार करने वाला ही क्यों न हो।

२. ऐसा यक़ीन (विश्वास) जिसमें किसी शक और संकोच का समावेश न हो, अल्लाह तआला का फरमान है : ''ईमान वाले तो वे हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लायें, फिर शक न करें, और अपने माल से और अपनी जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहें, (अपने ईमान के दावे में) यही लोग सच्चे हैं।'' (सूरतुल हुजरात :१५)

३. इसको स्वीकार करना, इसे ठुकराना नहीं, अल्लाह तआला का फरमान है: "ये वे लोग हैं कि जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा मा'बूद नहीं, तो यह घमण्ड करते थे।" (सूरतुस्साफ्फात :३५)

४. इसके तक़ाज़े के अनुसार अमल करना, चुनाँचि अल्लाह के आदेशों का पालन करना और उसकी निषिद्ध चीज़ों को छोड़ देना, अल्लाह ताअला का फरमान है : ''और जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के ताबे (अधीन) करदे और वह हो भी नेकी करने वाला , तो यक़ीनन उसने मज़बूत कड़ा थाम लिया, और सभी कामों का अन्जाम अल्लाह की ओर है।" (सूरत लुक़्मान :२२)

५. इसमें वह सच्चा हो, अल्लाह तआला का फरमान है : "यह लोग अपनी ज़ुबानों से वह बाते कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है।" (सूरतुल-फत्ह :११)

६. वह अकेले अल्लाह की इबादत करने में मुख्लिस हो, अल्लाह तआला का फरमान है : "उन्हें इसके सिवाय कोई हुक्म नहीं दिया गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए धर्म को शुद्ध (खालिस) कर करके, यकसू हो कर।" (सूरतुल बय्यिना :५)

७. अल्लाह से महब्बत करना और अल्लाह के रसूल, उसके औलिया, और नेक बन्दों से महब्बत करना, अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखने वालों से दुश्मनी और द्वेष रखना, और अल्लाह और उसके रसूल की प्रिय चीज़ों को प्राथमिकता और वरीयता देना, अगरचि वह आदमी की इच्छा या पसन्द खिलाफ हो, अल्लाह तआला का फरमान हैः "आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे कुंबे-क़बीले और तुम्हारे कमाए हुए धन और वह तिजारत जिसके मंदा होन से तुम डरते हो और वह हवेलियाँ जिन्हें तुम पसन्द करते हो - अगर ये सब तुम्हें अल्लाह से और उसके पैग़म्बर से और उसके रास्ते में जिहाद से भी अधिक प्यारे हैं, तो तुम प्रतीक्षा करो कि अल्लाह तआला अपना अज़ाब ले आए। अल्लाह तआला फासिक़ों को हिदायत नहीं देता।" (सूरतुत-तौबाः२४)

इसके तक़ाज़े ही में यह भी दाखिल हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर इबादतों में क़ानून साज़ी और मामलात में व्यवस्थापन, किसी चीज़ को हलाल यहा हराम ठहराने का अधिकार केवल अल्लाह के लिए है, जिसे उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथों पर स्पष्ट किया है, अल्लाह तआला फरमाता है : "और पैग़म्बर जो कुछ तुम्हें दें, उसे ले लो और जिन चीजों से तुम्हें रोक दें, उनसे रुक जाओ।" (सूरतुल-हश्रः७)

'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' की शहादत का अर्थ :

- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन चीज़ों का आदेश दिया है, उनमें आपकी फरमांबरदारी करना, जिन चीज़ों की आप ने सूचना दी है उनमें आप को सच्चा मानना, जिन चिज़ों से आप ने रोका है उन

से बचना, अल्लाह तआला का फरमान है : **“जो रसूल की फ़रमांबरदारी करे उसी ने अल्लाह की फरमांबरदारी की।”** (सूरतुन्निसा :८०)

- आप की पैग़म्बरी का आस्था रखना और इस बात का अक़ीदा रखना कि आप सबसे अन्तिम और सब से अफज़ल रसूल हैं जिनके बाद कोई अन्य नबी व रसूल नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : “मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं, बल्कि अल्लाह के संदेशवाहक और समस्त नबियों के खातम (मुद्रिका) हैं। (सूरतुल-अहज़ाब:४०)

- **आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने परवरदिगार की तरफ से जिस चीज़ का प्रसार व प्रचार किया उसमें आप के गुनाहों से मा’सूम (पवित्र) होने का अक़ीदा रखना, अल्लाह तआला का फरमान है :** “और वह अपनी इच्छा से कोई बात नहीं कहते हैं। वह तो केवल वह्य (ईश्वाणी) होती है जो उतारी जाती है।” **(सूरतुन-नज्मः३-४)**

  जहाँ तक दुनियावी मामलात का संबंध है तो आप एक मनुष्य हैं, चुनाँचि अपने फैसलों और अहकाम में आप इज्तिहाद करते थे, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : “मैं तुम्हारे समान एक मनुष्य हूँ, और तुम मेरे पास अपने झगड़े फैसला के लिए लेकर आते हो, और शायद तुम में से कोई आदमी अपनी हुज्जत को पेश करने में दूसरे से अधिक माहिर हो और जो कुछ मैं सुनता हूँ उसके अनुसार उसके हक़ में फैसला कर दूँ, तो (सुनो!) जिसके लिए भी मैं उसके भाई के हक़ में से किसी चीज़ का फैसला कर दूँ, तो वह उसे न ले, क्योंकि मैं उसे जहन्नम का ए टुकड़ा दे रहा हूँ।” (सहीह बुखारी ६/२५५५ हदीस नं.: ६५६६)

- इस बात का अक़ीदा रखना कि आप की पैग़म्बरी क़ियामत आने तक सभी मनुष्यों और जिन्नात के लिए सामान्य है, अल्लाह

तआला का फरमान है: ''हम ने आप को सर्व मानव के लिए शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला (सावधान करने वाला) बनाकर भेजा है।''

- **आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत की पैरवी करना, उसको थामे रहना और उसमें कुछ बढ़ाना-चढ़ाना नहीं, क्योंकि अल्लाह ताअला का फरमान है : ''कह दीजिए अगर तुम अल्लाह तआला से महब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी (अनुसरण) करो, स्वयं अल्लाह तआला तुम से महब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह तआला बड़ा माफ करने वाला और बहुत मेहरबान (दयालु) है।'' (सुरत-आल इम्रान:३१)**

दूसरा स्तम्भ : नमाज़ क़ाईम करना :

यह धर्म का आधारशिला और नीव है जिस पर वह स्थापित है, जिसने इसे छोड़ दिया वह काफिर हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''धर्म का मूल और सिर इस्लाम (शहादतैन का इक़रार) है, और उसका खम्भा (स्तम्भ) नमाज़ है, और उसकी बलन्दी और शान जिहाद है।'' (सुनन तिर्मिज़ी ५/११ हदीस नं. :२६१६)

यह कुछ अक़्वाल और आमाल का नाम है, जिसका आरम्भ तक्बीर से होता है और अन्त सलाम फेर कर होता है, जिसे मुसलमान अल्लाह की फरमांबरदारी करते हुए, उसकी ता'ज़ीम और सम्मान करते हुए क़ाईम करता है, जिसमें वह अपने रब से एकान्त में होकर उस से सरगोशी करता और गिड़गिड़ाता है। यह बन्दे और उसके पालनहार के बीच एक संबंध है, जब मुसलमान दुनिया के आनंदों में डूब जाता है और उसके दिल में ईमान की चिंगारी बुझने लगती है, तो मुअज़्ज़िन जैसे ही नमाज़ के लिए गुहार लगाता है, पुनः ईमान की चिंगारी भड़क उठती है, इस प्रकार वह हर समय

अपने पैदा करने वाले से जुड़ा और संबंध बनाए रखता है। यह रात-दिन में पाँच समय है जिन्हें मुसलमान जमाअत के साथ मस्जिद में अदा करता है सिवाय इसके कि कोई उज़्र (कारण) हो। इसमें वो एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनके बीच उलफत व महब्बत (प्यार और स्नेह) के बंधन मज़बूत होते हैं तथा वो एक दूसरे के हालात का जायज़ा लेते हैं, उनमें कोई बीमार होता है तो उसका दर्शन करते हैं, उनमें जो ज़रूरतमंद होता है उसकी सहायता करते हैं, उनमें जो शोकग्रस्त होता है उसकी गमखारी करते हैं, और उनमें जो कोताही का शिकार होता है उसे नसीहत करते हैं। इसमें सभी सामाजिक भेद-भाव टूट कर चकना चूर हो जाते हैं, सभी मुसलमान एक साथ पंक्तिबद्ध कन्धे से कन्धा और पैर से पैर मिलाकर खड़े हो जाते हैं, कौन छोटा है और कौन बड़ा, कौन धनी है और कौन निर्धन, कौन ऊँचा (शरीफ) है और कौन नीच (तुच्छ) सब के सब अल्लाह के आगे शीश नवाने में बराबर होते हैं, सब एक ही क़िब्ला की ओर मुँह करके खड़े होते हैं, एक ही समय में एक ही तरह की हरकते और एक ही मन्त्र पढ़ रह होते हैं।

तीसरा स्तम्भ : ज़कात देना

यह धन की एक निर्धारित मात्रा है जिसे एक मालदार मुसलमान अल्लाह तआला के आदेश का पालन करते हुए अपने धन से खुशी-खुशी निकालता है, और उसे अपने ज़रूरतमंद भाईयों जैसे गरीबों, मिसकीनों, हाजतमंदों को देता है ताकि उनकी ज़रूरत पूरी करे और उन्हें भीख मांगने की रूसवाई से बचा ले, यह हर उस मुसलमान पर अनिवार्य है जो ज़कात के निसाब का मालिक है, क्योंकि अल्ला तआला का कथन है : **"उन्हें इसके सिवाय कोई हुक्म नहीं दिया गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए धर्म**

को शुद्ध (खालिस) करके, यकसू हो कर। और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें, यही धर्म है सीधी मिल्लत का।” (सूरतुल बय्यिना :५)

जिसने इसके अनिवार्य होने का इंकार किया उसने कुफ्र किया; क्योंकि उसने कमज़ोरों, गरीबों और मिसकीनों के हुक़ूक़ को रोक लिया, और ज़कात -जैसाकि इस्लाम से अपरिचित लोग गुमान करते हैं- कोई टैक्स या जुर्माना नहीं है जिसे इस्लामी राज्य अपने अवाम से वसूल करती है, क्योंकि अगर यह टैक्स होती तो इस्लामी राज्य के मातहत रहने वाले सभी मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों पर भी अनिवार्य होती, जबकि यह बात स्पष्ट है कि ज़कात की शर्तों में से एक शर्त मुसलमान होना भी है, अतः यह गैर-मुस्लिम पर अनिवार्य नहीं है। इस्लाम ने इसके अनिवार्य होने की कुछ शर्तें निर्धारित की हैं जो निम्नलिखित हैं :

१. निसाब का मालिक होना, इस प्रकार कि ज़कात अनिवार्य होने के लिए इस्लाम ने धन की जो सीमा निर्धारित की है उस मात्र में धन का वह मालिक हो, और वह ८५ ग्राम सोने की क़ीमत के बराबर धन का होना है।

२. मवेशियों, नक़दी, और तिजारत के सामान पर एक साल का बीतना, और जिस पर साल न बीते उस में ज़कात अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक अनाज की बात है तो उनकी ज़कात उनके पक जाने पर है और फलों की ज़कात उस वक़्त है जब वह पोढ़ (पकने के क़रीब) हो जाएं।

तथा शरीअत ने इसके हक़दार लोगों को भी निर्धारित कर दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : “ख़ैरात (ज़कात) तो बस फकीरों का हक़ है और मिसकीनों का और उस (ज़कात) के कर्मचारियों का और जिनके दिल परचाये जा रहे हों और गुलाम के आज़ाद करने में और क़र्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह (जिहाद) में और मुसाफिरों के

लिए, ये हुक़ूक़ अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर किए हुए हैं और अललाह तआला बड़ा जानकार हिकमत वाला है।'' (सूरतुत्तौबा :६०)

इसकी मात्रा मूल धन का अढ़ाई प्रतिशत (**2.5%**) है, इस्लाम का इसे अनिवार्य करने का उद्देश्य समाज से गरीबी का उन्मूलन और उस से निष्कर्षित होने वाले चोरी, हत्या, और इज़्ज़त व आबरू पर आक्रमण जैसे खतरों से निबटना, और मुहताजों और वंचित फक़ीरों और मिसकीनों की ज़रूरतों की पूर्ति करके मुसलमानों के बीच सामाजिक समतावाद की आत्मा को जीवित करना है। तथा ज़कात और टैक्स के बीच अन्तर यह है कि ज़कात को मुसलमान दिल की खुशी के साथ निकालता है, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, केवल उसका मोमिन मन ही उसके ऊपर निरीक्षक होता है, जो उसके अनिवार्य होने पर विश्वास रखता है। इसी तरह स्वयं ज़कात का नाम ही इस बात का पता देता है कि उसके अन्दर मन की पवित्रता और उसे बखीली और कंजूसी और लालच की बुरी आदत से पाक करना, तथा उसके दिल को दुनिया की महब्बत और उसकी शह्वतों में डूबने से पवित्र करना है जिसके परिणाम स्वरूप आदमी अपने फक़ीर व मिसकीन भाईयों की आवश्यकताओं को भूल जाता है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और जो लोग अपने नफ्स की कंजूसी (लालच) से सुरक्षित रखे गये वही लोग कामयाब हैं।'' (सूरतुत्तगाबुन :१६)

इसी तरह फक़ीरों, मिसकीनों के दिलों को मालादारों के प्रति अदावत, कीना-कपट और द्वेष से पाक व साफ करना है, जब वह देखते हैं कि मालदार लोग अपने मालों के अन्दर अल्लाह के वाजिब किये हुए हुक़ूक़ को निकालते हैं और उन पर खर्च करते हैं और उनके साथ भलाई के साथ पेश आते हैं और उनका ध्यान रखते हैं।

इस्लामी शरीअत ने ज़कात रोक लेने से सावधान किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल

(व करम) से कुछ दिया है (और फिर) बुख़्ल करते हैं वह हरगिज़ इस ख़्याल में न रहें कि यह उनके लिए (कुछ) बेहतर होगा बल्कि यह उनके हक़ में बदतर है क्योंकि वो जिस (माल) का बुख़्ल करते हैं अनक़रीब ही क़ियामत के दिन उसका तौक़ बनाकर उनके गले में पहनाया जाएगा।'' (सूरत आल इमरान :१८०)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरामन है: ''जो भी सोना और चाँदी वाला उनमें से उनका हक़ (ज़कात) नहीं निकालता है, क़ियामत के दिन वो (सोना और चाँदी) आग की पलेटें (तख्तियाँ) बनाई जायेंगीं, और उन्हें जहन्नम की आग में तपाया जाये गा, फिर उनसे उसके पहलू, पेशानी और पीठ को दाग़ा जायेगा, जब जब वह ठंडी हो जायेंगीं उन्हें दुबारा गरमाया जायेगा, यह एक ऐसे दिन में होगा जिसकी मात्रा पचास हज़ार साल होगी, यहाँ तक कि बन्दों के बीच फैसला कर दिया जाए गा, फिर उसे जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाए गा।'' (सहीह मुस्लिम २/६८० हदीस नं.: ६८७)

चौथा स्तम्भ : रमज़ान का रोज़ा :

साल में एक महीना है जिसका मुसलमान रोज़ा रखते हैं, यानी अल्लाह तआला की इताअत करते हुए रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ो जैसे कि खाने, पीने, बीवी से सम्भोग करने से, फज्र उदय होने के समय से लेकर सूरज डूबने तक रूके रहते हैं, रोज़ा इस्लाम में कोई नयी चीज़ नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है :

''ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो। (सूरतुल बक़रा: १८३)

रोज़े का उद्देश्य रोज़ा तोड़ने वाली भौतिक चीज़ों से मात्र रूकना नहीं है बल्कि रोज़ा तोड़ने वाली आध्यात्मिक चीज़ों जैसे झूठ, ग़ीबत, चुग़लखोरी,

धोखा, फरेब, दुर्वचन, और इस तरह के अन्य घृणित कृत्यों से भी रूकना आवश्यक है, ज्ञात रहे कि इन बुरी चीज़ों का छोड़ना मुसलमान पर रमज़ान में और रमज़ान के अतिरिक्त दिनों में भी अनिवार्य है, लेकिन रमज़ान में इनका छोड़ना और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जो व्यक्ति झूठ बात कहने और झूठ पर अमल करने और मूर्खता से न बचे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दे।" (सहीह बुखारी ५/२२५१ हदीस नं. :५७१०)

रोज़ा नफ्स और उसकी शह्वतों और इच्छाओं के बीच एक संघर्ष है जो मुसलमान के नफ्स को बुरे कथन और बुर कर्म से बाज़ रखता है, आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का फरमान है : "इब्ने आदम वह का हर अमल उसी के लिए है सिवाय रोज़ा के, वह मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँ गा, रोज़ा (गुनाहों से) ढाल है, और जब तुम में से किसी के रोज़ा का दिन हो तो वह अश्लील बातें न करे, शोर गुल न कर, अगर उसे कोई बुरा-भला कहे (गाली दे) या लड़ाई झगड़ा करे, तो उस से कह दे : मैं रोज़े से हूँ, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है रोज़े दार के मुँह की बू अल्लाह के निकट कस्तूरी की खुश्बू से भी अधिक अच्छी है, रोज़े दार के लिए दो खुशियों के अवसर हैं जिन पर उसे प्रसन्नता होती है, जब वह रोज़ा खोलता है तो उसे खुशी होती है और जब वह अपने रब से मिलेगा तो अपने रोज़े के कारण उसे खुशी का अनुभव होगा। " (सहीह बुखारी २/६७३ हदीस नं.:१८०५)

रोज़े के द्वारा मुसलमान अपने मुहताज, वंचित और ज़रूरतमंद भाईयों; मिसकीनों और फक़ीरों की ज़रूरतों को महसूस करता है, फिर उनके हूकूक़ की अदायगी, और उनके हालात के जानने और उनकी खबरगीरी करने पर ध्यान देता है।

पांचवाँ स्तम्भ : हज्ज

विशिष्ट समय में विशिष्ट स्थानों पर विशिष्ट कामों की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के घर जाने को ‘हज्ज’ कहते हैं। यह रूक्न हर आक़िल व बालिग़ (बुद्धिमान और व्यस्क) मुसलमान पर चाहे वह पुरूष हो या स्त्री उम्र में एक बार अदा करना अनिवार्य है, इस शर्त के साथ कि वह शारीरिक और आर्थिक तौर पर समर्थ हो। जो आदमी ऐसी बीमारी का शिकार हो जिस से स्वस्थ होने की आशा न हो जो हज्ज की अदायगी में रूकावट हो और वह मालदार हो तो अपनी तरफ से हज्ज करने के लिए किसी को वकील (प्रतिनिधि) बनाये गा, इसी तरह जो आदमी फक़ीर है और उसके पास उसकी अपनी आवश्यकताओं और अपने मातहत लोगों की आवश्यकताओं से अधिक धन न हो तो उस से हज्ज साक़ित (समाप्त) हो जाये गा, इसलिए कि अल्लाह ताअला का फरमान है : **“अल्लाह तआला ने उन लोगों पर जो उस तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं इस घर का हज्ज करना अनिवार्य कर दिया है, और जो कोई कुफ्र करे (न माने) तो अल्लाह तआला (उस से बल्कि) सर्व संसार से बेनियाज़ है।”** (सूरत आल-इम्रानः९७)

हज्ज सब से बड़ा इस्लामी जमावड़ा है जिस में हर जगह के मुसलमान एक ही स्थान पर एक ही निश्चित समय में एकत्र होते हैं और एक ही प्रमेश्वर को पुकारते हैं, एक ही पोशाक पहने होते हैं, एक ही हज्ज के कार्य कर रहे होते हैं, और एक ही शब्द को दोहरा रहे होते है : (लब्बैका, अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्ने’मता लका वल मुल्क, ला शरीका लक) यानी ऐ अल्लाह! हम इस स्थान पर तेरे बुलावे को स्वीकार करते हुए, तेरी प्रसन्नता की लालच में और तेरी वह्दानियत का इक़रार करते हुए आये हैं, और यह कि तू ही इबादत का हक़दार है तेरे सिवा कोई इबादत का पात्र नहीं। इसमें

शरीफ और तुच्छ, काले और गोरे, अरबी और अजमी के बीच कोई अन्तर नहीं होता, सभी अल्लाह के सामने बराबर होते हैं, उनके बीच केवल तक़्वा (संयम और परहेज़गारी) के सिवाय किसी और आधार पर कोई फर्क़ नहीं होता, यह केवल मुसलमानों के बीच भाईचारा पर बल देने और उनकी कामनाओं और भावनाओं को एक रूप बनाने के लिए है।

इस्लाम धर्म की ख़ूबियाँ :

चूँकि इस्लाम धर्म समस्त आसमानी धर्मों में सब से अन्त में उतरने वाला धर्म है इसलिए आवश्यक था कि वह ऐसी विशेषताओं और ख़ूबियों पर आधारित हो जिनके द्वारा वह पिछले धर्मों से श्रेष्ठ और उत्तम हो और इन विशेषताओं के कारणवश वह क़ियामत आने तक हर समय और स्थान के लिए योग्य हो, तथा इन ख़ूबियों और विशेषताअें के द्वारा मानवता के लिए दोनों संसार में सौभाग्य को साकार कर सके।

इन्हीं विशेषताओं और अच्छाईयों में से निम्नलिखित बातें हैं :

- इस्लाम के नुसूस इस तत्व को बयान करने में स्पष्ट हैं कि अल्लाह के निकट धर्म केवल एक है और अल्लाह तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक सभी पैग़म्बरों को एक दूसरे का पूरक बनाकर भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : **"मेरी मिसाल और मुझ से पहले पैग़म्बरों की मिसाल उस आदमी के समान है जिस ने एक घर बनाया और उसे संवारा और संपूर्ण किया, किन्तु उस के एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। चुनाँचि लोग उस का तवाफ -परिक्रमा- करने लगे और उस भवन पर आश्चर्य चकित होते और कहतेः तुम ने एक ईट यहाँ क्यों न रख दी कि तेरा भवन संपूर्ण हो जाता?** आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमायाः **तो वह ईंट मैं ही हूँ, और मैं खातमुन्नबीईन (अन्तिम नबी) हूँ।"** (सहीह बुखारी ३/१३०० हदीस नं.:३३४२)

किन्तु अन्तिम काल में ईसा अलैहिस्सलाम उतरें गे और धरती को न्याय से भर देंगे जिस प्रकार कि यह अन्याय और अत्याचार से भरी हुई है, परन्तु वह किसी नये धर्म के साथ नहीं आएं गे बल्कि उसी इस्लाम धर्म के अनुसार लोगों में फैसला (शासन) करें गे जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : **"क़ियामत क़ायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम्हारे बीच इब्ने मर्यम न्यायपूर्ण न्यायाधीश बन कर उतरें गे, और सलीब को तोड़ें गे, सुवर को क़त्ल करें गे, जिज़्या को समाप्त करें गे, और माल की बाहुल्यता हो जाए गी यहाँ तक कि कोई उसे स्वीकार नहीं करे गा।"** (सहीह बुखारी २/८७५ हदीस नं.:२३४४)

चुनाँचि सभी पैग़म्बरों की दावत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वह्दानियत (एकेश्वरवाद) और किसी भी साझीदार, समकक्ष और समांतर से उसे पवित्र समझने की ओर दावत देने पर एकमत है, तथा अल्लाह और उसके बन्दों के बीच बिना किसी माध्यम के सीधे उसकी उपासना करना, और माानव आत्मा को सभ्य बनाने और उसके सुधार और लोक-परलोक में उसके सौभाग्य की ओर रहनुमाई करना, अल्लाह तआला का फरमान है :

"उस ने तुम्हारे लिए धर्म का वही रास्ता निर्धारित किया है जिस को अपनाने का नूह को आदेश दिया था और जिसकी (ऐ मुहम्मद!) हम ने तुम्हारी ओर वह्य भेजी है और जिसका इब्राहीम, मूसा और ईसा को हुक्म दिया था (वह यह) कि दीन को क़ायम रखना और उस में फूट न डालना।" (सूरतुश्शूरा :१३)

अल्लाह तआला ने इस्लाम के द्वारा पिछले सभी धर्मों को निरस्त कर दिया, अतः वह सब से अन्तिम धर्म और सब धर्मों का समाप्ति

कर्ता है, अल्लाह तआला इस बात को स्वीकार नहीं करे गा कि उसके सिवाय किसी अन्य धर्म के द्वारा उसकी उपासना की जाए, अल्लाह तआला का फरमान है :

"और हम ने आप की ओर सच्चाई से भरी यह किताब उतारी है, जो अपने से पहले किताबों की पुष्टि करती है और उनकी मुहाफिज़ है।" (सूरतुल मायदा :४८)

चूँकि इस्लाम सबसे अन्तिम आसमानी धर्म है, इसलिए अल्लाह तआला ने क़ियामत के दिन तक इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उठाई, जबकि इस से पूर्व धर्मों का मामला इसके विपरीत था जिनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला ने नहीं उठाई थी; क्योंकि वे एक विशिष्ट समय और विशिष्ट समुदाय के लिए अवतरित किए गये थे, अल्लाह तआला का फरमान है :

"निःसन्देह हम ने ही इस क़ुर्आन को उतारा है और हम ही इसकी सुरक्षा करने वाले हैं।" (सूरतुल हिज्र :९)

इस आयत का तक़ाज़ा यह है कि इस्लाम के पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अन्तिम पैग़म्बर हों जिनके बाद कोई अन्य नबी व रसूल न भेजा जाए, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

"मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, किन्तु आप अल्लाह के सन्देष्टा और खातमुल-अंबिया -अन्तिम ईश्दूत- हैं।" (सूरतुल अहज़ाब:४०)

इस का यह अर्थ नहीं है कि पिछले पैग़म्बरों और और किताबों की पुष्टि न की जाए और उन पर ईमान न रखा जाए। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के पूरक हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के पूरक हैं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नबियों और रसूलों की कड़ी समाप्त हो गई, और मुसलमान को आप से पहले के सभी

पैग़म्बरों और किताबों पर ईमान रखने का हुक्म दिया गया है, अतः जो व्यक्ति उन पर या उन में से किसी एक पर ईमान न रखे तो उसने कुफ्र किया और इस्लाम धर्म से बाहर निकल गया, अल्लाह तआला का फरमान है :

“जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच अलगाव करें और कहते हैं कि हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते और इस के बीच रास्ता बनाना चाहते हैं। यक़ीन करो कि यह सभी लोग असली काफिर हैं।” (सूरतुन्निसा :१५०-१५१)

इस्लाम धर्म ने अपने से पूर्व शरीअतों (धर्म-शस्त्रों) को सम्पूर्ण और संपन्न कर दिया है, इस से पूर्व की शरीअतें आत्मिक सिद्धान्तों पर आधारित थीं जो नफ्स को सम्बोधित करती थीं और उसके सुधार और पवित्रता की आग्रह करती थीं और सांसारिक और आर्थिक मामलों की सुधार करने वाली समस्त चीज़ों पर कोई रहनुमाई नकीं करती थीं, इसके विपरीत इस्लाम ने जीवन के समस्त छेत्रों को संगठित और सम्पूर्ण कर दिया है और दीन व दुनिया के सभी मामलों को सम्मिलित है, अल्लाह तआला का फरमान है :

“आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया, और तुम पर अपनी ने’मतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसन्द कर लिया।” (सूरतुल मायदा :३)

इसीलिए इस्लाम सर्वश्रेष्ठ और सब से अफज़ल धर्म है, अल्लाह तआला का फरमान है :

“तुम सब से अच्छी उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर होता, उन में ईमान वाले भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग फ़ासिक़ हैं।” (सूरत आल-इमरान :११०)

इस्लाम धर्म एक विश्व व्यापी धर्म है जो बिना किसी अपवाद के प्रत्येक समय और स्थान में सर्व मानव के लिए है, किसी विशिष्ट जाति, या सम्प्रदाय, या समुदाय या समय काल के लिए नहीं उतरा है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिस में सभी लोग संयुक्त हैं, किन्तु रंग, या भाषा, या वंश, या छेत्र, या समय, या स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित आस्था (अक़ीदा) के आधार पर जो सब को एक साथ मिलाए हुए है। अतः जो भी व्यक्ति अल्लाह को अपना रब (पालनहार) मानते हुए, इस्लाम को अपना धर्म और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना पैग़म्बर मानते हुए ईमान लाया तो वह इस्लाम के झण्डे के नीचे आ गया, चाहे वह किसी भी समय काल या किसी भी स्थान पर हो, अल्लाह तआला का फरमान है :

“हम ने आप को समस्त मानव जाति के लिए शुभ सूचना देने वाला तथा डराने वाला बनाकर भेजा है।” (सुरत सबा :२८)

अल्बत्ता इस से पूर्व जो संदेश्वाहक गुज़रे हैं, वे विशिष्ट रूप से अपने समुदायों की ओर भेजे जाते थे, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

“हम ने नूह को उनकी क़ौम की ओर भेजा।” (सूरतुल आराफ :५९)

तथा अल्लाह तआल ने फरमाया :

“तथा हम ने आ’द की ओर उनके भाई हूद को भेजा, तो उन्हों ने कहा : ऐ मेरी क़ौम अल्लाह की उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्च मा’बूद (पूज्य) नहीं।” (सूरतुल आराफ :६०)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : **“तथा समूद की ओर उनके भाई सालेह को भेजा, तो उन्हों ने कहा : ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह की उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्चा मा’बूद नहीं।”** (सूरतुल आराफ :७३)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :

"और लूत को (याद करो) जब उन्हों ने अपनी क़ौम से कहा।" (सूरतुल आराफ :८०)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :

"और मद्यन की ओर उनके भाई शुऐब को (भेजा)।" (सूरतुल आराफ :८५)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :

"फिर हम ने उनके बाद मूसा को अपनी आयतों के साथ फिरऔन और उसकी क़ौम की ओर भेजा।" (सूरतुल आराफ :१०२)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :

"-और उस समय को याद करो- जब ईसा बिन मर्यम ने कहा : ऐ इस्राईल के बेटो ! मै तुम्हारी ओर अल्लाह का पैग़म्बर हूँ, अपने से पूर्व तौरात की पुष्टि करने वाला हूँ..।"

इस्लाम के विश्व व्यापी धर्म होने और उसकी दावत के हर समय और स्थान पर समस्त मानव जाति की ओर सम्बोधित होने के कारण मुसलमानों को इस संदेश का प्रसार करने और उसे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

"और हम ने इसी तरह तुम्हें बीच की (संतुलित) उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम पर गवाह हो जाएं।" (सूरतुल बक़रा :१४३)

इस्लाम धर्म के नियम (शास्त्र) और उसकी शिक्षाएं रब्बानी (ईश्वरीय) और स्थिर (अटल) हैं उनमें परिवर्तन और बदलाव का समावेश नहीं है, वे किसी मानव की बनाई हुई नहीं हैं जिन में कमी और गलती, तथा उस से घिरी हुए प्रभाविक चीज़ों; सभ्यता, वरासत, वातावरण से प्रभावित होने की सम्भावाना रहती है। और इसका हम दैनिक

जीवन में मुशाहदा करते हैं, चुनाँचि हम देखते हैं कि मानव संविधानों और नियमों में स्थिरता नहीं पाई जाती है और उनमें से जो एक समाज के लिए उपयुक्त हैं वही दूसरे समाज में अनुप्युक्त साबति होते हैं, तथा जो एक समय काल के लिए उप्युक्त हैं वही दूसरे समय काल में अनुप्युक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर पूँजीवाद समाज के नियम और संविधान, साम्यवादी समाज के अनुकूल नहीं होते, और इसी प्रकार इसका विप्रीत क्रम भी है। क्योंकि हर संविधान रचयिता अपनी प्रवृतित्तयों और झुकाव के अनुरूप क़ानून बनाता है, जिनकी अस्थिरता के अतिरिक्त, उस से बढ़कर और अधिकतर ज्ञान और सभ्यता वाला व्यक्ति आता है और उसका विरोध करता, या उसमें कमी करता, या उसमे बढ़ोतरी करता है। परन्तु इस्लामी धर्म-शास्त्र जैसाकि हम ने उल्लेख किया कि वह ईश्वरीय है जिसका रचयिता सर्व सृष्टि का सृष्टा और रचयिता है जो अपनी सृष्टि के अनुरूप चीज़ों और उनके मामलों को संवारने और स्थापित करने वाली चीज़ों को जानता है, किसी भी मनुष्य को, चाहे उसका पद कितना ही सर्वोच्च क्यों न हो, यह अधिकार नहीं है कि अल्लाह के किसी नियम का विरोध कर सके या उसमें कुछ भी घटा या बढ़ा कर परिवर्तन कर सके, क्योंकि यह सब के लिए अधिकारों की सुरक्षा करता है, अल्लाह तआला का फरमान है : **“क्या यह लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? और यक़ीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है।”** (सुरतुल मायदा :५०)

- इस्लाम धर्म एक विकासशील धर्म है जो उसे हर समय एंव स्थान के लिए उप्युक्त बना देता है, इस्लाम धर्म अक़ीदा व इबादात जैसे ईमान, नमाज़ और उसकी रकअतों की संख्या और समय, ज़कात और उसकी मात्रा और जिन चीज़ों में ज़कात अनिवार्य है, रोज़ा और उसका समय, हज्ज और उसका तरीक़ा और समय, हुदूद

(धर्म-दण्ड)...इत्यादि के विषय में ऐसे सिद्धान्त, सामान्य नियमों, व्यापक और अटल मूल बातों को लेकर आया है जिन में समय या स्थान के बदलाव से कोई बदलाव नहीं आता है, चुनाँचि जो भी घटनाएं घटती हैं और नयी आवश्यकताएं पेश आती हैं उन्हें क़ुर्आन करीम पर पेश किया जाए गा, उसमें जो चीज़ें मिलें गीं उनके अनुसार कार्य किया जाए गा और उसके अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए गा, और अगर उसमें न मिले तो पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सहीह हदीसों में तलाश किया जाए गा, उसमें जो मिलेगा उसके अनुसार कार्य किया जाए गा और उसके अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए गा, और अगर उसमें भी न मिले तो हर समय और स्थान पर मौजूद रब्बानी उलमा (धर्म ज्ञानी) उसके विषय में विचार और खोज के लिए इज्तिहाद करें गे, जिस में सार्वजनिक हित पाया जाता हो और उनके समय की आवश्यकताओं और समाज के मामलों के उप्युक्त हो, और वह इस प्राकर कि क़ुर्आन और हदीस की संभावित बातों में गौर करके और नये पेश आने वाले मामलों को क़ुरआन और हदीस से बनाए गये क़ानून साज़ी के सामान्य नियमों पर पेश करके, उदाहरण के तौर पर यह नियम (चीज़ों में असल उनका जाईज़ होना है) तथा (हितों की सुरक्षा) का और (आसानी करने तथा तंगी को समाप्त करने) का नियम, तथा (हानि को मिटाने) का नियम, तथा (फसाद -भ्रष्टाचार- की जड़ को काटने) का नियम, तथा यह नियम कि (आवश्यकता पड़ने पर निषिद्ध चीज़ें वैध हो जाती हैं) तथा यह नियम कि (आवश्यकता का ऐतबार आवश्यकता की मात्रा भर ही किया जाए गा), तथा यह नियम कि (लाभ उठाने पर हानि को दूर करने को प्राथमिकता प्राप्त है), तथा यह नियम कि (दो हानिकारक चीज़ों में से कम हानिकारक चीज़ को अपनाया जायेगा) तथा यह नियम कि (हानि को हानि के द्वारा नहीं दूर किया जाए गा।) तथा यह नियम कि (सामान्य हानि को रोकने के लिए विशिष्ट हानि को सहन किया जाए गा।)... इनके अतिरिक्त

अन्य नियम भी हैं। इज्तिहाद से अभिप्राय मन की चाहत और इच्छाओं का पालन नहीं है, बल्कि उसका मक़्सद उस चीज़ तक पहुँचना है जिस से मानव का हित और कल्याण हो और साथ ही साथ क़ुरआन या हदीस से उसका टक्राव या विरोध न होता हो। और यह इस कारण है ताकि इस्लाम हर काल के साथ साथ क़दम रखे और हर समाज की आवश्यकतओं के साथ चले।

इस्लाम धर्म में उसके नियमों और क़ानूनों के आवेदन में कोई भेदभाव और असमानता नहीं है, सब के सब बराबर हैं, धनी या निर्धन, शरीफ या नीच, राजा या प्रजा, काले या गोरे के बीच कोई अन्तर नहीं, इस शरीअत के लागू करने में सभी एक हैं, चुनाँचि क़ुरैश का ही उदाहरण ले लीजिए जिनके लिए बनू मख्ज़ूम की एक शरीफ महिला का मामला महत्वपूर्ण बन गया, जिसने चोरी की थी, उन्हों ने चाहा कि उस के ऊपर अनिवार्य धार्मिक दण्ड -चोरी के हद- को समाप्त करने के लिए पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास किसी को मध्यस्थ बनाएं। उन्हों ने आपस में कहा कि इस विषय में अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कौन बात करे गा? उन्हों ने कहा : अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चहेते उसामा बिन ज़ैद के अतिरिक्त कौन इस की हिम्मत कर सकता है। चुनांचे उन्हें लेकर अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए और उसामा बिन ज़ैद ने इस विषय में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात किया। इस पर अल्लाह के पैग़म्बर का चेहरा बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : **“क्या तुम अल्लाह के एक हद -धार्मिक दण्ड- के विषय में सिफारिश कर रहे हो?”**

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भाषण देने के लिए खड़े हुए। आप ने फरमाया : **“ऐ लोगो ! तुम से पहले जो लोग थे वे इस कारण नष्ट कर दिए गए कि जब उन में कोई शरीफ चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब उन में कोई कमज़ोर चोरी कर**

लेता तो उस पर दण्ड लागु करत थे। उस हस्ती की सौगन्ध! जिस के हाथ में मेरी जान है, यदि मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी कर ले, तो मैं उस का हाथ अवश्य काट दूँगा।" (सहीह मुस्लिम ३/१३१५ हदीस नं.:१६८८)

- इस्लाम धर्म के स्रोत असली और उसके नुसूस (ग्रंथ) कमी व बेशी और परिवर्तन व बदलाव और विरूपण से पवित्र हैं, इस्लामी शरीअत के मूल्य स्रोत यह हैं :

१. कुर्आन करीम   २. नबी की सुन्नत (हदीस)

१- कुर्आन करीम जब से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म पर उतरा है, उसी समय से लेकर आज हमारे समय तक अपने अक्षरों, आयतों और सूरतों के साथ मौजूद है, उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन, विरूपण, कमी और बेशी नहीं हुई है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अली, मुआविया, उबै बिन कअब और ज़ैद बिन साबित जैसे बड़े-बड़े सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को वह्य के लिखने के लिए नियुक्त कर रखा था, और जब भी कोई आयत उतरती तो इन्हें उस को लिखने का आदेश देते और सूरत में किस स्थान पर लिखी जानी है, उसे भी बता देते थे। चुनाँचि कुर्आन को किताबों में सुरक्षित कर दिया गया और लोगों के सीनों में भी सुरक्षित कर दिया गया। मुसलमान अल्लाह की किताब के बहुत सख्त हरीस (लालसी और इच्छुक) रहे हैं, चुनाँचि वे उस भलाई और अच्छाई को प्राप्त करने के लिए जिसकी सूचना पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने निम्न कथन के द्वारा दी है, उसके सीखने और सिखाने की ओर जल्दी करते थे, आप का फरमान है : **"तुम में सब से श्रेष्ठ वह है जो कुर्आन सीखे और सिखाए।"** (सहीह बुखारी ४/१९१९ हदीस नं.:४७३९)

कुर्आन की सेवा करने, उसकी देख-रेख करने और उसकी सुरक्षा करने के मार्ग में वो अपने जान व माल की बाज़ी लगा देते थे, इस प्रकार

मुसलमान एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को उसे पहुँचाते रहे, क्योंकि उसको याद करना और उसकी तिलावत करना अल्लाह की इबादत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म का फरमान है : **"जिसने अल्लाह की किताब का एक अक्षर पढ़ा, उसके लिए उसके बदले एक नेकी है, और नेकी को (कम से कम) उसके दस गुना बढ़ा दिया जाता है, मैं नहीं कहता कि (الم) अलिफ-लाम्मीम एक अक्षर है बल्कि अलिफ एक अक्षर है, मीम एक अक्षर है और लाम एक अक्षर है।"** (सुनन तिर्मिज़ी ५/१७५ हदीस नं.:२९१०)

२- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म की सुन्नत अर्थात् हदीस शरीफ जो कि इस्लामी क़ानून साज़ी का दूसरा स्रोत, तथा कुर्आन को स्पष्ट करने वाली और कुरआन करीम के बहुत से अहकाम की व्याख्या करने वाली है, यह भी छेड़छाड़, गढ़ने, और उसमें ऐसी बातें भरने से जो उसमें से नहीं है, सुरक्षित है क्योंकि अल्लाह तआला ने विश्वसनीय और भरोसेमंद आदमियों के द्वारा इस की सुरक्षा की है जिन्हों ने अपने आप को और अपने जीवन को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म की हदीसों के अध्ययन और उनकी सनदों और मतनों और उनके सहीह या ज़ईफ होने, उनके रावियों (बयान करने वालों) के हालात और जरह व तादील (भरोसेमंद और विश्वसनीय या अविश्वसनीय होने) में उनकी श्रेणियों का अध्ययन करने में समर्पित कर दिया था। उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म से वर्णित सभी हदीसों को छान डाला और उन्हीं हदीसों को साबित रखा जो प्रमाणित रूप से वर्णित हैं, और वह हमारे पास झूठी हदीसों से खाली और पवित्र होकर पहुँची हैं। जो व्यक्ति उस तरीक़े की जानकारी चाहता है जिस के द्वारा हदीस की सुरक्षा की गई है वह मुस्तलहुल-हदीस (हदीस के सिद्धांतों का विज्ञान) की किताबों को देखे जो विज्ञान हदीस की सेवा के लिए विशिष्ट है; ताकि उसके लिए यह स्पष्ट हो जाए कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जो हदीसें हमारे पास पहुँची हैं उनमें शक करना असम्भव (नामुमकिन) है,

तथा उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस की सेवा में की जाने वाली प्रयासों की मात्रा का भी पता चल जाए ।

- इस्लाम धर्म मूल उत्पत्ति और रचना में समस्त लोगों पुरूष एंव स्त्री, काले एंव गोरे, अरब एंव अजम के बीच बराबरी करता है। चुनाँचि सर्व प्रथम अल्लाह तआला ने प्रथम मनुष्य आदम को पैदा किया और वह सभी मनुष्यों के पिता हैं, फिर उन्हीं से उनकी बीवी (जोड़ी) हव्वा को पैदा किया जो सर्व मानव की माता हैं, फिर उन दोनों से प्रजनन प्रारम्भ हुआ, अतः मूल मानवता में सभी मनुष्य बराबर हैं, अल्लाह तआला का फरमान है :

"ऐ लोगो ! अपने उस पालनहार से डरो जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और दोनों से बहुत से मर्द-औरत फैला दिए और उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक-दूसरे से माँगते हो और रिश्ता तोड़ने से (भी बचो)।" (सूरतुन-निसा :१)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने तुम से जाहिलियत के समय काल के घमंड और बाप-दादा पर गर्व को समाप्त कर दिया है, मनुष्य या तो संयमी मोमिन है या बदकार अभागा है, सभी मानव आदम के बेटे हैं और आदम मिट्टी से बने हैं।" (मुस्नद अहमद २/३६१ हदीस नं.:८७२१)

अतः जो भी मनुष्य इस धरती पर पर पैदा हुवा है और भविष्य में पैदा होगा वह आदम ही के वंश और नसल से है, और उन सब का आरम्भ एक ही धर्म और एक ही भाषा के मातहत हुवा था किन्तु वे अपनी बाहुल्यता और अधिकता के साथ-साथ धरती में फैल गए और अनेक भागों और छेत्रों में बिखर गए, चुनाँचि इस फैलाव और बिखराव का प्राकृतिक अपरिहार्य परिणाम यह हुआ कि लोगों की भाषाओं, रंगों और प्रकृतियों में भिन्नता पैदा हो गई, और यह भी उन पर पर्यावरण के प्रभाव का परिहार्य (अनिवार्य) परिणाम है, चुनाँचि इस अंतर और

भिन्नता के परिणाम स्वरूप सोच के तरीक़े और जीने के तरीक़े, तथा विश्वासों में भी अंतर पैदा हो गया, अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘और सभी लोग एक ही उम्मत (समुदाय) के थे, फिर उन्हों ने इख़्तिलाफ (मतभेद) पैदा किये, और अगर एक बात न होती जो आप के रब की तरफ़ से मुक़र्रर की जा चुकी है, तो जिस चीज़ में यह इख़्तिलाफ कर रहे हैं उसका पूरी तरह से फैसला हो चुका होता।’’ (सूरत यूनुस :१६)

इस्लाम की शिक्षाएँ समस्त लोगों को बराबरी के दरजे में रखती हैं भले ही उनकी लिंग, या रंग, या भाषा, या स्वदेश कुछ भी हो, सब के सब अल्लाह के सामने बराबर हैं, उनके बीच अंतर अल्लाह के क़ानून का पालन करने से दूरी और नज़दीकी की मात्रा में है, अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘हे लोगो! हम ने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और इसलिए कि तुम आपस में एक-दूसरे को पहचानो, जातियाँ और प्रजातियाँ बना दी हैं, अल्लाह की दृष्टि में तुम सब में वह इ़ज़्ज़त वाला है जो सब से अधिक डरने वाला है।’’ (सूरतुल हुजुरात :१३)

इस बराबरी के आधार पर जिसे इस्लाम ने स्वीकार किया है, सभी लोग इस्लामी शरीअत की निगाह में उस आज़ादी में बराबर है जो सर्व प्रथम धर्म संहिता से अनुशासित हो जो उसे पशु समान आज़ादी से निकाल बाहर करता है, इस आज़ादी के आधार पर प्रत्येक आदमी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :

१.सोच की आज़ादी और राय की आज़ादी : इस्लाम अपने मानने वालों को हक़ बात कहने और अपनी रायों (दृष्टिकोण) के इज़हार पर उभारता है, और यह कि वे हक़ बात कहने में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : ‘‘सब से श्रेष्ठ जिहाद किसी अत्याचारी बादशाह या अमीर के पास न्याय की बात कहना है।’’ (सुनन अबू दाऊद ४/१२४ हदीस नं.:४३४४)

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इस सिद्धांत पर अमल करने में पहल करते हैं, चुनाँचि उनमें से एक आदमी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहता है : ‘‘ऐ अमीरूल मोमिनीन ! अल्लाह से डरें। इस पर एक दूसरा आदमी एतिराज़ करते हुए कहता है : क्या तू अमीरूल मोमिनीन से अल्लाह से डरने के लिए कह रहा है? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस से कहा : उसे छोड़ दो, उसे कहने दो, क्योंकि तुम्हारे अन्दर कोई भलाई नहीं है यदि तुम यह बात हम से न कहो, और अगर हम यह तुम से स्वीकार न करें तो हमारे अन्दर भी कोई भलाई नहीं है।’’

तथा एक दूसरे स्थान पर जब अली रज़ियल्लाहु ने अपनी राय से फैसला किया और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से उसके बारे में पूछा गया जबकि वह अमीरूल मोमिनीन थे तो उन्होंने कहा : ‘‘यदि मुझ से पूछा जाता तो मैं इस प्रकार फैसला देता, और जब उन से कहा गया कि उस फैसले को निरस्त करने में आप के सामने क्या रूकावट है जबकि आप अमीरूल मोमिनीन हैं? तो उन्हों ने कहा : अगर यह क़ुर्आन और हदीस में होता तो मैं इसे निरस्त कर देता, परन्तु वह एक राय है और राय मुश्तरक (संयूक्त) है, और किसी को नहीं पता कि कौन सी राय अल्लाह के निकट सब से ठीक (सत्य) है।

२. हर एक व्यक्ति के लिए मिलकियत और हलाल कमाई की आज़ादी है, अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘और उस चीज़ की तमन्ना न करो, जिस की वजह से अल्लाह ने तुम में से किसी को किसी पर फज़ीलत दी है, मार्दों का वह भाग है जो उन्हों ने कमाया और औरतों के लिए वह हिस्सा है जो उन्हों ने कमाया।’’ (सूरतुन-निसा :३२)

३. हर एक के लिए शिक्षा प्राप्त करने और सीखने का अवसर उपलब्ध है, बल्कि इस्लाम ने इसे अनिवार्य चीज़ों में से घोषित किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : ‘‘शिक्षा प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है।’’ (सुनन इब्ने माजा १/८१ हदीस नं.:२२४)

४. अल्लाह तआला ने इस संसार में जो भलाईयाँ जमा कर दी हैं शरीअत के नियमानुसार हर एक को उनसे लाभ उठाने का अवसर उपलब्ध है, अल्लाह तआला का फरमान है :

“वह वही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती को पस्त (और कोमल) बनाया, ताकि तुम उसके रास्तों पर आना-जाना (आवागमन) करते रहो और उसकी दी हुई जीविका (रोज़ी) को खाओ पियो, उसी की तरफ़ (तुम्हें) जीकर उठ खड़ा होना है। (सूरतुल मुल्क :१५)

५. हर एक के लिए समाज में नेतृत्व-पद ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध है, इस शर्त के साथ कि उसके अन्दर उसकी पात्रता, क्षमता और दीक्षता मौजूद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “जो आदमी मुसलमानों के किसी भी मामले का ज़िम्मेदार बना फिर पक्षपालन करते हुए किसी को उन पर अमीर बना दिया तो उस पर अल्लाह की ला’नत (धिक्कार) है, अल्लाह उसके किसी फर्ज़ और ऐच्छिक काम को स्वीकार नहीं करेगा यहाँ तक कि उसे जहन्नम में डाल देगा, और जिस ने किसी को अल्लाह का पनाह (शरण) दिया, फिर उस ने अल्लाह की पनाह में कुछ उल्लंघन किया, तो उस पर अल्लाह की ला’नत है, या आप ने यह फरमाया कि उस से अल्लाह का ज़िम्मा समाप्त हो गया।” (मुसनद अहमद १/६ हदीस नं.:२१)

इस्लाम ने किसी भी मामले की ज़िम्मेदारी किसी अयोग्य व्यक्ति को सौंपने को अमानत को नष्ट करना शुमार किया है जो इस संसार के बर्बाद हो जाने और क़ियामत क़ायम होने का सूचक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “जब अमानत नष्ट कर दी जाए तो क़ियामत की प्रतीक्षा करो।” पूछा गया : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर उसका नष्ट करना क्या है? आप ने फरमाया : जब मामले की ज़िम्मेदारी किसी नालायक़ को सौंप दी जाए।” (सहीह बुखारी ५/२३८२ हदीस नं. :६१३१)

इस्लाम धर्म में कोई स्थायी रूहानी (आत्मिक) प्रभुत्त्व नहीं है जिस प्रकार कि अन्य धर्मों में धर्म-गुरूओं को अधिकार प्रदान किया जाता है, क्योंकि इस्लाम ने आकर उन सभी मध्यस्थों को नष्ट कर दिया है जो अल्लाह और उसके बन्दों के बीच स्थापित किए जाते थे, चुनाँचि मुश्रिकों की इबादत के अन्दर मध्यस्थ बनाने पर निंदा की है, अल्लाह तआला ने उनकी बातों को उल्लेख करते हुए फरमाया :

"सुनो! अल्लाह ही के लिए ख़ालिस दीन (इबादत करना) है और जिन लोगों ने उसके सिवाय औलिया बना रखे हैं (और कहते हैं) कि हम उनकी इबादत केवल इसलिए करते हैं कि यह (बुज़ुर्ग) अल्लाह के क़रीब हम को पहुँचा दें। (सूरतुज़्ज़ुमर :३)

अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इन वास्तों (मध्यस्थों) को स्पष्ट किया है और यह कि ये लाभ और हानि नहीं पहुँचाते हैं और यह उन्हें किसी भी चीज़ से बेनियाज़ नहीं कर सकते, बल्कि यह भी उन्हीं के समान अल्लाह की मख्लूक़ हैं, अल्लाह तआला का फरमान है :

"हक़ीक़त में तुम अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें पुकारते (इबादत करते) हो वह भी तुम ही जैसे बन्दे हैं, तो तुम उन को पुकारों, फिर उनको चाहिए कि वह तुम्हारा कहना कर दें, अगर तुम सच्चे हो। (सूरतुल आराफ :१९४)

चुनाँचि इस्लाम ने अल्लाह और उसके बन्दों के बीच सीधे संपर्क की धारणा स्थापित की जो अल्लाह पर विश्वास रखने और आवश्यकताओं की पूर्ति में केवल उसी का सहारा लेने, तथा बिना किसी मध्यस्थ के सीधा उसी से क्षमा चाहने और मदद मांगने पर आधारित है, अतः जिस ने कोई गुनाह कर लिया उसे उसी की ओर अपने हाथ उठाने चाहिए और केवल उसी से रोना-गिड़गिड़ाना चाहिए और उसी से बख्शिश गांगना चाहिए, चाहे आदमी किसी भी स्थान पर हो और किसी भी अवस्था में हो, अल्लाह तआला फरमाता है :

“और जो भी कोई बुराई करे या खुद अपने ऊपर जुल्म करे, फिर अल्लाह से माफी माँगे तो अल्लाह को बख्शने वाला, रहम करने वाला पाये गा। (सूरतुन-निसाः ११०)

अतः इस्लाम में ऐसे धर्म-गुरू नही हैं जो किसी चीज़ को हलाल या हराम ठहराने और लोगों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार रखते हों, और अपने आप को अल्लाह का उसके बन्दों पर वकील **(प्रतिनिधि)** समझते हों, और उनके लिए शरई हुक्म जारी करते हों, उनके के श्रद्धाओं को सुझाव देते हों, उन्हें क्षमा करते हों, और जिन्हें चाहें जन्नत में प्रवेश दिलाए और जिन्हें चाहें उस से वंचित कर दें, क्योंकि क़ानू साज़ी और शरई हुक्म जारी करने का अधिकार केवल अल्लाह के लिए है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अल्लाह तआला के फरमान : (“उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर अपने आलिमों और धर्माचारियों को रब बनाया है।” (सूरतुत-तौबा :३१)) के बारे में फरमाते हैंः वो लोग इनकी पूजा नहीं करते थे, किन्तु जब ये लोग उनके लिए कोई चीज़ हलाल ठहरा देते थे तो वो इसे हलाल समझते थे और जब ये उन पर कोई चीज़ हराम ठहरा देते तो वो लोग इसे हराम समझते।” (सुनन तिर्मिज़ी ५/२७८ हदीस नं.:३०९५)

- इस्लाम धर्म धार्मिक और दुनियावी, आंतरिक और बाहरी समस्त मामलों में मश्वरा करने का धर्म है, अल्लाह तआला का फरमान हैः

“और जो लोग अपने रब के हुक्म को स्वीकार करते हैं, और नमाज़ को पाबंदी से क़ायम करते हैं और उनका हर काम आपसी राय- मश्वरा से होता है, और जो कुछ हम ने उन्हें प्रदान किया है उस में से (हमारे नाम पर) देते हैं। (सूरतुश्शूरा :३८)

मश्वरा करना इस्लामी शरीअत में एक मौलिक उद्देश्य है, इसीलिए इस्लाम के पैग़म्बर को व्यवाहारिक रूप से इसके अनुप्रयोग करने का आदेश दिया गया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

“अल्लाह की रहमत की वजह से आप उन के लिए कोमल बन गए हैं और अगर आप बदज़ुबान और कठोर दिल होते तो यह सब आप के पास से भाग खड़े होते, इसलिए आप उन्हें माफ करें, और उनके लिए क्षमा-याचना करें और काम का मश्वरा उन से किया करें।” (सूरत आल-इमरान :१५९)

मश्वरा के द्वारा उचित फैसले तक पहुँचा जा सकता और सब से लाभप्रद स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जब मुसलमान इस्लाम के प्रारम्भिक दिनों में अपने दीनी और दुनियावी मामलों में इस सिद्धांत का अनुपालन करने वाले थे तो उनके मामले ठीक-ठाक और उनकी स्थितियाँ उच्च और ऊँची थीं, और जब वे इस सिद्धांत से फिर गए, तो अपने दीनी और दुनियावी मामलों में गिरावट को पहुँच गए।

- इस्लाम धर्म ने लोगों के लिए उनके विभिन्न स्तरों पर कुछ अधिकार निर्धारित किए हैं, ताकि उनके लिए रहन-सहन और सुपरिचय सम्पूर्ण हो सके, और उनके लिए दीनी लाभ प्राप्त हो सकें, और उनके दुनियावी मामले ठीक हो सके, चुनाँचि माँ-बाप के कुछ अधिकार हैं, बच्चों के कुछ अधिकार हैं, और रिश्तेदारों के कुछ हुक़ूक़ हैं, पड़ोसियों के भी कुछ हुक़ूक़ हैं तथा साथियों के कुछ हुक़ूक़ हैं...इत्यादि, अल्लाह तआला का फरमान है :

“अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ, और माँ-बाप के साथ भलाई करो, तथा रिश्तेदारों, यतीमों, मिसकीनों, रिश्तेदार पड़ोसियों, दूर के पड़ोसियों और पहलू के साथी, मुसाफिर और लौंडियों के साथ (भी भलाई करो) अल्लाह तआला घमंडी, अभिमानी और गर्व करने वाले को पसंद नहीं करता।”

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “आपस में एक दूसरे से हसद न रखो, एक दूसरे के मोल-भाव पर मोल-भाव न करो, एक दूसरे से पीठ न फेरो, और तुम में से कोई एक दूसरे के सौदे पर

सौदा न करे, और ऐ अल्लाह के बन्दो आपस में भाई-भाई बन जाओ, मुसलमान, मुसलमान का भाई है, वह उस पर अत्याचार नहीं करता, उस की ममद करना नहीं छोड़ता, उसे तुच्छ नहीं समझता, तक़्वा यहाँ पर है और आप ने अपने सीने की ओर तीन बार संकेत किया, आदमी की बुराई के लिए इतना ही काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को तुच्छ समझे, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका खून, उसका धन और इ़ज़्ज़त हराम है।" (सहीह मुस्लिम /१९८६ हदीस नं.:२५६४)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "तुम में से कोई भी आदमी उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वह अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है।" (सहीह बुखारी १/१४ हदीस नं. :१३)

यहाँ तक कि इस्लाम के दुश्मनों के भी हुक़ूक़ हैं, चुनाँचि यह मुसअब् बिन उमैर के भाई अबू अज़ीज़ बिन उमैर कहते हैं कि मैं बद्र के दिन बंदियों में से था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "बंदियों के साथ भलाई करने की मेरे वसीयत स्वीकार करो", वह कहते हैं कि मैं अन्सार के कुछ लोगों के पास था, और जब वो लोग दूपहर और रात का खाना पेश करते तो वो स्वयं तो खजूर खाते थे और पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वसीयत के कारण मुझे रोटी खिलाते थे। (अल-मो'जमुस्सग़ीर १/२५० हदीस नं.: ४०९)

बल्कि इस्लाम ने इस से भी आगे बढ़ते हुए जानवरों को भी हुक़ूक़ प्रदान किए हैं और उसकी ज़मानत दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिसने बेकार में किसी गौरय्ये को मार डाला तो वह क़ियामत के दिन अल्लाह तआला से चिल्ला कर कहे गी : ऐ मेरे रब ! फलाँ ने मुझे बेकार में क़त्ल कर दिया था, उसने किसी लाभ के लिए मुझे नहीं मारा था।" (सहीह इब्ने हिब्बान १३/२१४ हदीस नं.: ५८९४)

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वह कुरैश के कुछ किशोरों के पास से गुज़रे जो एक पंछी को बाँध कर उस पर निशाना साध रहे थे और उनका जो तीर निशाना से चूक जाता था उसे पंछी के मालिक के लिए निर्धारित कर दिया था, जब उन्हों ने इब्ने उमर को देखा तो वो बिखर गए, इब्ने उमर ने कहा : यह किसने किया है? ऐसा करने वाले पर अल्लाह का धिक्कार हो, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने उस व्यक्ति पर धिक्कार भेजा है जिसने किसी जानदार चीज़ पर निशाना साधा।" (सहीह मुस्लिम ३/१५५० हदीस नं. :१६५८)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म जब एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसका पेट भूख के कारण उसकी पीठ से मिल गया था, तो फरमाया : " इन गूँगे चौपायों के बारे में अल्लाह से डरो, उचित ढंग से इन पर सवार हो और उचित ढंग से इन्हें खाओ।" (सहीह इब्ने खुज़ैमा ४/१४३ हदीस नं.:२५४५)

इस्लाम ने व्यक्ति के ऊपर समूह के कुछ अधिकार और समूह के ऊपर व्यक्ति के कुछ अधिकार निर्धारित किए हैं, चुनाँचि व्यक्ति, समूह के हित के लिए काम करता है और समूह व्यक्ति के हित के लिए काम करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म का फरमान है : "एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार के समान है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को शक्ति पहुँचाता है।" और आप ने अपने एक हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में दाखिल किया। (सहीह बुखारी १/१८२ हदीस नं.:४६७)

जब व्याक्ति और समूह के हितों के बीच टकराव पैदा हो जाए तो समूह के हित को व्यक्ति के हित पर प्राथमिकता दी जाए गी, जैसे कि गिरने के कगार पर पहुँचे हुए घर को गुज़रने वालों पर भय के कारण ध्वस्त कर देना, सार्वजनिक हित के लिए घर से सड़क के लिए हिस्सा निकालना (उसका मुआवज़ा देने के बाद), समुरह बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु

अन्हु से रिवायत है कि एक अन्सारी आदमी के बाग में उनका खजूर का एक पेड़ था, वह कहते हैं : उस अन्सारी आदमी के साथ उसकी बीवी बच्चे भी थे, समुरह बिन जुन्दुब अपने खजूर के पास जाते तो उसे तकलीफ और परेशानी होती थी, चुनाँचि उसने समुरह रज़ियल्लाहु अन्हु से उसे बेच देने की मांग की, उन्हों ने इस से इन्कार कर दिया तो यह मांग की कि उसके बदले दूसरे स्थान पर ले लें, किन्तु उन्हों ने इस से भी इन्कार कर दिया, तो वह अन्सारी सहाबी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म के पास आए और आप से इस बात का उल्लेख किया। पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने उनसे उस पेड़ को बेच देने का मुतालबा किया, पर उन्हों ने इन्कार कर दिया, तो आप ने उसके बदले में दूसरे स्थान पर (खजूर का पेड़) ले लेने के लिए कहा, पर उन्हों ने स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि फिर आप ने फरमाया : अच्छा तो तुम इसे मुझे हिबा कर दो और तुम्हार लिए इतना इतना पुण्य है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने उन्हें रूचि दिलाने के लिए यह बात कही, किन्तु उन्हों ने इसे भी नकार दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने फरमाया : ''तुम लोगों को हानि पहुँचाने वाले आदमी हो।'' फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने अन्सारी आदमी से कहा : ''जाओ और उसके खजूर के पेड़ को उखाड़ दो।'' (सुनन कुब्रा लिल-बैहक़ी ६/१५७ हदीस नं.:११६६३)

- इस्लाम दया, करूणा और मेहरबानी का धर्म है जिसने अपनी शिक्षाओं में क्रूरता और सख्ती को त्यागने की दावत दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म का फरमान है : **''दया करने वालों पर अति दयालू अल्लाह तबारका व तआला दया करता है, तुम धरती वालों पर दया करो, आकाश वाला तुम पर दया करे गा।''** (सहीह सुनन तिर्मिज़ी)

  तथा फरमाया : **''जो दया नहीं करता उस पर दया नहीं की जाती।''** (बुखारी व मुस्लिम)

इस्लाम ने केवल मनुष्यों पर दया और करूणा करने की दावत नहीं दी है, बल्कि यह इस से भी अधिक सामान्य है तथा जानवरों तक को भी सम्मिलित है, चुनाँचि इसी के कारण एक महिला नरक में दाखिल होगई, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म का फरमान है : **"एक औरत को एक बिल्ली के कारण यातना -सज़ा- मिली, जिसे उस ने क़ैद कर दिया था यहाँ तक कि वह मर गई, जिस के कारण वह नरक में दाखिल हुई। जब उसने उसे बंद कर दिया तो उसे न खिलाया न पिलाया, और न ही उसे छोड़ा कि ज़मीन के कीड़े-मकोड़े खा सके।"** (सहीह बुखारी ३/१२८४ हदीस नं.:३२९५)

ज्ञात हुवा कि जानवरों पर दया करना गुनाहों के क्षमा हो जाने और जन्नत में जाने का कारण है : पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

"एक आदमी रस्ते में चल रहा था कि वह सख्त प्यासा हो गया, उसे एक कुंवाँ मिला, चुनाँचे वह उस में उतर गया और पानी पी कर बाहर निकल आया। सहसा उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जो हाँप रहा था और प्यास से कीचड़ खा रहा था। उस आदमी ने कहाः इस कुत्ते को वैसे ही प्यास लगी है जैसे मेरा प्यास से बुरा हाल था। चुनाँचे वह कुंवे में उतरा, अपने चमड़े के मोज़े में पानी भरा फिर उसे अपने मुँह से पकड़ लिया यहाँ तक कि ऊपर चढ़ गया और कुत्ते को सेराब किया। अल्लाह तआला ने उस के इस प्रयास को स्वीकार कर लिया और उसे क्षमा कर दिया।" सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! इन चौपायों में भी हमारे लिए अज्र व सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः **"हर जानदार कलेजे में अज्र (पुण्य) है।"** (सहीह बुखारी २/८७० हदीस नं.:२३३४)

जब जानवरों पर इस्लाम की दया का यह हाल है तो फिर मुनष्यों पर उसकी दया के बारे में आप का क्या विचार है जिसे अल्लाह तआला ने

समस्त सृष्टि पर प्रतिष्ठा और विशेषता प्रदान किया है और उसे सम्मान दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और निःसन्देह हम ने आदम की सन्तान को बड़ा सम्मान दिया, और उन्हें थल और जल की सवारियाँ दीं, और उन्हें पाक चीज़ों से रोज़ी दिया और अपनी बहुत सी मख़्लूक़ पर उन्हें फज़ीलत (प्रतिष्ठा) प्रदान की।" (सूरतुल इस्रा :७०)

- इस्लाम धर्म में रहबानियत, बैराग, ब्रह्मचर्य, दुनिया को त्यागना और उन पवित्र चीज़ों से लाभान्वित होना छोड़ देना जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिए पैदा किया और हलाल ठहराया है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "अपने ऊपर सख्ती न करो कि तुम्हारे ऊपर (अल्लाह की ओर से) सख्ती की जाने लेग, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने ऊपर सख्तियाँ कीं तो अल्लाह ने उनके ऊपर सख्ती कर दी, चुनाँचि पादरियों (राहिबों) की कुटियों और उपासना स्थलों में उन्हीं की अवशेष चीज़ें हैं, (जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है) : "हाँ बैराग तो उन्हों ने स्वयं पैदा कर लिया था, हम ने उन पर फर्ज़ नहीं किया था।" .. (सुनन अबू दाऊद ४/२७६ हदीस नं.:४६०४)

  तथा पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : बिना फुज़ूल-खर्ची और गर्व व घमण्ड के खाओ, पियो, और सद्क़ा व खैरात करो, क्योंकि अल्लाह तआला अपने बन्दों पर अपनी नेमतों का चिन्ह देखना चाहता है।" (मुस्तदरक लिल-हाकिम ४/१५० हदीस नं.: ७१८८)

  इसी प्रकार इस्लाम दुनिया और उसके आनंदों, शहवतों और लज़्ज़तो में बिना किसी नियंत्रण के लिप्त हो जाने का नाम नहीं है बल्कि वह एक मध्यम और संयम धर्म है जिसने दीन और दुनिया की आवश्यकताओं को एक साथ ध्यान में रखा है, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर भारी नहीं होता, इस्लाम ने आत्मा और शरीर के बीच तुलना करने का आदेश दिया है, चुनाँचि जब एक मुसलमान दुनिया के

मामलों में लिप्त हो तो उस समय उसे अपनी आत्मिक आवश्यकताओं को याद कर अपने ऊपर अल्लाह की ओर से अनिवार्य इबादतों को याद करने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

''हे वो लोगो जो ईमान लाये हो! जुमुआ के दिन नमाज़ की अज़ान दी जाये तो तुम अल्लाह की याद की तरफ जल्द आ जाया करो और क्रय-विक्रय (ख़रीद-फरोख्त) छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम जानते हो। (सूरतुल जुमुआ :६)

तथा जब वह इबादत में व्यस्त हो तो उस समय उसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं जैसेकि जीविका कमाना आदि को ध्यान में रखने का आदेश दिया है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है:

''फिर जब नमाज़ हो जाए, तो धरती पर फैल जाओ और अल्लाह की कृपा (फज़्ल) को खोजो।'' (सूरतुल जुमुआ :१०)

तथा इस्लाम ने उस व्यक्ति की प्रशंसा की है जिस के अन्दर यह दोनों खूबियाँ एक साथ पाई जायें, अल्लाह तआला का फरमान है :

''ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और खरीद व फरोख्त अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज़ क़ायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आँखें उलट-पलट हो जायेंगी।'' (सूरतुन्नूर :३७)

इस्लाम ने ऐसा दस्तूर प्रस्तुत किया है जो ईश्वरीय शास्त्र के अनुसार आत्मा, शरीर, और बुद्धि के अधिकारों की सुरक्षा करता है, जिस में कोई कमी और अतिशयोक्ति नहीं है, चुनाँचि जहाँ एक ओर मुसलमान इस बात का बाध्य है कि अपनी आत्मा का निरीक्षण करे और उसकी कृत्यों, कामों और उस की सभी हरकतों का हिसाब करता रहे, अल्लाह तआला के इस फरमान पर अमल करते हुए :

‘‘तो जिस ने कण के बराबर भी पुण्य किया होगा वह उसे देख लेगा, और जिसने एक कण के बराबर भी पाप किया होगा, वह उसे देख लेगा। (सूरतुज़ ज़िल्ज़ाल :७-८)

उसे यह भी चाहिए कि अल्लाह तआला ने उसके लिए जो पाक चीज़ें हलाल कर दी हैं उन से लाभान्वित होने से अपने शरीर को वंचित न कर दे, जैसे खान-पान, पहनावा, शादी-विवाह आदि, अल्लाह तआला के इस कथन पर अमल करते हुए :

‘‘(हे रसूल!) आप कहिए कि उस ज़ीनत को किसने हराम किया है जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों के लिए पैदा किया है, और पाक रोज़ी को।’’ (सूरतुल आराफ : ३२)

तथा इस्लाम ने केवल उसी चीज़ को हराम और निषिध घोषित किया है जो अपवित्र (गन्दी) और मनुष्य के लिए उसकी बुद्धि, या शरीर, या धन, या उसके समाज के प्रति हानिकारक हैं, इस्लामी दृष्टिकोण से अल्लाह तआला ने मानव आत्मा को अपनी उपसाना और अपनी शरी’अत को लागू करने के लिए पैदा किया और धरती पर उसे प्रतिनिधि बनाया है, अतः किसी को भी इस्लाम के अधिकार के बिना उस (आत्मा) को नष्ट करने या समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तथा अल्लाह तआला ने इस आत्मा के लिए एक संपूर्ण व्यवस्थित शरीर बनाया है ताकि उस शरीर के माध्यम से आत्मा उस काम को संपन्न कर सके जिसको अदा करने का अल्लाह तआला ने उसे आदेश दिया है अर्थात् उपासना, हुक़ूक़, दायित्व, तथा उस धरती का निर्माण जिस पर अल्लाह तआला ने उसे प्रतिनिधि बनाया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘बेशक हम ने इंसान को बहुत अच्छे रूप में पैदा किया।’’ (सूरतुत्तीन : ४)

इसी कारण अल्लाह तआला ने शरई नियमानुसार इस शरीर की रक्षा करने और उसका ध्यान रखने का आदेश दिया है , और वह निम्नलिखित चीज़ों की पाबन्दी करके :

१. पाकी और पवित्रता प्राप्त करना, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

''अल्लाह माफी मांगने वाले को और पाक रहने वाले को पसंद करता है।'' (सूरतुल बक़रा :२२२)

चुनाँचे नमाज़ जिसे मुसलमान दिन और रात में पाँच बार अदा करता है, उसके शुद्ध होने की शर्तों में से एक शर्त वुज़ू को क़रार दिया है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''बिना तहारत (वुज़ू) के नमाज़ स्वीकार नहीं होती, और न ही गनीमत के माल में से खियानत करके किया गया दान क़बूल होता है।'' (सहीह मुस्लिम १/२०४ हदीस नं.:२०४)

तथा जनाबत के बाद पानी के द्वारा ग़ुस्ल करना अनिवार्य कर दिया है जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

''और अगर तुम नापाक हो तो ग़ुस्ल कर लो।'' (सूरतुल मायेदा :६)

तथा कुछ इबादतों के लिए स्नान करना सुन्नते मुअक्किदा क़रार दिया है जैसे, जुमा और ईदैन की नमाज़, हज्ज और उम्रा ... इत्यादि।

२. सफाई-सुथराई का ध्यान रखना, और वह इस प्रकार से किः

❖ खाना खाने से पहले और बाद में दोनों हाथों को धोना, जैसाकि अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''खाने की बरकत खाने से पहले और उसके बाद वुज़ू करना है।'' (सुनन तिर्मिज़ी ४/२८१ हदीस नं.:१८५६)

❖ खाने के बाद मुँह साफ करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “जिसने खाना खाया तो जो चीज़ वह अपनी ज़ुबान से चबाए और फिराये उसे निगल जाए, और जो चीज़ खिलाल करे उसे थूक दे, जिसने ऐसा किया उसने अच्छा किया और जिसने नहीं किया उस पर कोई हरज नहीं। (मुस्तदरक हाकिम ४/१५२ हदीस नं.:७१९६)

❖ दाँतो और मुँह की सफाई का ध्यान रखना, चुनाँचे इस पर ज़ोर दिया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “अगर मुझे यह डर न होता कि मेरी उम्मत कष्ट में पड़ जाये गी तो मैं उन्हें हर नमाज़ के समय मिस्वाक करने का हुक्म देता।” (सहीह मुस्लिम १/२२० हदीस नं.:२५२)

❖ जिस चीज़ के कीटाणुओं और गंदगियों का कारण बनने की सम्भावना हो उसका निवारण करना और उसकी सफाई-सुथराई करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “पाँच चीज़ें प्राकृतिक परंपराओं (या पैग़म्बरो की परंपराओं) में से हैं : खत्ना कराना, नाफ के नीचे के बालों की सफाई करना, बगल के बालों को उखाड़ना, मोंछ काटना, नाखून काटना।” (सहीह बुखारी ५/२३२० हदीस नं.:५६३९)

३. हर पाकीज़ा और अच्छी चीज़ का खान-पान करना, अल्लाह तआला का फरमान है :

“ऐ ईमान वालो ! जो पाक चीज़ें हम ने तुम्हें अता की हैं, उन्हें खाओ-पियो और अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहो, अगर तुम केवल उसी की इबादत करते हो।” (सूरतुल बक़रा : १७२)

तथा इन पाक चीज़ों से लाभान्वित होने के लिए एक नियम निर्धारित किया है और वह है फुज़ूल-खर्ची से बचना, जिसका शरीर पर कुप्रभाव और हानि किसी के लिए गुप्त चीज़ नहीं है। अल्लाह तआला ने फरमाया :

''खाओ-पियो और इस्राफ न करो, बेशक जो इस्राफ करते हैं अल्लाह तआला उन से महब्बत नहीं करता।'' (सूरतुल आराफ : ३१)

खान-पान का सर्वोत्तम ढंग पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस कथन के द्वारा स्पष्ट किया है : ''किसी मानव ने पेट से बुरा कोई बरतन नहीं भरा, ऐ आदम के पुत्र! तेरे लिए चन्द लुक़्मे काफी हैं जिनसे तेरी पीठ सीधी रह सके, अगर अधिक खाना आवश्यक ही है तो एक तिहाई (पेट) खाना के लिए, एक तिहाई पानी के लिए और एक तिहाई साँस लेने के लिए होना चाहिए।'' (सहीह इब्ने हिब्बान १२/४१ हदीस नं.: ४२३६)

४. प्रत्येक ख़बीस (यानी अपवित्र और हानिकारक) खान-पान की चीज़ों का प्रयोग हराम घोषित किया है, जैसेकि मुरदार (मृत) खून, सुवर का गोश्त, मदिरा, घूम्रपान, और नशीली पदार्थ, यह सब कुछ इस शरीर की रक्षा के लिए है, अल्लाह तआला का फरमान है :

''तुम पर मुर्दार और (बहा हुआ) खून, सुवर का गोश्त और हर वह चीज़ जिस पर अल्लाह के नाम के सिवाय दूसरों के नाम पुकारे जायें हराम है, लेकिन जो मजबूर हो जाए और वह सीमा उल्लंघन करने वाला और ज़ालिम न हो, उसको उन को खाने में कोई गुनाह नहीं, अल्लाह तआला बख्शने वाला रहम करने वाला है।'' (सूरतुल बक़रा : १७३)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

'' ऐ ईमान वालो ! शराब, जुआ, और मूर्तियों की जगह, और पाँसे, गन्दे शैतानी काम हैं, इसलिए तुम इस से अलग रहो ताकि कामयाब हो जाओ। शैतान चाहता ही है कि शराब और जुआ द्वारा तम्हारे बीच दुशमनी डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे तो तुम रूकते हो या नहीं।'' (सूरतुल माईदा :९०-९१)

५. लाभदायक खेल खेलना, जैसे कि कुश्ती (दंगल), चुनाँचे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रकाना नामी पहलवान से कुश्ती किया और उसे पछाड़ दिया। (मुस्तदरक लिल-हाकिम ३/५११ हदीस नं.:५६०३) तथा दौड़ का मुक़ाबला करना, आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से दौड़ का मुक़ाबला किया तो मैं आप से जीत गई, फिर हम कुछ दिनों तक ठहरे रहे यहाँ तक कि गोश्त चढ़ने से मेरा शरीर भारी हो गया तो फिर आप ने मेरे साथ दौड़ का मुक़ाबला किया तो आप मुझ से जीत गये। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि "यह जीत उस हार के बदले है।" (अर्थात् मुक़ाबला का परिणाम बराबर हो गया।) (सहीह इब्ने हिब्बान १०/५४५ हदीस नं.:४६९१)

इसी तरह तैराकी, तीरअंदाज़ी और घुड़सवारी, जैसाकि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वितीय खलीफा अमीरूल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका यह कथन वर्णित है : अपने बच्चों को तीर चलाना, तैराकी और घुड़सवारी सिखाओ।

६. जब शरीर रोग ग्रस्त हो जाए तो उसका इलाज करना, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "अल्लाह तआला ने रोग और दवा दोनों उतारी है और रोग की दवा बनाई है, अतः दवा-इलाज करो और हराम चीज़ के द्वारा इलाज न करो।" (सुनन अबू दाऊद ४/७ हदीस नं.:३८७४)

७. उसे उन उपासनाओं के करने का आदेश दिया जिनका अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है, जो कि दरअसत आत्मिक खूराक हैं ताकि आत्मा उस परेशानी से सुरक्षित रहे जो उसके शरीर पर प्रभाव डालते हैं, और वह बीमार हो जाता है, अल्लाह तआला का फरमान है :

''जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह को याद करने से शान्ति प्राप्त करते हैं, याद रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल को शान्ति मिलती है।'' (सूरतुर्र'अद :२८)

इस्लाम ने शरीर का ध्यान न रखने और उसे खूराक और विश्राम का अधिकार न देने तथा उसे उसकी यौन ऊर्जा को शरीअत में वैध तरीक़े में इस्तेमाल करने से वंचित कर देने को शरीअत में निषिद्ध काम में से शुमार किया है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्हों ने फरमाया : ''तीन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत के बारें में पूछने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवियों के घरों के पास आए, जब उन्हें बतलाया गया तो गोया उन्हों उसे कम समझा, फिर उन्होंने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मरतबे तक कहाँ पहुँच सकते हैं, अल्लाह तआले ने आप के अगले पिछले सभी गुनाहों को क्षमा कर दिया है। चुनाँचि उन में से एक ने कहा : मैं तो हमेशा रात भर नमाज़ ही पढूँगा। दूसरे ने कहा : मैं ज़िंदगी भर रोज़ा ही रखूंगा, रोज़ा इफ्तार नहीं करूँगा। तीसरे ने कहा : मैं औरतों से अलग-थलग हो जाऊँगा कभी शादी ही नहीं करऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ लाए और फरमाया : तुम लोगों ने इस-इस तरह की बात कही है, सुनो ! अल्लाह की क़सम! मैं तुम में सब से अधिक अल्लाह से डरने वाला और सब से अधिक मुत्तक़ी और परहेज़गार हूँ, किन्तु मैं रोज़ा रखता हूँ और कभी रोज़ा नहीं भी रखता, और मैं (रात को) नमाज़ पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, तथा मैं ने औरतों शादियाँ भी कर रखी हैं। अतः जो मेरी सुन्नत से मुँह फेरे वह मेरे तरीक़े पर नहीं है।'' (सहीह बुखारी ५/१९४९ हदीस नं.:४७७६)

- इस्लाम धर्म ज्ञान और जानकारी का धर्म है जिसने ने शिक्षा प्राप्त करने और दूसरों को शिक्षा देने पर उभारा और ज़ोर दिया है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘बताओ तो आलिम और जाहिल क्या बराबर हो सकते हैं? बेशक नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक़्लमंद हो।’’ (सूरतुज़्ज़ुमर :९)

तथा जहालत (अज्ञानता) और जाहिल लोगों की मज़म्मत की है, अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘(मूसा अलैहिस्सलाम ने) कहा कि मैं ऐसी बे-वक़ूफी से अल्लाह तआला की पनाह लेता हूँ।’’ (सूरतुल बक़रा : ६७)

चुनाँचे कुछ उलूम (विज्ञान) को हर मुसलमान पर अनिवार्य कर दिया है, और यह वो उलूम हैं जिनके सीखने से मुसलमान अपने दीन और दुनिया के मामलों में बेनियाज़ नहीं हो सकता, और कुछ उलूम फर्ज़े-किफाया हैं कि जिन्हें अगर कुछ लोग सीख लेते हैं तो बाक़ी लोग गुनाह से बच जायें गे, तथा अल्लाह तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दुनिया की चीज़ो में से इल्म के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ को अधिक से अधिक माँगने का हुक्म नहीं दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘और यह कह कि रब ! मेरा इल्म बढ़ा।’’ (सूरत ताहा :११४)

इस्लाम ने इल्म और उलमा का सम्मान किया है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ‘‘वह आदमी मेरी उम्मत से नहीं है जो हमारे बड़ो का आदर न करे, हमारे छोटों पर दया न करे और हमारे आलिमों (धर्म-ज्ञानियों) के हक़ को न पहचाने।’’ (मुस्नद अहमद ५/३२३ हदीस नं.:२२८०७)

तथा आलिम का एक महान पद और उच्च स्थान निश्चित किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ‘‘आलिम को एक इबादतगुज़ार पर ऐसे ही प्रतिष्ठा और फज़ीलत प्राप्त है जिस प्रकार कि मुझे तुम में से एक कमतर आदमी पर फज़ीलत हासिल है।’’ (सुनन तिर्मिज़ी ५/५० हदीस नं.:२६८५)

इल्म के प्रकाशन व प्रसार और उसके प्राप्त करने पर उभारने के लिए इस्लाम ने ज्ञान प्राप्त करने, उसे सीखने और सिखाने के लिए भागदौड़ करने को उस जिहाद में से गिना है जिस पर आदमी को पुण्य मिलता है, और वह जन्नत तक पहुँचाने वाला मार्ग है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जो आदमी इल्म की खोज में निकलता है वह अल्लाह के रास्ते में होता है यहाँ तक कि वह वापस लौट आए।'' (सुनन तिर्मिज़ी ५/२६ हदीस नं.: २६४७)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जो आदमी इल्म की खोज में कोई रास्ता चलता है तो अल्लाह तआला उसके फलस्वरूप उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, और जिस आदमी को उसका अमल पीछे कर दे उसे उसका हसब व नसब (वंश) आगे नहीं बढ़ा सकता।'' (मुसतदरक लिल-हाकिम १/१६५ हदीस नं.: २९९)

इस्लाम ने केवल धार्मिक उलूम को सीखने पर नहीं उभारा है बल्कि संसार के अन्य उलूम (विज्ञान) को सीखने और उनकी जानकारी हासिल करने की मांग की है और उसे उन इबादतों में से गिना है जिन के सीखने पर आदमी को सवाब मिलता है -यानी वह विज्ञान जिनके बारे में हम कह चुके हैं कि उनका सीखना फर्ज़े-किफाया है- और यह इस कारण है कि मानवता को इन विज्ञानों की आवश्यकता है, अल्लाह तआला का फरमान है :

''क्या आप ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि अल्लाह (अताला) ने आकाश से पानी उतारा फिर हम ने उस के द्वारा कई रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के कई हिस्से हैं, सफेद और लाल कि उनके भी रंग कई हैं और बहुत गहरे और काले। और इसी तरह इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी कुछ ऐसे हैं कि उन के रंग अलग-अलग हैं, अल्लाह से उस के वही बंदे डरते हैं जो

इल्म रखते हैं। हक़ीक़त (वास्तव) में अल्लाह बहुत बड़ा माफ करने वाला है।" (सूरत फातिर :२७-२८)

इन आयतों के अन्दर उचित सोच-विचार का निमन्त्रण दिया गया है जो इस बात को स्वीकारने का आह्वान करता है कि इन चीज़ों का एक उत्पत्तिकर्ता (पैदा करने वाला) है, तथा इस बात का भी आमन्त्रण है कि अल्लाह तआला ने इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें रखी हैं उन से लाभ उठाया जाए। तथा इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इस आयत में उलमा से मुराद केवल शरीअत (धर्म) के उलमा नहीं हैं, बल्कि दूसरे विज्ञानों से संबंध रखने वाले उलमा (वैज्ञानिक) भी हैं जिन्हें इस बात की क्षमता प्राप्त है कि अल्लाह तआला ने इस संसार में जो भेद (रहस्य) जमा किए हैं उनको पहचान सकें, उदाहरण के तौर पर बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे होती है? इसे कीमिया (रसायन विज्ञान) और फिज़िक्स (भौतिकी) के बिना जाना नहीं जा सकता, पेड़ों, फलों और फसलों को उगाने का ढंग कृषि विज्ञान की जानकारी ही के द्वारा जाना जा सकता है, धरती और पहाड़ों में रंगों के बदलाव को भूविज्ञान की जानकारी के द्वारा ही जान सकते हैं, लोगों के स्वभावों, और उनके विभिन्न प्रजातियों, जानवरों और उनके स्वाभावों को नृविज्ञान की जानकारी के द्वारा ही जान सकते हैं .... इत्यादि।

- इस्लाम धर्म आत्म नियंत्रण का धर्म है, जो एक मुसलमान को इस बात पर उभारता है कि वह अपने सभी कृत्यों और कथनों में अल्लाह की प्रसन्नता और खुशी को हासिल करने का प्रयास करता है, और उस को क्रोधित करने वाली चीज़ों को करने से बचाव करता है, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह तआला उसका निरीक्षण कर रहा है और उस पर अवगत है, अतः जिस चीज़ का अल्लाह ने उसे आदेश दिया है, वह उसे करता है और हर उस चीज़ से जिस से उसने रोका है, दूर रहता है। चुनाँचि जब एक मुसलमान चोरी से बचता है, तो वह उसे अल्ला के डर से छोड़ता है, सुरक्षा

कर्मी के डर से नहीं छोड़ता है, उसका यही मामला अन्य अपराधों के साथ होता है। इस्लाम की शिक्षाएं मुसलमान को इस बात का प्रशिक्षण देती हैं कि उसका प्रोक्ष और प्रत्यक्ष (रहस्य और सार्वजनिक या अन्दर और बाहर) एक जैसा हो, अल्लाह तआला का फरमान है :

"अगर तू ऊँची बात कहे तो वह हर छुपी और छुपी से छुपी चीज़ को अच्छी तरह जानता है।" (सूरत ताहा :७)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एहसान के बारे में फरमाया :

"तुम अल्लाह की इबादत इस प्रकार करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, अगर तुम से ऐसा अनुभव न हो सके तो वह तो निःसन्देह तुम्हें देख (ही) रहा है।" (सहीह बुखारी 1/27 हदीस नं.:50)

इस्लाम ने आत्म नियंत्रण के सिद्धांत को नियमित करने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन किया है :

प्रथम : एक ऐसे पूज्य (परमेश्वर) के वजूद पर विश्वास रखना जो शक्तिवान, अपनी ज़ात और गुणों में कामिल, और इस ब्रह्मांड में होने वाली चीज़ों को जानने वाला है, अतः वही चीज़ घटती है जो वह चाहता है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"वह (अच्छी तरह) जानता है उस चीज़ को जो धरती में जाये और जो उस से निकले, और जो आकाश से नीचे आये और जो कुछ चढ़कर उस में जाये और जहाँ कहीं तुम हो वह तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है।" (सूरतुल-हदीद :4)

बल्कि उसका ज्ञान देखी और महसूस की जाने वाली भौतिक चीज़ों से आगे निकल कर दिल के अन्दर खटकने वाली बातों और वसवसों को भी घेरे हुए है, अल्लाह तआला का फरमान है : "हम

ने मनुष्य को पैदा किया है और उस के दिल में जो विचार पैदा होते हैं हम उन्हें जानते हैं, और हम उसके प्राणनाणी से भी अधिक क़रीब हैं।'' (सूरतुल क़ाफ :16)

दूसरा : मरने के बाद पुनः ज़िन्दा किये जाने और उठाये जाने पर विश्वास रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : ''...वह तुम सबको ज़रूर क़ियामत के दिन जमा करेगा।'' (सूरतुन निसा :87)

तीसरा : इस बात पर विश्वास रखना कि प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब व्यक्तिगत रूप से होगा, अल्लाह तआला का फरमान है कि : ''कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाये गा।'' (सूरतुन्नज्म :38)

चुनाँचि हर आदमी अल्लाह के सामने अपने हर छोटे-बड़े और अच्छे-बुरे कामों अैर कथनों पर हिसाब देने का बाध्य है, अतः वह भलाई पर नेकियों के द्वारा और बुराई पर गुनाहों के द्वारा बदला दिया जाये गा, अल्लाह तआला का फरमान है :

''जो व्यक्ति एक कण के बराबर अच्छाई करे गा वह उसे देख लेगा, और जो आदमी एक कण के बराबर बुराई करे गा, वह उसे देख लेगा।'' (सूरतुज़्ज़लज़ला :7-8)

चौथा : अल्लाह और उसके रसूल की फरमांबरदारी और उनकी महब्बत को उनके सिवाय हर एक पर प्राथमिकता और वरीयता देना, चाहे वह कोई भी हो, अल्लाह तआला का फरमान है : ''आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे वंश और कमाया हुआ धन और वह तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो, और वे घर जिन्हें तुम प्यारा रखते हो (अगर) यह तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद से अधिक प्यारा है, तो तुम इंतिज़ार करो कि अल्लाह अपना अज़ाब ले आए, अल्लाह तआला फासिक़ों को रास्ता नहीं दिखाता है।'' (सूरतुत्तौबा :24)

- इस्लाम धर्म में नेकियाँ कई गुना बढ़ा दी जाती हैं, किन्तु बुराईयों का बदला उसी के समान दिया जाता है, अल्लाह तआला क फरमान है : ‘‘जो इंसान अच्छा काम करे गा उसे उसके दस गुना मिलें गे, और जो बुरे काम करे गा उसे उसके बराबर सज़ा मिले गी और उन लोगों पर जुल्म न होगा।’’ (सूरतुल अन्आम :160)

इसी तरह इस्लाम लोगों को अच्छी नीयत पर भी सवाब देता है, अगरचे वह उस पर अमल न कर सके, चुनाँचि यदि वह नेकी का इरादा कर ले और उसे न कर सके तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, बल्कि मामला इस से भी बढ़कर है, चुनाँचि यदि मुसलमान बुराई का इरादा करे फिर अल्लाह के अज़ाब से डर कर उसे न करे तो अल्लाह तआला उसे इस पर सवाब देता है, क्योंकि उसने इस गुनाह को अल्लाह के भय से छोड़ दिया, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तआला फरमाता है : ‘‘जब मेरा बन्दा किसी बुराई का इरादा करे, तो उसे उसके ऊपर गुनाह न लिखो यहाँ तक कि वह उसे कर ले, अगर वह उस गुनाह को कर ले तो उसी के बराबर गुनाह लिखो, और अगर वह उसे मेरी वजह से छोड़ दे तो उसे उसके लिए एक नेकी लिख दो, और जब किसी नेकी का इरादा करे फिर उसे न करे तब भी उसे उसके लिए एक नेकी लिखो, और अगर वह उसे कर ले तो उसे उसके लिए दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक लिखो।’’ (सहीह बुखारी 6/2724 हदीस नं.:7026)

बल्कि इस्लाम में वैध नफसानी शहवतें भी इबादतो में बदल जाती हैं जिन पर मुसलमान को पुण्य मिलता है अगर उसके साथ अच्छी नीयत और अच्छा लक्ष्य (स्वेच्छा) पाया जाता हो, अगर खाने पीने से आदमी की नीयत अपने शरीर और वैध कमाई के लिए कार्य शक्ति की रक्षा करना हो, ताकि अल्लाह तआला ने उसके ऊपर जो

इबादत, अपने बीवी बच्चों और अपने मातहत लोगों पर खर्च करना अनिवार्य किया है उसकी अदायगी कर सके तो उसका यह अमल इबादत समझा जायेगा जिस पर उसे सवाब मिलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जब आदमी अपनी बीवी (बच्चों) पर अज्र व सवाब की नीयत से खर्च करता है तो यह उसके लिए सदक़ा होता है।" (सहीह बुखारी 1/30 हदीस नं.:55)

इसी प्रकार आदमी का अपनी बीवी के साथ वैध रूप से अपनी कामवासना पूरी करना, यदि उसके साथ स्वयं अपनी और अपनी बीवी की पाकदामनी और अवैध काम में पड़ने से बचाव करने की नीयत सम्मिलित हो तो उसका यह कार्य इबादत होगा जिस पर पुण्य मिलेगा, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : और तुम्हारे सम्भोग करने में भी सदक़ा (पुण्य) है, लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम में से एक व्यक्ति अपने कामवासना की पूर्ति करता है और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ? आप ने कहाः तुम्हारा क्या विचार है यदि वह अपनी कामवासना को निषेध चीज़ों में पूरा करता ? - अर्थात क्या उसे उस पर पाप मिलता?- इसी प्रकार जब उसने उसे वैध चीज़ों में रखा तो उसे उस पर पुण्य मिलेगा।" (सहीह मुस्लिम 2/697 हदीस नं.:1006)

बल्कि मुसलमान जो भी अमल करता है अगर उसके अन्दर उसकी नीयत अच्छी है तो वह उसके लिए सद्क़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "हर मुसलमान पर सद्क़ा व ख़ैरात करना वाजिब है।" पूछा गया : आप बतायें कि अगर उसके पास (सद्क़ा के लिए) कुछ न हो तो? आप ने उत्तर दिया : "अपने हाथ से कार्य करे, जिस से अपने आप को लाभ पहुँचाए और सद्क़ा भी करे।" कहा गया : आप बतायें कि अगर उसके पास इसकी ताक़त न हो? आप ने फरमाया : "किसी परेशान हाल ज़रूरतमंद की सहायता कर दे।" पूछा गया : अगर वह ऐसा न कर सके तो? आप ने फरमाया : "भलाई का हुक्म दे

या कहा कि भलाई का काम करे।'' लोगों ने कहा : ''अगर वह ऐसा न कर सके? आप ने फरमाया : ''उसे चाहिए कि बुराई से रूक जाए क्योंकि यह उसके लिए सद्क़ा है।'' (सहीह बुखारी 5/2241 हदीस नं.: 5676)

- इस्लाम धर्म में सच्ची तौबा करने वाले, अपने गुनाहों पर शर्मिन्दा और दुबारा उस गुनाह की तरफ न पलटने का सुदृढ़ संकल्प करने वाले पापियों के पाप नेकियों में बदल दिये जाते हैं। अल्लाह तआला का फरमान है :

''और जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे इंसान को जिस का क़त्ल करना अल्लाह तआला ने हराम किया हो, सिवाय हक़ के वह क़त्ल नही करते, न वह बदकार होते हैं और जो कोई यह अमल करे वह अपने ऊपर कड़ी यातना लेगा। उसे क़ियामत के दिन दुगुना अज़ाब दिया जायेगा और वह अपमान और अनादर (रूसवाई) के साथ हमेशा वहीं रहे गा। उन लोगों के सिवाय जो माफी माँग लें और ईमान लायें और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह (तआला) नेकी में बदल देता है, अल्लाह तआला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है।'' (सूरतुल फ़ुरक़ान :68-70)

यह उन गुनाहों के बारे में है जिन का अल्लाह तआला के हुक़ूक़ से संबंध है, किन्तु जिन चीज़ों का संबंध लोगों के हुक़ूक़ से है तो उनके हुक़ूक़ को उन्हें लौटाना और उन से माफी मांगना अनिवार्य है।

इस्लामी शरीअत ने गुनाह करने वाले की ज़ेहनियत (मानसिकता) को सम्बोधित किया है और उसके हैरान मन का उपचार किया है, और वह इस प्रकार कि उसके लिए तौबा का द्वार खोल दिया है ताकि वह गुनाह से रूक जाये, अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बन्दों! जिन्हों ने अपनी जानों पर अत्याचार किया है अल्लाह की रहमत से निराश न हो, निःसन्देह अल्लाह तआला सभी गुनाहों को माफ कर देता है।’’ (सूरतुज़्ज़ुमर :53)

तथा उसके लिए तौबा का मामला सरल कर दिया है जिसमें कोई परेशानी और कष्ट नहीं है। अल्लाह तआला का फरमान है :‘‘और जो भी कोई बुराई करे या खुद अपने ऊपर ज़ुल्म करे, फिर अल्लाह तआला से क्षमा मांगे है तो अल्लाह को बड़ा क्षमाशील और दयावान पाये गा।’’ (सूरतुन्निसा :110)

तथा यह मुसलमानों के बारे में है, जहाँ तक ग़ैर-मुस्लिमों का संबंध है जो इस्लाम को स्वीकारते हैं, तो उन्हें दोहरा अज्र मिलेगा; एक तो उनके अपने पैग़म्बर पर ईमान लाने के कारण और दूसरा उनके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने की वजह से, अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘जिसको हम ने इस से पहले अता की वह तो इस पर ईमान रखते हैं, और जब (उसकी आयतें) उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वे यह कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से होने पर हमारा विश्वास है, हम तो इस से पहले ही मुसलमान हैं। यह अपने किये हुए सब्र के बदले में दो गुने बदले अता किये जायेंगे, यह नेकी से गुनाह को दूर कर देते हैं और हम ने जो इन्हें दे रखा है उस में से देते रहते हैं।’’ (सूरतुल क़सस :52-54)

इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला उन के इस्लाम से पहले के सभी गुनाहों को मिटा देता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अम्र बिन आस से जब उन्हों ने आप से इस्लाम पर बैअत की और अपने गुनाहों के बख्श दिये जाने की शर्त लगाई तो आप ने फरमाया : ‘‘... क्या तुम्हें पता नहीं कि इस्लाम अपने से पूर्व गुनाहों को मिटा देता है..’’ (सहीह मुस्लिम 1/112 हदीस नं.:121)

- इस्लाम धर्म अपने मानने वालों को इस बात की ज़मानत देता है कि उनके मरने के बाद भी उनकी नेकियाँ जारी रहें गी, और यह उन नेक कामों के द्वारा होगा जो उन्हों ने अपने पीछे छोड़े हैं, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''जब मनुष्य मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला समाप्त हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के, जारी रहने वाला सद्क़ा व खैरात, ऐसा ज्ञान जिस से लाभ उठाया जाता रहे और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे।'' (सहीह मुसिलम 3/1255 हदीस नं. 1631)

  तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''जिसने किसी नेकी की तरफ दूसरों को बुलाया तो उसके लिए उसकी पैरवी करने वालों के समान अज्र है, जबकि उनके अज्र में कोई कमी नहीं होगी, और जिसने किसी गुमराही की ओर दावत दी तो उसे उसकी पैरवी करने वालों के समान गुनाह मिले गा जबकि उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी।'' (सहीह मुसिलम 4/2060 हदीस नं.: 2674)

  यह बात मुसलमान को इस बात पर उभारती है कि वह भलाई का कार्य करके, उसका सहयोग करके, उसकी ओर दावत देकर, तथा फसाद और बिगाड़ के विरूद्ध संघर्ष करके, उससे लोगों को सावधान करके, समाज में बिगाड़ पैदा करने वाली चीज़ों का प्रसार व प्रचार न करके अपने समाज के सुधार का अभिलाषी बने; ताकि व अपने कर्म-पत्र को गुनाहों से खाली बना सके।

- इस्लाम धर्म ने बुद्धि और विचार का सम्मान किया है और उसे प्रयोग में लाने का आमन्त्रण दिया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

  ''निःसन्देह आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं, और स्वयं तुम्हारे जन्म में और जानवरों को फैलाने में, यक़ीन रखने वाले समुदाय के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। और रात दिन के बदलने में और जो कुछ जीविका अल्लाह तआला आकाश से उतार करके धरती को उसकी मौत के बाद ज़िन्दा कर देता है, उस

में और हवाओं के बदलने में भी उन लोगों के लिए जो अक़्ल रखते हैं निशानियाँ हैं।" (सूरतुल जासिया :3-5)

इसी प्रकार क़ुर्आन की अधिकांश आयतों में बुद्धि को सम्बोधित किया गया है और उसे उकसाया और झंझोड़ा गया है "क्या ये लोग समझते बूझते नहीं, क्या ये लोग गौर नहीं करते, ये लोग विचार क्यों नहीं करते, क्या ये लोग जानते नहीं... इत्यादि। किन्तु इस्लाम ने बुद्धि को प्रयोग में लाने के क्षेत्र को भी निर्धारित कर दिया, इसलिए बुद्धि का प्रयोग केवल उन्हीं चीज़ों में किया जाना आवश्यक है जो दृष्टि में आने वाली और महसूस की जाने वाली हैं, जहाँ तक प्रोक्ष चीज़ों का मामला है जो मानव की भावना शक्ति की पहुँच से बाहर हैं, तो उनमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया जाये गा; क्योंकि ऐसी चीज़ों में बुद्धि को लगाना मात्र शक्ति और संघर्ष को ऐसी चीज़ में नष्ट करना है जिसका कोई लाभ नहीं।

इस्लाम के बुद्धि का सम्मान करने का एक उदाहरण यह है कि उसने बुद्धि को इच्छा और इरादा में किसी दूसरे की निर्भरता के बंधन से आज़ाद कर दिया है, इसीलिए उस आदमी की निंदा की है जो बिना ज्ञान के दूसरे का अनुसरण और तक़्लीद करता है, और बिना समझ-बूझ और मार्गदर्शन के दूसरे के पीछे चलता है, और उसके इस कृत्य को दोषपूर्ण ठहराया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

"और उन से जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब पर अमल करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उस रास्ते का पालन करेंगे जिस पर हम ने अपने बुज़ुर्गों (बाप-दादा) को पाया है, जबकि उनके बाप-दादा बेवक़ूफ और भटके हुए हों।" (सरतुल बक़रा :170)

इस्लाम धर्म विशुद्ध फित्रत (प्रकृति) का धर्म है जिसका उस मानव प्रकृति से कोई टकराव नहीं है जिस पर अल्लाह तआला ने उसे

पैदा किया है, और इसी प्रकृति पर अल्लाह तआला ने सभी लोगों को पैदा किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''यह अल्लाह की वह फित्रत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, और अल्लाह की रचना में कोई बदलाव नहीं हो सकता।'' (सूरतुर्रूम :३०)

किन्तु इस फित्रत को उसके आस-पास के कारक कभी प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण वह अपनी शुद्ध पटरी से हट जाती है और पथ-भ्रष्ट हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

प्रत्येक पैदा होने वाला -शिशु- (इस्लाम) की फित्रत (प्रकृति) पर जन्म लेता है, फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी (पारसी) बना देते हैं। (सहीह बुखारी)

तथा वही सीधे रास्ते का धर्म है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

''आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है कि वह एक मुस्तहकम दीन है जो तरीक़ा है इब्राहीम का, जो अल्लाह की तरफ यकसू थे और वह मुश्रिकों में न थे।'' (सूरतुल अंआम :१६१)

अतः इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बुद्धि स्वीकार न करती हो, बल्कि विशुद्ध बुद्धियाँ इस बात की गवाह हैं कि इस्लाम की लाई हुई बातें सच्ची, उचित और लाभप्रद हैं, चुनाँचे उसके आदेश और प्रतिषेध सब के सब न्यायपूर्ण है उनमें ज़ुल्म नहीं है, उसने जिस चीज़ का भी आदेश दिया है उसके अन्दर मात्र हित और लाभ ही है या हित और लाभ अधिक है, और जिस चीज़ से भी रोका है उसके अन्दर मात्र बुराई ही है या बुराई उसके अन्दर मौजूद अच्छाई से बढ़कर है। क़ुर्आन की आयतों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में गौर करने वाले के लिए यह तथ्य कोई रहस्य नहीं है।

- इस्लाम धर्म ने मानवता को अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की दासता और उपासना से मुक्त कर दिया है, चाहे वह अल्लाह का भेजा हुआ कोई ईश्दूत या निकटवर्ती फरिश्ता ही क्यों न हो, इस प्रकार कि उसने इन्सान के दिल में ईमान (विश्वास) को समाविष्ट कर दिया है, अतः अल्लाह के अलावा किसी का कोई भय नहीं और अल्लाह के अतिक्ति कोई लाभ या हानि पहुँचाने वाला नहीं, कोई कितना ही महान क्यों न हो किसी को हानि या लाभ नहीं पहुँचा सकता और किसी से न कोई चीज़ रोक सकता है और न ही प्रदान कर सकता है सिवाय उस चीज़ के जिसका अल्लाह तआला ने फैसला कर दिया हो और उसकी चाहत के अनुसार हो। अल्लाह तआला का फरमान है : ‘‘**उन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त ऐसे पूजा पात्र बना रखे हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वह स्वयं पैदा किए जाते हैं, यह तो अपने प्राण के लिए हानि और लाभ का भी अधिकार नहीं रखते और न मृत्यु और जीवन के और न पुनः जीवित होने के वह मालिक हैं।** (सूरतुल-फुर्क़ानः३)

अतः सारा मामला अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह तआला फरमाता है :

‘‘और अगर तुम को अल्लाह कोई दुख पहुँचाये तो सिवाय उसके कोई दूसरा उस को दूर करने वाला नहीं है, और अगर वह तुम्हें कोई सुख पहुँचाना चाहे तो उसके फ़ज़्ल को कोई हटाने वाला नहीं, वह अपने फ़ज़्ल को अपने बन्दों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे और वह बड़ा बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है।’’ (सूरत यूनुस :१०७)

जब पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म का भी, जिनका अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा पद और महान स्थान है, वही मामला है जो अन्य

लोगों का है तो फिर दूसरे के बारे में आप का क्या विचार है, अल्लाह तआला का फरमान है :

“आप कह दीजिए कि मैं स्वयं अपने नफ्स (आप) के लिए किसी लाभ का अधिकार नहीं रखता और न किसी हानि का, किन्तु उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा हो, और यदि मैं प्रोक्ष की बातें जानता होता तो बहुत से लाभ प्राप्त कर लेता और मुझ को कोई हानि न पहुंचती, मैं तो केवल डराने वाला और शुभ सूचना देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं। (सूरतुल-आराफः १८८)

- इस्लाम ने मानव जीवन को शोक, चिन्ता, भय और बेचैनी से उसके कारणों का उपचार करके मुक्त कर दिया है :

  ✓ यदि मौत का डर है, तो अल्लाह तआला फरमाता है :

  “और बग़ैर हुक्मे ख़ुदा के तो कोई शख़्स मर ही नहीं सकता, वक़्ते मुअय्यन तक हर एक की मौत लिखी हुयी है।” (सूरत आल इम्रान :१४५)

  तथा अल्लाह तआला का फरमान है : “जब उन का वक़्त आ जाता है तो न एक घड़ी पीछे हट सकती हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।” (यूनुस :४९)

  तथा इंसान मौत से भागने का कितना भी प्रयास और संघर्ष कर ले, मौत उसके घात में है, अल्लाह तआला का फरमान है : “आप कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वह तुम्हें निःसन्देह आ घमके गी।” (सूरतुल जुमुआ :८)

  ✓ यदि गरीबी और भुकमरी का डर है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है : “और ज़मीन पर चलने वालों में कोई ऐसा नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे न हो और अल्लाह उनके ठिकाने और (मरने के बाद) उनके सौंपे जाने की

जगह को भी जानता है सब कुछ रौशन किताब (लौहे महफ़ूज़) में मौजूद है।'' (सूरत हूद :६)

✓ यदि बीमारियों और मुसीबतों (आपत्तियों) का भय है तो अल्लाह तआला का फरमान है : ''जितनी मुसीबतें रूए ज़मीन पर और खुद तुम लोगों पर नाज़िल होती हैं (वह सब) क़ब्ल इसके कि हम उन्हें पैदा करें किताब (लौह महफ़ूज़) में (लिखी हुयी) हैं बेशक ये अल्लाह पर आसान है। ताकि जब कोई चीज़ तुमसे जाती रहे तो तुम उसका ग़म न किया करो और जब कोई चीज़ (नेअमत) अल्लाह तुमको दे तो उस पर इतराया न करो और अल्लाह किसी इतराने वाले शेख़ी बाज़ को दोस्त नहीं रखता।'' (सूरतुल हदीद :२२-२३)

✓ और अगर लोगों का डर है, तो अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है : ''अल्लाह (के आदेशों) की रक्षा करो, अल्ला तुम्हारी रक्षा करेगा, अल्लाह (के अहकाम) की रक्षा करो, तुम उसे अपने सामने पाओ गे, तुम खुशहाली में अल्लाह को पहचानो, वह तुम्हें संकट की घड़ी में पहचाने गा, जब मांगों तो अल्लाह ही से मांगो, और जब सहायता मांगो तो अल्लाह ही से सहायता मांगो, जो कुछ होने वाला है उसको क़लम लिख चुका, अगर लोग पूरा प्रयास कर डालें कि तुझे कोई लाभ पहुँचायें जिसे अल्लाह ने तेरे लिए फैसला नहीं किया है तो उनके बस की बात नहीं है, और अगर लोग तुझे किसी ऐसी चीज़ के द्वारा हानि पहुँचाने का लाख प्रयत्न कर डालें जिसे अल्लाह ने तेरे ऊपर नहीं लिखा है, तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुझ से हो सके कि विश्वास के साथ सब्र से काम ले सके तो ऐसा कर डाल, और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो सब्र कर, क्योंकि उस चीज़ पर सब्र करने में जिसे तो नापसन्द करता है, बहुत भलाई है, और याद रख कि सब्र

के साथ ही मदद है, और यह भी जान ले कि परेशनी के साथ राहत है, और यह भी जान ले कि तंगी के साथ आसानी है।'' (मुसतदरक हाकिम ३/६२३ हदीस नं. ६३०३)

- इस्लाम धर्म दीन और दुनिया के सभी मामलों में संतुलित और औसत धर्म है, अल्लाह तआला ने फरमाया : ''और हम ने इसी तरह तुम्हें बीच की (संतुलित) उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम पर गवाह हो जायें।'' (सूरतुल बक़रा : १४३)

- इस्लाम आसानी और सहजता का धर्म है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : ''अल्लाह तआला ने मुझे सख्ती करने वाला और कष्ट में डालने वाला बनाकर नहीं भेजा है, बल्कि मुझे आसानी करने वाला शिक्षक बना कर भेजा है।'' (सहीह मुस्लिम २/११०४ हदीस नं. :१४७८)

इस्लाम की शिक्षाएं आसानी करने पर उभारती और बल देती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''शुभ सूचना दो, नफरत न दिलाओं, आसानी करो, कष्ट में न डालो।'' (सहीह मुस्लिम ३/१३५८ हदीस नं.:१७३२)

- इस्लाम नरमी करने, माफ कर देने और सहनशीलता का धर्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है वह कहती हैं कि : यहूद की एक जमाअत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आई, और उन्हों ने कहा : 'अस्सामो अलैकुम', यानी तुम्हारी मौत आए। आईशा कहती हैं कि मैं इसे समझ गई, और उन्हों ने कहाः 'व अलैकुमुस्सामो वल्ला'नह' यानी तुम्हारी मौत आए और

तुम पर धिक्कार हो। वह कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा : "ऐ आईशा! रूक जाओ, अल्लाह तआला सभी मामले में नरमी करने वाले को पसन्द करता है।" तो मैं ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप ने नहीं सुना कि उन लोगों ने क्या कहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : मैं ने उत्तर दिया है कि 'व-अलैकुम' यानी तुम पर भी।" (सहीह बुखारी हदीस नं. :६०२४)

इस्लाम लोगों के लिए भलाई को पसन्द करने का दीन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "अल्लाह के निकट सब से अधिक प्रिय व्यक्ति वह है जो लोगों को सब से अधिक लाभ पहुँचाने वाला है, और अल्लाह के निकट सब से अधिकतर पसंदीदा काम यह है कि तुम किसी मुसलमान को खुशी से दो चार कर दो, उस से किसी संकट (परेशानी) को दूर कर दो, या उसके किसी क़र्ज़ को चुका दो, या उसकी भूख को मिटा दो। तथा मेरा किसी भाई की आवश्यकता में उसके साथ चल कर जाना मेरे निकट इस से अधिक पसंदीदा है कि मैं एक महीना इस मस्जिद (अर्थात् मदीना की मस्जिद) में ऐतिकाफ करूँ, और जो आदमी अपना गुस्सा पी गया, हालाँकि अगर वह उसे नाफिज़ करना चाहता तो कर सकता था, तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसके दिल को प्रसन्नता से भर देगा, और जो आदमी अपने भाई के साथ किसी आवश्यकता में चल कर जाए यहाँ तक कि उसकी आवश्यकता पूरी कर दे तो अल्लाह तआला उस दिन उसके क़दम को स्थिर कर (जमा) देगा जिस दिन लोगों के पाँव फिसल (डगमगा) जाएँ गे। तथा दुराचार अमल को ऐसे ही नष्ट कर देता है जैसे सिरका, शहद को नष्ट कर देता है।" (सहीहुल जामिअ् हदीस नं.:१७६)

- इस्लाम मियाना रवी का धर्म है, कट्टरपन और कठिनाई का धर्म नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''अल्लाह तआला किसी प्राणी पर उसकी ताक़त से अधिक बोझ नहीं डालता, जो पुण्य वह करे उसी के लिए है और जो बुराई वह करे वह उसी के ऊपर है।'' (सूरतुल बक़रा :२८६)

  चुनाँचि इस्लाम के आदेश इसी नियम पर आधारित हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''मैं तुम्हें जिस चीज़ से रोकूँ उसे से रूक जाओ, और जिस चीज़ का हुकम दूँ उसे अपनी यथाशक्ति अंजाम दो, क्योंकि तुम से पहले के लोगों को अधिक सवाल और अपने पैग़म्बरों से मतभेद ने तबाह कर दिया।'' (सहीह मुस्लिम ४/१८३० हदीस नं.:१८३४)

इसका सब से श्रेष्ठ प्रमाण उस सहाबी का क़िस्सा है जो अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल मेरा सर्वनाश होगया, आप ने पूछाः ''तुझे किस चीज़ ने सर्वनाश कर दिया?'' उसने उत्तर दियाः मैं ने रमज़ान के दिन में रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे आदेश दिया कि एक ग़ुलाम (दास या दासी) मुक्त करे, तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है, तो आपने उसे निरंतर दो महीने का रोज़ा रखने का आदेश दिया, तो उसने कहा कि वह इसका सामर्थ्य नहीं रखता है तो आपने उसे साठ मिस्कीनों को भोजन कराने का आदेश दिया, तो उसने कहा कि वह इसका भी सामर्थी नहीं है, फिर आदमी बैठ गया, उसी बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास खजूरें आईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे कहाः ''इसे लेजाकर दान कर दो'', किन्तु उस व्यक्ति ने कहाः क्या अपने से भी अधिक दरिद्र पर दान कर दूँ ? अल्लाह की सौगन्ध मदीना की दोनों पहाड़ियों के बीच मुझसे अधिक निर्धन कोई घराना नहीं है, तो नबी

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "उसे अपने घर वालों को खिला दो।" (सहीह बुखारी २/६८४ हदीस नं.:१८३४)

इस्लाम धर्म के सभी आदेश और उपासनाएं मानव शक्ति के अनुकूल हैं जो उस के ऊपर उसकी शक्ति से बढ़कर किसी चीज़ का भार नहीं डालती हैं, तथा यह भी ज्ञात होना चाहिए कि ये आदेश, इबादतें और अनिवार्यताएं कुछ परिस्थितियों में समाप्त हो जाती हैं , उदाहरण के तौर पर :

- नमाज़ के अन्दर अनिवार्य चीज़ों में से यह है कि अगर शक्ति है तो आदमी खड़े होकर नमाज़ पढ़े, किन्तु अगर खड़े होकर पढ़ने से असमर्थ है तो बैठ कर नमाज़ पढ़ेगा, अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े और अगर इसकी भी ताक़त नहीं है तो संकेत से पढ़े।
- जिस आदमी के पास निसाब भर धन नहीं है तो उस के ऊपर ज़कात अनिवार्य नहीं है, बल्कि अगर वह गरीब और ज़रूतमंद है तो उसे ज़कात दी जाये गी।
- बीमार, मासिक धर्म और प्रसव वाली, तथा गर्भवती महिला से रोज़ा समाप्त हो जाता है। इस में कुछ विस्तार है जिसका यह अवसर नहीं है।
- जो आदमी आर्थिक और शारीरिक तौर पर हज्ज की ताक़त नहीं रखता है उस से हज्ज समाप्त हो जाता है। इसमें भी कुछ विस्तार है जिसके बयान करने का यह अवसर नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : "लोगों पर अल्लाह के लिए खाना का'बा का हज्ज करना अनिवार्य है उस आदमी के लिए जो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पाता हो।" (सूरत आल-इम्रान :९७)
- जिस व्यक्ति को अपनी जान पर भय और खतरा हो, तो वह अपनी जान को बचाने भर के लिए अल्लाह तआला की हराम

की हुई (वर्जित) चीज़ को खा या पी सकता है, जैसे कि मुर्दार, खून, सुवर का गोश्त और शराब। अल्लाह तआला का फरमान है : ''पस जो शख़्स मजबूर हो और सरकशी करने वाला और ज़्यादती करने वाला न हो (और उनमे से कोई चीज़ खा ले) तो उसपर गुनाह नहीं है।'' (सूरतुल बक़रा : १७३)

इस्लाम धर्म अन्य आसमानी धर्मों का सम्मान करता है और मुसलमानों पर उन पर ईमान रखना आवश्यक क़रार देता है, और उसे इस बात का आदेश देता है कि वह उन रसूलों का आदर-सम्मान करे और उन से महब्बत करे जिन पर वो धर्म अवतरित हुए थे, अल्लाह तआला का फरमान है : ''बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से इन्कार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों में तफ़रक़ा डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ (पैग़म्बरों) पर ईमान लाए हैं और बाज़ का इन्कार करते हैं और चाहते हैं कि इस (कुफ़्र व ईमान) के दरमियान एक दूसरी राह निकालें, यही लोग हक़ीक़तन काफ़िर हैं और हमने काफ़िरों के वास्ते ज़िल्लत देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है।'' (सूरतुन्निसा :१५१-१५२)

तथा इस्लाम दूसरें के अक़ीदों, आस्थाओं और मान्यताओं को बुरा कहने से रोकता है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और ये (मुशरेकीन) जिन की अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उन्हें तुम बुरा न कहा करो वर्ना ये लोग भी ख़ुदा को बिना समझें अदावत से बुरा-भला न कह बैठें।'' (सूरतुल अंआम :१०८)

तथा अपने प्रतिरोधियों और विरोधकों से हिकमत और नरमी के साथ बहस करने का हुक्म देता है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''तुम (लोगों को) अपने परवरदिगार की राह पर हिकमत और अच्छी अच्छी नसीहत के ज़रिए से बुलाओ और उनसे बहस व मुबाहसा इस तरीक़े से करो जो लोगों के नज़दीक सबसे अच्छा हो

इसमें शक नहीं कि जो लोग अल्लाह की राह से भटक गए उनको तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है।" (सरतुन नह्ल :१२५)

और ऐसी सार्थक बातचीत की ओर बुलाता है जो ईश्वारीय पाठ्यक्रम पर लोगों को एकजुट करता है, अल्लाह तआला का फरमान है : "(ऐ रसूल) आप (उनसे) कह दीजिए कि ऐ अहले किताब तुम ऐसी (ठिकाने की) बात पर तो आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी चीज़ को उसका शरीक न बनाएं और अल्लाह के सिवा हम में से कोई किसी को अपना परवरदिगार न बनाए अगर इससे भी मुँह मोड़ें तो तुम गवाह रहना हम (अल्लाह के) फ़रमांबरदार हैं।" (सूरत आल इम्रान :६४)

इस्लाम धर्म व्यापक शांति का धर्म है जितना कि यह शब्द अपने अन्दर अर्थ रखता है, चाहे उसका संबंध मुस्लिम समाज के घरेलू स्तर से हो, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "क्या मैं तुम्हें मोमिन के बारे में सूचना न दूँ? जिस से लोग अपने मालों और जानों पर सुरक्षित हों, और मुसलमान वह जिस की ज़ुबान और हाथ से लोग सुरक्षित हों, और मुजाहिद वह है जो अल्लाह की फरमांबरदारी में अपने नफ्स से जिहाद (संघर्ष) करे, और मुहाजिर वह है जो गुनाहों को छोड़ दे।" (सहीह इब्ने हिब्बान ११/२०३ हदीस नं.:४८६२)

या उसका संबंध वैश्विक स्तर से हो जो मुस्लिम समाज और अन्य समुदायों, विशेषकर वो समाज जो धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते या उसके प्रकाशन में रूकावट नहीं बनते हैं, के बीच सुरक्षा, स्थिरता और अनाक्रमण पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर आधारित हो, अल्लाह तआला का फरमान है : "ऐ ईमान वालों! तुम सबके सब इस्लाम में पूरी तरह दाख़िल हो जाओ और शैतान

के क़दम ब क़दम न चलो, वह तुम्हारा यक़ीनन खुला दुश्मन है।" (सूरतुल बक़रा :२०८)

तथा इस्लाम ने शांति को बनाए रखने और उसकी स्थिरता को जारी रखने के लिए अपने मानने वालों को आक्रमण का जवाब देने और अन्याया का विरोध करने का हुक्म दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "पस जो शख़्स तुम पर ज़्यादती करे तो जैसी ज़्यादती उसने तुम पर की है वैसी ही ज़्यादती तुम भी उस पर करो।" (सूरतुल बक़रा :१९४)

तथा इस्लाम ने शांति को प्रिय रखने के कारण, अपने मानने वालों को युद्ध की अवस्था में, यदि शत्रु संधि की मांग करे, तो उसे स्वीकार कर लेने और लड़ाई बंद कर देने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और अगर ये कुफ्फार सुलह की तरफ मायल हों तो तुम भी उसकी तरफ मायल हो और अल्लाह पर भरोसा रखो (क्योंकि) वह बेशक (सब कुछ) सुनता जानता है।" (सूरतुल अनफाल :६१)

इस्लाम अपनी शांति प्रियता के साथ साथ अपने मानने वालों से यह नहीं चाहता है कि वो शांति के रास्ते में अपमानता उठायें या उनकी मर्यादा क्षीण हो, बल्कि उन्हें इस बात का हुक्म देता है कि वह अपनी इ़ज़्ज़त और मर्यादा को सुरक्षित रखने के साथ-साथ शांति को बनाये रखें, अल्लाह तआला का फरमान है : "तो तुम हिम्मत न हारो और (दुशमनों को) सुलह की दावत न दो, तुम ग़ालिब हो ही और अल्लाह तो तुम्हारे साथ है और हरगिज़ तुम्हारे आमाल को बरबाद न करेगा।" (सूरत मुहम्मद :३५)

- इस्लाम धर्म में इस्लाम स्वीकार करने करने की बाबत किसी पर कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि उसका इस्लाम स्वीकारना उसके दृढ़ विश्वास और सन्तुष्टि पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि जब्र करना और दबाव बनाना इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने का तरीक़ा नहीं

है, अल्लाह तआला का फरमान है : “दीन में किसी तरह की जबरदस्ती (दबाव) नहीं क्योंकि हिदायत गुमराही से (अलग) ज़ाहिर हो चुकी है।” (सूरतुल बक़रा :२५६)

जब लोगों तक इस्लाम का निमन्त्रण पहुँच जाये और उसे उनके सामने स्पष्ट कर दिया जाये, तो इसके बाद उन्हें उसके स्वीकार करने या न करने की आज़ादी है, क्योंकि इस्लाम का मानना यह है कि मनुष्य उसके निमन्त्रण को क़बूल करने या रद्द कर देने के लिए आज़ाद है। अल्लाह तआला का फरमान है : “बस जो चाहे माने और जो चाहे न माने।” (सूरतुल कहफ :२९)

क्योंकि ईमान और हिदायत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तआला का फरमान है: “और (ऐ पैग़म्बर) अगर तेरा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन पर हैं सबके सब ईमान ले आते तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो ताकि सबके सब मोमिन हो जाएँ।” (सूरत यूनुस :९९)

तथा इस्लाम की अच्छाईयों में से यह भी है कि उसने अपने विरोधी अह्ले किताब (यानी यहूदी व ईसाई) को अपने धार्मिक संस्कार को करने की आज़ादी दी है, अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं : “...तुम्हारा गुज़र ऐसे लोगों से होगा जिन्हों ने अपने आप को कुटियों में तपस्या के लिए अलग-थलग कर लिया होगा, तो तुम उनको और जिस काम में वे लगे हुए होंगे, उसे छोड़ देना।” (तबरी ३/२२६)

तथा उनके धर्म ने उनके लिए जिन चीज़ों का खाना पीना वैध ठहराया है, उन्हें उन चीज़ों के खाने पीने की आज़ादी दी गई है, इसलिए उनके सुवरों को नहीं मारा जायेगा, उनके शराबों को नहीं उंडेला जाये गा, और जहाँ तक नागरिक मामलों का संबंध है जैसे शादी-विवाह, तलाक़, वित्तीय लेनदेन, तो उनके लिए उस चीज़ को अपनाने और लागू करने की आज़ादी है जिसका पर वो विश्वास

रखते हैं, और इसके लिए कुछ शर्तें और नियम हैं जिसे इस्लाम ने बयान किया है, जिन के उल्लेख करने का यह अवसर नहीं है।

इस्लाम धर्म ने गुलामों (दासों) को आज़ाद कराया है, उनके आज़ाद करने को पुण्य का कार्य घोषित किया है और आज़ाद करने वाले के लिए अज्र व सवाब का वादा किया है, और उसे जन्नत में जाने के कारणों में से क़रार दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस आदमी ने किसी गुलाम को आज़ाद किया तो अल्लाह तआला उसके हर अंग के बदले उसके एक अंग को जहन्नम से मुक्त कर देगा यहाँ तक कि उसकी शरमगाह के बदले उसकी शरमगाह को आज़ाद कर देगा।" (सहीह मुस्लिम २/११४७ हदीस नं.:१५०६)

इस्लाम दासता के सभी तरीक़ों को हराम घोषित करता है, और केवल एक तरीक़ा वैध किया है और वह है युद्ध के अन्दर बंदी बनाने के द्वारा दास बनाना, लेकिन इस शर्त के साथ कि मुसलमानों का खलीफा उन पर दासता का आदेश लगा दे, क्योंकि इस्लाम में बंदियों की कई स्थितियाँ है जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने इस कथन के द्वारा बयान किया है : "तो जब तुम काफिरों से भिड़ो तो (उनकी) गर्दनें मारो यहाँ तक कि जब तुम उन्हें ज़ख़्मों से चूर कर डालो तो उनकी मुश्कें कस लो फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर या अर्थदण्ड (मुआवज़ा) लेकर छोड़ दो, यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे (यानी बंद हो जाए)।" (सूरत मुहम्मद :४)

जहाँ एक तरफ इस्लाम ने दासता के रास्ते तंग कर दिये और उसका केवल एक ही रास्ता बाक़ी छोड़ा, वहीं दूसरी तरफ गुलाम आज़ाद करने के रास्तों में विस्तार किया है, इस प्रकार कि गुलाम को आज़ाद करना मुसलमान से होने वाले कुछ गुनाहों का कफ़्फ़ारा बना दिया है, उदाहरण के तौर पर :

- गलती से किसी को क़त्ल कर देना, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और जो आदमी किसी मुसलमान का क़त्ल चूक से कर दे तो उस पर एक मुसलमान गुलाम (स्त्री या पूरूष) आज़ाद करना और मक्तूल के रिश्तेदारों को खून की क़ीमत देना है। लेकिन यह और बात है कि वह माफ कर दे, और अगर वह मक्तूल तुम्हारे दुश्मन क़ौम से हो और मुसलमान हो तो एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है, और अगर मक्तूल उस क़ौम का है जिसके और तुम्हारे (मुसलमानों के) बीच सुलह है तो खून की क़ीमत उसके रिश्तेदारों को अदा करना है, और एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना भी है।'' (सूरतुन्निसा :९२)

- क़सम तोड़ने में, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : ''अल्लाह तुम्हारे बेकार क़समों (के खाने) पर तो ख़ैर पकड़ न करेगा मगर पक्की क़सम खाने और उसके ख़िलाफ करने पर तो ज़रुर तुम्हारी पकड़ करेगा उसका कफ़्फारा (जुर्माना) जैसा तुम खुद अपने अह्ल व अयाल को खिलाते हो उसी क़िस्म का औसत दर्जे का दस मोहताजों को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना या एक गुलाम आज़ाद करना है।'' (सूरतुल माईदा :८९)

- ज़िहार (ज़िहार का मतलब है आदमी का अपनी बीवी से कहना :तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है।), अल्लाह तआला का फरमान है : ''जो लोग अपनी पत्नियों से ज़िहार करें फिर अपनी कही हुई बात को वापस ले लें तो उनके ज़िम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गर्दन आजाद करना है।'' (सूरतुल मुजादिला :३)

- ☒ रमज़ान में बीवी से सम्भोग करना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रमज़ान में अपनी पत्नी से सहवास कर लिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसका हुक्म पूछा तो आप ने फरमाया :''क्या तुम एक गुलाम आज़ाद करने की ताक़त रखते हो? उसने कहाः नहीं, आप ने पूछा : क्या तुम दो महीना लगातार रोज़ा रख सकते हो? उसने कहा नहीं, आप ने फरमाया : ''तो साठ मिसकीनों को खाना खिलाओ।'' (सहीह मुस्लिम २/७८२ हदीस नं.:१११)

- ☒ गुलामों पर ज़ियादती करने का उसे कफ्फारा बनाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जिस ने अपने किसी गुलाम को थप्पड़ मारा, या उसकी पिटाई की, तो उसका कफ्फारा यह है कि उसे आज़ाद कर दे।'' (सहीह मुस्लिम २/१२७८ हदीस नं.:१६५७)

इस्लाम के दासों की मुक्ति का कड़ा समर्थक होने का दृढ़ प्रामाण निम्नलिखित तत्व भी हैं :

१. इस्लाम ने मुकातबा का आदेश दिया है, यह गुलाम और उसके स्वामी के बीच एक इत्तिफाक़ होता है जिस में उसे कुछ धन के बदले आज़ाद करने पर समझौता किया जाता है, कुछ फुक़हा ने इसे अगर गुलाम इसकी मांग कर रहा है तो अनिवार्य क़रार दिया है, उनका प्रमाण अल्लाह ताआला का फरमान है : ''और तुम्हारी लौन्डी और गुलामों में से जो मुकातब होने (कुछ रुपए की शर्त पर आज़ादी) की इच्छा करें तो तुम अगर उनमें कुछ सलाहियत देखो तो उनको मुकातब कर दो और अल्लाह के माल से जो उसने तुम्हें अता किया है उनको भी दो।'' (सूरतुन्नूर :३३)

२. गुलाम आज़ाद करने को उन संसाधनों में से क़रार दिया है जिनमें ज़कात का माल खर्च किया जाता है, और वह गुलामों को गुलामी से और बंदियों को क़ैद से आज़ाद कराना है, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है : "ख़ैरात (ज़कात) तो बस फकीरों का हक़ है और मिसकीनों का और उस (ज़कात) के कर्मचारियों का और जिनके दिल परचाये जा रहे हों और गुलाम के आज़ाद करने में और क़र्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह (जिहाद) में और मुसाफिरों के लिए, ये हुकूक़ अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर किए हुए हैं और अल्लाह तआला बड़ा जानकार हिकमत वाला है।" (सूरतुत्तौबा :६०)

- इस्लाम धर्म अपनी व्यापकता से जीवन के सभी पहलुओं को घेरे हुए है, चुनाँचि मामलात, युद्ध, विवाह, अर्थ व्यवस्था, राजनीति, और इबादात... के क्षेत्र में ऐसे नियम और कानून प्रस्तुत किए हैं जिस से एक उत्तम आदर्श समाज स्थापित हो सकता है जिसके समान उदाहरण पेश करने से पूरी मानवता भी असमर्थ है, और इन नियमों और क़ानूनों से दूरी के एतिबार से गिरावट आती है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और हमने आप पर किताब (कुरआन) नाज़िल की जिसमें हर चीज़ का (शाफी) बयान है और मुसलमानों के लिए (सरापा) हिदायत और रहमत और खुशख़बरी है।" (सूरतुन् नह्ल :८९)

- इस्लाम ने मुसलमान के संबंध को उसके रब, उसके समाज और उसके आस-पास के संसार, चाहे वह मानव संसार हो या पर्यावरण संसार, के साथ व्यवस्थित किया है। इस्लाम की शिक्षाओं में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे शुद्ध फित्रत और स्वस्थ बुद्धि नकारती हो, इस सर्वव्यापकता का प्रमाण इस्लाम का उन व्यवहारों और आंशिक चीज़ों का ध्यान रखना है जिन का संबंध लोगों के जीवन से है, जैसे क़ज़ा-ए-हाजत (शौच) के आदाब और मुसलमान को उस से पहले,

उसके बीच और उसके बाद क्या करना चाहिए, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : सलमान फारसी से कहा गया : तुम्हारे नबी तुम्हें हर चीज़ सिखलाते हैं, यहाँ तक कि पेशाब-पाखाना के आदाब भी, सलमान ने जवाब दिया : जी हाँ, आप ने हमें पेशाब या पाखाने के लिए क़िब्ला की ओर मुँह करने, या दाहिने हाथ से इस्तिंजा करने, या तीन से कम पत्थरों से इस्तिंजा करने, या गोबर (लीद) या हड्डी से इस्तिंजा करने से रोका है।" (सहीह मुस्लिम १/२२३ हदीस नं.:२६२)

- इस्लाम धर्म ने महिला के स्थान को ऊँचा किया है और उसे सम्मान प्रदान किया है, और उसका सम्मान करने को संपूर्ण, श्रेष्ठ और विशुद्ध व्यक्तित्व की पहचान ठहराया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "सब से अधिक संपूर्ण ईमान वाला आदमी वह है जिसके अख्लाक़ सब से अच्छे हों, और तुम में से सर्व श्रेष्ठ आदमी वह है जो अपनी औरतों के लिए सब से अच्छा हो।" (सहीह इब्ने हिब्बान ६/४८३ हदीस नं.:४१७६)

- इस्लाम ने महिला की मानवता की सुरक्षा की है, अतः वह गलती (पाप) का स्रोत नहीं है, न ही वह आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने का कारण है जैसाकि पिछले धर्मों के गुरू कहते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : "ऐ लोगो! अपने उस पालनहार से डरो जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और दोनों से बहुत से मर्द-औरत फैला दिए और उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक-दूसरे से माँगते हो और रिश्ता तोड़ने से (भी बचो)।" (सूरतुन-निसा :१)

तथा इस्लाम ने महिलाओं के विषय में जो अन्यायिक क़ानून प्रचलित थे, उन्हें निरस्त कर दिया, विशेष कर जो महिला को पुरूष से कमतर समझा जाता था, जिस के परिणाम स्वरूप उसे बहुत सारे मानवाधिकारों से वंचित होना पड़ता था, अल्लाह के पैग़म्बर

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं :**"महिलाएं, पुरूषों के समान हैं।"** (सुनन अबू दाऊद १/६१ हदीस नं.:२३६)

तथा उसके सतीत्व की सुरक्षा की है और उसके सम्मान की हिफाज़त की है, चुनाँचि उस पर आरोप लगाने और उसकी सतीत्व को छति पहुँचाने पर आरोप का दण्ड लगाने का हुक्म दिया है, अल्लाह तआला ने फरमाया : "और जो लोग पाक दामन औरतों पर (ज़िना का) आरोप लगाएँ फिर (अपने दावे पर) चार गवाह पेश न करें तो उन्हें अस्सी कोड़े मारो और फिर कभी उनकी गवाही क़बूल न करो और (याद रखो कि) ये लोग खुद बदकार हैं।" (सूरतुन्नूर :४)

तथा वरासत में उसके अधिकार की ज़मानत दी है जिस प्रकार कि मर्दों का हक़ है, जबकि इस से पहले वह वरासत से वंचित थी, अल्लाह ताअल का फरमान है: "माँ बाप और क़राबत्दारों के तर्के में कुछ हिस्सा ख़ास मर्दों का है और उसी तरह माँ बाप और क़राबतदारों के तरके में कुछ हिस्सा ख़ास औरतों का भी है ख़्वाह तर्का कम हो या ज़्यादा (हर शख़्स का) हिस्सा (हमारी तरफ़ से) मुक़र्रर किया हुआ है।" (सूरतुन्निसा :७)

तथा उसे पूर्ण योग्यता, आर्थिक मामलों जैसे किसी चीज़ का मालिक बनना, क्रय-विक्रय और इसके समान अन्य मामलों में बिना किसी के निरीक्षण या उसके तसर्रुफात को सीमित किए बिना, उसे तसर्रुफ करने की आज़ादी दी है, सिवाय उस चीज़ के जिस में शरीअत का विरोध हो, अल्लाह तआला का फरमान है: "ऐ ईमान वालों अपनी पाक कमाई में से ख़र्च करो।" (सूरतुल बक़रा :२६७)

तथा उसे शिक्षा देने को अनिवार्य किया है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "इल्म को प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है।" (सुनन इब्ने माजा १/८१ हदीस नं.:२२४)

इसी प्रकार उसकी अच्छी तरबियत (प्रशिक्षण) का हुक्म दिया है और उसे जन्नत में जाने का कारण बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिसने तीन लड़कियों की किफालत की, फिर उनको प्रशिक्षित किया, उनकी शादियाँ कर दी और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया तो उसके लिए जन्नत है।" (सुनन अबू दाऊद ३/३३८ हदीस नं.: ५१४७)

- इस्लाम धर्म पवित्रता और सफाई-सुथराई का धर्म है:

१- हिस्सी पवित्रता जैसे कि शिर्क से पवित्रता, अल्लाह ताअला का फरमान है: "शिर्क माह पाप है।"

- रियाकारी से पवित्रता, अल्लाह तआला का फरमान है : " उन नमाजियों के लिए अफसोस (और वैल नामी जहन्नम की जगह) है। जो अपनी नमाज़ से ग़ाफिल हैं। जो दिखावे का कार्य करते हैं। और प्रयोग में आने वाली चीज़ें रोकते हैं।" (सूरतुल माऊन)

- खुद पसन्दी, अल्लाह ताआला का फरमान है : "और लोगों के सामने (गुरुर से) अपना मुँह न फुलाना और ज़मीन पर अकड़ कर न चलना क्योंकि अल्लाह किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को दोस्त नहीं रखता, और अपनी चाल-ढाल में मियाना रवी अपनाओ और दूसरों से बोलने में अपनी आवाज़ धीमी रखो क्योंकि आवाज़ों में तो सब से बुरी आवाज़ गधों की है।" (सूरत लुक़मान :१८)

- गर्व से पवित्रता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिसने गर्व के कारण अपने कपड़े को घसीटा, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसकी ओर नहीं देखेगा।" (सहीह बुखारी ३/१३४० हदीस नं.:३४६५)

- घमण्ड से पवित्रता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस आदमी के दिल में एक कण के बराबर भी घमण्ड होगा वह जन्नत में नहीं जाये गा।" एक आदमी ने पूछा : ऐ अल्लाह के पैगम्बर! आदमी पसन्द करता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके

जूते अच्छे हों, आप ने फरमाया :"अल्लाह तआला जमील (खूबसूरत) है और जमाल (खूबसूरती) को पसन्द करता है, घमण्ड हक़ को अस्वीकार करने और लोगों को तुच्छ समझने को कहते हैं।" (सहीह मुस्लिम १/९३ हदीस नं.:९१)

- हसद (डाह, ईर्ष्या) से पवित्रता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "लोगो हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाती है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, या आप ने फरमाया : घास-फूस को खा जाती है।"

२- मा'नवी (आंतरिक) तहारत, अल्लाह तआला का फरमान है : "ऐ ईमानदारो! जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपने मुँह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और अपने सिर का मसह कर लिया करो और टखनों तक अपने पाँवों को धो लिया करो और अगर तुम हालते जनाबत में हो तो तुम तहारत (गुस्ल) कर लो (हाँ) और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई पाख़ाना करके आए या औरतों से हमबिस्तरी की हो और तुमको पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो यानी (दोनों हाथ धरती पर मारकर) उससे अपने मुँह और अपने हाथों का मसह कर लो, अल्लाह तो ये चाहता ही नहीं कि तुम पर किसी तरह की तंगी करे बल्कि वह यह चाहता है कि तुम्हें पाक व पाकीज़ा कर दे और तुम पर अपनी ने'मतें पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ।" (सूरतुल माईदा :६)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : यह आयत क़ुबा वालों के बारे में उतरी : "उस में ऐसे लोग हैं जो अधिक पवित्रता को पसंद करते हैं और अल्लाह तआला भी पवित्रता हासलि करने वालों को पसंद करता है।" (सूरतुत्तौबा :१०८) आप ने फरमाया : वो लोग पानी से इस्तिंजा करते थे तो उनके बारे में यह आयत उतरी।" (सुनन तिर्मिज़ी :५/२८० हदीस नं.:३१००)

- इस्लाम धर्म आन्तरिक शक्ति वाला धर्म है जो उसे इस बात का सामर्थी बनाता है कि वह दिलों में घर कर जाता है और बुद्धियों पर छा जात है, यही कारण है कि उसे तेज़ी से फैलते हुए और उसे स्वीकार करने वालों की बहुतायत देखने में आती है, जबकि इस मैदान में मुसलमानों की तरफ से खर्च किया जाने वाला भौतिक और आध्यात्मिक सहायता कमज़ोर है, इसके विपरीत इस्लाम के दुश्मन और द्वेषी उसका विरोध करने, उसे बदनाम करने और लोगों को उस से रोकने के लिए भौतिक और मानव संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, किन्तु इन सब के बावजूद लोग इस्लाम में गुट के गुट प्रवेश कर रहे हैं, यदा कदा ही इस्लाम में प्रवेश करने वाला उस से बाहर निकलता है, इस शक्ति का, बहुत से मुस्तशरेक़ीन के इस्लाम में प्रवेश करने का बड़ा प्रभाव रहा है, जिन्हों ने दरअसल इस्लाम का अध्ययन इस लिए किया था कि उसमें कमज़ोर तत्व खोजें, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती, उसके सिद्धांतों की सत्यता और उनका शुद्ध फित्रत और स्वस्थ बुद्धि के अनुकूल होने का उनके जीवन की धारा को मोड़ने और उनके मुसलमान हो जाने में प्रभावकारी रहा। इस्लाम के दुश्मनों ने भी इस बात की शहादत दी है कि वह सत्य धर्म है, उन्हीं में से (Margoliouth) है जो इस्लाम की दुश्मनी में कुख्यात है, किन्तु कुरआन की महानता ने उसे सच्चाई को कहने पर विवश कर दिया : "रिसर्च करने वालों (अन्वेषकों) का इस बात पर इत्तिफाक़ है कि महान धार्मिक ग्रन्थों में कुरआन एक स्पष्ट श्रेष्ठ पद रखता है, जबकि वह उन तारीखसाज़ (इतिहास रचनाकार) ग्रन्थों में सब से अन्त में उतरने वाला है, लेकिन मनुष्य पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ने में वह सब से आगे है, उसने एक नवीन मानव विचार को अस्तित्व दिया है, और एक उत्कृष्ट नैतिक पाठशाला की नीव रखी है।"

- इस्लाम धर्म सामाजिक समतावाद का धर्म है जिसने मुसलमान पर अनिवार्य कर दिया है कि वह अपने मुसलमान भाईयों की स्थितियों

का चाहे वे कहीं भी रहते बसते हों, ध्यान रखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''मोमिनों का उदाहरण आपस में एक दूसरे से महब्बत करने, एक दूसरे पर दया करने, और एक दूसरे के साथ हमदर्दी और शफ़क़त करने में, शरीर के समान है कि जब उसका कोई अंग बीमार हो जाता है तो सारा शरीर बेदारी और बुखार के द्वारा उसके साथ होता है।'' (बुखारी व मुस्लिम)

तथा मुसीबतों और संकटों में उनके साथ खड़ा हो और उनका सहयोग करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार के समान है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को शक्ति पहुँचाता है।'' और आप ने अपने एक हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में दाखिल किया। (सहीह बुखारी १/८६३ हदीस नं.:२३१४)

तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने का हुक्म दिया है : ''और अगर वो दीन के मामले में तुम से मदद मांगें तो तुम पर उनकी मदद करना लाज़िम व वाजिब है मगर उन लोगों के मुक़ाबले में (नहीं) जिनमें और तुम में बाहम (सुलह का) अह्द व पैमान है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (सबको) देख रहा है।'' (सूरतुल अनफाल :७२)

तथा उन्हें असहाय छोड़ देने से रोका है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

''जो अदमी भी किसी मुसलमान की ऐसी जगह में सहायत और मदद करना छोड़ देता है जहाँ उसकी हुर्मत को पामाल किया जाता है और उसकी बे-इज़्ज़ती की जाती है, तो अल्लाह तआला ऐसे आदमी को ऐसी जगह पर असहाय छोड़ देगा जहाँ वह उसकी सहायता और सहयोग को पसंद करता है। तथा जो आदमी किसी मुसलमान की ऐसी जगह में सहायता और सहयोग करता है जहाँ उसकी हुर्मत को पामाल किया जाता है और उसकी बे-इज़्ज़ती की

जाती है, तो अल्लाह तआला ऐसे आदमी की ऐसी जगह पर सहायता और मदद करेगा जहाँ वह उसकी सहायता को पसंद करता है।" (सुनन अबू दाऊद ४/२७१ हदीस नं.:४८८४)

- इस्लाम धर्म ने मीरास का ऐसा नियम प्रस्तुत किया है जो मृतक के उन वारिसों पर जिनका मीरास के अन्दर अधिकार है चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, वरासत (मृतक के क़र्ज़ की अदायगी और वसीयत पूरी करने के बाद बचा हुआ तर्का) को न्यायपूर्ण पसंदीदा ढंग से अच्छी तरह बांटता है, जिसकी यथार्थता की शहादत विशुद्ध और स्वस्थ बुद्धि के लोग देते हैं, इस मीरास को धन वाले मृतक व्यक्ति से दूरी और नज़दीकी और लाभ के एतिबार से बांटा जाता है, चुनाँचि किसी को अपनी इच्छा और ख्वाहिश के अनुसार मीरास को बांटने का अधिकार नहीं है, इस व्यवस्था की अच्छाईयों में यह है कि वह धनों को चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो उन्हें तोड़ कर छोटी-छोटी मिलकियतों में कर देता है, और सम्पत्त्यिों को कुछ निर्धारित लोगों के हाथों में ही एकत्रित रह जाने के मामले को लगभग असम्भव बना देता है, क़ुरआन करीम ने औलाद, माता-पिता, मियाँ-बीवी और भाईयों के हिस्से बयान किए हैं, जिनके विस्तार का यह अवसर नहीं है, इसके लिए मीरास की किताबों की तरफ रूजूअ् करें।

  आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "अल्लाह तआला ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया है, अतः किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं है।" (सुनन अबू दाऊद ३/११४ हदीस नं. :२८७०)

- इस्लमाम धर्म ने वसीयत का नियम वैध किया है, जिसके अनुसार मुसलमान के लिए वैध है कि वह अपने मरने के बाद अपने धन को नेकी और भलाई के कामों में लगाने की वसीयत करे, ताकि वह धन उसके मरने के बाद सद्क़ा जारिया बन जाए, किन्तु इस वसीयत को

एक तिहाई धन के साथ सीमित किया गया है, आमिर बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरी अयादत करते थे जबकि मैं मक्का में बीमार था, तो मैं ने कहा कि मेरे पास धन है, क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत कर दूँ? आप ने कहा नहीं, तो मैं ने कहा तो फिर आधे माल की? आप ने फरमाया नहीं, मैं ने कहा तो फिर एक तिहाई की? आप ने फरमाया : एक तिहाई की कर सकते हो और एक तिहाई भी अधिक है, तुम्हारा अपने वारिसों को मालदार छोड़ना इस बात से बेहतर है कि तुम उन्हें मुहताज छोड़ दो, वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, और तुम कितना भी खर्च कर डालो वह सद्क़ा है यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुँह में जो लुक़मा डालते हो (वह भी सद्क़ा है) और शायद अल्लाह तुम्हारी बीमारी को उठा ले और कुछ लोग तुझ से लाभ उठायें और दूसरे लोग नुक़सान।'' (सहीह बुखारी १/४३५ हदीस नं.:१२३३)

तथ वसीयत के अन्दर वारिसों को छति न पहुँचाई जाए, अल्लाह तआला का फरमान है : ''(ये सब) मैइत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और (अदाए) क़र्ज़ के बाद, मगर हाँ वह वसीयत (वारिसों को) नुक़्सान पहुँचाने वाली न हो, ये वसीयत अल्लाह की तरफ़ से है।'' (सूरतुन्निसा :१२)

- इस्लाम धर्म ऐसी दंड संहिता प्रस्तुत करता है जो अपराधों और उसके फैलाव से समाज की सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करता है, चुनाँचि वह खून-खराबा को रोकता है, सतीत्व की सुरक्षा करता है, धनों की हिफाज़त करता है, बुरे लोगों को दबाता है, और लोगों की इस बात से सुरक्षा करता है कि उनमें से एक दूसरे पर आक्रमण करे। इस अपराध की रोक-थाम करता है या उसमें कमी करता है। इसी लिए हम देखते हैं कि इस्लाम ने हर अपराध का एक दंड निर्धारित किया है जो उस अपराध की गम्भीरता के अनुकूल होता है, चुनाँचि जानबूझ कर किसी को क़त्ल कर देने का

दंड यह निर्धारित किया है कि उसे बदले में क़त्ल कर दिया जाए, अल्लाह तआला का फरमान है : "ऐ मोमिनो! जो लोग (नाहक़) मार डाले जाएँ उनके बदले में तुम को जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है।" (सूरतुल बक़रा :१७८)

हाँ, अगर जिसका क़त्ल हुआ है उसके घर वाले उसे माफ कर दें, तो फिर कोई बात नहीं, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : "पस जिस (क़ातिल) को उसके ईमानी भाई (तालिबे क़िसास) की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाये तो उसे भी उसके क़दम ब क़दम नेकी करना और सद्व्यवहार से (ख़ून बहा) अदा कर देना चाहिए।" (सूरतुल बक़रा :१७८)

तथा चोरी की सज़ा क़त्ल क़रार दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और चोर चाहे मर्द हो या औरत, तुम उनके करतूत की सज़ा में उनका (दाहिना) हाथ काट डालो ये (उनकी सज़ा) अल्लाह की तरफ़ से है और अल्लाह (तो) बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है।" (सूरतुल मायदा :३८)

जब चोर का पता चलेगा कि चोरी करने पर उसका हाथ काट दिया जाए गा तो वह चोरी करने से रूक जाए गा, इस प्रकार उसका हाथ कटने से बच जाए गा और लोगों के धन भी चोरी से सुरक्षित हो जायें गे।

तथा ज़िना के द्वारा लोगों के आबरू पर आक्रमण करने वाले अविवाहित का दंड कोड़ा लगाना घोषित किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द इन दोनों में से हर एक को सौ (सौ) कोड़े मारो।" (सूरतुन्नूर :२)

तथा किसी के सतीत्व पर ज़िना का आरोप लगाने वाले का दंड भी कोड़ा मारना घोषित किया है, अल्लाह तआला ने फरमाया : "और जो लोग पाक दामन औरतों पर (ज़िना की) तोहमत लगाएँ फिर

(अपने दावे पर) चार गवाह पेश न करें तो उन्हें अस्सी कोड़ें मारो।'' (सूरतुन्नूर :४)

इसके बाद शरीअत ने एक सामान्य धार्मिक नियम निर्धारित किया है जिस के आधार पर दंडों को सुनिश्चित किया जाए गा, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है।'' (सूरतुश्शूरा :४०)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है : ''और अगर तुम दंड दो तो उतना ही दंड दो जितना तुम्हें कष्ट पहुँचाया गया है।'' (सूरतुन्नह्ल :१२६)

इन सज़ाओं और दंडों को लागू करने की कुछ शर्तें और ज़ाबते हैं, जबकि ज्ञात होना चाहिए कि इस्लाम ने इन सज़ाओं को लागू करना आवाश्यक ही नही क़रार दिया है बल्कि मानवाधिकार में माफी और क्षमा के सामने रास्ते को खुला छोड़ा है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और जो माफ कर दे और सुधार कर ले तो उसका बदला अल्लाह के ऊपर है।'' (सूरतुश्शूरा :४०)

इन सज़ाओं और दंडों को लागू करने से इस्लाम का उद्देश्य बदला और हिंसा-प्रियता नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, समाज में शांति और संतोष पैदा करना और उसकी सुरक्षा करना और उसकी शांति और स्थिरता से खिलवाड़ करने वाले को रोकना है, जब हत्यारे को पता चल जायेगा कि उसकी भी हत्या कर दी जाए गी, जब चोर को मालूम हो जायेगा कि उसका हाथ काट दिया जाए गा, जब ज़िना करने वाले को पता चल जायेगा कि उसे कोड़ा लगाया जायेगा और जब ज़िना की तोहमत लगाने वाले को पता चल जाएगा कि उसे कोड़ा मारा जायेगा, तो वह अपने इरादे से बाज़ आ जाएगा, चुनाँचि वह स्वयं सुरक्षित होगा और दूसरे भी सुरक्षित रहें गे। अल्लाह तआला का कथन कितना सच्चा है : ''ऐ अक़्लमन्दो! क़िसास (हत्यादंड के क़वाएद मुक़र्रर कर देने) में

तुम्हारी ज़िन्दगी है (और इसीलिए जारी किया गया है ताकि तुम खूँरेज़ी से) परहेज़ करो।" (सूरतुल बक़रा :१७६)

कोई कहने वाला कह सकता है कि ये सज़ायें जिन्हें इस्लाम ने कुछ अपराधों के लिए निर्धारित किया है, बहुत कठोर दंड हैं! तो ऐसे आदमी से कहा जाये गा कि सभी लोग इस पर सहमत हैं कि इन अपराधों के समाज पर ऐसे नुक़सानात हैं जो किसी पर रहस्य नहीं, और यह कि उनका विरोध और रोक थाम करना और उन पर दंड लगाना आवश्यक है, मतभेद केवल इस में है कि किस प्रकार का दंड होना चाहिए, अब हर आदमी को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इस्लाम ने जो सज़ाएं रखी हैं वो अपराध की जड़ को काटने या उसे कम करने में अधिक लाभदायक और प्रभावकारी हैं, या वह सज़ाएं जिन्हें मानव ने निर्धारित किए हैं जो अपराध को अतिरिक्त बढ़ावा देते हैं? चुनाँचि पीड़ित अंग को काटना आवाश्यक होता है ताकि शेष शरीर सुरक्षित रह सके।

इसलाम धर्म ने सभी आर्थिक लेन-देन और मामलात जैसे क्रय-विक्रय, साझेदारियाँ, किराया पर देना, मुआवज़े आदि वैध किए हैं क्योंकि इस में लोगों पर उनके मआशी मामलों में विस्तार पैदा होता है, इसके कुछ शरई नियम हैं जो हानि न होने और अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करते हैं, और वह इस प्रकार कि दोनों पक्षों के बीच रज़ामंदी हो, जिस चीज़ पर मामला किया जा रहा है उसकी, उसके विषय और उसकी शर्तों की जानकारी हो, इस्लाम ने केवल उसी चीज़ को हराम घोषित किया है जिसमें हानि और अत्याचार (अन्याय) हो जैसे सूद, जुवा, लाटरी और वो मामलात जिनमें अज्ञानता हो, शरई नियमानुसार माली योग्यता और उसमें तसर्रुफ की आज़ादी सभी का अधिकार है किन्तु इस्लाम ने मनुष्य पर उसके माल के अन्दर तसर्रुफ करने पर पाबन्दी को वैध कर दिया है अगर उसके तसर्रुफ का उसके ऊपर या किसी दूसरे पर हानि का कारण हो, उदाहरण के तौर पर पागल, अल्पायु (छोटी उम्र

वाला) और बेवक़ूफ आदमी पर पाबंदी लगाना, या क़र्ज़दार आदमी पर पाबंदी लगाना यहाँ तक कि वह अपना क़र्ज़ चुका दे, इस कृत्य में जो हिक्मत (रहस्य) और लोगों के हुक़ूक़ की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, वह किसी बुद्धि वाले आदमी से गुप्त नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के हुक़ूक़ का खिलवाड़ और मज़ाक बनने से सुरक्षा है।

इस्लाम धर्म एकता, एकजुटता और गठबंधन का धर्म है जिसने सभी मुसलमानों को इस बात की तरफ बुलाया है कि वह सब के सब एक साथ और एक हाथ हों ताकि उन्हें गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त हो, और वह निम्नलिखित तरीक़े से :

- निजी इच्छाओं और शह्वतों को त्याग कर जो उनके बीच जनजातीय और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों (हठ) को जन्म देता है, जो कि विघटन, मतभेद और फूट का एक तत्व समझा जाता है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्हों ने अपने पास स्पष्ट प्रमाण आ जाने के बाद भी फूट और मतभेद डाला, इन्हीं के लिए भयंकर अज़ाब है।" (सूरत आल इमरान :१०५)

  मतभेद करना इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : "बेशक जिन्हों ने अपना दीन अलग-अलग कर दिया और अनेक धार्मिक सम्प्रदाय बन गए, आप का उन से कोई संबंध नहीं, उनका फैसला अल्लाह के पास है, फिर उन्हें उस से आगाह करेगा जो वह करते रहे हैं।" (सूरतुल अंआम :१५९)

  क्योंकि मतभेद और फूट हैबत के समाप्त हो जाने और दुश्मनों के प्रभुत्ता और स्थिति के गिर जाने का कारण है, अल्लाह तआला का फरमान है : "आपस में मतभेद न रखो, नहीं तो बुज़दिल हो जाओ गे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी।" (सूरतुल अन्फाल :४६)

- अक़ाईद और इबादात को शिर्क और बिद्आत की चीज़ों से शुद्ध और पवित्र करना। अल्लाह तआला का फरमान है : "सुनो!

अल्लाह तआला ही के लिए खालिस इबादत करना है, और जिन लोगों ने उसके सिवाय औलिया बना रखे हैं (और कहते हैं) कि हम उनकी इबादत केवल इसलिए करते हैं कि यह (बुजुर्ग) हम को अल्लाह के क़रीब पहुँचा दें।'' (सूरतुज़्ज़ुमर :३)

- सभी राजनीतिक, आर्थिक ... इत्यादि मामलों मे मुसलमानों के बीच समन्वय का होना जिस से उन्हें सुरक्षा, शांति और स्थिरता प्राप्त हो, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और अल्लाह तआला की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और गुटबंदी न करो।'' (सूरत आल-इमरान :१०३)

- इस्लाम धर्म ने लोगों के लिए प्रोक्ष बातों को जगजाहिर किया है और उनके लिए पिछले लोगों (समुदायों) की सूचनाओं को स्पष्ट रूप से बयान किया है, चुनाँचि कुरआन की बहुत सी आयतों में अल्लाह तआला ने हमे पिछले पैग़म्बरों और उनकी क़ौमों और उनके साथ पेश आने वाली घटनाओं की सूचना दी है, अल्लाह तआला का फरमान है: ''और हम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और स्पष्टों प्रमाणों के साथ भेजा, फिरऔन और हामान और क़ारून की तरफ।'' (सूरतुल मोमिन :२३-२४)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है : ''और (याद करो) जब मर्यम के बेटे ईसा ने कहा ऐ बनी इसराईल मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ और अपने से पूर्व किताब तौरात की तसदीक़ (पुष्टि) करने वाला हूँ।'' (सूरतुस्सफ़ :६)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : ''तथा हम ने आ'द की ओर उनके भाई हूद को भेजा, तो उन्हों ने कहा : ऐ मेरी क़ौम अल्लाह की उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्चा मा'बूद (पूज्य) नहीं।'' (सूरतुल आराफ :६०)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : ''तथा समूद की ओर उनके भाई सालेह को भेजा, तो उन्हों ने कहा : ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह की

उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्चा मा'बूद नहीं। (सूरतुल आराफ :७३)

इसी तरह बाक़ी नबियों और रसूलों के बारे में भी क़ुर्आन हमें सूचना देता है कि उनकी क़ौमों के साथ क्या घटनायें पेश आईं।

- इस्लाम धर्म ने इंसान और जिन्नात सभी लोगों को चुनौती दी है कि इस्लाम के प्रथम दस्तूर क़ुर्आन करीम जैसी किताब ले आयें और यह चुनौती निरंतर प्रलोक तक बाक़ी रहेगी। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया : "यदि इंसान और जिन्नात मिल कर इस क़ुर्आन जैसी किताब लाना चाहें तो नहीं ला सकते अगरचे वह आपस में एक दूसरे की सहायता करें।"

  क़ुर्आन की यह चुनौती धीरे-धीरे क़ुर्आन जैसी कुछ सूरतें लाने की हो गई, अल्लाह तआला ने फरमाया : "क्या ये लोग यह कहते हैं कि उस (मुहम्मद) ने इसे गढ़ लिया है? आप कह दीजिए कि तुम लोग उस जैसी दस सूरतें ही गढ़ कर ले आओ और अल्लाह के अलावा जिसे चाहो अपनी सहायता के लिए बुला लो यदि तुम सच्चे हो।"

  फिर इस चुनौती को और कठोर करते हुए क़ुर्आन जैसी एक सूरत ही लाने का मुतालबा किया गया, अल्लाह तआला ने फरमाया : "हम ने जो कुछ अपने बन्दे पर उतारा है अगर उसके विषय में तुम्हें शक है तो तुम लोग उस जैसी एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह को छोड़ कर अपने साझेदारें को बुला लो, यदि तुम सच्चे हो।" (सूरतुल बक़रा:२३)

- इस्लाम धर्म प्रलोक के क़रीब होने और दुनिया के समाप्त होने के लक्षणों (निशानियों) में से एक लक्षण है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट किया है कि वह प्रलोक के नबी हैं और उनका नबी बनाकर भेजा जाना प्रलोक के क़रीब होने की दलील है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि : ‘‘मैं और प्रलोक इन दोनों की तरह भेजे गए हैं।’’ रावी कहत हैं कि : आप ने बीच वाली और शहादत वाली अंगुली को मिलाया। (सहीह मुस्लिम)

और इसका कारण यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अन्तिम सन्देष्टा हैं।

इस्लाम की राजनीतिक स्थिति का खुलासा :

इस्लामी शरीअत ने अन्य मैदानों की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ मूल सिद्धांत और सामान्य नियम प्रस्तुत किए हैं और यही वह आधारशिला है जिस पर इस्लामी राष्ट्र का निर्माण स्थापित है, और इस्लामी शरीअत ने इस्लामी राष्ट्र के शासक को इन सिद्धांतो और नियमों का पालन करने की सूरत में, अल्लाह के आदेशों को लागू करने वाला माना है, अल्लाह तआला का फरमान है :

‘‘क्या यह लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? और यक़ीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है?’’ (सूरतुल मायदा :५०)

इस्लामी राष्ट्र का शासक मुस्लिम समुदाय का ज़िम्मेदार (प्रतिनिधि) होता है, इस ज़िम्मेदारी की बुनियाद पर उसके लिए यह चीज़ें ज़रूरी होती हैं :

१. वह अपनी शक्ति भर अल्लाह के क़ानून को लागू करे और अपनी प्रजा के अच्छे जीवन के सामान जुटाये और उनके धर्म, शांति, जान और माल की सुरक्षा करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि : ‘‘जिस किसी भी व्यक्ति को अल्लाह ने किसी प्रजा का संरक्षक बनाया फिर उसने उनकी खैरखाही (शुभचिन्ता) नहीं की तो वह जन्नत की महक नहीं पायेगा।’’ (सहीह बुखारी ६/२६१४ हदीस नं.६७३१)

इस्लामी राष्ट्र में हाकिम इस तरह होना चाहिए जैसा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन अपने साथियों से कहा था : मुझे एक ऐसा व्यक्ति बतलाओं जिसे मैं मुसलमानों के कार्य में अपना गवर्नर बनाऊँ। लोगों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम पेश किया। आप ने कहा कि वह कमज़ोर हैं। लोगों ने कहा कि फलाँ। आप ने कहाः मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लोगों ने पूछा कि आप किसे चाहते है? आप ने कहा : मैं ऐसे आदमी को चाहता हूँ कि जब वह लोगों का अमीर हो तो ऐसा लगे कि गोया वन उन्हीं में का एक साधारण आदमी है, और जब व उनका अमीर न हो तो ऐसा हो कि गोया वह उनका अमीर है। लोगों ने कहा कि ऐसा आदमी हम रबीअ् बिन हारिस के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा : तुम लोगों ने सच्च कहा, फिर आप ने उन्हें अपना गवर्नर बना दिया।

२. मुसलमानों के कार्यों का मालिक ऐसे व्यक्ति को न बनाए जो ज़िम्मेदारी और अमानत को संभालने की योग्यता न रखता हो, जैसे कि किसी दोस्त या रिश्तेदार को ज़िम्मेदार बना दे और उस से अधिक हक़दार और अच्छे आदमी को छोड़ दे। मुसलमानों के प्रथन ख़लीफा अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब यज़ीद बिन सुफयान को मुल्के शाम (सीरिया) भेजा तो उनसे कहा : ऐ यज़ीद! शाम में तुम्हारी रिश्तेदारी है, मुझे तुम्हारे बारे में इस बात का डर है कि तुम इमारत (शासन के कामों) में उन्हे वरीयता न दो, (याद रखो) पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ‘‘जिसे मुसलमानों के किसी काम का ज़िम्मेदार बनाय गया फिर उसने किसी को दोस्ती के कारण उनका अमीर बना दिया तो उस पर अल्लाह की फटकार है, अल्लाह उस से कोई बदला और फिद्या (फर्ज़ और नफ्ल

इबादत) स्वीकार नहीं करे गा यहाँ तक कि उसे नरक में डाल देगा।'' (मुस्तदरक लिल-हाकिम ४/१०४ हदीस नं.:७०२४)

इन सिद्धांतों और नियमों की विशेषताएं :

- ये ईश्वरीय क़ानून हैं, इन्हें अल्लाह सब्हानहु व तआला ने बनाया है जिसके सामने शासक और शासित, धनवान और निर्धन, ऊँच और तुच्छ, गोरा और काला सब बराबर हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए चाहे वह कितना बड़ा और महान हो यह अधिकार नहीं कि वह उन का विरोध करे, या कोई ऐसा क़ानून बनाये जो उस से टकराता हो या उसके विरूद्ध हो, अल्लाह ताअला का फरमान है : ''और (देखो) किसी मोमिन नर या नारी को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने किसी मामले का कोई अख्तियार बाक़ी नहीं रहता। (याद रखो) जो अल्लाह ताअला और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वह स्पष्ट गुमराही में पड़ेगा।'' (सूरतुन अहज़ाब :३६)
- सभी लोगों पर चाहे वह राजा हो या प्रजा, इन नियमों का कठोरता से पालन करने और उनका सम्मान करने और उनको लागू करने को अनिवार्य क़रार दिया है, अल्लाह तआना का फरमान है : ''मोमिनों की बात तो यह है कि जब उन्हें इस लिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल उनमें फैसला कर दें तो वह कहते हैं कि हम ने सुना और माल लिया, यही लोग सफल होने वाले हैं।'' (सूरतुन्नूर :५१)

इस्लाम के अन्दर किसी भी व्यक्ति को खुली छूट नहीं है यहाँ तक कि राजा की सारी शक्तियाँ भी शरीअत के

दायरे में सीमित होती हैं, यदि वह शरई क़ानूनो का उल्लंघन करता है तो उसकी न बात सुनी जायेगी और न ही उसका आज्ञापालन किया जायेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के कारण : ''मुसलमान व्यक्ति पर हर चीज़ में अपने हाकिम की बात सुनना और उसका आज्ञापालन करना, चाहे वह उसे पसंद हो या नापसंद, अनिवार्य है, सिवाय इसके कि वह पाप करने का हुक्म दे, जब वह पाप के कार्य का आदेश दे तो न उसकी बात सुनी जायेगी और न ही उसका पालन किया जायेगा।

- आपसी राय (मश्वरा) वह मूल बुनियाद है जिस पर राजनीतिक व्यवस्था क़ायम होती हैं और इसी से इस्लामी राष्ट्र शुद्ध होता है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : ''और अपने पालनहार की बात स्वीकार करते हैं और नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और उनका हर काम आपस की राय (मश्वरा) से होता है, और जो हम ने उन्हें दिया है उस में से (हमारे नाम पर) दान करते हैं।'' (सूरतुश्शूरा :३८)

और अल्लाह तआला का फरमान है : ''और अल्लाह की रहमत के कारण आप उन पर दयालु हैं और यदि आप बदज़ुबान और निर्दयी होते तो यह सब आप के पास से छट जाते, इस लिए आप उन को क्षमा करें और उनके लिए इस्तिग़फार करें और मामले में उनसे राय व मश्वरा लिया करें।'' (आल इमरान :१५९)

प्रथम आयत के अन्दर अल्लाह तआला ने मश्वरा को उस नमाज़ के साथ मिलाया है जो इस्लाम का स्तम्भ है और यह उसके महान होने का सबूत है। क़ौम के सभी हितैषी कार्यों में विद्वानों और ज्ञानियों से मश्वरा करना अनिवार्य है। आयत के अन्त में अल्लाह तआला ने

सामान्य रूप से मोमिनों की, उनके अपने आपसी कामों में पारस्परिक राय व मश्वरा से काम लेने के कारण, सराहना की है।

और दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने अपने रसूल से, जो इस्लामी राष्ट्र के हाकिम हैं, उन मामलों में जिनका संबंध उम्मत के हितों से है और उसके बारे में अल्लाह का कोई हुक्म मौजूद नहीं है, उनमें आपस में राय-मश्वरा करने का मुतालबा किया है, लेकिन जिस मामले में नस (क़ुरआन या हदीस का स्पष्ट प्रमाण) मौजूद हो उसमें राय (मश्वरा) का कोई प्रश्न ही नहीं है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने सहाबा (साथियों) से मश्वरा किया करते थे, जैसाकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी इस हदीस में इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि ‘‘मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अधिक अपने साथियों से मश्वरा करने वाला किसी को नहीं देखा।’’ (सुनन तिर्मिज़ी ४/२१३ हदीस नं.:१७१४)

मुस्लिम विद्वानों (फ़ु’क़हा) ने हाकिम के अलए अपनी प्रजा के हितैषी कार्यों में उनसे सलाह व मश्वरा करने को अनिवार्य क़रार दिया है, अगर उस ने आपसी राय व मश्वरा न किया तो पिछली दोनों आयतो के आधार पर उम्मत के लिए अनिवार्य है कि वह उस से अपनी राय को व्यक्त करने और अपनी विचारधारा को पेश करने का मुतालबा करे। इसलिए कि इस्लामी शरी’अत हाकिम को ज़िम्मेदार मानती है और उसे जो ज़िम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करना उस पर अनिवार्य है, इसके विपरीत प्रजा की यह ज़िम्मेदारी है कि वह हाकिम का निरीक्षण करे कि वह शरी’अत को लागू कर रहा है। इस्लाम ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और अच्छे ढंग से रब्बानी तरीक़ा को अपनाते हुए ऐसी प्रतिक्रिया करने कि जो भड़काऊ और दंगा-फसाद पैदा करने वाली न हो, उसकी आज़ादी दी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि ‘‘सब से अच्छा जिहाद अत्यचारी बादशाह के पास सच्च बात कहना है।’’ (मुस्तदरक हाकिम ४/५५१ हदीस नं.:८५४३)

प्रथम खलीफा अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : ऐ लोगो! मैं तुम पर शासक बनाया गया हूँ जबकि मैं तुम से अच्छा नहीं हूँ, यदि तुम मुझे हक़ पर देखो तो तुम मेरी सहायता करो और अगर मुझे गलत रास्ते पर पाओं तो तुम मुझे सुधारो। मेरी आज्ञापालन करो जब तक कि मैं अल्लाह का आज्ञापालन करूँ। अगर मैं उसका उल्लंघन करूँ तो तुम्हारे ऊपर मेरा आज्ञापालन अनिवार्य नहीं है।

दूसरे खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन मिम्बर पर भाषण देने के लिए खड़े हुए और कहा कि ऐ लोगो ! यदि तुम मेरे अन्दर टेढ़ापन देखो तो तुम उसे सीधा करो। आम जन्ता में से एक दीहाती खड़ा हुआ और बोला कि अल्लाह की क़सम यदि हम ने आप में टेढ़ापन देखा तो उसे हम अपनी तलवारों से सीधा करेंगे। इस बात पर उमर रज़ियललाहु अन्हु न तो क्रोधित हुए और न ही उसे दंड दिया, प्रन्तु अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाया और कहा कि तमाम प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने उम्मत के अन्दर उमर को सुधारने वाला बनाया।

बल्कि हाकिम का हिसाब लिया जायेगा और उस से प्रश्न किया जायेगा, चुनाँचि यह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो एक दिन भाषण देने के लिए खड़े हुए और वह दो कपड़े पहने हुए थे और उन्हों ने कहा कि ऐ लोगो! सुनो और आज्ञापालन करो, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला न तो आप की बात सुनी जायेगी और न ही उसका पालन किया जायेगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इसका कारण क्या है? वह आदमी बोला कि आप के शरीर पर दो कपड़े हैं और हमारे शरीर पर एक ही कपड़ा है -और हर मुसलमान के लिए एक ही वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था- उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तेज़ आवाज़ से बोले कि ऐ अब्दुल्लाह पुत्र उमर! इनको इसके विषय में बतलाओ, उन्हों ने कहा कि यह मेरा कपड़ा है, जो मैं ने उन्हें दे दिया है। आदमी बोला कि अब हम आप की बात सुनेंगे और मानें गे।

इस्लाम ने इस कार्य के द्वारा हुक़ूक़ (अधिकारों) और आम व खास आज़ादी की सुरक्षा की है, इस्लामी नियम निर्माण के स्रोतों (संसाधनों) को नियम (विधान) बनाने वालों के की सीमित (कुंठित) ईच्छाओं से दूर कर दिया है, क्योंकि उनके विधान एंव नियम निर्माण परांतिक व्यक्तिगत ईच्छाओं की पैदावार होता है, जहाँ तक अन्य आंशिक मामालों का संबंध है तो इस्लामी नियम निर्माण ने उनसे छेड़-छाड़ नहीं किया है, और ऐसा केवल इस लिए है ताकि मुसलमानों के लिए हर समय और स्थान पर जनहित के अनुसार अपनी स्थिति के मुनासिब विधान और नियम बनाने का द्वारा खुला रखे, इस शर्त के साथ कि वो नियम और विधान इस्लाम के मूल सिद्धांतों और बेसिक नियमों से टकराते न हों।

इस्लाम में आर्थिक स्थिति की मुख्य विशेषताएं

माल जीवन की रीढ़ की हड्डी और उसका आवश्यक अंश है जिसके द्वारा इस्लामी शरी'अत का उद्देश्य एक संतुलित समाज की स्थापना है जिसमें सामाजिक न्याय का बोल बाला हो जो अपने सभी सदस्यों के लिए अच्छे जीवन का प्रबंध करता है, चुनाँचि वह ऐसे ही है जैसाकि अल्लाह तआला ने उसके बारे में अपने इस कथन के द्वारा सूचना दी है : ''धन और बेटे दुनिया के जीवन की ज़ीनत हैं।'' (सूरतुल कहफ :४६)

और जब इस्लाम की दृष्टि में धन उन ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है जिस से व्यक्ति या समूह बेनियाज़ नहीं हो सकते तो अल्लाह तआला ने उसके कमाने और खर्च करने के तरीक़ों से संबंधित कुछ नियम बनाये हैं, साथ ही साथ उसमें अढ़ाई प्रतिशत (२५:) ज़कात अनिवार्य किया है जो धनवानों के मूलधनों पर एक साल बीत जाने के बाद लिया जायेगा और निर्धनों और गरीबों में बांट दिया जायेगा, इसके बारे में पहले बात की जा चुकी है, यह निर्धनों के अधिकारों में से एक अधिकार है जिसे रोक लेना हराम (वर्जित) है।

इसका यह अर्थ नहीं कि इस्लाम व्यक्तिगत स्वामित्व और निजी व्यापारों को निरस्त करार देता है, बल्कि इस्लाम ने इसे स्वीकार किया है और उसका सम्मान किया है, और दूसरों के धनों और सम्पत्तियों से छेड़ छाड़ करने को वर्जित ठहराने के बारे में शरई नुसूस मौजूद हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : ''एक दूसरे का माल अवैध रूप से न खाया करो।'' (सूरतुल बक़रा :१८८)

इस्लाम ने ऐसे नियमों का निर्माण किया है जिन को लागू करना उस द्देश्य की पूर्ति को सुनिश्चित करता है जिसके लिए इस्लाम प्रयासरत है यानी समाज के हर सदस्य के लिए अच्छा जीवन मुहैया कराना, उसके लिए इस्लाम ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

१.व्याज को हराम करार दिया है क्योंकि इसमें आदमी अपने भाई की आवश्यकता और उसके प्रयासों (मेहनतों) का गलत फायदा उठाता और उसके धन को बिना कुछ दिए ले लेता है, तथा व्याज के फैलने से लोगों के बीच से अच्छाई की समाप्ति हो जाती है और धन कुछ विशिष्टि दलों के हाथों में सिमट कर रह जाता है, अल्लाह तआला का फरमान है : '' ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला से डरो और जो व्याज बाक़ी रह गया है वह छोड़ दो यदि तुम सच्चे ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह तआला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हाँ यदि तौबा कर लो तो तुम्हारा मूल धन तुम्हारा ही है, न तुम अत्याचार करो और न तुम पर अत्याचार किया जायेगा।'' (सूरतुल बक़रा :२७८)

२. इस्लाम ने क़र्ज़ (ऋण) देने पर उभारा है और उसकी रूचि दिलाई है ताकि सूद और उसके रास्तों को बंद किया जा सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''जिसने किसी मुसलमान को एक दिर्हम दो बार क़र्ज़ दिया तो उसके लिए उन दोनों को एक बार सद्क़ा करने का अज्र व सवाब है।'' (मुसनद अबू यअ्ला ८/४४३ हदीस नं. :२४१८)

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जिसने किसी मुसलमान की परेशानी (संकट) को दूर कर दिया तो उसके बदले अल्लाह तआला उसकी क़ियामत के दिन की परेशानियों में से एक परेशानी को दूर कर देगा।" (सहीह मुस्लिम हदीस नं.:५८)

☒ और इस्लाम तंगी वाले को छूट और मोहलत देने का संदेश दिया है और उसे तंग न करने का यह हुक्म मुस्तहब (ऐच्छिक) है, अनिवार्य नहीं है - यह उक व्यक्ति के लिए है जो ऋण वापस करने का पूरा प्रयास कर रहा हो लेकिन टालमटोल और खिलवाड़ करने वाले के लिए यह नहीं है- अल्लाह तआला का फरमान है : "और यदि तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक छूट देनी चाहिए।" (सूरतुल बक़रा :२८०)

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिसने किसी तंगी वाले को छूट और मोहलत दिया उसके लिए हर दिन के बदले सद्क़ा होगा, और जिसने उसे क़र्ज़ चुकाने की मुद्दत आन जाने के बाद मोहलत दिया उसके लिए उसी के समान हर दिन सद्क़ा है।" (सुनन इब्ने माजा २/८०८ हदीस नं.:२४१८)

-ऋणी पर ऋण चुकाना कष्ट हो रहा हो तो इस्लाम ने अनिवार्य न करते हुए ऋणी से ऋण के क्षमा कर देने पर उभारा है और इसका महत्व बतलाया है, अल्लाह तआला फरमाता है : "और दान करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है।" (सूरतुल बक़रा :२८०)

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि "जो इस बात से प्रसन्न हो कि अल्लाह तआला उसे प्रलोक की कठिनाईयों से छुटकारा दे दे तो उसे चाहिए कि वह तंगी वाले को छूट व मोहलत दे या उस से ऋण को समाप्त कर दे।" (सुनन बैहक़ी ५/३५६ हदीस नं.:१०७५६)

३. इस्लाम ने लालच और ज़खीरा अंदोज़ी को हराम ठहराया है चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि ज़खीरा करने वाला लोगों

के इस्तेमाल की वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला लोगों के खानपान और ज़रूरत के सामान को रोक लेता है यहाँ तक कि वह सामान मंडी में कम होजाता है, फिर वह मनपसंद भाव लगाकर बेचता है, इस से समाज के सभी लोगों धनवान एंव निर्धन सब को नुक़सान पहुँचता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण यह गलत है: ''जिसने माल को ज़खीरा किया वह पापी है।'' (सहीह मुस्लिम ३/१२२७ हदीस नं.:१६०५)

अबू यूसुफ इमाम अबू हनीफा के शिष्य कहते हैं : ''हर वह वस्तु जिसका रोकना लोगों के लिए हानिकारक हो वह एहतिकार (ज़खीरा अन्दोज़ी) है, यदि वह सोना चाँदी ही क्यों न हो, और जिसने ज़खीरा किया उसने अपनी मिलकियत में गलत हक़ का इस्तेमाल किया। इसलिए कि ज़खीरा करने से रोकने का उद्देश्य लोगों से हानि को रोकना है और लोगों की विभिन्न ज़रूरतें होती हैं और ज़खीरा अन्दोज़ी से लोग कष्ट और तंगी में पड़ जाते हैं।

और हाकिम का यह अधिकार है कि सामान इकट्ठा करके रखने वाले को ऐसे मुनासिब फायदे में बेचने पर मजबूर करे जिस में न बेचने वाले का हानि हो न ही खरीदने वाले का। यदि सामान इकट्ठा करके रखने वाला इन्कार कर देता है तो हाकिम को यह अधिकार है कि वह अपना शासन लागू कर के उसे मुनासिब दाम में बेचे ताकि उसके इस कृत्य के सबब सामान इकट्ठा करके रखने और लोगों की आवश्यकताओं से लाभ कमाने की इच्छा रखने वाले का रास्त बंद हो जाए।

४.इस्लाम ने चुँगी को हराम क़रार दिया है, यानी वह धन जो व्यापारी से उसे सामान बेचने की अनुमति देने या शहरों में घुसाने की अनुमित देने पर लिया जाता है जिसे इस समय टैक्स (कर) से जाना जाता है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है

''टैक्स (चुँगी) लेने वाला जन्नत में नहीं जायेगा।'' (सहीह इब्ने खुज़ैमा ४/५१ हदीस नं.:२३३३)

यह हर वह चीज़ लेने का नाम है जिसका लेना वैध नहीं और ऐसे असदमी को देना जिसके लिए उसे लेना वैध नहीं है, और इस में हर प्रकार की सहायता करने वाला चाहे वह वसूली करने वाला हो या लिखने वाला हो या गवाह हो या लेने वाला हो, वह पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के अंतरगत आता है : ''वह मांस और खून जिस का पोषण अवैध धन से हुआ है वह स्वर्ग में नहीं जा सकता, वह नरक का अधिक हक़दार है।'' (सहीह इब्ने हिब्बान १२/३७८ हदीस नं.: ५५६७)

५.इस्लाम ने धन का खज़ाना बनाकर रखने और उसमें अल्लाह के उन हुक़ूक़ को जिन से मनुष्य और समाज का भला और लाभ होता है, न निकालने को हराम क़रार दिया है इसलिए कि माल के इस्तेमाल का उचित ढंग यह है कि सभी लोगों के हाथों में पहुँचता रहे, ताकि इस से आर्थिक व्यवस्था चलती रहे, जिस से समाज के सभी लोग लाभान्वित होते है विशेषकर जब समाज को ज़रूरत हो, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और जो लोग सोने चाँदी का खज़ाना रखते हैं और उसे अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते उन्हें कष्टदायक सज़ा की सूचना पहुँच दीजिए।'' (सूरतुत्तौबा :३४)

इस्लाम ने जिस तरह निजी मिलकियत का सम्मान किया है उसी तरह उसमें हुक़ूक़ और वाजिबात निर्धारित किए हैं, इन वाजिबात में से कुछ ऐसे हैं जो स्वयं मालिक ही के लिए हैं जैसे अपने ऊपर खर्च करना और रिश्तेदारों में से जिनके खर्च का वह ज़िम्मेदार है उन पर खर्च करना ताकि वह दूसरों के ज़रूरतमंद न रहें। उन में से कुछ समाज के खास लोगों के लिए अनिवार्य है जैसे ज़कात, दान, खैरात इत्यादि। तथा उनमें से कुछ समाज के लिए अनिवार्य है, जैसे विद्यालय, स्वास्थ केन्द्र, अनाथालय और मस्जिदें बनाने और ह

रवह चीज़ जिसे से ज़रूरत के वक़्त समाज को लाभ पहुँचे, उसमें माल खर्च करना। और इस कार्य के द्वारा इस्लाम धन को समाज के कुछ विशिष्ट लोगों के हाथों में सिमटने से रोकना चाहता है।

६.नाप और तौल में डंडी मारने को इस्लाम ने हराम ठहराया है इसलिए कि यह एक प्रकार की चोरी, छीना झपटी, खियानत और धोखा-धड़ी है, अल्लाह तआला फरमाता है : ''बड़ी खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों की, कि जब लोगों से नाप कर लेते है ंतो पूरा पूरा लेते हैं और जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते है ंतो कम देते हैं।'' (सूरतुल मुतफ्फिेफीन :१-३)

७. इस्लाम ने मनुष्यों के आम लाभ और मुनाफे की चीज़ों पर क़ब्ज़ा जमाने और लोगों को उस से लाभ उठाने से रोकने को हराम क़रार दिया है, जैसे आम पानी और चरागाह जो किसी व्यक्ति की सम्पत्ति न हो, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''तीन प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं कि प्रलोक के दिन अल्लाह उनसे बात करेगा न ही उनकी तरफ देखे गा : एक व्यक्ति वह है जिसने किसी सामग्री के बारे में क़सम खाया कि जितने में वह दे रहा उस से अधिक देकर लिया है हालांकि वह झूठा है, एक व्यक्ति वह है जिसने अस्र के बाद अपने मुसलमान भाई का माल लेने के लिए झूठी क़सम खाई और एक व्यक्ति वह है जिस ने ज़रूरत से अधिक (फाल्तू) पानी को रोक लिया, अल्लाह तआला कहे गा : आज मैं तुम से अपना फ़ज़्ल रोक लूँगा जिस तरह तुम ने उस अतिरिक्त पानी को रोक दिया था जो तुम्हारे हाथों की कमाई नहीं थी।'' (सहीह बुखारी २/८३४ हदीस नं.:२२४०)

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि ''मुसलमान तीन चीज़ों में आपस में साझीदार हैं : चारा, पानी और आग।'' (मुसूनद अहमद ५/३६४ हदीस नं.:२३१३२)

८. इस्लाम के अन्दर मीरास का क़ानून है, माल के मालिक से दूरी और क़रीबी के हिसाब से वरासत (तरका) को वारिसों के बीच बांटा जाता है

-और इस वरासत के धन के बटवारे में किसी का व्यक्तिगत व मनमानी अधिकार नहीं चलता है- और इस क़ानून की अच्छाईयों में से यह है कि धन चाहे जितना ज़्यादा हो यह सब को छोटे-छोटे भाग में बांट देता है और इस धन को कुछ विशिष्ट लोगों के हाथों में सिमटने को असम्भव बना देता है, रसलू सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि "अल्लाह तआला ने हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया है इसलिए किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं है।" (सुनन अबू दाऊद ३/११४ हदीस नं.:२८७०)

९. वक़्फ का क़ानून : इस्लाम ने वक़्फ करने पर लोगों को उभारा और उयकी रूचि दिलाई है। वक़्फ दो प्रकार का है :

खास वक़्फ : आदमी अपने घर और परिवार वालों के लिए उन्हें भूख, गरीबी और भीख मांगने से बचाने के उद्देश्य से धन वक़्फ करे, और इस वक़्फ के ठीक होने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि वक़्फ करने वाले के परिवार के खत्म हो जाने के बाद उसका लाभ पुण्य के कार्यों में लगाया जाएगा।

आम वक़्फ : आदमी आम पुण्य के कार्यों में अपना धन वक़्फ करे जिसका उद्देश्य उस वक़्फ या उसके लाभ को भलाई और नेकी के कामों पर खर्च करना हो, जैसे : हस्पताल, पाठशालाएं, रास्ते, पुस्तकालय, मसाजिद, और अनाथों, लावारिसों और कमज़ोरों की देखभाल के केंद्र बनाना, इसी तरह हर वह काम जिसका समाज को लाभ पहुँचे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे नेकी के काम बंद हो जाते हैं सिवाय तीन चीज़ों के, सद्क़ा जारिया (बाक़ी रहने वाला दान) या लाभदायक ज्ञान या नेक लड़का जो माता पिता के लिए दुआ करे।" (सहीह मुस्लिम ३/१२५५ हदीस नं.:१६३१)

१०.वसीयत का नियम : इस्लाम ने मुसलमान के लिए यह वैध क़रार दिया है कि वह अपने माल में से कुछ माल मरने के बाद पुण्य कार्य

और भलाई के कामों में खर्च करने की वसीयत कर दे। लेकिन इस्लाम ने तिहाई माल से अधिक वसीयत करने की अनुमति नहीं दी है ताकि इस से वारिसों को हानि न पहुँचे। आमिर बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है वह कहते हैं कि मैं मक्का में बीमार था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरा हाल पता करने के लिए आये, मैं ने आप से कहा कि क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर सकता हूँ? आप ने कहा नहीं, तो मैं ने कहा तो फिर आधे माल की? आप ने फरमाया नहीं, मैं ने कहा तो फिर एक तिहाई की? आप ने फरमाया : एक तिहाई की कर सकते हो और एक तिहाई भी अधिक है, तुम्हारा अपने वारिसों को मालदार छोड़ना इस बात से बेहतर है कि तुम उन्हें मुहताज छोड़ दो वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, और तुम कितना भी खर्च कर डालो वह सद्क़ा है यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुँह में जो लुक़मा डालते हो (वह भी सद्क़ा है) और शायद अल्लाह तुम्हारी बीमारी को उठा ले और कुछ लोग तुम से लाभ उठायें और दूसरे लोग नुक़सान।" (सहीह बुखारी १/४३५ हदीस नं.:१२३३)

११.उन तमाम चीज़ों को हराम क़रार दिया जो अल्लाह तआला के इस कथन "एक दूसरे का माल अवैध तरीक़े से न खाओ।" के अन्तरगत आती हैं।

☒ विभिन्न प्रकार की छीना झपटी से रोका है, इसलिए कि इसमें लोगों पर अत्याचार होता है और समाज में बिगाड़ पैदा होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :"जिसने क़सम खा कर अपने मुसलमान भाई का हक़ छीन लिया तो अल्लाह तआला ने उसके लिए नरक अनिवार्य कर दिया है और उस पर स्वर्ग हराम कर दिया है। एक आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! किन्तु छोटी ही चीज़ क्यों न हो? आप ने कहा कि चाहे पीलू की एक डाली ही क्यों न हो।" (सहीह मुस्लिम १/१२२ हदीस नं.:१३७)

- ☒ और चोरी से रोका है, इसलिए कि यह लोगों के धनों पर अवैध क़ब्ज़ा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : ‘‘ज़िना करने वाला ज़िना करते वक़्त कामिल मोमिन नहीं रहता, चोर चोरी करते वक़्त मुकम्मल मोमिन नहीं रहता, शराबी शराब पीते वक़्त कामिल मोमिन नहीं रहता और उसके बाद उसके सामने तौबा का अवसर रहता है।’’(सहीह मुस्लिम १/७७ हदीस नं.:५७)
- ☒ धोखा और फरेब से रोका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण ‘‘जिसने हम पर हथियार उठाया वह हम में से नहीं और जिस ने हमें धोखा दिया तो वह हम में से नहीं।’’ (सहीह मुस्लिम १/९९ हदीस नं.:१०१)
- ☒ अल्लाह के इस फरमान के आधार पर घूस लेने से रोका है : ‘‘एक दूसरे का माल अवैध तरीक़े से न खाओ, और न ही हाकिमों को घूस दे कर किसी का कुछ माल अत्याचारी से हथियालिया करो, हालांकि तुम जानते हो।’’ (सूरतुल बक़रा :१८८)

  तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के कारण भी हराम है कि ‘‘फैसला में घूस देने और लेने वाले दोनों पर अल्लाह की फटकार है।’’ (सहीह इब्ने हिब्बान ११/४६७ हदीस नं.:५०७६)

  ‘राशी’ घूस देने वाला ‘‘मुर्तशी’ घूस लेने वाला और एक हदीस में ‘राईश’ का शब्द आया है जिसका अर्थ दलाल है। घूस देने वाले पर फटकार इस लिए है कि वह इस हानिकारक चीज़ को समाज में फैलाने में सहायता कर रहा है और अगर वह घूस न देता तो घूसखोर न पाया जाता, और घूस लेने वाले पर फटकार इस लिए है कि उस ने घूस देने वाले को अवैध रूप से उसका धन लेकर उसे हानि पहुँचाया है और उसने अमानत में खियानत की है, इसलिए कि वह कार्य जो उस पर बिना माल लिए हुए करना अनिवार्य था उसे पैसे के बदले में किया है, इसके साथ ही घूस देने वाले के

मुखालिफ को भी हानि हो सकता है। दलाल ने घूस देने और लेने वाले दोनों से नाहक़ माल लिया है और इस बुराई के फैलाव का प्रोत्साहन किया है।

- इस्लाम ने मनुष्य के लिए अपने भाई के क्रय पर क्रय करने को हराम क़रार दिया है, हाँ अगर वह उसे अनुमति दे दे तो कोई बात नहीं, इसलिए कि इस से समाज में दुश्मनी पैदा होती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि ‘‘आदमी अपने भाई के क्रय विक्रय पर क्रय विक्रय न करे और अपने भाई के विवाह के संदेश पर संदेश न भेजे, हाँ अगर उसका भाई अनुमति दे दे तो कोई बात नहीं।’’ (सहीह मुस्लिम २/१०३२ हदीस नं.:१४१२)

इस्लाम में सामाजिक स्थिति का खुलासा :

इस्लाम ने ऐसे व्यवस्थित सामाजिक क़ानून बनाए है जिस में हर व्यक्ति के हुकूक एंव वाजिबात निर्धारित होते हैं, ताकि समाज की स्थिति शुद्ध रहे, इन हुकूक़ व वाजिबात में से कुछ विशेष हैं और कुछ सामान्य हैं, इन विशेष हुकूक़ व वाजिबात में से जिन्हें अल्लाह ने अपने बन्दों पर अनिवार्य किया है, निम्नलिखित हैं :

राजा का हक़ प्रजा पर :

- अल्लाह की नाफरमानी के अलावा में राजा की बात सुनना और उसका पालन करना, चुपाँचि राजा का आदेशपालन करना जब तक कि वह नाफरमानी का आदेश न दे अल्लाह का आज्ञापालन है, और राजा की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लह तआला फरमाता है कि :‘‘ऐ ईमान वालो! आज्ञापालन करो अल्लाह तआला की, औंर आज्ञापालन करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की और तुम में अख्तियार वालों की।’’ (सूरतुन्निसा :५९)

- नम्रता के साथ उसको नसीहत की जाए और धोखा न दिया जाए, और उसे इस बात का ध्यान दिलाया जाए जो उसके लिए और उसकी प्रजा के लिए लाभदायक हो और इसी प्रकार प्रजा की आवश्यकताओं का ध्यान दिलाया जाए, हामारा अधिक बरकतों और ऊँचाईयों वाला प्रभु मूसा और हारून अलैहिमस्सलाम को फिरऔन को दावत देने के लिए भेजते समय उन दोनों से कहता है कि ''उसे नम्रता से समझाओ कि शायद वह समझ ले या डर जाए।'' (सूरत ताहा :४४)

  और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम फरमाते हैं कि ''धर्म नसीहत और शुभचिंता का नाम है।'' आपके साथियों ने पूछा कि किसके लिए? आप ने उत्तर दिया कि : अल्लाह, उसकी किताब और उसके रसूल और मुसलमानों के सरदारों और आम मुसलमानों के लिए।'' (सहीह मुस्लिम १/७४ हदीस नं.:५५)

- संकटों में अमीर का साथ देना चाहिए और उसके खिलाफ बगावत नहीं करनी चाहिए और उसे असहाय नही छोड़ना चाहिए, यहाँतक कि अगर वह उस से बैअत न करने वाली पार्टी से ही हो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का फरमान है :''जो आदमी तुम्हारे पास इस हाल में आए कि तुम्हारा मामला किसी एक आदमी पर एकमत हो, वह तुम में फूट डालना या तुम्हारी एकता को भंग करना चाहता हो तो तुम उसे क़त्ल कर दो।'' (सहीह मुस्लिम ३/१४८० हदीस नं.:१८५२)

प्रजा का हक़ राजा पर :

राजा के प्रजा पर निम्नलिखित हुक़ूक़ हैं :

१. वह प्रजा के अन्दर न्याय करे और हर हक़दार को उसका हक़ दे, उस पर हुक़ूक़ में न्याय करना, वाजिबात में न्याय करना, पदों का बटवारा करने में न्याय करना और फैसला करने में न्याय करना अनिवार्य है, उसके सामने सभी समान हैं किसी को

किसी पर कोई बढ़ोतरी नहीं है, और गिरोह का दूसरे गिरोह पर कोई पक्षपात नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के इस कथन के कारण कि ‘‘प्रलोक के दिन लोगों में अल्लाह का सबसे अधिक प्रिय और उसका सबसे अधिक क़रीबी इन्साफवर सरदार होगा और सबसे अधिक अप्रिय और सबसे अधिका दंडित अन्याय करने वाला सरदार होगा।’’ (सुनन तिर्मिज़ी ३/६१७ हदीस नं.:१३२९)

२. वह प्रजा पर अत्याचार न करे, उनके साथ फरॉड और धोखा न करे, उनके साथ खियानत न करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम फरमाते हैं कि ‘‘जिस किसी व्यक्ति को अल्लाह तआला किसी प्रजा का सरदार बना दे और उसकी मृत्यु इस स्थिति में हो कि वह अपनी प्रजा के साथ फरॉड और धोखा कर रहा था तो उसके लिए अल्लाह तआला स्वर्ग को हराम कर देगा।’’ (सहीह मुस्लिम १/१२५ हदीस नं.:१४२)

३. उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों से संबंधित मामलों में उने से राय मश्वरा करना चाहिए -यानी जिन चीज़ों के विषय में नस न मौजूद हो उन में आपसी राय मश्वरा करे और प्रजा को पूरी आज़ादी के साथ अपना विचार, अपनी राय और दृष्टिकोण पेश करने की छूट दे और यदि उनके विचार शुद्ध हों तो उन्हें माना जाए।

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने बद्र की लड़ाई में जब पानी के कुओं (चश्मों) से पहले एक जगह में पड़ाव डाला तो आप के एक साथी ने आप से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! क्या इस जगह अल्लाह ने आप को उतारा है या यही लड़ाई का मैदान है? आप ने उत्तर दिया कि यही युद्ध का मैदान है, आप के साथी ने आप से कहा कि तब कुओं के बाद पड़ाव डालें ताकि शत्रु को पानी से रोका जा

सके आप ने उनकी इस राय को अच्छा माना और उसे लागू किया।

४. वह नियम और क़ानून जो प्रजा में लागू हो उसका स्रोत शरीअत होना चाहिए। उसमें व्यक्तिगत विचारों और पूर्वाग्रहों और स्वतःप्रवर्वित प्रावधानों की कोई जगह नहीं जो कभी शुद्ध होते हैं और कभी गलत। मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनाए जाने के बाद अपने भाई ज़ैद बिन खत्ताब के क़ातिल से कहते हैं कि अल्लाह की क़सम मैं तुम से उस वक़्त तक महब्बत न करूँगा यहाँ तक की ज़मीन खून से प्यार करे। उसने कहा कि क्या यह चीज़ मुझे मेरे हक़ से महरूम कर देगी? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उत्तर दिया नहीं। उसने जवाब दिया कि तब कोई हरज नहीं है, प्यार के बारे में औरतें दुखी होती हैं।''

५. प्रजा से अपने आप को छिपाकर न रखे और उन्हें अपने यहाँ से न रोके और उनसे घमंड न करे और अपने और प्रजा के बीच मध्यस्थ और वासता न बनाये कि वह लोग जिसे चाहें दाखिले की अनुमति दें और जिसे चाहें रोक दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण ''जिसे मुसलमानों के किसी काम का ज़िम्मेदार बनाया गया फिर वह उनकी आवश्यकता, हाजत, ज़रूरत, गरीबी और भुखमरी से अपने आप को छुपा लिया (उसकी परवाह नहीं की) तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसकी ज़रूरत, अवायश्यकता और मुहताजगी से लापरवाह हो जायेगा।'' (मुस्तदरक हाकिम ४/१०५ हदीस नं.:७०२७)

६. अपने प्रजा पर दया करे और उन पर उनकी शक्ति से अधिक बोझ न डाले या उनके गुज़र बसर में तंगी न करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि '' ऐ अल्लाह जो

व्यक्ति मेरी उम्मत के किसी काम का ज़िम्मेदार बन गया और उन पर सख्ती किया तो तू भी उस पर सख्ती कर और जो मेरी उम्मत के किसी काम का ज़िम्मेदार है हो गया और उसने उन पर नरमी की तो तू उस पर नरमी कर।'' (सहीह मुस्लिम ३/१४५८ हदीस नं.:१७२८)

उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस मामले की गंभीरता अपने इस कथन से बयान कर करहे हैं ''अल्लाह की क़सम ईराक़ के अन्दर यदि कोई मादा खच्चर गायब हो गई तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझ से उसके बारे में प्रश्न करे गा कि मैं ने उसके लिए मार्ग क्यों नहीं बनाया।''

मुसलमान हाकिम को इस तरह होना चाहिए जैसा की हसन बसरी ने उसे अपने उस पत्र में बयान किया है जिसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह के पास भेजा था, वह उसके अन्दर कहते हैं कि :

ऐ अमीरूल मोमिनीन (मोमिनों के सरदार)! आप को ज्ञात होना चाहिए कि अल्लाह ने इन्साफवर सरदार को हर टेढ़े व्यक्ति को सीधा करने वाला और हर दुराचारी को आचारी बनाने वाला और हर खराब का सुधार करने वाला और हर कमज़ोर को शक्ति देने वाला और हर मज़लूम को इन्साफ दिलाने वाला और हर घबराये हुए का सहारा बनाया है।

ऐ अमीरूल मोमिनीन! इन्साफवर सरदार उस चरवाहे जैसा है जो अपने ऊँट पर दयालु होता है, उसे सबसे अच्छे चरागाह में चराता है और उसे खतरनाक जगहों से दूर रखता है, और उसे दरिंदों से बचाता है, और ठंडी और गरमी से उसका बचाव करता है।

ऐ अमीरूल मोमिनीन! इन्साफवर सरदार उस पिता के समान होता है जो अपने लड़कों का अधिक ध्यान रखता है और उनके विषय में पूरा ज्ञान रखता है, उनके लिए परिश्रम करता है उनको शिक्षा देता है, अपने

जीवन में उनके लिए कमाई करता है और अपने मृत्यु के बाद उनके लिए धन एकत्र करके जाता है।

ऐ अमीरूल मोमिनीन! इन्साफवर सरदार उस दयालु और नेक माता के समान है जो अपने बालक के साथ दया करती है, दुख उठाकर उसे अपने पेट में रखती है और दुख झेल कर उसे जन्म देती है, और बचपने में उसका पालनपोषण करती है, उसके जागने के कारण जागती है उसके आराम से वह आराम पाती है, कभी उसे दूध पिलाती है और कभी छुड़ाती है, उसके आराम से प्रसन्न हो जाती है और उस के दुख से दुखित हो जाती है।

ऐ अमीरूल मोमिनीन! इन्साफ पसंद सरदार अनाथों का संरक्षक है और गरीबों का खाज़िन है, उनके छोटों को पालता औा उनके बड़ों का खर्च उठाता है।

ऐ अमीरूल मोमिनीन! इन्साफ पसन्द सरदार शरीर में हृदय के समान है जिसके ठीक रहने से सारा शरीर ठीक रहता है और उसके बिगड़ने से सारा शरीर बिगड़ जाता है।

ऐ अमीरूल मोमिनीन! इन्साफ पसन्द सरदार अल्लाह और उसके भक्तों के बीच क़ायम होता है, वह अल्लाह की बात सुनता और लोगों को सुनाता है, अल्लाह की तरफ देखता और लोगों को दिखाता है, अल्लाह का आज्ञापालन करता है और उनकी क़ियादत (अगुवाई) करता है। ऐ अमीरूल मोमिनीन! जिन चीज़ों का अल्लाह ने आप को मालिक बनाया है उसके अन्दर आप उस नौकर के समान न हो जायें जिसके मालिक ने उसे अपने धन और बाल-बच्चों का अमीन (विश्वस्त) और सुरक्षक बनाया तो उसने माल को तितर बितर कर दिया और परिवार को बेघर कर दिया, बाल-बच्चों को निर्धन बना दिया और माल को बिखेर दिया ।

ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप जान लीजिए कि अल्लाह ने हुदूद उतारे हैं ताकि उस से बुराईयों को रोके, प्रन्तु जब यह बुराईयाँ हाकिम करे तो क्या किया जाये? अल्लाह ने क़िसास (खून के बदले खून) को जीवन

क़रार दिया है प्रन्तु जब क़िसास लागू करने वाला ही उनकी हत्या करने लगे?

ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप मृत्यु और उसके बाद के हालात और बेबसी व बेचारगी को याद कीजिए, आप उस मृत्यु और उसके भयानक और घबरा देने वाले दृश्य के लिए सामान तैयार कर लीजिए।

ऐ मोमिनों के सरदार! आप जान लीजिए कि इस मंज़िल के अलावा आप की एक दूसरी मंज़िल है जहाँ आप को लम्बे समय तक रहना है, जहाँ आप के चाहने वाले आप का साथ छोड़ देंगें और आप को अकेला उस गढ़े के हवाले कर देंगे, अतः आप उसके लिए तैयारी कीजिए : "उस दिन आदमी अपने भाई से और अपने माता पिता से और पत्नी और बाल बच्चों से भागे गा।"

ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप अल्लाह का यह फरमान याद रखिए "जब क़बरों में जो कुछ है निकाल लिया जायेगा, और सीनों की छुपी हुई बातें स्पष्ट कर दी जायेंगी।" भेद खुल जायेंगे और कर्मपत्र की स्थिति यह होगी कि "कोई छोटा या बड़ा बिना घेरे के नहीं छोड़े गी।"

ऐ मोमिनों के सरदार! इस वक़्त आप मृत्यु आने और जीवन के अन्त होने से पहले मोहलत में हैं।

ऐ मोमिनों के सरदार! आप अल्लाह के बन्दों में जाहिलों का फैसला न करें और अत्याचारियों के मार्ग पर न चलें, बड़ों को कमज़ोरों पर क़ाबिज़ न करें, क्योंकि वो किसी मोमिन के बारे में किसी रिश्ते या अह्द व पैमान की परवाह नहीं करते हैं, वर्ना अपने गुनाहों के साथ और उनके गुनाहों के साथ आयेंगे, तथा आप अपने साथ ही उनका भी बोझ उठाए हुए होंगे। आप के शासन में जो लोग मज़े का जीवन यापन कर रहे हैं और आपकी पाकीज़ा रोटी खा रहे हैं, वो आप को आख़िरत के विषय में धोखे में न डाल दें। आप अपनी इस वक़्त की शक्ति को न देखें, प्रन्तु आप कल की शकित को याद करें जब आप मौत की रस्सी में बँधे होंगे और फरिश्तों और संदेष्टाओं की भीड़ में अल्लाह के

सामने खड़े होंगे "और चेहरे हमेशा बाक़ी और जीवित रहने वाले अल्लाह के सामने थके होंगे।"

ऐ अमीरूल मोमिनीन! यदि मैं आप को पहले के बुद्धिमानों जैसा नसीहत नहीं कर सकता, प्रन्तु मैं ने आप पर दया करने और नसीहत करने में कोई कोताही नहीं की है, आप मेरे पत्र को अपने लिए इस तरह समझें जैसे कि व्यक्ति अपने बीमार दोस्त के इलाज में उसके स्वस्थ होने और आराम पाने के लिए कड़वी दवाईयाँ पिलाता है, ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप पर अल्लाह की सलामती, उसकी दया और बरकत हो।"

माता पिता के हुक़ूक़ :

उन दोनों का आज्ञापालन किया जाए -जब तक कि वह पाप का आदेश न दें- और उनकी बात को ठुकराया न जाये, और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाये, उनकी ज़रूरत खाना पानी, कपड़ा, मकान सब पूरी की जाये और उनसे नम्रता से बात की जाये, उनके सामने ऊँची आवाज़ में बात न की जाये और उनकी सेवा करने में धैर्य से काम लिया जाये, और उनके भावनाओं का ध्यान रखा जाये, इसलिए ऐसी बात न कही जाये जिस से उन्हें दुख पहुँचे और न कोई ऐसा काम किया जाये जिस से वह गुस्सा हों, अल्लाह तआला फरमाता है कि "और तेरा पालनहार साफ-साफ आदेश दे चुका है कि तुम उसके अलावा किसी अन्य की पूजा न करना और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना यदि तेरी मौजूदगी में उन में से एक या वह दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनके आगे उफ तक न कहना न उन्हें डाँट डपट करना, प्रन्तु उनके साथ मान और सम्मान के साथ बात चीत करना, और नम्रता और प्यार के साथ उनके सामने खाकसारी का पंख बिछाये रखना और प्रार्थना करते रहना कि ऐ मेरे पालनहार उन पर वैसा ही दया करना जैसा कि उन्हों ने मेरे लड़कपन में मेरा पालनपोषण किया है।" (सूरतुल इस्रा :२३)

इस्लाम ने माता-पिता की नाफरमानी को महा पाप में गिना है। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि एक दीहाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा कि ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! सबसे बड़ा पाप क्या है? आप ने उत्तर दिया कि अल्लाह के साथ किसी अन्य की पूजा करना। उसने कहा : फिर क्या है? आप ने कहा कि : माता-पिता की अवज्ञा करना। उसने कहा : फिर क्या है? आप ने कहा कि झूठी क़सम खाना, सहाबी कहते हैं कि मैं ने पूछा कि यमीने गमूस क्या है? आप ने कहा कि जिस झूठी क़सम से आदमी मुसलमान आदमी का धन ले लेता है।'' (सहीह बुखारी ६/२५३५ हदीस नं.:६५२२)

इस्लाम के अन्दर माता पिता के महान पद को स्पष्ट करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु लैहि व सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की प्रसन्नता पिता की प्रसन्नता में है और अल्लाह का गुस्सा पिता के गुस्सा में है।'' (सीह इब्ने हिब्बान २/१७२ हदीस नं.:४२६)

और लड़को के ऊपर माता पिता के यह हुक़ूक़ अनिवार्य हैं अगरचि माता पिता का धर्म उनके धर्म से अलग हो, अस्मा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय में मेरे पास मेरी मुशरिक माँ आईं तो मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फत्वा पूछा कि मेरी माँ आई हुई हैं और वह मेरी सिला रेह्मी का इच्छुक है, क्या मैं उनके साथ सिला रेह्मी करूँ (रिश्तेदरी निभाऊँ)? आप ने कहा हाँ अपनी माँ के साथ सिला रहमी करो।'' (सहीह बुखारी २/९२४ हदीस नं.:२४७७)

माँ सिला रेह्मी, शफक़्त और सद्व्यवहार में पिता पर प्राथमिकता रखती है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस सहीह हदीस के आधार पर कि ''एक व्यक्ति आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के संदेष्टा! मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे अधिक हक़्दार कौन है? आप ने कहा : तेरी माँ, उसने कहा कि फिर कौन? आप ने

फरमाया : तेरी माँ, उसने कहा कि फिर कौन? आप ने फरमायाः तेरी माँ, उसने कहा कि फिर कौन? आप ने कहा : तेरे पिता, फिर तुम्हारे क़रीबी रिश्तेदार।'' (सहीह मुस्लिम ४/१६७४ हदीस नं.:२५४८)

माँ को तीन हुक़ूक़ से विशिष्ट किया गया है और पिता को एक हक़ से, और इसका कारण यह है कि माँ, बाप के विपरीत अधिक दुःख और कष्ट उठाती है, माँ बिल्कुल उसी समान है जैसा अल्लाह तआला ने उसके बारे में अपने इस कथन मे बतलाया हैः ''और हम ने इंसान को अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है, उसकी माता ने उसे दुख उठाकर पेट में रखा और तकलीफ उठाकर उसे जन्म दिया।'' (सूरतुल अह्क़ाफ :१५)

माँ गर्भ की स्थिति में उसे अपने पेट में रखती है, वह उसके भोजन से भोजन करता है, इस प्रकार वह इस स्थिति में दुख उठाती है और वह जन्म देने में दुख उठाती है और जन्म देने के बाद उसे दूध पिलाने और उसके साथ जागने में तकलीफ उठाती है।

✦ पति का हक़ पत्नी पर :

► पति का हक़ यह है कि वह घर का निरीक्षक होता है, घर में वह प्रधान होता है, परिवार की अच्छाई के लिए जो वह ठीक समझता है उसे लागू करता है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : ''पुरूष महिलाओं पर निरीक्षक हैं, इस कारण कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर विशेषता दी है, और इस कारण कि पुरूषों ने अपना धन खर्च किया है।'' (सूरतुन्निसा :३४)

और इसलिए कि अधिकतर पुरूष ही घटनाओं में अपनी बुद्धि से निमटते हैं, इसके विपरीत महिलायें अधिकतर भावनाओं से काम लेती हैं। प्रन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में महिलाओं से राय-मश्वरा न किया जाए, और उनके राय को न माना जाए।

- पति के आदेश का पालन किया जाए जबकि वह अल्लाह की नाफरमानी का ओदश न दे रहा हो। आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है, वह कहती हैं कि मैं ने कहा कि ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! महिला पर लोगों में सब से अधिक हक किसका है? आप ने कहा : उसके पति का, मैं ने कहा कि आदमी पर सबसे अधिक हक् किसका है? आप ने कहा: उसकी माँ का।'' (मुस्तदरक हाकिम ४/१६७ हदीस नं.:७२४४)
- जब उसका पति उसे अपने बिस्तर पर बुलाए तो वह इनकार न करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण ''जब आदमी अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह ना जाए और उसका पति गुस्सा हो कर रात गुज़ारे तो सवेरे तक फरिश्ते उस पर ला'नत (धिक्कार) भेजते हैं।''(सहीह मुस्लिम ६/१०६० हदीस नं.:१४३६)
- पत्नी अपने पति को ऐसे कठिन कार्य का आदेश न दे जो उसकी शक्ति से बाहर हो और ऐसी चीज़ों की मांग न करे जो उसके बस से बाहर हो, तथा वह अपने पति की प्रसन्नता की और उसके मांगों की पूर्ति की लालायित हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं ''यदि मैं किसी को किसी के आगे शीश नवाने का आदेश देता तो मैं पत्नी को अपने पति के सज्दा करने का आदेश देता।'' (तिर्मिज़ी ३/४६५ हदीस नं.:११५६)
- वह अपने पति के धन माल, बच्चों और इज़्ज़त की सुरक्षा करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि ''अच्छी महिला वह है कि जब तुम उसकी ओर देखो तो प्रसन्न कर दे, जब तुम उसे आदेश करो तो उसका पालन करे और जब तुम उस से गायब रहो तो अपने शरीर और तुम्हारे धन की सुरक्षा करे। सहाबी कहते हैं कि और आप ने इस आयत को अन्त तक पढ़ा : ''पुरूष महिलाओं पर निरीक्षक हैं, इस कारण कि अल्लाह ने एक को दूसरे

पर विशेषता दी है, और इस कारण कि पुरूषों ने अपना धन खर्च किया है।" (मुसनद तयालिसी १/३०६ हदीस नं.:२३२५)

- पत्नी अपने पति की रज़ामंदी और ज्ञान के बिना घर से बाहर न निकले, और जिसे उसका पति पसंद नहीं करता उसे घर में न आने दे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि "तुम्हारी महिलाओं के ऊपर तुम्हारे हुकूक़ हैं और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी महिलाओं के हुकूक़ हैं, तुम्हारी महिलाओं पर तुम्हारा यह हक़ है कि तुम्हारे बिस्तर पर उसे न बैठाए जिसे तुम पसंद नही करते हो, और तुम्हारे घर में उसे आन की अनुमति न दे जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, खबरदार! और तुम्हारी पत्नियों का तुमहारे ऊपर यह हक़ है कि उन्हें अच्छा कपड़ा पहनाओ और अच्छा भोजन कराओ।" (सुनन इब्ने माजा १/५९४ हदीस नं.:१८५१)

पहले के मुसलमान इन शरई वसीयतों को लागू करते थे, औफ बिन्ते महलब शैबानी अपनी बेटी के विवाह के वक्त उसे वसीयत करते हुए कह रही हैं कि "ऐ प्यारी बेटी! तू अपने उस घर को जिसमें तू पली बढ़ी है और उस घौंसले को जिसमें तू चहकती फिरती थी, छोड़ कर ऐसे व्यक्ति के यहाँ जा रही है जिसे तू पहचानती नहीं और ऐसे साथी के पास जा रही है जिस से तू मानूस नहीं, अतः तू उसकी लौंडी बन कर रहना वह तुम्हारा गुलाम बन कर रहे गा, और उसके विषय में दस बातों को नोट कर लो तुम्हारे लिए खज़ाना होगा :

पहली और दूसरी बात : थोड़ी सी चीज़ पर संतुष्ट रहना और पति की बात को अच्छे से सुनना और मानना।

तीसरी और चौथी बात : उसकी आँख और नाक किस जगह जा रही है उसको ध्यान में रखना, उसकी आँख तुम्हारी किसी बुरी जगह पर न पड़े और वह तुम से अच्छा ही खुश्बू सूँघे।

पाँचवी और छठी बात : उसके सोने और खाने के समय का ध्यान रखना, इसलिए कि लगातार भूख भड़काऊ होती है और नींद पूरी न होना गज़बनाक होती है।

सातवी और आठवीं बात : उसके धन की सुरक्षा करना और उसके बाल बच्चों की हिश्मत व हया का ध्यान रखना, धन के अन्दर मूल बात यह है कि उसका अच्छा अनुमान लगाया जाए और बाल बच्चों में मूल बात यह है कि अच्छी व्यवस्था की जाए।

नवीं और दसवीं बात : उसके किसी आदेश का इनकार न करना और उसके किसी भेद को न खोलना। यदि तुम ने उसकी कोई नाफरमानी की तो तुम ने उसे गुस्सा से भड़का दिया, और यदि तुम ने उसके भेद को खोला तो उसके धोखे से नहीं बचोगी।

जब वह दुखी हो तो तुम उसके सामने प्रसन्नता ज़ाहिर करने से बचना, और जब वह प्रसन्न और मगन हो तो उसके सामने दुख ज़ाहिर करने से बचाव करना।

पत्नी का हक़ पति पर :

- महर : पत्नी का पति पर यह वह अनिवार्य हक़ है जिसके बिन विवाह पूरा नही हो सकता है, और यह हक़ विवाह पूरा होने से पहले पत्नी की खुशी से भी खत्म नहीं हो सकता, विवाह के बाद अगर वह चाहे तो उसे अपने पति को लौटा सकती है, अल्लाह के इस फरमान के कारण " और महिलाओं को उनके महर प्रसन्नता से दे दो, हाँ यदि वह स्वयं अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें, तो इसे शौक़ से प्रसन्न हो कर खाओ।" (सूरतुन्निसा :४)
- जिस व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक पत्नियाँ हों तो उनके बीच न्याय और बराबरी करे, उन्हें खाना, पानी, कपड़ा, मकान देने में और उनके साथ सोने में उनके बीच न्याय से काम लेना अनिवार्य

है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के कारण "जिस व्यक्ति के पास दो बीवियां हों और वह उन दोनों में से किसी एक की ओर झुक जाए, तो वह क़ियामत के दिन इस हाल में आए गा कि उस का पहलू झुका हुआ होगा। (सुनन अबू दाऊद २/२४३ हदीस नं.:२१३३)

- पति पर अपनी पत्नी और उसके बच्चों का खर्च अनिवार्य है, पति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार मुनासिब घर और जीवन यापन करने के आवश्यक सामान जैसे खाना, पानी और कपड़े की व्यवस्था करना और पत्नी को उसकी आवयश्कता अनुसार धन देना पति पर अनिवार्य है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : "कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए, और जिस पर उसकी रोज़ी की तंगी की गई हो उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने उसे दे रखा है उसी में से (अपनी शक्ति के अनुसार) दे , किसी व्यक्ति को अल्लाह तआला तकलीफ नहीं देता किन्तु उतनी ही जितनी उसे शकित दे रखी है।" (सूरतुत्तलाक़ :७)

इस्लाम ने मुसलमानों को इस काम की रूचि दिलाने और उन्हें इस पर उभारने के लिए इस खर्च को दान बतलाया है जिस पर वह पुण्य का हक़दार बनता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सअद बिन वक़्क़ास से फरमाया "तुम जितना भी खर्च करो गे वह तुम्हारे लिए दान होगा यहाँ तक कि वह लुक़्मा जिसे तुम अपनी पत्नी के मुँह में डालते हो।" (सहीह बुखारी ३/१००६ हदीस नं. :२५९१)

और औरत को यह अधिकार है कि यदि उसका पति उसके और उसके बच्चों के खर्च में कोताही करता है तो वह उसके ज्ञान के बिना उसके माल में से ले सकती है, हिन्द बिन्त उतबा कि इस हदीस के आधार पर कि उन्हों ने कहा : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! अबू सुफ्यान कंजूस आदमी हैं, वह मुझे इतना धन नहीं देते हैं जो

मेरे और मेरे लड़के लिए काफी हो सिवाय इसके कि मैं चुपके से उनके माल में से निकाल लूँ। तो आप ने कहा कि ‘‘तुम हिसाब से (परंपरागत) उतना माल निकाल लो जो तम्हारे लिए और तुम्हारे लड़के के लिए काफी हो।’’ (सहीह बु,ारी ५/२०५२ हदीस नं. :५०४६)

- पत्नी के साथ रहना सहना और सोना और यह बहुत अहम हुक़ूक़ में से है जिसे पूरा करने की शरी’अत ने पति से मांग की है, इसलिए कि एक पत्नी की हैसियत से उसे एक शफ़क़त करने वाले दिल और एक पति की आवश्यकता है जो उसके साथ मनोरंजन करे और उसकी कामवासना को पूरी करे, ताकि वह अवैध रास्ते का सहारा लेने पर मजबूर न हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं ‘‘ऐ जाबिर! क्या तुम ने विवाह कर लिया है? मैं ने कहा हाँ, आप ने पूछा कि क्या कुँवारी से किया है या विवाहिता से? मैं ने जवाब दिया कि विवाहिता से किया है, आप ने कहा कि कुँवारी से क्यों नहीं किया? तुम उस से मनोरंजन करते वह तुम से मनोरंजन करती, या तुम उसे हँसाते और वह तुम्हें हँसाती।’’ (सहीह बुखारी ५/२३४७ हदीस नं.: ६०२४)
- उसके भेद के छुपाना और उसकी बुराईयों को प्रकाशित न करना और उसे से जो कुछ देखा और सुना है उसे गुप्त रखना और उन दोनों के जो आपसी विशेष संबंध हैं उसकी सुरक्षा करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ‘‘क़ियामत के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे बुरा व्यक्ति वह होगा कि वह अपनी पत्नी के साथ सोता है और उसकी पत्नी उसके साथ सोती फिर उसके भेद को खोल देता है।’’ (सहीह मुस्लिम २/१०६० हदीस नं.:१४३७)
- पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना और ठीक से उसके साथ रहन सहन करना और अपने जीवन के कामों में उस से राय व मश्वरा करना, पति को अपनी ही राय को जबरन नहीं थोपना चाहिए, और

अपनी ही फैसले को वरीयता नहीं देनी चाहिए, उस से सच्चा प्यार करके उसे आराम व सुकून के संसाधन मुहैया कराने चाहिए, उसके साथ हँसी मज़ाक और खेलकूद करके और नम्रता के साथ पेश आकर और अच्छा व्यवहार करके अच्छा जीवन गुज़ारा जा सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के कारण कि ''सबसे संपूर्ण मोमिन वह है जो सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला है, और तुम मे सब से अच्छा वह है जो अपनी पत्नी के लिए अच्छा हो।'' (सहीह इब्ने हिब्बान ६/४८३ हदीस नं.:४१७६)

- उसके कष्ट पर धैर्य करना, उसकी गलती को सहन करना और उसकी गलतियों के पीछे न पड़ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ''कोई मोमिन पुरूष किसी मोमिन स्त्री से कपट (द्वेष) न रखे, यदि उसका कोई स्वभाव उसे अप्रिय हो, तो उसके किसी दूसरे स्वभाव से वह प्रसन्न हो जायेगा।'' (मुस्लिम २/१०९१ हदीस नं.:१४६९)
- अपनी पत्नी पर गैरत करना और उसका निरीक्षण करना, और उसे बुराई और फसाद की जगहों में न घुसाना, अल्लाह तआला के इस फरमान के कारण ''ऐ ईमान वालो! तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर हैं।'' (सूरतुत्तहरीम :६)
- उसके निजी माल की रक्षा करना और उसमें से उसकी आज्ञा के बिना कुछ न लेना और उसमें से कुछ भी उसकी खुशी, अनुमति और ज्ञान के बिना खर्च न करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : ''किसी मुसलमान आदमी का माल उसकी खुशी के बिना हलाल नहीं है।''

✦ रिश्तेदारों का हक़:

और वह आदमी के परिवार और रिशतेदार नातेदार हैं। यदि वह निर्धन हैं तो इस्लाम ने उनकी माद्दी सिलारेहमी, उन पर अनिवार्य दान और नफली दान करके उनकी आवश्यकताएं पूरी करने और तंगी दूर करने पर उभारा है और मा'नवी सिलारेहमी करने, उनके हाल चाल ज्ञात करने, उन पर दया करने और उनके दुख सुख में साझी होने पर उभारा है, अल्लाह तआला का फरमान है कि "उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से माँगते हो और रिशते नाते तोड़ने से बचो।" (सूरतुन्निसा :१)

और एक मुसलमान को रिशता जोड़ने का आदेश है, किन्तु उस के रिशतेदार, रिशता तोड़ रहे हों यदि वह उस पर अत्याचार कर रहे हों और बुरा व्यवहार कर रहे हों उन्हें क्षमा करने का आदेश है और यदि वह उस से दूर हो रहे हों और तंगी व जियादती कर रहे हों तो उसे करीब होने का आदेश है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस वचन के कारण कि "बदला देने वाला रिशता जोड़ने वाला नहीं है प्रन्तु रिशता जोड़ने वाला वह व्यक्ति है कि जब रिशता तोड़ दिया गया हो और उसने जोड़ दिया हो।" (बुखारी ५/२२३३ हदीस नं.:५६४५)

इस्लाम ने रिशता काटने और तोड़ने से डराया है और उसे महान पाप में गिना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((अल्लाह ने मख्लूक को पैदा किया है और इस कार्य को जब पूरा कर चुका तो रिशता खड़ा हुआ अल्लाह ने कहा ठहर जा उसने कहा कि रिशता तोड़ने से तुम से पनाह लेने की यह जगह है, अल्लाह तआला ने कहा कि क्या तू इस बात से प्रसन्न नहीं कि जो तुझे जोड़े मैं उसे जोड़ूँ और जो तुझे काटे मैं उसे काटूँ उसने कहा क्यों नहीं मेरे पालनहार अल्लाह ने कहा तुमहारे लिए यही मामला है। फिर अबू हुरैरा ने यह आयत पढ़ी : "और तुम से यह भी दूर नहीं कि अगर तुम को राज्य मिल जाए तो तुम धरती पर फसाद पैदा करों और रिश्ते-नाते तोड़ डालो।" (सूरत मुहम्मद :२२) (बुखारी ६/२७२५ हदीस नं.:७०६३)

✦ बच्चों का हक़ :

उनके जीवन की रक्षा करे, उनकी देख रेख करे, उनका ध्यान रखे और उनकी आवश्यक्ताओं, खाना पानी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस वचन के कारण कि "आदमी के पापी होने के लिये यह काफी है कि वह अपने परिवार को तबाह कर दे।)) (मुस्तदरक ४/५४५ हदीस नं.:८५२६)

और उन के लिये अच्छे और बेहतरीन नाम चुने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस वचन के कारण कि : "प्रलोक के दिन तुम्हें तुम्हारे नामों और तुम्हारे बापों के नाम से बुलाया जायेगा इसलिये तुम अच्छे नाम रखो।" (सहीह इब्ने हिब्बान १३/१३५ हदीस नं. :५८१८)

और उनके दिलों में अच्छे अख्लाक़ की बीज बोना जैसे शरम व हया, बड़ों का अदब और सम्मान करना, सच्चाई, अमानत दारी और माता पिता का आज्ञा पालन करना... इतयादि।

उहें बुरी बातों और बुरे कामों से बचाना जैसे झूठ, धोखा, फराड, खियानत, चोरी और माता-पिता की नाफरमानी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((अपने बच्चों को इज्जतदार बनाओ और उहें अच्छा अदब सिखाओ।)) (इब्ने माजा २/१२११ हदीस नं.:२४१६)

और उहें लाभदायक शिक्षा दिलाओ और अच्छा पालन पोषण करो और उनके लिये अच्छे दोस्त खोजो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि "तुम में से हर एक अपने प्रजा का रक्षक और हाकिम व जिम्मेदार है और उस से उसकी प्रजा के बारे में प्रशन होगा, सरदार जिम्मेदार है और उस से उसकी प्रजा के बारे में पूछा जाये गा, आदमी अपने घर वालों का ज़िम्मेदार है और उस से उसके बारे में प्रश्न होगा, और पत्नी अपने पति के घर की मालिकन और उस से इस जिम्मेदारी का प्रशन होगा, नौकर अपने मालिक के धन का जिम्मेदार है और उस से इस ज़िम्मेदारी का प्रशन होगा।" (सहीह बुखारी २/६०२ हदीस नं. २४१६)

पिता अपने बच्चों की सलामती का लालची हो इस तरह कि वह उन के लिये दुआ करे, उन्हें शाप ना दे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ''तुम अपने ऊपर शाप न करो और न अपने बच्चों पर करो और न ही अपने नौकरों पर करो, ऐसे वक्त में शाप न दो जिस वक्त अल्लाह अपने भक्तों की बात सुनता और कबूल करता है।'' (अबू दाऊद २/८८ हदीस नं.१५३२)

इसी प्रकार बच्चों के बीच न्याय करना और तोहफा देने में एक को दूसरे पर वरीयत न देना और इसी तरह प्यार व महब्बत में भी एक को दूसरे पर वरीयत न देना, इस लिये कि बच्चों के बीच बराबरी न करना, माता पिता की नाफरमानी और आपसी बुग्ज व कीना का कारण है, नो'मान बिन बशीर से रिवायत है कि मेरे पिता ने अपना कुछ माल मेरे उपर सद्क़ा किया तो मेरी माता अमरह बिन्ते रवाहा ने कहा कि मैं उस समय तक प्रसन्न नहीं हो सक्ती जब तक कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस पर गवाह न बना लें, मेरे पिता नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास गये ताकि आप को मेरे इस सद्क़ा पर गवाह बनालें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन से कहा कि क्या तुम ने सभी लड़को को इसी तरह दिय है उन्हों ने कहा नहीं, आपने कहा कि अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के बीच न्याय करो।'' (मुस्लिम ३/१२४२ हदीस नं.:१६२३) मेरे पिता लौटे और यह सदका वापस ले लिया।

पड़ोसियों का हक :

इस्लाम ने पड़ोसियों का पद बहुत ऊँचा और उनका हक बहुत बड़ा कर दिया जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बात कही कि ''जिबरील मुझे पड़ोसी के बारे में बराबर वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मैं ने यह गुमान किया कि आप उसे वारिस बना देंगे।'' (सहीह बुखारी ५/२२३९ हदीस नं.५६६८)

भलाई के सम्पूर्ण अर्थ में इस्लाम ने पड़ोसी के साथ भलाई का आदेश दिया है, अल्लाह के इस वचन के कारण कि ''और अल्लाह तआला की

पूजा करो और उसके साथ किसी दूसरे की पूजा न करो और मात-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो और नातेदारों और अनाथों से और निर्धनों से और रिश्तेदार पड़ोसी से और अजनबी पड़ोसी से और बगल के साथी और रास्ता के यात्री से और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं (यानी गुलाम, लोंडी) बेशक अल्लाह तआला डींग मारने वाले घमण्डी से महब्बत नहीं करता।" (सूरतुन्निसा :३६)

पड़ोसी को हर प्रकार के दुख और तकलीफ देने से, चाहे बात से या काम से, हराम करार दिया है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा गया कि फलाँ औरत दिन में रोज़ा रहती है और रात में नमाज़ पढ़ती है, प्रन्तु अपनी बात से अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है, तो आप ने कहा कि उसके अन्दर कोई भलाई नहीं, वह नर्क में जायेगी, आप से कहा गया कि फलाँ औरत फर्ज नमाज़ पढ़ती है और रमज़ान का रोज़ा रखती है और दान करती है और अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ नहीं देती है आप ने कहा वह स्वर्ग वासी है।" (मुस्तदरक लिल हाकिम ४/१८४ हदीस नं.:७३०५)

और पड़ोसी को तकलीफ देना ईमान के मुनाफी काम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि "अल्लाह की क़सम वह मोमिन नहीं! अल्लाह की क़सम वह मोमिन नहीं! अल्लाह की क़सम वह मोमिन नहीं! पूछा गया कौन ऐ अल्लाह के संदेष्टा? आप ने उत्तर दिया कि जिस की बुराई से उस का पड़ोसी महफ़ूज़ न हो।" (बुखारी ५/२२४० हदीस नं. :५६७०)

इसी प्रकार पड़ोसी की तकलीफ को झेलना चाहिये और उसके साथ नर्मी करना चाहिये। एक व्यक्ति ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से शिकायत की कि मेरा एक पड़ोसी मुझे तकलीफ देता है, गली देता है और तंग करता है। आप ने उस से कहा कि जो यदि उसने तेरे बारे में अल्लाह की नाफरमानी की है तो तु उस के बारे में अल्लाह का आज्ञापालन कर।" (एह्याओ उलूमिद्दीन :२/२१२)

पड़ोसी तीन प्रकार के हैं उनके हुकूक में फर्क है:

- रिश्तेदार पड़ोसीः उसके तीन हुक़ूक़ हैं, रिश्ते का हक़, पड़ोस का हक़ और इस्लाम का हक़।
- मुसलमान पड़ोसीः उसके दो हुक़ूक़ हैं, पड़ोस का हक़ और इस्लाम का हक़।
- काफिर पड़ोसीः उसका एक हक़ है, अब्दुल्लाह बिन अम्र के घर एक बकरी ज़बह की गई, जब आप घर आये तो पूछा कि क्या तुमने हमारे यहूदी पड़ोसी को तोहफा दिया? क्या तुम ने हमारे यहूदी पड़ोसी को तोहफा दिया? मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कहते हुये सुना है कि जिबरील मुझे पड़ोसी के विषय मे बराबर वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मैं ने यह गुमान किया कि आप उसे वारिस बना देंगे।" **(तिर्मिज़ी 4/333 हदीस नं.:1943)**

दोस्तों का हक़:

इस्लाम ने दोस्तों का ध्यान रखने पर उभारा है और दोस्ती के कुछ हुक़ूक़ बताये हैं जिहे एक दोस्त को अपने दोस्त के साथ निभाना चाहिये जैसे अच्छा व्यवहार और भली बात कहना और खैरखाही करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि : "अल्लाह के पास अच्छे दोस्त वह हैं जो अपने दोस्त के लिये अच्छे हैं और अल्लाहके पास अच्छे पड़ोसी वह हैं जो अपने पड़ोसी के लिये अच्छे हैं।" (सहीह इब्ने खुज़ैमा ४/१४० हदीस नं.:२५३६)

और दो दोस्त के हक़ को उनमें से एक की मृत्यु के बाद भी इस्लाम ने बाक़ी रखा है, बनू सलिमा के एक व्यक्ति ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मेरे माता पिता के देहान्त कर जाने के बाद उन के साथ सदव्यवहार की कोई चीज़ बाक़ी रह जाती जो मैं कर सकूँ? आप ने कहा : हाँ, उन के लिये दुआ करो और उनके के लिये अल्लाह से क्षमा मांगो और उनके बाद उनके अह्द व पैमान (प्रतिज्ञाओं)को लागू करो और उन रिश्तों को जोड़ो जो उन

दोनो के बिना नहीं जोड़ा जा सकता और उनके दोस्तों का मान-सम्मान करो।" (अबू दाऊद ४/३३६ हदीस नं.:५१४२)

✦ मेहमान का हक़:

इस्लाम में मेहमान का हक़ यह है कि उस का मान-सम्मान किया जाये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस बचन के कारण कि "जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो चाहिये कि वह अपने पड़ोसी का सम्मान करे, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो चाहिये कि वह एक दिन अपने मेहमान का अधिक सेवा व सत्कार करे। पूछा गया कि उसके उपहार का मतलब क्या है? आप ने कहा कि वह एक दिन और एक रात है और मेहमानी तीन दिन है और इस से अधिक उस पर दान है और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो चाहिये कि वह भली बात कहे या चुप रहे।" (बुखारी ५/२२४० हदीस नं.: ५६७३)

तथा मेहमान के सत्कार को फज़ाईल आमाल में गिना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि "लोगों में उस व्यक्ति के समान कोई नहीं जो घोड़े की लगाम पकड़ता है और अल्लाह के मार्ग में जेहाद करता है और लोगों की बुराईयों से बचता है और उस व्यक्ति के समान कोई नही जो अपनी बकरियों में होता है और अपने मेहमान की मेज़बानी करता है और उसका हक़ अदा करता है।" (मुस्तदरक हाकिम २/७६ हदीस नं.:२३७८)

मेहमान का सम्मान करने के कुछ आदाब बतलाये हैं उन में से उसका अच्छे ढंग से स्वागत करना, हँसते हुये उस से मिलना और अच्छे ढंग से बिदा करना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि: "आदमी का अपने मेहमान के साथ दरवाजा तक जाना सुन्नत है।" (इब्ने माजा : २/१११४ हदीस नं.:३३५८)

इसी प्रकार मेहमान के लिये यह अनिवार्य है कि अपने मेज़बान की स्थिति का ध्यान रखे उसकी शक्ति से अधिक उस पर बोझ ना डाले।

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस वचन के कारण कि ''किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं है कि वह अपने किसी भाई के पास ठहरे यहाँ तक कि उसे पापी बना दे।'' लोगों ने प्रशन किया कि वह उसे पापी कैसे बना देगा? आप ने उत्तर दिया कि वह उस के पास ठहरे और उस व्यक्ति के पास उसकी मेहमान नवाज़ी के लिये कुछ न हो।'' (मुस्लिम ३/१३५३ हदीस नं.: ४८)

गज़ाली रहिमहुल्लाह अपनी किताब एहयाओ-उलूमिद्दीन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विषय में जो कि मुसलमानों के रहबर हैं, कहते हैं कि : रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जो भी आता था, आप उसका सम्मान करते थे यहाँ तक कि आप ने कभी-कभार उस व्यक्ति के लिये जिसकी आप से कोई नातेदारी और ना ही दूध का रिश्ता थ अपनी चादर बिछा दी और उसे उस पर बैठा दिया, और अपने पास आने वाले को अपना तकिया पेश कर देते और अगर वह लेने से इन्कार करता तो उसे ज़बरदस्ती देत थे और जो कोई भी आपका मेहमान बना उसने आप को सबसे अधिक दानशील और उदार पाया, यहाँ तक कि आप अपने पास बैठने वाले हर आदमी को अपना चेहरा देते थे, यहाँ तक आप की मजलिस, आप का सुनना, आप की बात-चीत, आपकी कोमल खूबियाँ, आप का अपने पास बैठने वाले की ओर ध्यान आकर्षित करना और आप की उसके साथ बैठक, एक हया, खाकसारी और अमानतदारी की बैठक होती थी। आप अपने साथियों को उनका सम्मान करते हुए उनकी कुन्नियत से बुलाते थे ... आप गुस्सा करने से अति दूर और बहुत शीघ्र रज़ामंद हो जाने वाले थे।

नोकरी और नोकरों के विषय में भी इस्लाम ने ऐसे नियम और कानून प्रस्तुत किए हैं जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि मालिक का ता'ल्लुक नोकरों के साथ और नोकरों का ता'ल्लुक़ मालिक के साथ कैसा होना चाहिये, इन हुकूक और नियमों में कुछ निम्नलिखित हैं :

✦ नोकरों के अधिकार :

इस्लाम का आदेश है कि मालिक और उसके मातहती में काम करने वालों के बीच भाई चारा और मानव सम्मान में बराबरी होनी चाहिये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस वचन के आधार पर कि : "तुम्हारे भाईयों को अल्लाह ने तुम्हारे मातहत बना दिया है, जिस का कोई भाई उस के मातहत हो तो उसे चाहिये कि वह जो स्वयं खाये वही उसे भी खिलाये और जो वह खुद पहने वही उसे भी पहनाये और उहें ऐसा काम न करने को कहो जो उहें तकलीफ में डालदे और अगर ऐसा करो तो उसकी सहायता करो।" (सहीह बुखारी १/२० हदीस नं.:३०)

और मज़दूर की मज़दूरी का हक़ साबित किया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि : "तीन लोगों का मैं प्रलोक के दिन मद्दे मुकाबिल हूँगा : एक वह आदमी ने जिस ने मेरा अह्द व पैमान दिया फिर गद्दारी की, एक वह व्यक्ति जिस ने आज़ाद को बेचा फिर उसका दाम खा गया और एक वह व्यक्ति है जिसने मज़दूर रखा और उस से पूरा काम लिया प्रन्तु उस मज़दूर को उस का हक़ नही दिया।" (सहीह बुखारी २/७७६ हदीस नं.: २११४)

और काम आरम्भ करने से पहले मज़दूर की मज़दूरी स्पष्ट कर देने का आदेश दिया है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मज़दूरी स्पष्ट कर देने से पहले मज़दूर रखने से रोका है। (मुस्नद अहमद ३/५९ हदीस नं.:११५८२)

और जिस काम को करने के लिए उस से कहा गया था उसे पूरा करने के तुरन्त पश्चात उसकी मज़दूरी दे देने का आदेश दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो।" (सुनन इब्ने माजा २/८१७) हदीस नं. :२४४३)

इसी प्रकार उनसे उनकी शक्ति से अधिक काम न कराने का आदेश दिया और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे उन की सहायता करना अनिवार्य

कर दिया है, या तो उसकी मज़दूरी बढ़ा दे या फिर उसके साथ वह भी काम करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के आधार पर “और तुम उन्हे ऐसा काम न दो जो उहे तकलीफ में डाल दे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम उनकी सहायता करो।” (सहीह बुखारी १/२० हदीस नं.: ३०)

मज़दूर और मज़दूरों का पद बढ़ाने के लिये मज़दूरी को रोज़ी कमाने के सबसे अच्छे कामों में से बतलाया है जबकि यह हलाल ढंग से हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि :“अपने हाथ की कमाई के भोजन से अच्छा कभी किसी ने कोई भोजन नहीं किया और अल्लाह के रसूल दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से खाते थे।” (सहीह बुखारी २/७३० हदीस नं.: १९६६)

और इस्लाम ने काम करने पर उभारा है और उसकी रूचि दिलाई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि “तुम में से एक आदमी रस्सी ले ले और लकड़ी का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर लाये और उसे बेचे। उसके कारण अल्लाह उसके चेहरे को बचा ले, उस के लिए इस बात से अच्छा है कि वह लोगों से भीख माँगे, फिर सम्भव है कि लोग उसे भीख दें या न दें।” (सहीह बुखारी २/५३५ हदीस नं.: १४०२)

काम कराने वाले (मालिक) के अधिकार :

जिस प्रकार इस्लाम ने काम वाले से काम करने वालों के हुकूक़ की रिआयत करने का आदेश दिया है, इसी प्रकार काम करने वालों से भी काम वाले के हुकूक की रिआयत का आदेश दिया है, प्रन्तु उहें कोई काम सोंपा जाये तो उनके लिये अच्छे ढंग से बिना देर और कोताही के वह कार्य करना अनिवार्य है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के आधार पर कि “अल्लाह तआला पसन्द करता है कि जब

तुम में से कोई काम करे तो उसे अच्छे ढंग से करे।'' (मुसनद अबी या'ला ७/३४६ हदीस नं.:४३८६)

अच्छे ढंग से काम करने और काम में शुभचिन्ता को ध्यान में रखने के लिये काम करने वालों के कार्य को अच्छी रोज़ी बतलाया है जब वह अपने काम में भलाई चाहने वाले हों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि : ''अच्छी कमाई हाथ की कमाई है जब आदमी खैरखाह हो।'' (मुस्नद अहमद २/३३४ हदीस नं.: ८३९३)

सामान्य अधिकार और वाजिबात:

इस्लाम ने मुसलमान के ऊपर अपने मुसलमान भाई के अह्‍वाल को ध्यान में रखने को अनिवार्य क़रार दिया है चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि ''मोमिनों का उदाहरण आपस में एक दूसरे से महब्बत करने, एक दूसरे पर दया करने, और एक दूसरे के साथ हमदर्दी और शफक़त करने में, एक शरीर के समान है कि जब उसका कोई अंग बीमार हो जाता है तो सारा शरीर बेदारी और बुखार के द्वारा उसके साथ होता है।'' (बुखारी 5/2238 हदीस नं. :5665)

और उन्की स्थिति को अच्छी बनाने का आदेश दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि ''तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वह अपने भाई के लिये वही चीज़ पसन्द करे जो अपने लिये पसन्द करता है।'' (सहीह बुखारी १/१४ हदीस नं.:१३)

संकटों और आपत्तियों में उनका साथ देने का आदेश दिया है, जैसाकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है ''एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार के समान है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को शक्ति पहुँचाता है।'' और आप ने अपने एक

हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में दाखिल किया।'' (सहीह बुखारी 2/863 हदीस नं.:2314)

उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला का फरामन है : ''और अगर वो लोग (यानी मज़्लूम मुसलमान) तुम से दीन के बारे में मदद माँगें तो तुम पर उनकी मदद करना अनिवार्य है, सिवार्य ऐसी क़ौम के विरूद्ध जिनके और तुम्हारे बीच अह्द व पैमान हो, और अल्लाह तआला तुम्हारे कामों से अवगत है।'' (सूरतुल अनफाल :७२)

मथा उन्हें असहाय छोड़ देने और उनकी सहायता बन्द कर देने से रोका है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: ''जो आदमी भी किसी मुसलमान की ऐसी जगह में सहायत और मदद करना छोड़ देता है जहाँ उसकी हुर्मत को पामाल किया जाता है और उसकी बे-इ़ज़्ज़ती की जाती है, तो अल्लाह तआला ऐसे आदमी को ऐसी जगह पर असहाय छोड़ देगा जहाँ वह उसकी सहायता और सहयोग को पसंद करता है। तथा जो आदमी किसी मुसलमान की ऐसी जगह में सहायता और सहयोग करता है जहाँ उसकी हुर्मत को पामाल किया जाता है और उसकी बे-इ़ज़्ज़ती की जाती है, तो अल्लाह तआला ऐसे आदमी की ऐसी जगह पर सहायता और मदद करेगा जहाँ वह उसकी सहायता को पसंद करता है।'' (सुनन अबू दाऊद 4/271 हदीस नं.: 4884)

इस्लाम में शिष्टाचार का छेत्र :

इस्लाम अच्छे आचार और व्यवहार को पूरा करने के लिये आया है, जैसकि अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि: मैं अच्छे अख्लाक़ (शिष्टाचार) को पूरा करने के लिये भेजा गया हुँ।'' (मुस्तदरक हाकिम २/६७० हदीस नं.४२२१)

चुनाँचि जो भी अच्छी आदत है इस्लाम ने उसे अपनाने का आदेश दिया है और उस पर उभारा है और जो भी बुरी आदत है उस से रोका और डराया है, अल्लाह कहता है कि "आप क्षमा को अपनायें, अच्छे काम का आदेश करे और जाहिलों से एक किनारे हो जाये।" (सूरतुल आराफ :१९९)

इस्लाम ने वह सामान्य मार्ग स्पष्ट कर दिया है जिस पर मुसलमान को अपने समाज और दूसरे लोगों के साथ चलना है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "हराम चीजों से बचो अल्लाह के सबसे बडे उपासक बन जाओ गे, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो भाग्य निर्धारित कर दिया है उस पर प्रसन्न रहो तुम सबसे बड़े धनी बन जाओ गे, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवाहार करो तुम मोमिन हो जाओ गे, और जो तुम अपने लिये पसन्द करते हो उसे लोगों के लिये भी पसन्द करो तुम मुसलमान बन जाओ गे, और अधिक न हँसो, क्योंकि अधिक हँसी दिल को मुरदा (मृत) कर देती है।" (सुनन तिर्मिज़ी ४/५५१ हदीस नं.: २३०५)

अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है "मुसलमान वह है जिस से मुसलमान सुरक्षित रहें, और मुहाजिर वह है जो उस चीज़ को छोड़ दे जिसे से अल्लाह ने रोका है।" (सहीह बुख़ारी १/१३ हदीस नं.:१०)

अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमातें हैं "क्या तुम जानते हो कि कंगाल कौन है? लोगों ने उत्तर दिया कि हम में से जिस के पास रुपये पैसे और सामान न हो वह कंगाल है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत का कंगाल वह है जो प्रलोक के दिन नमाज़, रोज़ा और ज़कात के साथ आयेगा, प्रन्तु उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाया होगा, किसी की को मारा होगा, तो उन सब को उसकी नेकियों में से दे दिया जायेगा यदि उसकी नेकियाँ खतम होगईं और दावेदार बाक़ी रहे तो उनका पाप इस

व्यक्ति पर लाद दिया जायेगा फिर उसे नर्क में फेंक दिया जायेगा।'' (सहीह मुस्लिम ४/१६६७ हदीस नं.:२५१८)

इस्लाम जो कुछ करने का हुक्म देतो है या जिस से रुकने का आदेश करता है, उस से उसका मक्सद एक ऐसा समाज बनाना है जो आपस में एकजुट, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर दयालू और एक दूसरे से महब्बत करने वाले हों, उदाहरण के तौर पर इस्लाम में हराम कुछ चीजों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं :

- अल्लाह की इबादत में किसी को साझी बनाना हराम किया है, अल्लाह तआला फरमाता है कि : '' निःसन्देह अल्लाह तआला इसे अवश्य क्षमा न करे गा कि उसके साथ साक्षी बनाया जाये, हाँ उसके आलावा पाप जिस के चाहे क्षमा कर देता है। (सूरतुन्निसा :११६)
- जादु को हराम किया है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि ''तबाह कर देने वाली चीज़ों से बचो; अल्लाह के साथ किसी को साझी करने से और जादू से...'' (सहीह बुखारी ५/२१७५) हदीस नं.: ५४३१)
- ज़ुल्म और ज़्यादती को हराम किया, ज़ुल्म व ज़्यादती का सम्पूर्ण अर्थ यह है कि कथन या करनी के द्वारा किसी पर ज़्यादती करना और हक़ वालों के हक़ को अदा न करना, अल्लाह तआला फरमाता है कि ''आप कह दीजिये कि मेरे रब ने सिर्फ हराम किया है उन बुरी बातों को जो खुली हैं और जो छुपी हैं, और हर पाप की बात को और नाहक़ किसी पर अत्याचार करने को।'' (सूरतुल आ'राफ :३३)
- जिसको हत्या करने से अल्लाह ने रोका है, नाहक़ उसकी हत्या करने को हराम किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और जो किसी मोमिन को जान बूझ कर क़त्ल कर दे, उसका दण्ड नर्क है, उस पर अल्लाह तआला क्रोधित हुआ है और उस पर अल्लाह की

ला'नत (फटकार) है, और उसके लिये बड़ी यातना तैयार कर रखा है।" (सूरतुन्निसा :९३)

और इस धमकी में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो अपनी जान या माल या इ़ज़्ज़त की सुरक्षा में किसी को मारे या मारा जाये, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि "जो अपने माल की सुरक्षा करना में मारा गया तो वह शहीद है, और जो अपने परिवार की सुरक्षा करने में या अपनी जान की सुरक्षा करने में या अपने धर्म की सुरक्षा करने में मारा गया तो वह शहीद है।" (सुनन अबू दाऊद ४/२४६ हदीस नं.: ४७७२)

- रिश्ता तोड़ने और रिश्तेदारों को छोड़ने को हराम किया है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है कि : "और तुम से यह भी दूर नहीं कि यदि तुम को राज्य मिल जाये तो तुम ज़मीन में दंगा मचाओ गे और रिश्त-नाते तोड़ डालो गे, यह वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फटकार है, और जिन को बहरा और अंधा बना दिया गया है।" (सूरत मुहम्मद :२२-२३)

अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "रिश्तों को काटने वाला स्वर्ग में नही जाये गा।" (सहीह मुस्लिम ४/१९८१ हदीस नं.: २५५६)

और रिश्तेदारों को छोड़ने का अर्थः उनसे भेंट-मुलाक़ात न करना, उनका हाल-चाल मालूम न करना, उन पर बड़प्पन दिखाना, और मालदार होते हुए भी उन में से निर्धन और कमज़ोर लोगों का ध्यान न रखना, उनके साथ भलाई और अच्छा व्यवहार न करना, इस लिये कि दूर के निर्धन पर दान करना सिर्फ दान है और रिश्तेदार निर्धन पर दान करना, दान के साथ-साथ सिलारेहमी भी है। और यदि वह निर्धन है तो वह अपने रिश्तेदारों को सलाम करके, उनका हाल चाल मालूम करके, उन से मीठी बोल बोल कर और हँसते हुये चेहरे से मिल करके रिश्तादारी निभाए और सिलारेहमी करे, जैसाकि

अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि : “ अपने रिश्तों को तर रखो चाहे सलाम के द्वारा ही सही।” (मुस्नदुश्शहाब १/३७६ हदीस नं.:६५४)

☒ ज़िना और उसकी ओर ले जाने वाली तमाम चीज़ों को हराम किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : “खबरदार ज़िना के करीब भी ना फटकना; क्योंकि वह बड़ी बेहायई है और बहुत ही बुरी राह है।” (सूरतुल इसरा :३२)

इज़्ज़त व आबरू को पामाल होने से सुरक्षित रखने, अख्लाक़ (आचार) को बिगाड़ से बचाने, समाज के टुकड़े-टुकड़े होने से बचाव और नसल की रक्षा और उसे गडमड होने से बचाने; क्योंकि उसके कारण ऐसा आदमी वारिस बन जाता है जो दरअसल वरासत का अधिकार नहीं रखता है और महरिमों से विवाह का कारण बनता है, इसी प्रकार उम्मत को उसके अन्दर बुराई और भ्रंश के फैलने से सुरक्षित रखने के लिए जसके कारण बीमारियाँ और महामारी फैलती है, इन सभी उद्देशों के लिए ज़िना को हराम किया गया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि “ऐ मुहाजिरों की जमाअत! पाँच चीजों में जब तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह से पनाह माँगता हूँ कि तुम उनमें मुब्तला हो: जिसे किसी भी क़ौम में भी ज़िना फैल गया यहचाँ तक कि उसे खुले-आम किया जाने लगा, तो उनमें ताऊन और ऐसी बीमारियाँ फैल जायें गी जो पहले लोगों में कभी नहीं थीं। (सुनन इब्ने माजा २/१३३२ हदीस नं.:४०१९)

और सबसे संगीन ज़िना उन रिश्ते दारों के साथ ज़िना करना है जिन से विवाह करना जायज नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : “जिसने किसी मह्रम से ज़िना किया उसे क़त्ल कर दो।” (मुस्तदरक हाकिम ४/३९७ हदीस नं.:८०५४)

☒ बाल मैथुन को हराम किया है, अल्लाह तआला लूत अलैहिस्सलाम की क़ौम के विषय मे खबर देते हुये कह रहा है कि “फिर जब

हमारा आदेश आ पहुँचा हमने उस बस्ती को ऊपर नीचे कर दिया (ऊपर का भाग नीचे कर दिया) और उनपर कंकरी पत्थर बरसाये जो तह ब तह थे, तेरे पालनहार की ओर से निशानदार थे और यह अत्याचारों से कुछ भी दूर नहीं है।" (सूरत हूद :८२-८३)

यानी जो उन जैसा कार्य करता है उसे डरना चाहिये कि उसे भी वही अजाब न आ पहुँचे जो उहें पहुंचा है।

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि "अल्लाह ने अपने मख़्लूक में से सात लोगों पर फटकार (धिक्कार) की है।" तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन में से हर एक को तीन बार दोहराया, फिर आपने कहा कि अल्लाह की फटकार है, ला'नत है, धिक्कार है उस आदमी पर जिसने क़ौमे लूत का काम किया, फटकार है उस आदमी पर जो किसी महिला और उसकी लड़की के साथ विवाह करे, फटकार है उस पर जो माता-पिता में से किसी को गाली दे, फटकार है उस पर जो किसी जानवर के साथ सम्भोग करे, फटकार है उस पर जो ज़मीन के निशानों (सीमाओं) को बद डाले, फटकार है उस पर जो अल्लाह के अलावा के लिये जानवर ज़ब्ह करे..." (मुस्तदरक हाकिम ४/३६६ हदीस नं.:८०५३)

इसी प्रकार महिलाओं की समलिंगता को (यानी औरत का औरत के साथ सम्भोग करना) हराम किया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि "औरतों का आपस में सम्भोग गरना (महिलाओं की समलिंगता) ज़िना है।" (मुस्नद अबी या'ला १३/४७६ हदीस नं.: ७४९१)

- अनाथ का धन खाने को हराम किया है क्योंकि इस से कमज़ोरों के हुकूक़ नष्ट होते हैं, अल्लाह तआला के इस कथन के आधार पर कि : "जो लोग नाहक़ अत्याचार करते हुए यतीमों (अनाथों) का माल खा जते है वह अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और वह जल्द ही नर्क में डाले जायेंगे।" (सूरतुन्निसा :१०)

अल्लाह ने यतीम के गरीब वकील (ज़िम्मेदार) को इस धमकी से अलग कर दिया है, उसे यह अधिकार है कि वह उसकी देख-रेख करने और उसके खिलाने-पिलाने, कपड़ा पहनाने, उसके धन को बढ़ाने और उसे ऐसे काम में लगाने जिस से अनाथ को लाभ मिले, इन सभी कामों के बदले वह यतीम के माल में से कुछ ले सकता है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है कि : "धनवानों को चाहिये कि उनके धन से बचते रहें, हाँ निर्धन हो तो दस्तूर के मुताबिक़ खा ले।" (सूरतुन्निसा :६)

- झूठी गवाही देने को हराम किया है और इस्लाम ने उसे महा पाप बतलाया है, इसलिये कि झूठी गवाही देने से समाज में हुकूक बरबाद होते हैं और अत्याचार फैलता है, इसी प्रकार जिसके लिये झूठी गवाही दी है उसके साथ भी बुराई की है इस लिये कि अत्याचार पर उसकी सहायता की है और जिस के खिलाफ गवाही दी है उसके साथ भी बुराई की है इसलिये कि उसको उसके हक़ से महरूम कर दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि "क्या मैं तुम्हे सबसे बड़े पाप की खबर न दूँ?" हम ने कहा हाँ क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने कहा कि अल्लाह की इबादत में किसी को साझी बनाना और माता-पिता की अवज्ञा करना, और आप टेक लगाये हुये थे कि आप बैठ गये और कहा : खबरदार! झूठी बात और झूठी गवाही, खबरदार! झूठी बात और झूठी गवाही, बार बार यही वाक्य आप दोहराते रहे यहाँ तक कि मैं ने सोचा कि आप चुप नही होंगे।" (सहीह बुखारी ५/२२२६ हदीस नं.:५६३१)
- जुवा और लाटरी को हराम किया है, इसलिये कि इस में नाहक मानव शक्ति और धन बरबाद होता है, इसका फायदा ना व्यक्ति को होता है और न ही समाज को होता है, अल्लाह तआला का फरमान है : "ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब और जुवा और थान और फाल निकालने के पाँसे, यह सब गन्दी बातें शैतानी काम हैं, इन

से बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम सफलता पा सको।" (सूरतुल माईदा :९०))) ४५२

चुनाँचि जुवारी अगर कमाई करता (जीत जाता) है तो उसने अवैध तरीक़े से दूसरे का माल खाया, और ऐसा भी सम्भव है कि सफलता का नशा उसे चालबाज़ी और धोखा-धड़ी पर उकसाए ताकि वह दुबारा भी जीत हासिल करे। और यदि वह हार गया तो उसने ऐसी चीज़ में अपना माल नष्ट कर दिया जिसका कोई लाभ नहीं, तथा इस बात की भी सम्भावना है कि जब उसका हाथ पैसे से खाली होजाए, तो वह चोरी और लूट-खसूट का सहारा ले ताकि वह दुबारा जुवा खेल कर अपने घाटे की पूर्ति करे।

- लूटने या हत्या करने या शांति से रह रहे लोगों को भयभीत करने के लिए रास्ता रोकने (डाका डालने) को हराम किया है, इस लिये कि इस से भय का माहौल पैदा होता है और समाज की शांति भंग होती है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है कि : "जो अल्लाह तआला से और उस के रसूल से लड़े और जमीन में दंगा और फसाद करता फिरे, उनका दण्ड यही है कि वह कत्ल कर दिये जायें या फाँसी दे दिये जायें या मुखालिफ ओर से उनके हाथ पैर काट दिये जायें या उन्हें मुल्क से भगा दिया जाये, यह तो हुई उनकी दुनियावी जिल्लत और आखिरत में उनके लिये बड़ा महान दण्ड है।" (सूरतुल माईदा : ३३)

और सज़ा जुर्म के हिसाब से दी जाये गी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रास्ता रोकने वालों (डाकुवों) के विषय में वर्णित है कि यदि उन्हों ने हत्या किया और माल भी छीना है, तो वह क़त्ल किये जायें गे और सूली पर भी लटकाए जायें गे, और यदि सिर्फ हत्या किया है माल नहीं छीना है तो वह कत्ल किये जायेंगे और सूली पर नहीं लटकाये जायें गे, और यदि उन्हों ने सिर्फ माल छीना है हत्या नहीं की है तो उनके हाथ-पैर मुखालिफ ओर से काटे

जायेंगे, और यदि सिर्फ यात्री को डराया है और माल नही छीना है तो वो वतन से भगा दिये जायें गे।" (सुनन बैहक़ी ६/२८३ हदीस नं.:१७०६०)

- झूठी क़सम (यमीने ग़मूस)खाने को हराम किया है, और यह वह क़सम है जिसके अन्दर आदमी दूसरे का माल हड़पने के लिये झूठ बोलता है और इसे (गमूस) इस लिये कहा गया है कि यह क़सम खाने वाले व्यक्त को नर्क में डिबो देती है, अल्लाह तआला फरमाता है कि "बेशक जो लोग अल्लाह तआला के अह्द व पैमान और अपनी कसमों को थोड़ी सी क़ीमत पर बेच डालते हैं उनके लिये आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह उनसे बात चीत करेगा न उनकी तरफ प्रलोक के दिन देखेगा, न उहें पाक करेगा और उनके लिये दुखदायक अजाब है।" (सूरत आल-इमरान :७७)
  और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि : "जिस ने झूठी क़सम खाकर किसी मुसलमान आदमी का हक़ हड़प कर लिया तो अल्लाह उस के लिये नर्क अनिवार्य कर देगा और स्वर्ग उस पर हराम करदेगा। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया कि यदि थोड़ी सी चीज़ ही हो ऐ अल्लाह के रसूल? आप ने कहा कि यदि पीलू की एक डाली ही हो।" (सहीह मुस्लिम १/१२२ हदीस नं.:१३७)
- आत्महत्या को हराम किया है, अल्लाह तआला फरमाता है : "और अपने आपकी हत्या ना करो वास्तव में अल्लाह तुम पर अधिक दयालु है और जो व्यक्ति यह (नाफरमानियाँ) सरकशी और जुल्म से करेगा तो जल्द हम उसे आग में डालेंगे और यह अल्लाह पर सरल है।" (सूरतुन्निसा :२६-३०)
  और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि : "जिस ने किसी चीज़ से आत्महत्या करली तो उसे उसी चीज़ से क़ियामत के दिन अजाब दिया जायेगा।" (सहीह मुस्लिम १/१०४ हदीस नं.:११०)

- झूठ, विश्वासघात, गद्दारी, वादा खिलाफी और अमानत में खियानत करने को हराम किया है अल्लाह तआला कहता है कि : “ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह और उसके रसूल से खियानत न करो और अपनी अमानतों में भी खियानत नकरो, जबकि तुम जानते हो (कि खियानत का अंजाम कितना बुरा है।” (सूरतुल अंफाल :२७)
और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं : “चार आदतें जिस व्यक्ति में पाई जायें गी तो वह पक्का मुनाफ़िक़ होगा और जिस के अन्दर उन में से कोई एक आदत पाई जायेगी तो उस के अन्दर निफाक़ कि एक आदत (पहचान) पाई जायेगी यहाँ तक कि वह उस आदत को छोड़ दे; जब उसे अमानत सौंपी जाये तो उसमें खियानत करे, जब बात करे तो झूट बोले, जब अहद करे तो गद्दारी करे और जब झगड़ा करे तो गाली दे।” (सहीह बुखारी १/२१ हदीस नं.:३४)
और मुस्लिम की एक हदीस में है कि : “ अगरचि वह नमाज़ पढ़े और ज़कात दे और अपने आप को मुसलमान समझे।”
- मुस्लिम समाज के लोगों से बात चीत बन्द कर देने और आपस में हसद रखने को हराम क़रार दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “आपस में कीना व हसद ना रखो और आपस में पीठ ना फेरो, अल्लाह के बन्दो! आपस में भाई बनकर रहो, और किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि वह अपने भाई से तीन दीन से ज़्यादा बात करना बन्द करदे।” (सहीह मुस्लिम ४/१९८३ हदीस नं.:२५५९)
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हसद के अन्जाम को स्पष्ट किया है, इसलिये कि अधिकतर हसद हर बुग्ज व शत्रुता का कारण है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “तुम हसद से बचो, इस लिये कि हसद नेकियों को उसी प्रकार खा जाती है जिस प्रकार आग लकड़ी को खा जाती है या आप ने कहा कि घास को खा जाती है।” (सुनन अबू दाऊद ४/२७६ हदीस नं.:४९०३)

- लानत करना (अल्लाह की फटकार भेजना) गाली गलूज और बद जुबानी को हराम क़रार दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि :“मोमिन ला’न ता’न करने वाला, गाली गलूज देने वाला और बदजुबान नहीं होता है।” (मुसनद अहमद १/४१६ हदीस नं. :३६४८)

  यहाँतक कि शत्रुओं को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिये, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस के आधार पर कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा गया कि : ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुशरिकों पर शाप कर दें। आप ने कहा कि : मैं ला’नत करने वाला बना कर नहीं भेजा गया हुँ, मैं दयालु बनाकर भेजा गया हूँ।” (सहीह मुस्लिम ४/२००६ हदीस नं.:२५९९)

- कंजूसी से डराया है और उस से रोका है, इसलिये कि माल के विषय में इस्लाम का विचार यह है कि माल अल्लाह का है उसे अल्लाह ने इन्सान को बतौर अमानत दिया है कि वह उसे अपने ऊपर और अपने मातहतों पर दस्तूर के मुताबिक़ खर्च करे और उसम उसके दरिद्र और ज़रूरतमंद भाईयों का भी हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “दानशील आदमी अल्लहा से क़रीब, स्वर्ग से करीब, लोगों से करीब आरै नर्क से दूर है, तथा कंजूस आदमी अल्लाह से दूर, स्वर्ग से दूर, लोगों से दूर औरै नर्क से करीब है, और एक जाहिल दानशील अल्लाह को एक इबादतगुज़ार कंजूस से अधिक प्रिय है। “सुनन तिर्मिज़ी ४/३४२ हदीसी नं.: १९६१)

  समाज के अन्दर कंजूसी की वबा फैलने से समाज वालों को जो हानि पहुँचती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे स्पष्ट करते हुए फरमाया : “अत्याचार से बचो, इसलिये कि क़ियामत के दिन अत्याचार के कारण अँधेरा होगा और कंजूसी से बचो, इसलिये कि कंजूसी के कारण तुम से पहले के लोग तबाह हो गये, कंजूसी ने उहें

खून बहाने और हराम चीजों के हलाल कर लेने पर उकसाया।'' (सहीह मुस्लिम ४/१९९६ हदीस नं.:२५७८)

इस्लाम ने उस धनी और शक्तिमान व्यक्ति को ईमान से बहुत दूर बतलाया है जो अपने ज़रूरतमंद भाईयों को देखता है कि वो उसके पास लाचार व मुहताज अपनी जरूरतें लेकर आते है, फिर वह उनकी सहायता नहीं करता कि उन्हें उनकी मुसीबत से छुटकारा दिलाए या उनका कुछ दुख-दर्द हल्का कर दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''दो आदतें मोमिन में एक साथ नहीं हो सकतीं कंजूसी और दुष्टाचार।'' (सुनन तिर्मिज़ी ४/३४३ हदीस नं.: १९६२)

- फुजूल खर्ची और नाहक माल खर्च करने से डराया और रोका है अल्लाह तआला के इस वचन के आधार पर कि : ''रिश्तेदारों का और मिस्कीनों और मुसाफिरों का हक़ देते रहो और बेजा खर्च से बचो, फुजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने पालनहार का बड़ा ही ना शुकरा ह।'' (सूरतुल इसरा :२६-२७)

  और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस वचन के आधार पर भी फुजूल खर्ची हराम है कि ''अल्लाह तआला ने तुम्हारे ऊपर माताओं की नाफरमानी हराम की है और दूसरों को ना देने और उन से लेने को हराम किया है और लड़कियों को जिन्दा गाड़ने को हराम किया और बेजा जिरह बहस करने, अधिक सवाल करने और माल बरबाद करने को नापसन्द किया है।'' (सहीह बुखारी २/८४८ हदीस नं.:२२७७)

- धर्म में बेजा सख्ती और गुलु करने से डराया और रोका है अल्लाह तआला के इस कथन के आधार पर कि ''अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है सख्ती नहीं चाहता है।''

  और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि : ''धर्म सरल है और यदि धर्म में कोई सख्ती पैदा करेगा तो धर्म उस पर बोझ

बन जायेगा, तुम सीधे मार्ग पर चलो और और उसके क़ारीब क़रीब रहो, और खुशखबरी हासिल करो और तुम सहायता प्राप्त करो सुबह शाम और रात के अन्ति पहर की इबादत से।'' (सहीह बुखारी १/२३ हदीस नं.३९)

- गुरुर और घमण्ड से डराया और रोका है अल्लाह तआला के इस वचन के आधार पर कि ((लोगों के सामने अपने गाल ना फुला और जमीन पर अकड़कर न चल किसी घमण्ड करेने वाले शेखी करने वाले को अल्लाह तआला पसन्द नहीं करता, अपनी चाल में बीच की राह अपना और आवाज़ धीमी कर यकीनन आवाजो में सबसे बुरी आवाज गधों की आवाज है।)) (सूरतु लक़्मान :१८)

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम घमॅंड के सम्बन्ध में कहते हैं कि: ((जिस के हृदय में ज़र्रा बराबर भी घमण्ड होगा वहा स्वर्ग में नही जायेगा। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह के संदेष्टा आदमी पसन्द करता है कि उसका वस्त्र अच्छा हो उसका जूता अच्छा हो आप ने कहा कि अल्लाह खूबसूरत है खूबसूरती को पसन्द करता है, घमण्ड हक का इन्कार करना और लोगों को नीचा समझना है।)) (सहीह मुस्लिम १/९३ हदीस नं.:९१)

हक़ का इन्कार यह है कि हक़ कहने वाले की बात ना माने उसको नकार दे और लोगों को हकीर समझना उहें नीचा समझना है।

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुरुर व घमॅंड के सम्बन्ध में कहते हैं कि ((जिस ने गुरुर और घमॅंड से अपना कपड़ा नीचे घसीटा क़ियामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखेगा।)) (सहीह बुखारी ३/१३४० हदीस नं.:३४६५)

- जासूसी करने, लोगों के भेद टटोलने और उनकी ऐब व बुराई जानने के लिये पीछे पड़े रहने और उनके बारें में बुरा गुमान रखने और उनकी चुग्ली खाने को हराम करार दिया है, अल्लाह तआला कहता है कि ((ऐ ईमान वालो! बहुत बदगुमानियों से बचो, यक़ीन मानो कि

कुछ बदगुमानियाँ पाप हैं और भेद ना टटोला करो और न तुम में से कोई किसी की चुग्ली खाये, क्या तुम में से कोई भी अपने मुरदा भाई का गोश्त खाना पसन्द करेगा? तुम को इस से घिन आयेगी, और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला दयालु है।)) (सूरतुल हुजुरात :१२)

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((क्या तुम जानते हो कि चुग्ली क्या है? लोगों ने कहा कि अल्लाह और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने कहा कि तुम्हारा अपने भाई का किसी ऐसी चीज़ के द्वारा ज़िक्र करना जो उसे नापसन्दीदा हो। कहा गया : आप बतलायें कि यदि वह चीज़ जो मैं कह रहा हूँ उस में पाई जा रही है? आप ने कहा कि यदि वह उस में मौजूद है तो तुमने उसकी चुग्ली की और यदि मौजूद नहीं है तो तुमने उस पर इलजाम गढ़स।)) (सहीह मुस्लिम ४२००१ हदीस नं.:२५८९)

और चुपके से लोगों की जानकारी के बिना उनकी बातें सनने से रोका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ((जिसने ऐसे लोगों की बातें सुनी जो उसको नापसन्द करते हैं और उस से भागते हैं तो क़ियामत के दिन उसके कान में पिघलाया हुआ सीसा डाला जायेगा।)) सहीह बुखारी ६/२५८१ हदीस नं.:६६३५)

- ☒ किसी की मुसीबत पर खुशी ज़ाहिर करने से डराया और रोका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस वचन के आधार पर कि ((आप अपने भाई की मुसीबत पर खुशी ना ज़ाहिर करें, ऐसा न हो कि अल्लाह उस पर दया करदे और तुम्हें मुसीबत में डाल दे।)) (सुनन तिर्मिज़ी ४/६६२ हदीस नं.:२५०६)
- ☒ ला-या'नी और बेजा कामों में दखल देने से डराया और रोका है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के आधार पर कि ((आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से है कि वह बेजा और बिना मतलब के कामों को छोड़ दे।)) (सहीह इब्ने हिब्बान १/४६६ हदीस नं.:२२९)

- लोगो को बुरे नामों से पुकारने और पीठ पीछे बुराई करने या उनके सामने बुराई करने चाहे यह बात से हो या काम से हो या ईशारा से हो और उहें नीचा समझने को हराम करार दिया है। अल्लाह तआला का फरमान है : ((ऐ ईमान वालो! एक कौम दूसरे क़ौम का मज़ाक न उड़ाये, सम्भव है कि ये उन से अच्छे हों और न महिलायें दूसरे महिलाओं का मज़ाक उडायें, सम्भव है कि ये उन से अच्छी हों और आपस में एक दूसरे परे ऐब न लगाओ और न किसी को बुरे नाम दो।)) (सूरतुल हुजुरात :११)
- न्याय के अन्दर न्यायधीश के अन्याय को हराम करार दिया है, इस लिये कि इस्लाम की दृष्टि में क़ाज़ी (न्यायधीश) अल्लाह के कानून को लागु करने वाला है, वह अल्लाह के बनाये हुये कानूनों को लागू करता है, वह इस्लाम में वैधानिक संस्थ नहीं है बल्कि कार्यकारी संस्था है, अगर उसने जुल्म किया तो जो अमानत उसे सोंपी गई है उसने उसमें खियानत की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि ((दो प्रकार के क़ाज़ी नर्क में हैं, और ऐक स्वर्ग में है, वह क़ाज़ी जो न्याय के साथ फैसला करता है वह स्वर्ग में है, वह क़ाज़ी जो अन्याय करता है वह नर्क में है और वह क़ाज़ी जो बिना ज्ञान के फैसला करता है वह नर्क में है। लोगों ने कहा जो बिना ज्ञान के फैसला करता उस का क्या पाप है? आप ने कहा कि उसका पाप यह है कि बिना ज्ञान के उसे क़ाज़ी नहीं बनना चाहिये था।)) (मुस्तदरक ४/१०२)
- इस्लाम ने दय्यूसियत (बेग़ैरती) को हराम करार दिया है और यह महारिम के बारे में गैरत न करना और उन के अन्दर बुराई देख कर प्रसन्न होना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि ((तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी ओर अल्लाह क़ियामत के दिन नहीं देखेगा : मातापिता का नाफरमान, मरदों की मुशाबिहत अपनाने वाली औरत, और दय्यौस...)) **(सुनन नसाई 4/80)**

- मरदों के लिए औरतों की मुशाबिहत अपनाने और औरतों के लिए मरदों की मुशाबिहत अपनाने को हराम करार दिया है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों की मुशाबिहत अपनाने वाले मरदों और मरदों की मुशाबीहत आपनाने वाली औरतों पर फटकार की है।)) (सहीह बुखारी ५/२२०७ हदीस नं.:५५४६)
- एहसान जतलाने को हराम करार दिया है, यानी तुम्हार किसी के साथ भलाई और अच्छाई करके एहसान के तौर पर उसका ज़िक्र करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के आधार पर कि ((भलाई करके एहसान जितलाने से बचो, इसलिये कि शुक्र को बातिल करदेता है और पुण्य को मिटा देता है फिर आप ने अल्लाह के इस कथन का को पढ़ा ((ऐ ईमान वालो अपनी सदक़ात को एहसान जता कर और तकलीफ दे कर बरबाद न करो।)) (सूरतुल बक़रा :२६४)
- तोहफा और बख्शिश देकर वापस लेने को हराम करार दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((बख्शिश दे कर वापिस लेने वाला उस कुत्ते के समान है जो उलटी करके फिर उसी को खाता है।)) (सहीह बुखारी २/६१५ हदीस नं.: २४४६)
- चुग्ली को हराम करार दिया है और वह चुगुलखोर जो लोगों में दंगा और फसाद कराने के लिये इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है उसको कठोर दण्ड की धमकी दी है, अल्लाह तआला कहता है कि ((और तू किसी ऐसे व्यक्ति का भी कहना न मानना जो अधिक क़समें खाने वाला, बेवक़ार, कमीना, ऐबगो, चुग्ल खोर है।)) (सूरतुल क़लम : १०-११)

  और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि ((चुग्लखोर स्वर्ग में नही जासकता।)) (सहीह मुस्लिम १/१०१ हदीस नं.:१०५)

लोगों के बीच दंगा फसाद कराने के उद्देश्य से चुग्लखोरी के नतीजे में आपस में शत्रुता और दूरी पैदा होती है, जिस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस कथन में रोका है कि ((किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं है कि अपने भाई को तीन दिन से अधिक छोड़ दे, दोनो की मुलाकात हो तो वह उस से मुंह मोड़ ले और वह उस से मुंह फेर ले और उन दोनो में अच्छा वह है जो पहले सलाम करे।)) (सहीह बुखारी ५/२२५६ हदीस नं.: ५७२७)
और इस बात की भी सम्भावना है कि उस से बदगुमानी और आदमि के बारे में जो बात कही गई है उसकी सच्चाई को जानने के लिए जासूसी की जाने लगे, और इस प्रकार उसने कई हराम चीजों को किया जिस से अल्लाह ने अपने इस कथन के द्वारा रोका है कि ((यक़ीन मानो कि कुछ बदगुमानियाँ पाप हैं और भेद ना टटोला करो।)) (सूरतुल हुजुरात :१२)

- कमज़ोर पर बड़प्पन दिखाने को हराम करार दिया है चाहे वह कमज़ोरी जिस्मानी हो जैसे बीमार, कमज़ोर और बूढ़ा आदमी, या धन के हिसाब से कमज़ोर हो जैसे निर्धन , मिस्कीन व मुहताज आदमी, या वो लोग जो उस के मातहत हैं उन पर भी बड़प्पन दिखाने को हराम किया है, और इसका मक्सद आपस में प्यार व महब्बत और दया करने वाला समाज बनाना है, अल्लाह तआला के इस फरमान के आधार पर कि ((और अल्लाह तआला की पूजा करो और उस के साथ किसी को साझी न करो और माता पिता के साथ व्यवहार करो और रिश्तेदारों से और अनाथों से और मिस्कीनों से और रिश्तेदार पड़ोसी से और अजनबी पड़ोसी और बगल के साथी से और राह के मुसाफिर से और उन से जिन के मालिक तुम्हारे हाथ हैं (दास दासी) यकीनन अल्लाह तआला घमण्ड करने वालों और शेखी खोरों को पसन्द नहीं करता।)) (सूरतुन्निसा :३६)

अल्लहा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ में एक दिन एक मिस्वाक थी आप ने अपने नोकर को बुलाया, उसने आने में देर

कर दी आप ने उस से कहा अगर क़िसास न होता तो मैं तुम्हे इस मिस्वाक से मारता)) (मुसनद अबी या'ला १२/३६० हदीस नं. :६६२८)

- वसीयत के ज़रीये हानि पहुँचाना हराम क़रार दिया है, वह इस प्रकार कि आदमी वसीयत करे कि उस पर क़र्ज़ है, हालाँकि उस पर कुछ नही है, उसका मक़्सद केवल वारिसों को हानि पहुँचाना हो, अल्लाह तआला का फरमान है : ((उस वसीयत के बाद जो की जाये और क़र्ज़ के बाद जब की औरों को नुक़सान न पहुँचाया गया हो।)) (सूरतुन्निसा :१२)

खाने–पीने और पहनने से संबंधित हराम चीज़ें :

- शराब और उस से जुड़ी हुई खाई जाने वाली या पी जाने वाली या सूंघी जाने वाली या सुई लगाई जाने वाली सभी प्रकार की नशीली पदार्थ को हराम करार दिया है, अल्लाह तआला फरमाता है कि ((बात यह है कि शराब और जुवा और थान और फाल निकालने के पाँसे के तीर यह सब गंदी बातें शैतानी काम हैं इन से बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम सफल हो, शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुवा से तुम्हारे आपस में दुशमनी और बुग्ज पैदा करा दे और अल्लाह की याद से और नमाज़ से तुम को दूर रखे, सो अब भी रुक जाओ।)) (सूरतुल माईदा :९०-९१)

  शराब और उसके हुक्म में जो नशीली चीजें आती है उनकी जड़ काटने के लिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि ((अल्लाह ने शराब पर फटकार की है और उस के पिलाने वाले और पीने वाले और निचोड़ने वाले और उसके उठाने वाले और जिसकी ओर उठाकर ले जाया जा रहा है और बेचने वाले और खरीदने वाले और उसका दाम खाने वाले सभी पर फटकार की है।)) (मुसतदरक हाकिम २/३७ हदीस नं.:२२३५)

इस कठोर धमकी से इस्लाम इन्सानी दिमाग और जज़्बात की उस पर बुरा असर डालने और उसके काम को खराब करने वाली तमाम चीज़ों से रक्षा करना चाहता है, इसलिये कि वह ऐसा मनुष्य चाहता है जो मानवता के पद से गिर कर दूसरे ऐसे मख्लूक में ना पहुँच जाये जिन के साथ सोचने समझने की शक्ति नहीं है और यह बात मालूम है कि जो व्यक्ति शराब और नशीली पदार्थ का सेवन करता है और उसकी हमेशा की आदत बन जाती है तो इस काम के लिये रुपया पैसा जमा करने के लिये वह सब कुछ करने को तैयार रहता है यहाँ तक कि चोरी और हत्या करने पर भी तैयार रहता है और ज़रुरत पड़ने पर ऐसा करता भी है, इसलिये इस्लाम ने शराब को महान पापों की माँ कहा है।

☒ मुरदार का गोश्त और सुवर का गोश्त खाने को हराम किया है, और अल्लाह के इस कथन में जो चीज़ें मोजूद हैं, उहे भी हराम करार दिया है : ((तुम पर हराम किया गया मुरदार और खून और सुवर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो। और जो गला घुटने से मरा हो और जो किसी मार से मर गया हो और जो ऊँची जगह से गिर कर मरा हो और जो किसी के सींग मारने से मरा हो और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन तुम उसे ज़बह कर डालो तो हराम नहीं और जो आस्तानों पर ज़बह किया गया हो और यह भी कि कुरा के तीरों के ज़रीये फाल गीरी करो, यह सब बदतरीन पाप हैं।)) **(सूरतुल माईदा :3)**

इसी प्रकार अल्लाह का नाम लिये बिना या अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम लेकर जबह किया गया हो उसे भी हराम करार दिया है, अल्लाह तआला कहता है कि ((और ऐसे जानवरों में से ना खाओ जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो और यह काम नाफरमानी का है)) (सूरतुल अंआम :१२१)

- ☒ फाड़ खाने वाले जानवरों और पंक्षियों के खाने को हराम करार दिया है, फाड़ खाने वाले पशु वह हैं जो दाँत से शिकार करने वाले हैं जैसे, बाघ, चीता, भेडिया, इत्यादि।
  और फाड़ खाने वाला पंक्षी वह हैं जो चंगुल से शिकार करते हैं जैसे बाज़ और गिध और उन दोनों जैसे अन्य पक्षी।
- ☒ खाने और पीने की उन तमाम चीज़ों को हराम किया है जो स्वास्थ के लिये हानिकारक हैं जैसे बीड़ी, सिगरेट और इसी जैसी दूसरी चीजें, अल्लाह तआला कहता है कि "और तुम अपने आप को कत्ल न करो अल्लाह तुम्हारे ऊपर बड़ा दयालु है।"
- ☒ मरदों के लिये रेशम और सोना पहनने को हराम करार दिया है, प्रन्तु महिलओं के लिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के आधार पर जायज़ है कि ((रेशम और सोना पहनना मेरी समुदाय की महिलाओं के लिये हलाल किया गया है और पुरुषो के लिये हराम किया गया है।)) (मुसनद अहमद ४/४०७ हदीस नं. :१९६६२)

उदाहरण के तोर पर यहाँ हम कुछ उन चीजों का उल्लेख कर रहें हैं जिनका इस्लाम ने आदेश दिया है और उन पर उभारा है :

- बात और कार्य में न्याय का आदेश दिया है, अल्लाह तआला फरमाता है कि : ((अल्लाह तआला न्याय का, भलाई का और रिश्तेदारों को देने का आदेश देता है और बेहयाई से रोकता है वह स्वयं तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो।)) (सूरतुन्नहल :९०)
  क़रीब और दूर हर के साथ न्याय करने का मुतालबा किया गया है, अल्लाह तआला का फरामन है : "और जब तुम बात कहो तो न्याय की बात कहो, अगरचि कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो, और अल्लाह के अह्द व पैमान को पूरा करो, अल्लाह तुम्हें इसी चीज़

की वसीयत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो।" (सूरतुल अंआम :१५२)

मुसलमान और काफिर दोनों के साथ खुशी और नाराज़ी दोनों स्थितियों में न्याय करने का आदेश है, अल्लाह तआला कहता है कि "किसी कौम की दुशमनी तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम न्याय न करो, न्याय करो यह तक़्वा के अधिक करीब है।"

- अपने ऊपर दूसरों को वरीयता देने का आदेश दिया है और इस पर उभारा है, इसलिये कि यह सच्चे दोस्ती का सुबूत है इस का समाज पर अच्छा असर पड़ता है, लोगों के राबते मज़्बूत होते हैं और एक दूसरे की खिदमत का शौक़ पैदा होता है, अल्लाह तआला उन लोगों की प्रशंसा करते हुये कहता है जो लोग भलाई और पुण्य में दूसरों को अपने ऊपर वरीयता देते हैं ((बल्कि स्वयं अपने ऊपर उहें वरीयत देते हैं अगरचि खुद को कितनी ही कठोर जरूरत हो (बात यह है कि) जो भी अपने नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया वही सफल है।)) (सूरतुल हश्र :९)
- नेक नोगों की सोहबत में रहने और उहें लाज़िम पकड़ने का आदेश दिया है और बुरो की संगत से डराया है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक उदाहरण दे कर अच्छे और बुरे की सोहबत का नतीजा बताया है, आप ने कहा है कि ((अच्छे और बुरे संगी (दोस्त) का उदाहरण सुगंध बेचने वाले और लोहार की है, सुगंध बेचने वाला या तो तुम्हें कुछ दे देगा या तुम उस से खरीद लोगे या उस से अच्छा महक पाओगे और लोहार या तो तुम्हार कपड़ा जला देगा या तो खराब बू पाओगे।)) (सहीह बुखारी ५/२१०४ हदीस नं.:५२१४)
- लोगों में लड़ाई झगड़ा होने पर उनके बीच सुलह कराने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला के इस कथन के आधार पर कि ((उन के अधिक खुफिया रायों में कोई खैर नहीं है, भलाई उस के मशवरे में है जो खैरात का या नेक बातों का या लोगों में सुलह कराने का

हुक्म करे और व्यक्ति सिर्फ अल्लाह तआला की प्रसन्नता पाने के इरादा से यह काम करे उसे हम यक़ीनन बहुत बड़ा पुण्य देंगे।)) (सूरतुन्निसा :११४)

इस्लाम में लोगों के बीच सुलह कराने का बहुत बड़ा स्थान है जो नमाज़, रोजा और तमाम अनिवार्य इबादतों के स्थान से कम नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के आधार पर कि: ((क्या मैं तुम्हें नमाज़, रोज़ा और पुण्य के दरजा से अच्छा काम ना बतलाऊँ? लोगों के बीच सुलह कराना, इसलिये कि लोगों के बीच दंगा व फसाद कराना यह दीन का सर्वनाश कर देने वाला है।)) (सुनन तिर्मिज़ी ४/६६३ हदीस नं.: २५०६)

और इस्लाम ने इस विषय में झूठ बोलने की भी अनुमति दी है कि आदमी दो बिछड़े हुये दिलों को जोड़ने और अदावत व दुशमनी खतम कराने के लिये झूठ बोल सकता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के आधार पर कि ((मैं उसे झूठ नहीं गिनता जो लोगों की बीच सुलह कराता है और झूठी बात बोलता है और उससे इस का मक्सद सिर्फ सुलह होता है, आदमी युद्ध में झूठ बोलता है उसे भी झूठा नहीं मानता इसी प्रकार पति व पत्नी आपस में जो झूठ बोलते हैं उसे में झूठ नही मानता हूँ।)) (सुनन अबू दाऊद ४/२८१ हदीस नं.:४९२१)

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि ((वह व्यक्ति झूठा नहीं है जो लोगों के बीच सुलह कराता है, वह भलाई को बढ़ावा देता है या भली बात कहता है।)) (सहीह बुखारी २/९५८ हदीस नं.: २५४६)

- भलाई का आदेश करने और बुराई से रोकने का आदेश दिया है, भलाई का आदेश करने और बुराई से रोकने से जाहिल ज्ञानी हो जाता है और टेढ़ा व्यक्ति सीधा हो जाता है और बुरे लोगों की सुधार होती है और लापरवाह चतुर होजाता है और सीधे व्यक्ति को

सहायता मिलती है और अल्लाह का क़ानून लागू होता है और लोग उसके सीधे मार्ग पर चलते हैं, अल्लाह के आदेशों का पालन करके और उसकी रोकी हुई चीजों से रुक करके, तो यह उस रक्षा बंधन के समान है जो समाज में भ्रष्टाचार और दंगा-फसाद फैलाने से और लोगों के हुकूक़ बरबाद करने से और जंगल का कानून न फैलने पाने से सुरक्षा करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि : ((तुम में से जो व्यक्ति बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से रोके, यदि उसकी शक्ति नहीं है तो जुबान से रोके यदि इस की भी शक्ति नहीं है तो उसको दिल से बुरा जाने और यह ईमान का सबसे अन्तिम दरजा है।)) (सहीह मुस्लिम १/६९ हदीस नं.: ४९)

अल्लाह तआला का फरमान है कि "तुम में से एक टोली ऐसी होनी चाहिये जो भलाई का आदेश करे ...।"

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक उदाहरण के ज़रिया भलाई का आदशे न करने और बुराई से न रोकने पर जो बुरा नतीजा सामने आता है उसे स्पष्ट किया है, आप ने फरमाया : ((अल्लाह के हुदूद पर खड़ा होने वाला और उसमें घुसने वाला उस कौम़ के समान है जो एक नाव में साझी हुये, उनमें से कुछ लोग ऊपर सवार हुये और कुछ नीचे सवार हुये, तो जो लोग नीचे थे उहें जब पानी पीने की जरुरत पड़ती तो ऊपर जाते तो उहों ने कहा कि हम इस में छेद करदें और ऊपर वालों को तकलीफ न दें, इस पर अगर लोग उहें छोड़ दें और उहें इस काम से न रोकें तो सब के सब मर जायेंगे और यदि उहें इस काम से रोक दें तो सब बच जायेंगे।" (सहीह बुखारी २/८८२ हदीस नं.: २३१६)

और अल्लाह तआला ने उस दण्ड को भी स्पष्ट कर दिया है जो भलाई का आदेश न करने और बुराई से न रोकने के कारण होता है : ((बनी इसराईल के काफिरों पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा बिन मर्यम अलैहिस्सलाम की जुवानी फटकार की गई, इस कारण कि वह नाफरमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे, आपस

में एक दुसरे को बुरे कामों से जो वह करते थे, रोकते न थे जो कुछ भी यह करते थे वास्तव में बहुत बुरा था।)) (सूरतुल माईदा :७८)

भलाई का आदेश करने और बुराई से रोकने के कुछ नियम हैं :

- जिस चीज़ का आदमी आदेश कर रहा है या रोक रहा है उस के विषय में उसे पूरा ज्ञान होना चाहीये ताकि लोगों के धर्म को खराब न करे, सुफ्यान बिन अब्दुल्लाह अस्सक़फी से रिवायत है, वह कहते हैं कि : मैं ने कहा कि : ऐ अल्ललाह के रसूल! मुझे ऐसी बात बतायें जिसे मैं दृढ़ता से थाम लूँ। आप ने कहा कि : कहो कि मेरा रब अल्लाह है फिर उस पर जम जाओ। मैं ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप मेरे बारे में सबसे अधिक किस चीज़ से डर रहे है? सहाबी कहते हैं कि आपने आपनी जीभ पकडी फिर कहा : इस से। अबु हातिम कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ से अपनी जीभ पकड़ कर यह कहने कि इस से सब अधिक डर रहा हूँ, हालाँकि आप जीभ पकड़े बिना उसका नाम ले सकते थे, तो इसका अर्थ यह है कि आप को उस चीज़ की जानकारी थी जिसे लोग जानते थे तो आप ने यह चाहा कि आप उस जानकारी पर पहले अमल करें जिसे जिबरील ने आपको बताया है कि उसके बारे में सबसे अधिक उसे बरबाद करने वाली चीज़ के बारे में डर रहे हैं और आप ने उसे हुक्म दिया कि उस चीज़ को पकड़ ले और उसे ने छोड़े, इस प्रकार आपने सवप्रथम खुद उस चीज़ पर अमल किया जिस की सहाबी को शिक्षा दे रहे थे, ताककि इल्म और ता'लीम के स्थान को स्पष्ट कर दें।)) (सहीह इब्ने हिब्बान १३/६ हदीस नं.: ५६९६)
- जिस काम से रोक रहा है उस के रोकने से कहीं उस से और बड़ा बिगाड़ न पैदा हो।
- जिस काम का आदेश कर रहा है उसे छोड़ने वाला या जिस से रोक रहा है स्वयं उस काम को करने वाला न हो, अल्लाह तआला के

इस फरमान के कारण कि ((ऐ ईमान वालो! तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं तुम जो करते नहीं उस का कहना अल्लाह को सख्त नापसन्द है।)) (सूरतुस्सफ :३)

- बुर्दबार (सहनशील) हो, किसी चीज़ का नरमी से आदेश दे और किसी चिज से नरमी से रोके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कराण कि ((नरमी जिस चीज़ के अन्दर भी पाई जाती है उसे सुन्दर बना देती है और जिस से भी खतम हो जाती है उसे खराब बना देती है।)) (सहीह मुस्लिम ४/२००४ हदीस नं.:२५६४)
- भलाई का आदेश करने और बुराई से रोकने के मार्ग में जो मुसीबतें आयें उहें सहने पर शक्ति रखता हो, अल्लाह के इस कथन के कारण कि ((अच्छे कामों कि नसीहत करते रहना, बुरे कामों से रोकते रहना और जो मुसीबत तुम पर आ जाये उस पर सब्र करना (यक़ीन मानो) कि यह बड़े ताकीदी कामों में से है।)) (सूरत लुक़मान :१७)

- अच्छे अख्लाक़ (शिष्टाचा का आदेश दिया है और अच्छी आदतों के अपनाने पर उकसाया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के कारण किः मोमिनों में संपूर्ण ईमान वाला वह है जो उन में सबसे अच्छे आचार वाला हो और अपने परिवार वालों के लिये सबसे नरम हो।)) (सुनन तिर्मिज़ी ५/६ हदीस नं.: २६१२)

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अच्छे आचार वाले के पूण्य को अपने इस कथन में स्पष्ट किया है कि ((क़ियामत के दिन तुम लोगों में से मुझे सबे से अधिक पसन्द और सबसे अधिक करीबी वह होगा जो तुम में सबसे अच्छे आचार वाला होगा और तुम में सबसे अधिक नापसन्द और सबसे अधिक दूर अधिक बोलने वाले और बेजा बातें करने वाले और घमण्डी होंगे...)) (सुनन तिर्मिज़ी ४/३७० हदीस नं.: २०१८)

- भलाई करने का आदेश दिया है, जाफर बिन मोहम्मद अपने पिता से वह उनके दादा से रियावत करते हैं कि उनके दादा ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि "जो भलाई का हक़दार हो और जो न हो दोनों के साथ भलाई करो, यदि तुम भलाई के हक़दार को पा जाओ तो वह उसका हक़दार है और यदि तुम उसके कहदार को ना पाओ तो तुम भलाई के हकदार हो।" (मुसनद शिहाब १/४३६ हदीस नं.:७४७)
- कोई खबर देते समय उसकी छान बीन और पूरी पुष्टि करने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला के इस फरमान के कारण कि : ((ऐ मुसलमानो! यदि तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया करो, ऐसा न हो कि नादानी में किसी क़ौम को तकलीफ पहुँचा दो फिर अपने किये पर पछताओ।)) (सूरतुल हुजुरात :६)
- नसीहत करने का आदेश दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के कारण कि ((दीन नसीहत का नाम है हमने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह नसीहत किस के लिये है? आप ने कहा कि : अल्लाह के लिये, उसकी किताब के लिये, उस के रसूल के लिये और मुसलामनों के सरदारों के लिये और आम जनता के लिये।)) (सहीह मुस्लिम १/७४ हदीस नं.:५५)
- अल्लाह के लिये नसीहत का अर्थ यह है कि उस पर ईमान लाया जाये और सिर्फ उसी की पूजा की जाये और उस के साथ किसी को साझी न बनाये, इसी प्रकार उसके नामों और सिफातों में किसी को साझी न बनाये।
- अल्लाह की किताब के लिए नसीहत का अर्थ यह विश्वास रखना कि वह (क़ुरआन) अल्लाह का कथन है जो उसकी तरफ से अवतरित हुआ है, और वह अन्ति आसमानी ग्रन्थ है, उसमें जो चीज़े हलाल हैं उन्हें हलाल समझना और जो हराम हैं उन्हें हराम समझना, और

उसे अपना दस्तूर बनाकर उस पर चलना और उसका अनुसरण करना।

- उसके रसूल के लिए पसीहत का मतलब यह है कि आप ने जिस का हुक्म दिया है उसको मानना, जिसकी सूचना दी है उसको सच्चा मानना, जिस से रोका और मना किया है उसे से दूर रहना, और रसूल से महब्बत करना, उनका सम्मान और एहतराम करना, उनकी सुन्नत पर अमल करना और लोगों में उसे फैलाना।
- मुसलमानों के इमामों और सरदारों के लिए नसीहत का अर्थ यह है कि जब तक वो गुनाह का आदेश न दें उनकी बात मानना, भलाई की तरफ उनकी रहनुमाई करना और उस पर उनका सहायता करना, उनके खिलाफ बगावत न करना, नरमी से उन्हें नसीहत करना और उन्हें लोगों के अधिकारों को याद दिलाना।
- आम मुसलमानों के लिए नसीहत उन्हें उनके दीन व दुनिया की भलाई की तरफ रहनुमाई करना, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति पर उनकी मदद करना, उनसे तकलीफ को रोकना, उनके लिए भी वही चीज़ पसन्द करना जो अपने लिए पसन्द करते है, और उसी तरह उनसे व्यवहार करना जिस तरह अपने साथ व्यवहार को पसन्द करते हैं।

- इस्लाम ने दान शीलता को आदेश दिया है क्योंकि इस से लोगों के बीच महब्बत बढ़ती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "दो आदतों को अल्लाह तआला पसन्द करता है : शिष्टाचार और दानशीलता (सखावत) और दो अदतों को अल्लाह तआला नापसन्द करता है : दुष्टाचार और कंजूसी, और जब अल्लाह तआला बन्दे के साथ भलाई चाहता है तो उसे लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति में लगा देता है।"

दानशीलता के बारे में नियम अल्लाह का यह कथन है कि : "और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुवा न रख और न उसे बिल्कुल ही खोल दे कि फिर मलामत किया हुवा थका हारा बैठ जाये।" (सूरतुल इसरा :२९)

- लोगों पर परदा पोशी करने का आदेश दिया है और लोगों के गम को दूर करने और उन के मामलों को आसान करने पर उभारा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण किः "जो किसी मोमिन से दुनियावी गमों में से कोई गम दूर करदेगा तो उसके बदलले में अल्लाह तआला उसके क़ियामत के गमों में से एक गम दूर करेगा और जो किसी तंगी वाले पर आसानी करेगा अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी करेगा और जो किसी मुसलमान पर पर्दा डालेगा तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर पर्दा डालेगा, और अल्लाह बन्दे की सहायता में उस तक होता है जब तक वह अपने भाई की सहायता में होता है।)) (सहीह मुस्लिम ४/२०७४ हदीस नं.:२६९९)
- धैर्य रखने का आदेश दिया है चाहे यह सब्र नेकी के करने के बारे में हो या मना की हुई चीजों से रुकने के बारे में हो अल्लहा के इस कथन मे कारण किः ((तू अपने रब के आदेश के लिए सब्र कर, यक़ीनन तू हमारी आँखों के सामने है।)) (सूरतुत्तूर :४८)
  या अल्लाह की तक़दीर पर सब्र हो, जैसे मुहताजी पर सब्र करना, भूख पर सब्र करना, बीमारी पर सब्र करना और डर पर सब्र करना, अल्लाह के इस कथन के कारण कि : ((और हम किसी न किसी प्रकार तुम्हारी आजमायिश अवश्य करेंगे शत्रु के डर से, भूख प्यास से, माल व जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुश्खबरी दे दीजिये जिहे जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह तआला की मिल्कियत हैं और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं, उन पर उन के रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लो हिदायत याफ्ता हैं।)) (सूरतुल बक़रा :१५५-१५७)
- गुस्सा पी जाने और सख्ती होने के बावजूद क्षमा कर देने का आदेश दिया है, इस लिये कि इस से समाज के लोगों के ता'ल्लुकात मज़्बूत होते हैं और आपसी बुग्ज़ व अदावत और नफरत नहीं पनपती है

और इस का बहुत बड़ा बदला बताया है, इसीलिये जिन लोगों के अन्दर यह खूबियाँ पाई जाती हैं अल्लाह ने उन की प्रशंसा की है, अल्लाह तआला का फरमान है : ((और अपने रब की बख्शिश की और उस स्वर्ग की ओर दोड़ो जिसकी चौड़ाई आकाशों और धर्ती के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिये तैयार की गई है, जो लोग आसानी में और सख्ती के अवसर पर भी अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से क्षमा करने वाले हैं, अल्लाह तआला इन नेक कारों से प्यार करता है)) (सूरत आल-इमरान :१३३-१३४)

- दिलों को जोड़ने और हसद और बदले की जड़ काट्ने कि लिये बुराई का बदला अच्छाई से देने का आदेश दिया है अल्लाह तआला का फरामन है कि "बुराई का बदला अच्छाई से दो ताकि तुम्हारा शत्रु जिगरी दोस्त हो जाये।"

इस्लामी जीवन के आदाब :

इस्लामी शरीअत ने कुछ आदाब प्रस्तुत किए हैं जिस पर अमल करने पर उसने मुसलमानों को उभारा है ताकि इस्लामी व्यक्तित्व परिपूर्ण हो सके, उन आदाब में से कुछ निम्नलिखित हैं :

खाने के आदाब :

१. खाने के आरम्भ में बिसमिल्लाह कहना और खाना खाने से फारिग होने पर अल्लाह की प्रशंसा करना और सामने से खाना और दायें हाथ से खाना, इस लिये कि बायाँ हाथ अधिकतर गंदगी की सफाई में इस्तेमाल होता है, उमर बिन अबी सलमा कहते है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्ललाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लड़का था और मेरा हाथ पूरे पलेट में चल रहा था, तो मुझ से रसूल सल्लल्लहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि ऐ बच्चे! अल्लाह का नाम लो (बिसमिल्लाह) कहो और दायें हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ।)) (सहीह बुखारी ५/२०५६ हदीस नं.:५०६१)

२. भोजन किसी भी प्रकार का हो, उस में ऐब न निकाला जाये, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अंहु की इस हदीस के कारण कि ((अल्लाह के रसूसल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भोजन में कभी ऐब नहीं निकाला, यदि चाहत हुई तो खा लिया और पसन्द नहीं आया तो छोड़ दिया।)) (सहीह बुखारी ५/२०५६ हदीस नं.:५०९३)

३. आदमी ज़रुरत से अधिक न खाये पिये, अल्लाह के इस कथन के कारण : ((खाओ और पियो और फुजूल खर्ची न करो, अल्लाह तआला फुजूल खर्ची करने वालों को पसन्द नहीं करता।))
और रसूल सल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((आदमी ने पेट से बुरा कोइ बर्तन नहीं भरा, ऐ आदम की औलाद! तुम्हारे लिये चन्द लुक़्मे जिस से तुम्हारी कमर सीधे रह सके, काफी है, यदि अधिक खाना अनिवार्य हो तो एक तिहाई खाने के लिये हो, एक तिहाई पीने के लिये हो और एक तिहाई साँस लेने के लिये हो।)) (सहीह इब्ने हिब्बान १२/४१ हदीस नं.: ५२३६)

४. बर्तन के अन्दर साँस न लेना और उस मे फूँक न मारना, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिय्यल्लाहु अंहु से रिवायत है कि ''नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में साँस लेने या फूँक मारने से रोका है।)) (सुनन अबू दाऊद ३/३३८ हदीस नं: ३७२८)

५. दुसरे लोगों के लिये खाने पीने को गन्दा न करे, सईद खुदरी रजियल्लाहु अंहु कहते हैं कि मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशकीजों को खराब करने से रोकते हुये सुना अब्दुल्लाह ने कहा कि मा'मर या किसी दुसरे ने कहा कि इस का अर्थ मश्कीज़े के मुँह से मुँह लगा कर पीना है। (सहीह बुखारी ५/२१३२ हदीस नं: ५३०३)

६. अकेला ना खाये, बल्कि किसी के साथ में खाये। एक व्यक्ति ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रशन किया कि हम खाते हैं, लेकिन पेट नहीं भरता है? आप ने पूछा कि एक साथ खाना खाते हो या अलग-अलग खाते हो? उसने उत्तर दिया कि अलग अलग खाते हैं।

आप ने कहा कि एक होकर खाना खाओ और अल्लाह का नाम लो, अल्लाह तुम्हारे भोजन में बरकत देगा।)) (सहीह इब्ने हिब्बान १२/२७ हदीस नं.: ५२२४)

७. जिस किसी व्यक्ति की खाने की दावत ली गई हो और उस के साथ कोई बिना दावत के जा रहा है तो दावत लेने वाले से उस के बारे में अनुमति लेनी चाहिये, एक अंसारी आदमी जिनकी कुन्नियत अबु शुऐब थी पाँच लोगों के साथ आप की दावत ली तो उनके साथ एक और आदमी आ गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह आदमी हम लोगों के साथ चला आया है, यदि तुम चाहो तो उसको अनुमति दे दो और चाहो तो लोटा दो। तो उहों ने कहा कि नहीं मैं ने उहे अनुमति दे दी।)) (सहीह बुखारी २/७३२ हदीस नं.: २६७५)

अनुमति लेने के आदाब :

इसके दो प्रकार हैं :

- घर के बाहर अनुमति लेना, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है: "ऐ ईमान वालो! तुमने अपने घरों के सिवाय दूसरे घरों में न दाखिल हो यहाँ तक कि तुम अनुमति ले लो और घर वालों पर सलाम कर लो।" (सूरतुन्नूर :२७)
- घर के भीतर अनुमति लेना, अल्लाह तआला के इस कथन के कारण कि : ((और जब तुम्हारे बच्चे बुलूगत को पहुँच जायें तो जिस प्रकार उनके अगले लोग अनुमति माँगते हैं उहे भी अनुमति माँग कर आना चाहिये।)) (सूरतुन्नूर :५६)

यह सारी चीजें घर के रहस्य व भेद और उसकी व्यक्तिगत बातों पर पर्दा डालने और उनकी रक्षा करने के लिये हैं, एक व्यक्ति ने रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम के घर में एक छेद से झाँका और आप के हाथ में एक कंघी थी जिस से आप अपना सिर खुजला रहे थे, आप ने कहा कि यदि में तुम्हें झाँकते हुये जान पाता तो मैं इस से तुम्हारी

आँख फोड़ देता, इजाज़त माँगने का आदेश आँख ही के कारण दिया गया है।)) (सहीह बुखारी ५/२३०४ हदीस नं.:५८८७)

- इजाजत मांगने में हठ न करे, रसूल सल्लल्लहू अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((इजाज़त तीन बार माँगना है, यदि तुम्हें इजाज़त मिल जाये तो ठीक है, वर्ना फिर लोट जाओ।)) (सहीह मुस्लिम ३/१६९६ हदीस नं.: २१५४)
- इजाज़त मांगने वाला व्यक्ति अपना परिचय कराये, जाबिर रज़ियल्लाहु अहु से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहु व सल्लम के पास अपने पिता के क़र्ज़ के सम्बन्ध में आया, मैं ने दरवाज़ा खटखटाया, आप ने पूछा कोन?? मैं ने कहा: मैं, आप ने कहा : मैं मैं। गोया आप ने इस को नापसन्द किया।)) (सहीह बुखारी ५/२३०४ हदीस नं.:५८८७)

सलाम के आदाब :

इस्लाम ने लोगों के बीच सलाम के फैलाने पर उभारा है, इसलिये कि इस से प्यार व महब्बत पैदा होती है, रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्ल्म कहते हैं कि ((उस ज़ात कि क़सम! जिस के हाथ में मेरी जान है तुम स्वर्ग में नहीं जा सकेते यहाँ तक कि ईमान ले आओ और मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि आपस में प्यार करने लगो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बतला दूँ कि जब तुम उसे करने लगोगे तो आपस में प्यार करने लगोगे, अपने बीच सलाम को आम करो।)) (सुनन अबू आऊद ४/३५० हदीस नं.: ५१९३)

- जिस ने तुम्हें सलाम किया है उसे सलाम का जवाब देना अनिवार्य है, अल्लाह तआला के इस कथन के कारण कि : ((और जब तुम्हें सलाम किया जाये तो तुम उस से अच्छा जवाब दो या उही शब्दों को लोटा दो।)) (सूरतुन्निसा :८६)
- और सलाम के अन्दर हुकूक को भी स्पष्ट कर दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : ((सवार, पैदल चलने वाले

को सलाम करे, पैदल चलने वाला, बैठने वाले को सलाम करे और थोड़े लोग अधिक लोगों को सलाम करें।)) (सहीह बुखारी ५/२३०१ हदीस नं.: ५८७८)

सभा के आदाब :

- मज्लिस वालों पर आते समय और निकलते समय सलाम कहना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((जब तुम में से कोई किसी बैठक में आये, तो उसे चाहिये कि वह सलाम करे यदि चाहे तो बैठे, जब वह उठकर जाने लगे तो सलाम करे, क्योंकि पहला दूसरे से अधिक हक़दार नही हैं।)) सहीह इब्ने हिब्बान २/२४७ हदीस नं.: ४९४)
- बैठक में कुशादगी पैदा करे, अल्लाह तआला के इस कथन के कारण कि ((ऐ मुसलमानो ! जब तुम से कहा जाये कि बैठकों में थोड़ी कुशादगी पैदा करो, तो तुम जगह कुशादा कर दो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा और जब कहा जाये कि उठ खड़े हो जाओ, तो तुम उठ खड़े हो जाओ, अल्लाह तआला तुम में से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं और जो ज्ञान दिये गये हैं पद बढ़ा देगा और अल्लाह तआला (हर उस काम से) जो तुम कर रहे हो (भली भांति) खबरदार है।)) (सूरतुल मुजादला :११)
- किसी व्यक्ति को खड़ा करके उसकी जगह पर न बैठना, रसूल सल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी जगह से उठाकर के न बैठे, लेकिन तुम जगह कुशादा कर दो।)) (सहीह मुस्लिम ४/१७२४ हदीस नं.:२१७२)
- जो अपनी जगह से उठकर चला जाये और फिर पुनः वापस आये तो वह उस का ज़्यादा हक़दार है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((जो अपनी जगह से उठ जाये फिर दोबारा वापिस आये तो वह उसका ज्यादा हक़दार है।)) (सहीह मुस्लिम 4/1715 हदीस नं.:2179)

- बैठे हुये लोगों के बीच उन की आज्ञा के बिना जुदाई न की जाये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((किसी व्यक्ति के लिये हलाल नहीं है कि वह दो लोगों के बीच उन की आज्ञा के बिना जुदाई पैदा करे।)) (सुनन अबू दाऊद ४/२६२ हदीस नं.:४८४५)
- तीसरे व्यक्ति को छोड़कर दो लोग आपस में सरगोशी न करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((जब तुम तीन लोग हो, तो तीसरे को छोड़ कर दो लोग सरगोशी न करो यहाँ तक कि लोगों में मिल जाओ ताकि उसे गम न हो।)) (सहीह बुखारी ५/२३१६ हदीस नं.: ५९३२)
- मज्लिस या हल्क़ा के बीच में न बैठना, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस के कारण कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हल्क़ा के बीच में बैठने वाले पर फटकार की है।)) (सुनन अबू दाऊद ४/२५८ हदीस नं.: ४८२६)
- मज्लिस फुजूल काम में व्यस्त, अल्लाह के ज़िक्र, और दीन दुनिया के मामलों में भलाई की चीज़ों के अध्ययन से खाली न हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : '' जो लोग भी किसी ऐसी मज्लिस से उठते हैं जिस में वो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते हैं, तो वो गधे की लाश की तरह से उठते हैं, और यह उनके लिए हसरत और पछतावे का कारण होगा।'' (सुनन अबू दाऊद ४/२६४ हदीस नं.:४८५५)
- मज्लिस वालों का नापसन्दीदा चीज़ के साथ स्वागत न करना, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उस पर पीलेपन का निशान था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी आदमी का सामना ऐसी चीज़ के द्वारा कम ही करते जो उसे नापसन्द हो, ज बवह बाहर चला गया, तो आप ने कहा कि यदि तुम उसे अपने

हाथों को धुलने का आदेश देते।)) (सुनन अबू दाऊद ४/८१ हदीस नं.: ४१८२)

बैठक के आचार :

- इस्लाम किसी जगह में एकत्र होने वालों के साधारण भावनाओं का ध्यान रखता है, और यह केवल इस लिए है कि बैठक एक ऐच्छिक और पसन्दीदा चीज़ बन जाए और उस से उपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इसी तरह हर उस चीज़ को दूर करता जो बैठक को घृणित बनाने का कारण बनता है, चुनाँचि इस्लाम अपने मानने वालों को साफ सुथरा बदन रहने का आदेश देता है ताकि किसी प्रकार की बदबू से सभा वालों को तकलीफ ना हो, तथा उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने का हुक्म देता है ताकि गन्दा मन्जर देख कर लोगों में नफरत न पैदा हो, इसी तरह बात करने वाले की ओर पूरा ध्यान देने और उसकी बात न काटने का आदेश देता है, और सभा के आखिर में बैठने और लोगों की गर्दनें न फलांगने और उन्हें धक्का न देने का आदेश देता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानो के एक जमावड़े जुमा की नमाज़ में बात करते हुए फरमाते हैं : ((जिस ने जुमा के दिन स्नान किया और मिस्वाक किया और खुश्बू मला यदि उसके पास मौजूद था और अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद आया और लोगों की गर्दनें नहीं फलाँगा, फिर अल्लाह ने जितनी तौफीक़ दी नमाज़ पढी, फिर इमाम के आने से लेकर नमाज़ के खत्म होने तक चुप रहा तो उस जुमा से लेकर पिछले जुमा तक के गुनाहें का कफ्फारा होता है।)) (सहीह इब्ने खुज़ैमा ३/१३० हदीस नं.: १७६२)
- जिसे क्षींक आये वह 'अल्हम्दु लिल्लाह' (हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है) कहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि कहते हैं कि ((जब तुम में से कोई क्षींके तो 'अल्हमदु लिल्लाह' कहे और उसका भाई या साथी उसके जवाब में यरहमुकल्लाह (अल्लाह तुम पर दया

करे) कहे, जब वह 'यरहमु-कल्लाह' कहे, तो वह 'यह्दीकुमुल्लाह व युसलिहो बालकुम' (अल्लाह तुम्हारा मार्ग दर्शन करे और तुम्हारी स्थिति सुधार दे) कहे।)) (सहीह बुखारी ५/२२६८ हदीस नं. :५८७०)

उसके आदाब में से यह भी है जिसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है कि आप ने फरमाया : "जब तुम में से किसी को छींक आए तो अपनी हथेलियों कसे अपने चेहरे पर रख ले, और अपनी आवाज़ धीमी कर ले।" (मुसतदरक हाकिम ४/२६३ हदीस नं.:७६८४)

- जिसे जम्हाई आये वह अपनी शक्ति भर उसे रोके, इसलिये कि जम्हाई सुस्ती की दलील है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((अल्लाह क्षींक को पसन्द करता है और जम्हाई को नापसन्द करता है। जब वह छींके और 'अल्हमदु लिल्लाह' कहे तो हर सुनने वाले पर उसका जवाब देना अनिवार्य है, लेकिन जम्हाई शैतान की ओर से है। अतः उसे अपनी ताक़त भर रोके, जब वह हा कहता है तो शैतान उस से हँसता है।)) (सहीह बुखारी ५/२२९७ हदीस नं.: ५८६९)
- सभा में डकार नहीं लेना चाहिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अहु के इस कथन के कारण कि : ((रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने डकार लिया, तो आप ने उस से कहा कि : तुम हम से अपना डकार बन्द दूर रखो, इसलिये कि दुनिया में लोगों में जो अधिक आसूदा होगा वह क़ियामत के दिन उन में अधिक भूखा होगा)) (सुनन तिर्मिज़ी ४/६४९ हदीस नं. :२४७८)

बात–चीत के आदाब (आचार) :

- बात करने वाले की बात को पूर्ण ध्यान से सुनना और बीच ही में उसकी बात न काटना, हज्जतुल वदाअ् के अवसर पर रसूल

सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((लोगों की बात ध्यान पूर्वक सुनो।)) (सहीह बुखारी १/५६ हदीस नं.: १२१)

- स्पष्ट तरीके़ से बात करना ताकि मुखातिब उस को समझ सके आईशा रज़ियल्लाहु अहा से रिवायत है, वह कहती हैं कि रसूल सल्लल्लहु अलैहि व सल्लम की बात स्पष्ट और दो टूक होती थी, हर सुनने वाला उसे समझ जाता था।)) (सुनन अबू दाऊद ४/२६१ हदीस नं.: ४८३९)
- हर बात करने वाले और मुखातब का हँसमुख होना और हँसते हुए चेहरे के साथ मिलना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((किसी भलाई को हकीर न समझो, अगरचि तुम्हारा अपने भाई से हँस मुख होकर भेंट करना ही हो।)) सही मुस्लिम ४/२०२६ हदीस नं.:२६२६)
- मुखातब से मीठी बोल बोलना, पैग़म्बर सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं : " मनुष्य के हर जोड़ के बदला उस के ऊपर हर दिन सदका करना अनिवार्य है, दो लोगों के बीच न्याय करना सद्क़ा है, आदमी की उसकी सवारी के बारे में मदद करदेना उसे उस पर सवार करा देना या उसका सामान रखवा देना सदक़ा है और भली बात कहना सदका है और नमाज़ के लिये उठने वाला हर क़दम सदक़ा है और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ हटा देना सदक़ा है।)) (सहीह बुखारी ३/१०९० हदीस नं.: २८२७)

बीमार पुर्सी के आदाब :

- इस्लाम ने बीमार से भेंट करने के लिए जाने की रूचि दिलाई है और उसे एक मुसलमान के दुसरे मुसलमान पर हुक़ूक़ में शुमार किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((एक मुसलमान के दुसरे मुसलमान पर पाँच हुकुक हैं; सलाम का जवाब देना, बीमार पुर्सी करना, जनाज़ा के पीछे जाना, दावत क़बूल करना

छींकने वाले का जवाब देना)) (सहीह बुखारी १/४१८ हदीस नं. :११८३)

- मुसलमानों को बीमीर की जीयारत करने के लिये रगबत दिलाते हुये उसके बदले को स्पष्ट कर दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ((जिसने किसी बीमार की इयादत की तो बराबर वह स्वर्ग के फल चुन्ता है। कहा गया कि : ऐ अल्लाह के रसूल। खुरफतुलजन्नह क्या है ? तो आप ने कहा कि उसके फल तोड़ना।)) (सहीह मुस्लिम ४/१९८९ हदीस नं.:२५६८)
- बीमार पुरसी में मरीज़ के लिये प्यार व शफ्कत ज़ाहिर करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((सम्पूर्ण तीमार दारी यह है कि तुम में से कोई अपना हाथ उस के माथे पर या हाथ पर रखे और उस से उसका हाल मालम करे।)) (सुनन तिर्मिज़ी ५/७६ हदीस नं.: २७३१)
- मरीज़ के लिये दुआ करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((जिसने किसी मरीज़ की इयादत की जिस की मौत हाज़िर नहीं हुई है और उसके पास सात बार कहा कि : मैं महान अल्लाह बड़े अर्श वाले से सवाल करता हूँ कि तुम्हें शिफा दे दे, तो अल्लाह उसे उस बीमारी से शिफा दे देगा)) (मुसतदरक हाकिम १/४९३ हदीस नं.: १२६९)

मज़ाह (उपहास) के आदाब :

इस्लाम के अन्दर जीवन जायज़ हँसी-मज़ाक और दिल्लगी से परे नहीं है जैसा कि कुछ लोगों का अनुमान है, हन्जला अल-उसेदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु से मेरी मुलाकात हुयी, आप ने पूछा कि ऐ हन्ज़ला कैसे हो? हन्ज़ला कहते हैं कि मैं ने कहा कि मैं मुनाफिक़ हो गया। अबु बक्र ने तअज्जूब से पूछा कि तुम क्या कह रहे हो? जन्ज़ला ने कहा कि हम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, आप हम से स्वर्ग और

नर्क का जिक्र करते हैं यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वह हमारी आँखो के सामने है, जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से निकल आते हैं तो हम लड़को बच्चों और धन दोलत के झमेले में फँस जाते हैं और हम ज्यादा गाफिल होजाते हैं। अबु बक्र ने कहा कि अल्लाह की क़सम इसी तरह हमारी भी स्थिति होती है। हन्जला कहते हैं कि मैं और अबु बक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आये, मैं ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम! हन्जला मुनाफिक़ होगया। रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह क्या बात है? मैं ने कहा कि ऐ अल्लहा के रसूल! हम आप के पास होते हैं आप हम से स्वर्ग और नर्क का जिक्र करते हैं यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि हम उसे अपनी आँखो से देख रहे हैं, लेकिन जब हम आप के पास से निकलते हैं तो हम बीवी बच्चों और धन दौलत के चक्कर में फँस जाते हैं और हम ज्यादा गाफिल हो जाते हैं। तो रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि : क़सम है उस हस्ती की जिस के हाथ में मेरी जान है जिस स्थिति में तुम मेरे पास होते हो यदि उसी स्थिति में तुम बराबर रहो तो फरिश्ते तुम से तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में मुसाफह करेंगे लेकिन ऐ हन्जला एक घंटा और एक घंटा, आप ने इसे तीन बार फरमाया।" (सहीह मुस्लिम ४/२१०६ हदीस नं.: २७५०)

रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में स्पष्ट कर दिया कि जायज़ हँसी मज़ाक और तफरीह मतलूब है, ताकि आदमी की रूह व जान चुस्त व फुर्त रहे। रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से हँसी मज़ाक के आदाब उस अवसर पर बतलाये जब उहोंने आप से प्रश्न किया कि आप हम से मज़ाक करते हैं, आप ने कहा : हाँ, लेकिन में सत्य बात ही कहता हूँ।)) (सुनन तिर्मिज़ी ४/३५७ हदीस नं.१९९०)

- जिस प्रकार बात से हँसी मज़ाक होती है उसी प्रकार कृत्य से भी मजाक करते होती है, तथा आप सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कृत्य द्वारा मज़ाह किया करते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : एक दीहाती आदमी जिस का नाम ज़ाहिर बिन हराम था पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उपहार (तोहफा) दिया करता था, जब वह वापस जाना चाहता तो पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके लिए कोई चीज़ तैयार करते थे। पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके बारे में कहाः "ज़ाहिर हमारे दीहाती और हम उनके शहरी (साथी) हैं।" अनस कहते हैं, एक दिन वह अपना सामान बेच रहे थे कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आये और उनके पीछे से उन्हें पकड़ लिया और वह आप को देख नही पा रहे थे। चुनांचे उन्हों ने कहाः यह कौन है? मुझे छोड़ दे। आप ने अपना चेहरा उनकी ओर किया, जब वह पहचान गए कि यह पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं तो अपनी पीठ को आपके सीने से चिपकाने लगे। पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "यह गुलाम कौन खरीदे गा?" ज़ाहिर ने कहाः ऐ अल्लाह के पैग़म्बर आप मुझे सस्ता पाएंगे। आप ने फरमायाः "किन्तु तुम अल्लाह के निकट सस्ते नहीं हो" या पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि "तुम अल्लाह के पास बहुमूल्य हो।"। (सहीह इब्ने हिब्बान १३/१०६ हदीस नं.:५७९०)

- ऐसी दिल्लगी और हँसी मजाक न की जाये जिस से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुँचे या उसे बुरा लगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं है कि किसी मुसलमान को घबराहट में डाले)) (मुसनद अहमद ५/३६२ हदीस नं.:२३११४)

- हँसी-मज़ाक उसे सच्चाई के दायरा से न निकाल दे कि वह लोगों को हँसाने के लिये झूठ बोले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस

कथन के कारण कि ((बरबादी है उसके लिये जो बात करता है तो झूठ बोलता है ताकि लोगों को हँसाए, उसके लिए बरबादी है, उस के लिये बरबादी है)) (सुनन अबू दाऊद ४/२९७ हदीस नं. :४९९०)

ता'ज़ियत (सान्त्वना) के आदाब :

मुरदे के घर वालों की तसल्ली और उनके गम व मुसीबत को हल्का करने के लिये ता'ज़ियत मशरुअ् की गयी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((जो मोमिन अपने किसी भाई की मुसीबत में ता'ज़ियत करता है, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसे करामत का जोड़ा पहनाये गा।)) (सुनन इब्ने माजा १/५११ हदीस नं.:१६०१)

- मुरदा के घर वालों के लिये दुआ करना और उहे सब्र करने और सवाब की उम्मीद रखने पर उभारना, हम पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बैठे थे कि आप के पास आप की किसी बेटी का क़ासिद आया कि वह आप को अपने बेटे को देखने के लिए बुला रही हैं जो जांकनी की हालत में है। पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस आदमी से कहा:

"वापस जाकर उन्हें बतला दो कि जो कुछ अल्लाह ने ले लिया वह निःसन्देह अल्लाह ही का है और जो कुछ उसने प्रदान किया है वह भी उसी का ही है, और हर चीज़ का उसके पास एक निश्चित समय है। इसलिए उनसे कहो कि वह सब्र करें और अल्लाह से अज्र व सवाब की आशा रखें।"

आप की बेटी ने क़ासिद को यह कह कर दुबारा भेजा कि उन्हों ने क़सम खा लिया है कि आप अवश्य उनके पास आयें। इस पर पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उठ खड़े हुए और सअद बिन उबादा और मुआज़ बिन जबल भी आप के साथ हो लिए। बच्चे को आप के सानमे पेश किया गया, उसकी साँस ज़ोर-ज़ोर से चल रही

थी गोया वह पुराने मशकीज़े में है। यह देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आँखों से आँसू जारी होगए। सअद ने कहाः ऐ अल्लाह के पैग़म्बर ! यह क्या है? आप ने फरमायाः ‘‘यह वह दया और रहमत है जिसे अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के दिलों में डाल दिया है, और अल्लाह तआला अपने बन्दों में से दया व मेहरबानी करने वालों पर दया करता है’’। (सहीह मुस्लिम २/६३५ हदीस नं.: ६२३)

- मुरदे की बख्शिश के लिये दुआ की जाये, शाफेई रहिमहुल्लाहु इस दुआ को पढ़ना मुस्तहब समझते थे किः अल्लाह तुम्हारे सवाब को बढ़ाये और तुम्हें अच्छी तसल्ली दे और तुम्हारे मुरदे को क्षमा कर दे।
- मुरदे के घर वालों के लिये खाना तैयार करना मुस्तहब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि : ((आले जा’फर के लिये खाना पकाओ, इस लिये कि उहे मसरुफ करने वाली चीज पेश आगई है।)) (मुसतदरक हाकिम १/५२७ हदीस नं.:१३७७)

सोने के आदाब :

- अल्लाह का नाम ले कर दायें करवट लेटना और जिस जगह सोने जा रहा है, वहाँ ताकीद कर ले कि कोई तकलीफ दह चीज़ तो नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि ((जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर सोने आये तो अपने तहबंद के किनारे से अपना बिस्तर झाड़ ले और अल्लाह का नाम ले, इस लिये कि वह नहीं जानता है कि उसने अपने बाद अपने बिस्तर पर क्या छोड़ा है? और जब सोये तो दाये करवट सोये और कहे कि ऐ मेरे रब तेरी ज़ात पाक है, मैं ने तेरे नाम पर अपना पहलू रखा है और तेरे नाम पर उठाउँगा, यदि तू मेरी जान ले ले तो तु उसे बख्श देना और यदि तू उसे छोड़ दे तो अपने नेक बन्दों की तरह उसकी हिफाज़त करना।)) (सहीह इब्ने हिब्बान १२/३४४ हदीस नं.: ५५३४)

- जब सो कर उठे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित दुआ पढ़े, हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात में जब अपने बिस्तर पर आते तो अपना हाथ गाल के नीचे रखते फिर कहते कि ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता और जीता हुँ, और जब सो कर उठते तो कहते कि तमाम प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है जिसने हमें मारने के बाद जीवित किया और पुनः उसी की ओर लौटकर जाना है।)) (सहीह बुखारी ५/२३२७ हदीस नं.:५९५५)
- जरुरत की हालत के सिवाय आदमी सवेरे सोने का प्रयास करे, इस लिये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत है कि आप ((इशा की नमाज़ से पहले सोना और इशा के बाद बात चीत करना नापस्नद करते थे।)) (सहीह बुखारी १/२०८ हदीस नं.: ५४३)
- पेट के बल सोना मकरुह है, अबु हुरैरा से रिवायत है कि ((रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गुज़र पेट के बल सोये हुये एक व्यक्ति से हुवा, आप ने उसे पैर से कचोका लगाया और कहा इस तरह सोने को अल्लाह पसन्द नही करता है।)) (सहीह इब्ने हिब्बान १२/३५७ हदीस नं.:५५४९)
- एहतियात और सावधान अपनाते हुए खतरे की चीजों से बचना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((आग तुम्हारा दुश्मन है, जब तुम सोवो तो इसे बुझा दिया करो।)) (सहीह बुखारी ५/२३१९ हदीस नं.:५९३६)

शौच (पेशाब पैरवाना करने) के आदाब :

- शौचालय में घुसने से पहले और निकलने के बाद बिस्समिल्लाह और दुआ पढ़ना, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब शौचालय में घुसते थे तो कहते कि ((बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ो बिका मिनल खुबसे वल खबाइसे।)) (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ६/११४ हदीस नं.:२९९०२)

और हजरत अनस ही से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब शौचालय से निकलते थे तो कहते थे कि अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़्हबा अन्निल अज़ा व आफानी।)) (सुनन इब्ने माजा १/११० हदीस वं.:३०१)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब शौचालय से बाहर निकलते तो 'गुफरानका' (मैं तेरी क्षमा चाहता हूँ) पढ़ते थे।" (सहीह इब्ने खुज़ैमा १/४८ हदीस नं.:९०)

- पेशाब-पैखाना करते समय किबला की ओर मुँह करे न ही पीठ करे, अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि ((मैं तुम्हारे लिये बेटे के लिए बाप के समान हूँ, अतः तुम में से कोई किब़ला की ओर मुँह करके या पीठ करके पेशाब-पाखाना न करे और तीन पत्थर से कम से कम से इस्तिन्जा न करे और गोबर और हड्डी उस में न इस्तेमाल करे।)) (सहीह इब्ने खुज़ैमा १/४३ हदीस नं.:८०)
- लोगों की निगाहों से छुप जाये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((जो शौच को जाये वह परदा करे।)) (सुनन इब्ने माजा १/१२१ हदीस नं.:३३७)
- गन्दी चीज़ों में दायाँ हाथ न इस्तेमाल करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((जब तुम में कोई पिये तो बर्तन में साँस न ले, जब कोई शौचालय को आये तो अपने लिंग को दाहिने हाथ से न छुये और जब गन्दगी साफ करे तो दाहिने हाथ से न करे।)) (सहीह इब्ने खुज़ैमा १/४३ हदीस नं.: ७८)
- शौच के बाद अगली पिछली दोनों शरमगाह को पहले ढेले और फिर पानी से साफ करे, और यही सर्वश्रेष्ठ है, या नहीं तो दोनों में से

किसी एक से साफ करे, लेकिन पानी से सफाई करना बेहतर है, इस लिये कि इस से अधिक सफाई होती है।

वैवाहिक रहन–सहन के आदाबः

- अल्लाह का ज़िक्र करना यानी इस प्रकार अल्लाह का नाम लेना जिसका तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस कथन से बयान किया है : ((अगर तुम में से कोई जब अपनी बीवी के पास आये और इस तरह कहे कि 'अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो कुछ तू हमें दे शैतान को उस से दूर रख' तो उनके बीच बच्चे का फैसला किया गाया तो उसे शैतान नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा।)) (सहीह बुखारी १/६५ हदीस नं.: १४१)
- आपस में खेल-कुद और हँसी-मजाक करना, जैसाकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जाबिर से कहा : ((ऐ जाबिर क्या तुम ने शादी करली है? मैं ने कहा : हाँ, आप ने कहा कि विवाहिता से या कुँवारी से? मै ने कहा कि : विवाहिता से, आप ने कहा कि : कुँवारी से क्यो नहीं किया कि तुम उस से खेलते वह तुम से खेलती, तुम उसे हँसाते वह तुम्हें हँसाती।)) (सहीह बुखारी ५/२०५३ हदीस नं.:५०५२)
- अपनी पत्नी का चुंबन करके, जुबान चूस कर प्यार व महब्बत करना, आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रोज़े की हालत मे उहें चुंबन करते थे और उनकी ज़ुबान चूसते थे।)) (सहीह इब्ने खुज़ैमा ३/२४६ हदीस नं.:२००३)
- पति और पत्नी जिस प्रकार चाहें एक दूसरे से लाभान्वित हों, लेकिन इस शर्त के साथ जिसे आप ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया है जब वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आये और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मैं तो तबाह होगया। आप ने कहा कि तुम्हें किसने तबाह कर दिया?

कहा कि आज रात मैं ने कजावे को बदल दिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर यह आयत उतरी : ((तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, अतः अपनी खेतियों में जहाँ से चाहो आओ।)) आगे से आओ और पीछे से आओ, पिछली शरमगाह और माहवारी से बचो।)) (सुनन तिर्मिज़ी ५/२१६ हदीस नं.:२९८०)

- पति और पत्नी के बीच जो विशिष्ट संबंध होते हैं उनकी सुरक्षा करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा वह व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी से सम्भोग करता है और उसकी पत्नी उसके साथ सम्भोग करती है, फिर वह उस के भेद को फैला देता है।)) (सहीह मुस्लिम ६/१०६० हदीस नं.: १४३७)

यात्रा के आदाब :

- दूसरों के हड़प किए हुये हुकूक़ और अमानतों को वापिस करना और क़र्ज़ का भुगतान करना और घर वालों के खर्च को सुनिश्चित करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ''जिस ने अपने किसी भाई का हक़ हड़प लिया हो तो उसे हलाल कर ले इसलिये कि वहाँ दिर्हम व दीनार न होगा, इस से पहले कि वह समय आये कि उसकी नेकियाँ उसके भाई को दे दी जायेंगी, अगर नेकियाँ न होंगी तो उसके भाई की बुराईयाँ उस पर लाद दी जायेंगी।)) **(सहीह बुखारी 5/2394 हदीस नं.:6169)**
- अकेला सफर करना नापसन्दीदा है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस से रोका है, सिवाय इस के कि मजबूर हो जाये और किसी का साथ ना पाये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सफर से लोटने वाले एक व्यक्ति से पूछा कि : तुम्हारे साथ कौन था? उसने उत्तर दिया : मेरे साथ कोई नहीं था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि : अकेला मुसाफिर शैतान है और दो मुसाफिर

दो शैतान हैं, और तीन मुसाफिर एक क़ाफिला हैं।)) मुसतदरक हाकिम २/११२ हदीस नं.: २४९५)

- अच्छे साथियों का चयन करना और अपना एक अमीर (अगुवा) नियुक्त कर लेना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि "जब तीन लोग किसी सफर पर निकलें, तो उन में से किसी एक को अपना अगुवा बना लें।)) (सुनन अबू दाऊद ३/३६ हदीस नं.: २६०८)
- सफर से घर वापस आने के समय की बीवी को सूचना दे दे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसा ही करते थे, और रात के समय घर न आ धमके, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ((जब तुम में से कोई काफी दिन तक अपने परिवार से दूर रहे तो वह रात के समय उनके पास न आ धमके।)) (सहीह बुखारी ५/२००८ हदीस नं.:४९४६)
- अपने अह्ल और दोस्त व अहबाब को अलविदाअ कहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((जब तुम में से कोई सफर करे तो अपने भाईयों को सलाम करे, इसलिये कि वह लोग भी उसके साथ भलाई की दुआ करेंगे।)) (मुसनद अबू या'ला १२/४२ हदीस नं.: ६६८६)
- ज़रूरत पूरी होजाने पर घर जल्दी लोटे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((सफर अज़ाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने, पीने और सोने से रोक देता है, जब तुम से कोई अपनी जरुरत पूरी कर ले तो अपने घर वालों के पास जल्दी से लौट आए।)) (सहीह बुखारी २/६३९ हदीस नं.:१७१०)

रास्ता के आदाब :

- रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रास्ता के आदाब को स्पष्ट करते हुए फरमाया : "रास्तों में बैठने से परहेज़ करो।" सहाबा-ए-किराम ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! रास्ते में बैठना

हमारे लिये अनिवार्य है उसमें हम बैठकर बातें करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि "जब तुम बैठने पर इसरार कर रहे हो तो रास्ते का हक़ अदा करो।" लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! रास्ते का हक़ क्या है? आप ने कहा कि "निगाह नीची रखना, लोगों को तकलीफ न पहुँचाना, सलाम का जवाब देना, भलाई का आदेश करना और बुराई से रोकना।)) (सहीह बुखारी २/८७० हदीस नं.: २३३३)

और एक दूसरी हदीस में है कि "तुम मुहताज की सहायता करो और भटके हुये को राह दिखाओ।" (सुनन अबू दाऊद ४/२५६ हदीस नं.:४८१७)

- रास्ते की सफाई का ख्याल रखे और सार्वजनिक लाभ वाली चीजों को नुक़सान न पहुँचाये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि ((दो ला'नत करने वाली चीजों से बचो, लोगों ने कहा कि वह दोनों क्या हैं? आप ने कहा कि जो व्यक्ति लोगों के रास्ते में या उनके साया हासिल करने की जगह में पाखाना कर देता है।)) (सहीह मुस्लिम १/२२६ हदीस नं.:२६७)
- अपने साथ कोई ऐसी चीज़ लेकर न चले जिस से दूसरे को तकलीफ पहुँचे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((जब तुम में से कोई हमारी मस्जिदों या बाज़ारों से तीर लेकर गुज़रे तो उसके पैकान को पकड़ले, या आप ने कहा कि उसे अपनी हथेली से पकड़ ले, कहीं ऐसा न हो कि उस से किसी मुसलमान को कुछ तकलीफ पहुँच जाये।)) (सहीह बुखारी ६/२५९२ हदीस नं. :६६६४)

खरीदने बेचने (क्रय–विक्रय) के शिष्टाचार :

- खरीदारी के अन्दर असल चीज़ हलाल होना है, इसलिये कि इस में बेचने और खरीदने वाले के बीच नफा का तबादला होता है लेकिन किसी एक पक्ष या दोनों का घाटा हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में हलाल से हराम हो जाता है, अल्लाह तआला के इस कथन के

कारण कि ((ऐ मोमिनो! तुम अपने माल आपस में नाहक़ तरीक़े से न खाओ।)) (सूरतुन्निसा :२९)

व्यपार को इस्लाम ने अफजल और बेहतर कमाई बतलाया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया गया कि सबसे अफजल और बेहतर कमाई कौन सा है? आप ने कहा कि "आदमी का अपने हाथ से काम करना और हर मबरुर (मक़्बूल) व्यवपार।" (मुसतदरक हाकिम २/१२ हदीस नं.:२१५८)

इस्लाम ने व्यवपार के अन्दर अमानत पर उभारा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((सच्चा अमानतदार मुसलमान व्यवपारी क़ियामत के दिन शहीदों के साथ होगा।)) (मुसतदरक हाकिम २/७ हदीस नं.:२१४२)

- सामान के अन्दर यदि कोई छुपी हुई ऐब मौजूद है तो उसे स्पष्ट करदेना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((किसी चीज़ के बेचने वाले के लिये उसके के ऐब को छुपाना हलाल नहीं है और उस ऐब के जानने वाले के लिये भी छुपाना जायज़ नहीं है।)) (मुसनद अहमद ३/४९१ हदीस नं.:१६०५६)
- सामान के अन्दर धोखा-धड़ी ना करना और खरीदार से सामान के ऐब ना छुपाना, अबु हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक अनाज के ढेर से गुजरे, आप ने उसके अन्दर अपना हाथ धुसाया आप ने तरी महसूस की, आप ने अनाज वाले से कहा कि यह क्या माजरा है? उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! इस पर बारिश होगई थी, आप ने कहा कि तुम ने उसे ऊपर क्यों नहीं कर दिया? ताकि लोग उसे देखते, जिसने धोखा और फराड किया वह हम में से नहीं।)) (सहीह मुस्लिम १/९९ हदीस नं.:१०२)
- सत्य बोलना और झूट से परहेज़ करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((खरीदने व बेचने वालों को इख्तियार है जब

तक वह अलग न हो जायें, यदि वह दोनों सत्य बोलते हैं और सामान के बारे में पूरी बात स्पष्ट कर देते हैं तो उन के खरीद व फरोख्त में बर्कत होती है और यदि वह ऐब छुपाते हैं और झूठ बोलते हैं तो उन दोनों के खरीद व फरोख्त की बर्कतें खत्म हो जाती हैं।)) (सहीह बुखारी २/७३२ हदीस नं.:१६७३)

- खरीद व फरोख्त में नरमी का बरताव करना, इसलिये कि यह बेचने और खरीदने वाले के बीच ता'ल्लुकात के मजबूत होने का एक साधन है और भौतिक लाभ जो भाई चारे की राह का रोड़ा है उस का तोड़ है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ''अल्लाह उस व्यक्ति पर दया करे जो बेचने, खरीदने और कर्ज के मुतालबे में नर्मी अपनाता है।)) (सहीह बुखारी २/७३० हदीस नं. :१६७०)
- कोई सामान बेचते समय क़सम न खाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((बेचने में अधिक क़सम खाने से बचो, इस लिये कि यह व्यापार को बढ़ावा देता है लेकिन बरकत को मिटा देता है।)) (सहीह मुस्लिम ३/१२२८ हदीस नं.:१६०७)
-

यह चन्द इस्लामी आदाब (शिष्टाचार) हैं, इनके अतिरिक्त अन्य दूसरे आदाब भी हैं यदि हम उन्हें ब्यान करें तो बात लम्बी हो जायेगी। हमारे लिये इतना जान लेना काफी है कि मानव जीवन की व्यक्तिगत और सार्वजनिक मामलों से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में कुरआन या हदीस की कोई रहनुमाई (निर्देश) मौजूद न हो, जो उस को निर्धारित और व्यवस्थित करती है। यह सब केवल इस लिए है ताकि मुसलमान का समूचित जीवन अल्लाह की इबादत का प्रतीक हो जिस में वह नेकियों से लाभान्वित हो सके।

अन्त :

इस लेख को हम दो इस्लाम स्वीकार करने वाले व्यक्तियों के कथन पर समाप्त करते हैं (F. Filweas) कहते हैं कि : “पश्चिम में बहुत बड़ा रुहानी खला पाय जा रहा है जिसे कोई भी सिद्धांत और कोई भी आस्था पुर करने और वहाँ के मनुष्य के लिए सौभाग्य को साकार करने में असमर्थ है। भौतिक मालदारी जिसे आर्थिक खुशहाली के नाम से जाना जाता है ... तथा प्रजा के सभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के बावजूद, पश्चिमी मानव निरंतर अपने जीवन की तुच्छता का एहसास करता है और यह प्रश्न करता है : मैं क्यों जी रहा हूँ? और मुझे कहाँ जाना है? और क्यों? और आज तक कोई भी उसे इन प्रशनों का उत्तर नहीं दे सका है। पर उस बेचारे को यह पता नहीं कि इस का उपचार उस शुद्ध धर्म में मौजूद है जिसके विषय में उसे सन्देहों और गलतफहमियों के सिवाय और कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ पच्छिमी दलों के, चाहे वो कम संख्या में ही क्यों न हों, इस्लाम में प्रवेश करने के द्वारा, रोशनी की किरण फूटने लगी है और प्रभात का अँधेरा छटने लगा है। और पश्चिम का इंसान अपने सिर की आँखों ऐसे मर्दों और औरतों को देखने लगा है जो इस्लाम पर अमल कर रहें और उसके अनुसार जीवन बिता रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग प्रतिदिन इस सत्य धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, यह शुरूआत है...”

डीबोरा पोटर (**D. Potter**) कहती हैं कि : ... इस्लाम जो कि अल्लाह का नियम और कानून है, उसे हम अपने इर्द गिर्द की प्रकृति में स्पष्ट रूप से पाते हैं, चुनाँचि मात्र अल्लाह ही के आदेश से पहाड़, समुद्र और तारे चलते हैं और अपनी चाल में मार्गदर्शन पाते हैं, वह अल्लाह के आदेश के ऐसे ही अधीन हैं जैसेकि किसी उपन्यास में कैरेक्टर (चरित्र) अधीन होते हैं, चुनाँचि वो केवल वही चीज़ बोलते और करते हैं जो लेखक नियमित करता है, इसी प्रकार

संसार का प्रत्येक कण -यहाँ तक कि खनिज पदार्थ भी- मुसलमान है, लेकिन इन्सान इस नियम से अलग है, क्योंकि अल्लाह ने उसे चयन करने की आज़ादी दे रखी है, उसके अधिकार में है कि वह चाहे तो अल्लाह के आदेश का पालन करे या खुद अपने लिए अपना नियम बनाये और जिस धर्म पर चाहे अपनी खुशी से चले, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन्सान अधिकतर दूसरे रास्ते का चयत करता है .... यूरोप और अमरीका में लोग बड़ी संख्या में इस्लाम में प्रवेश कर रहे हैं, इस्लिये कि वह हार्दिक चैन व सुकून और आत्म-शांति के प्यासे हैं, यहाँ तक कि अनेक मुस्तश्रेक़ीन और ईसाई धर्मप्रचारक जिन्हों ने इस्लाम का उन्मूलन करने और उसके कल्पित अवगुड़ों को प्रकाशित करने बेड़ा उठा रखा था, वो स्वयं मुसलमान हो चुके हैं। और यह केवल इसलिये है कि हक़ (सत्य) का प्रमाण इतना प्रभावशाली होता है जिसके इन्कार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।"